खण्ड-270, अंक-1
बुधवार, 9 अग्रहायण, शक संवत् 1888
(30 नवम्बर, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 270 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

बुधवार, ३० नवम्बर, १९६६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–४६
१९६६–६७ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	४६–४७
सर्वश्री अब्दुल बशीर खां, मतोलासिंह तथा शंकरलाल एवं भूतपूर्व सदस्य, श्री प्रयागनारायण के निधन पर शोकोद्गार	४७–५१
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, १९६६ (मेज पर रखा गया)	५१
उत्तर प्रदेश पालिका सेवायें (केन्द्रीय करण) (प्रकीर्ण उपलब्ध) अध्यादेश, १९६६ (मेज पर रखा गया)	५१
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (मेज पर रखा गया)	५१
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (संशोधन) नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी)	५२
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी)	५२
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५, की धारा ९४ (३) के अन्तर्गत निवास विभाग की विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी) ..	५२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५२
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वर्ष १९६५–६६ का पूरक वित्तीय विवरण-पत्र (मेज पर रखा गया)	५३
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६, एवं वित्त तथा विनियोग लेखे, १९६४–६५ (मेज पर रखे गये)	५
पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित शुद्धि-पत्र (मेज पर रखा गया)	५३
उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी) ..	५३
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भवन में परिवर्तन करने या गिराने के व्यय की वसूली) नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी) ..	५३
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४, में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५४
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९६३–६४ का वार्षिक प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	५४
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६, में किये गये शाब्दिक संशोधन (मेज पर रखे गये)	५४

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६, में किये गये शाब्दिक संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	५४
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४
प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५५
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५५
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५५
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५५
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संशोधन विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५५
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५६
उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ..	५६
श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५६
प्रदेश में छात्र आन्दोलन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (सदन द्वारा अनुज्ञा दी गयी)	५६-५७
राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के सरकार द्वारा तोड़े जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	५७-५८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यानाकर्षणार्थ अन्य सूचनायें	५८
विधायकों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना	५८
विविध विषय	५८
विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति का प्रतिवेदन	५९
हायर जुडिशियल सर्विसेज के संबंध में हाई कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न परिस्थिति पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में जानकारी	५९-६०
२८ जुलाई, १९६६, के गृह मंत्री के वक्तव्य का शोधन	६०
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया)	६१
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया)	६१
उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया)	६१-६२

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य तथा उस पर चर्चा (जारी) ..	६२–९६
प्रदेश में छत्र आन्दोलन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा (समाप्त) ..	९६–११९
नत्थियां	१२०–१५९

वृहस्पतिवार, १ दिसम्बर, १९६६

उपस्थित सदस्य	१६१–१६५
प्रश्नोत्तर	१६५–२०२
प्रश्नोत्तर के संबंध में आपत्ति	२०२
उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६–६७) का बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये)	२०२
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी ..	२०२–२०३
राज्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के वारण्ट तथा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (वक्तव्यार्थ स्वीकृत)	२०३–२०४
पंचायत मंत्रियों के अनशन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (वक्तव्यार्थ स्वीकृत)	२०४
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं (क्रमागत) ..	२०४
राज्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के वारण्ट तथा उनकी गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)	२०४–२०५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं (क्रमागत) ..	२०५–२०६
श्री रतीपाल द्वारा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ही सदस्य होने का पुष्टीकरण ..	२०६
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न कार्य तथा विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	२०६–२०८
२१ जुलाई, १९६६ के तारांकित प्रश्न ७–९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	२०८
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (सदन की अनुमति प्राप्त) ..	२०८
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति में संबंध में वक्तय पर चर्चा (जारी) ..	२०९–२१३
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव से सम्बन्ध न होने के संबंध में श्री विजय सिंह का पत्र	२१४
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति में संबंध में वक्तव्य पर चर्चा (क्रमागत) ..	२१४–२५४
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	२५४–२९१
नत्थियां	२९२–३११

शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३१३-३१७
प्रश्नोत्तर	३१७—३५८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	३५८—३५९
बलिया जिले में गंगा और घाघरा नदियों के किनारे को कारीडोर एरिया घोषित करने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	३५९
श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी तथा उनके साथ जेल में किये गये कथित अमानवीय व्यवहार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (जारी) ..	
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं	३६०
श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी तथा उनके साथ जेल में किये गये कथित अमानवीय व्यवहार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	३६१
कानपुर की विभिन्न मिलों की मजदूर स्थिति के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना	३६१
राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के सरकार द्वारा तोड़े जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३६२—३६८
१९६६—६७ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	३६८—४०४
१९६६-६७ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	४०४
अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास (स्वीकृत)	४०४
अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	४०५
अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	४०५
अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं (स्वीकृत)	४०५
अनुदान-संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	४०५
अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४०६
अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	४०६
अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	४०६
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	४०६—४१२
श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी तथा उनके साथ जेल में किये गये कथित अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य	४१२—४१५
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	४१५—४२०
नत्थियां	४२१—४४५

सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४४७–४५०
सदन की कार्यवाही, बिलम्ब, से आरम्भ होने के सम्बन्ध में आपत्ति	४५०
प्रश्नोत्तर	४५१–४७६
प्रश्न के स्थगन पर आपत्ति	४७६
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६ (मेज पर रखा गया)	४७६
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक, धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अस्थायी अधिकार प्रवृत्त रहने का विधेयक, १९६६ (मेज पर रखा गया)	४७७
श्री सालिग्राम जैसवाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं ..	४७७
प्रदेश के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के आध्यापकों के आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (विषय नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत)	४७७–४८०
श्री सालिग्राम जैसवाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (जारी)	४८०–४८२
जिला उन्नाव के कुछ ग्रामों के किसानों पर कानपुर के कुछ लोगों द्वारा आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना..	४८२
श्री सालिग्राम जैसवाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४८२
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं	४८३
भूतपूर्व सदस्य, श्री गंगा सहाय चौबे के निधन पर शोकोद्गार	४८३–४८४
श्री अवधेशनाथ एवं श्री लोकपालसिंह द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र	४८४–४८६
१ अगस्त, १९६६ के तारांकित प्रश्न १–२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	४८६–४८९
गन्ने का मूल्य निर्धारण करने के संबंध में श्री चन्द्रबली सिंह द्वारा अभिसूचित प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	४९०–४९१
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, १९६६ ..	४९१
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	४९१–५३७
उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	५३७–५५४
नत्थियां	५५५–५७१

मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६६

उपस्थित सदस्य	५७३–५७६
प्रश्नोत्तर	५७७–६१०
प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति	६१०–६११

विषय	पृष्ठ-संख्या
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (सातवीं संशोधन) नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी)	६११
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी)	६११
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी)	६११
उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (तृतीय) संशोधन नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी)	६१२
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रस्थापित वित्त विभाग की विभिन्न विज्ञप्तियां (मेज पर रख गयीं)	६१२
उत्तर प्रदेश बिधान समा की प्राश्वासन समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	६१२–६१३
प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति (जारी)	६१३
गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	६१४
कतिपय विषय	६१४
अध्यापक की मांग पर तथा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	६१४–६१९
शाहजहांपुर जिले के नलकूपों को बिजली न मिलने एवं शारदा नहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (वक्तव्यार्थ स्वीकृत)	६२०
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं (मंत्रियों को प्रेषित)	६२०–६२१
राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध वारण्ट तथा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६२१–६२९
बलिया जिले में गंगा और घाघरा नदियों के किनारे कारीडोर एरिया के घोषित किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .	६२९–६३३
सदस्यों की उपस्थिति पंजिका की रेलवे मैजिस्ट्रेट द्वारा मांग	६३३–६३५
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा	६३५–६६७
नत्थियां	६६८–६७७

बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६६

उपस्थित सदस्य	६७९–६८२
प्रश्नोत्तर	६८३–७१४
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधयक १९६६ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	७१४
उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६–६७) का २२वां प्रतिवदन (प्रस्तुत किया गया)	७१४

विषय	पृष्ठ-संख्या
गृह उपमंत्री द्वारा कथित गलत बयानी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	७१५–७२०
राज्य कर्मचारियों की गिरफ्तरी के संबंध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७२१–७२५
प्रदेश के कुछ जिलों में नलकूपों को बिजली न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	७२५
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	७२५
सदस्यों की उपस्थिति पंजिकाओं की मैजिस्ट्रेट द्वारा मांग ..	७२५–७२६
उत्तर प्रदेश पंचायत मंत्रियों के अनशन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७२६–७२८
श्री सालिग्राम जैसवाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७२८–७२९
प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर आपत्ति	७३०–७३१
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऋण लेने की सीमा में बढ़ोत्तरी के मे संकल्प (स्वीकृत)	७३१–७३३
उत्तर प्रदेश विधान सभा की १९६६–६७ की नियम समिति का प्रतिवेदन (स्वीकृत)	७३३–७५५
अध्यापकों की मांगों तथा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७५५–७६३
कानपुर की लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के बन्द होने तथा मिलों में अनियमित कार्यों के विषय में नियम ५३ के अंतर्गत चर्चा	७६३–७७७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का द्वितीय अनपूरक) विधेयक, १९६६ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	७७७–७७८
नत्थियां	७७९–८१५

बृहस्पतिवार, ८ दिसम्बर, १९६६

उपस्थित सदस्य	८१७–८२१
कार्य सूची में प्रश्नों के न होने पर आपत्ति	८२१–८२५
प्रश्नोत्तर (जारी)	८२५–८२७
२८ अगस्त, १९६३, को श्री बिपिनबिहारी तिवारी द्वारा पूछे गये प्रश्न ४८ के उत्तर में संशोधन	८२७–८२८
प्रश्नोत्तर	८२८–८६४
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	८६४–८६५
प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा काम का बहिष्कार करने के सबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (सदस्य द्वारा अनुज्ञा दी गयी) ..	८६५
प्रश्नों के संबंध में जानकारी	८६६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	८६६
प्रदेश के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के आन्दोलन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८६६–८७३
जिला उन्नाव के कुछ ग्रामों के किसानों पर का कानपुर के लोगों के द्वारा आक्रमण के संबंध में वक्तव्य	८७३–८७४

विषय	पृष्ठ-संख्या
शाहजहांपुर जिले के नलकूपों को बिजली न मिलने के संबंध में वक्तव्य ..	८७४
शारदा नहर में पानी की कमी के संबंध में वक्तव्य	८७४
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियम) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	८७४–८८४
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक, धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६ (जारी) ..	८८४–९०७
अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा काम का बहिष्कार करने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा (समाप्त)	९०७–९२८
उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	९२९
प्रदेश में लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, के अन्तर्गत ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा (स्थगित)	९२९
नत्थियां	९३०–९४३

शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६६

उपस्थित सदस्य	९४५–९४९
प्रश्नोत्तर	९४९–९८७
प्रश्नों का सन्तोषजक उत्तर न मिलने पर आपत्ति	९८७–९८८
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६६ के अन्तर्गत प्रख्यापित आदेश (मेज पर रखे गये)	९८८
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की लाभपद विषयक संयुक्त समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	९८८
उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	९८९
विनियोग लेखे १९६४–६५ एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६ तथा राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	९८९–९९२
लोक लेखा समिति का छठवां कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदन पर अग्रेतर प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	९९२
उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की आश्वासन समिति का चौथा विशेष प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	९९२–९९३
उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६–६७) का तेईसवां प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	९९३

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	९९३–९९५
नलकूपों को बिजली न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	९९६–१००२
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के महामंत्री श्री पशुपतिनाथ सुकुल की व्यक्तिगत सम्पत्ति की कुर्की पर आपत्ति	१००२–१००४
प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु उच्चस्तरीय समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	१००४–१०१९
नत्थियां	१०२०–१०३१

विधान सभा

सत्यमेव जयते

शासन

राज्यपाल

श्री विश्वनाथदास

मंत्रि-परिषद्

१—श्रीमती सुचेता कृपालानी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उद्योग, सूचना, अर्थ और सांख्यकीय मंत्री ।

२—श्री हुकुम सिंह विसेन, बी० ए० एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, अभाव, राज्य-सम्पत्ति तथा माल मंत्री ।

—श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, विद्युत् तथा सिंचाई मंत्री ।

४—श्री रचण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वन तथा स्वायत्त शासन मंत्री ।

५—श्री सैयद अली जहीर, बार एट-ला, विधान सभा सदस्य, विधायिका , मुस्लिम वक्फ तथा न्याय मंत्री ।

६—श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल०बी०, विधान परिषद् सदस्य, नागरिक सुरक्षा, गृह सुरक्षा तथा गृह मंत्री ।

७—श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, राजनैतिक पेंशन तथा परिवहन मंत्री ।

८—श्री राममूर्ति, एम०ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, पंचायती राज, प्रान्तीय रक्षकदल, सामुदायिक विकास मंत्री ।

९—श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, खाद्य तथा रसद मंत्री।

१०—डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी०, (विस०)पी० एच० डी०, विधान सभा सदस्य, गन्ना विकास, पुनर्वास, वैज्ञानिक अनुसंधान, सांस्कृतिक कार्य तथा हरिजन कल्याण, समाज कल्याण मंत्री ।

११—श्री दाऊ दयाल खन्ना, विधान सभा सदस्य, आबकारी तथा चिकित्सा मंत्री ।

१२—श्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य, श्रम, संसदीय कार्य तथा सहकारिता मंत्री

१३—श्री कैलाश प्रकाश, विधान परिषद् सदस्य, शिक्षा मंत्री ।

१४—श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल०बी०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

१५—श्री गेंदा सिंह, विधान सभा सदस्य, कृषि मंत्री ।

उप-मन्त्री

१—श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, विधान सभा सदस्य, विद्युत् उप मंत्री ।

२—श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान सभा सदस्य, कृषि उपमंत्री ।

३—श्री जयराम वर्मा, विधान सभा सदस्य, वित्त उपमंत्री ।

४—डाक्टर रामनारायण पांडेय, विधान परिषद् सदस्य, शिक्षा उपमंत्री।

५—श्री शिव प्रसाद गुप्त, विधान परिषद् सदस्य, गृह उपमंत्री ।

अवैतनिक सभा सचिव

स्वायत्त शासन मंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री के सभासचिव

१—श्रीमती तारा अग्रवाल, विधान सभा सदस्या, समाज कल्याण तथा स्वायत्त शासन।

खाद्य तथा रसद मंत्री के सभासचिव

२—श्री हरीदत्त कांडपाल, विधान सभा सदस्य, खाद्य तथा रसद।

सिंचाई मंत्री तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभासचिव

३—श्री अजय कुमार वसू, विधान परिषद् सदस्य, सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण।

मुख्य मंत्री तथा सामुदायिक विकास मंत्री के सभासचिव

४—श्री बंशीधर पांडेय, विधान सभा सदस्य, नियोजन तथा सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज।

सामुदायिक विकास मंत्री तथा सहकारिता मंत्री के सभासचिव

५—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधान परिषद् सदस्य, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।

माल मंत्री के सभासचिव

६—श्री राम कुमार शास्त्री, विधान सभा सदस्य, माल।

विधान परिषद्

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनक निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१	अक्षयवर सिंह, श्री	.. पिपराइच
२	अखण्डप्रताप सिंह, श्री	.. बीकापुर
३	अजीज इमाम, श्री	.. कंतित (उत्तर)
४	अनीसुर्रहमान, श्री	.. टनकपुर
५	अब्दुल समी, श्री	.. सुल्तानपुर
६	अब्दुल हसीब खां, श्री	.. फखरपुर
७	अमजद अली, श्री	.. निजामाबाद
८	अयोध्या प्रसाद, श्री	.. ललितपुर (अनुसूचित)
९	अलीजहीर, श्री सैयद	.. लखनऊ नगर (पश्चिम)
१०	अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री ..	.. साधुल्लानगर
११	अवधेश कुमार सिनहा, श्री ..	.. मिश्रिख
१२	अवधेश प्रताप, राजा ..	.. सलेमपुर (दक्षिण)
१३	अवेद्यनाथ, श्री	.. मानीराम
१४	अशरफ अली खां, श्री	.. सादाबाद
१५	अहमद बख्श, श्री	.. जानसठ
१६	आनन्दसिंह, कुंवर	.. मनकापुर
१७	इन्द्रपाल, श्री	.. जगदीशपुर (अनुसूचित)
१८	इन्द्रासनसिंह, श्री	.. सगरी
१९	ईश्वर शरण, श्री	.. गोंडा (पूर्व)
२०	उग्रसेन, श्री	.. सलेमपुर (पश्चिम)
२१	उमादत्त, श्री	.. लंभवा
२२	उमाशंकर, श्री	.. गोपालपुर
२३	उमाशंकर तिवारी, श्री	.. मगलसराय
२४	उल्फतसिंह यादव, श्री	.. सहसवान
२५	ऊदल, श्री	.. कोलाशाह
२६	ऋषिनारायण शास्त्री, श्री ..	.. गंगापुर
२७	एस० जी० दत्त, श्री ..	.. कानपुर नगर (४)
२८	ए० सी० ग्राइस, श्री ..	.. नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय
२९	ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री ..	.. कोंहडौर
३०	कंधई लाल, श्री	.. खुटर (अनुसूचित)
३१	कन्हैयालाल, श्री	.. गोकुल (अनुसूचित)
३२	कमलापति त्रिपाठी, श्री ..	.. चन्दौली
३३	कमलासिंह यादव, श्री ..	.. सैंदपुर
३४	कलारानी मिश्र, श्रीमती ..	.. बिलग्राम
३५	कल्पनाथ सिंह, श्री ..	.. चिल्लपार
३६	कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)	.. इलाहाबाद नगर (दक्षिण)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३७	कल्याण राय, श्री ..	.. रामपुर ग्रामीण
३८	काशीनाथ बहादुर पाल, श्री ..	.. महुली (पूर्व)
३९	काशीनाथ मिश्र, श्री ..	.. बांसडीह (पूर्व)
४०	काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री ..	.. गरौठा
४१	किशोरी लाल अग्रवाल, श्री ..	.. लखनऊ नगर (पूर्व)
४२	किश्वर आरा, बेगम ..	.. रामपुर नगर
४३	कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री	.. बांसी (उत्तर)
४४	कृष्णचन्द, श्री ..	.. मेहरौनी
४५	कृष्ण पाल सिंह, श्री ..	.. रायबरेली (उत्तर)
४६	कृष्ण सिंह, श्री ..	.. उत्तरकाशी
४७	कृष्ण, श्री ..	.. देवरिया (दक्षिण)
४८	कृष्णानन्द राय, श्री ..	.. गाजीपुर
४९	केदारनाथ भार्गव, श्री ..	.. मथुरा
५०	केशभान, श्री ..	.. मगहर
५१	केशरी प्रसाद पांडेय, श्री ..	.. मछलीशहर
५२	केशव गुप्त, श्री ..	.. मुजफ्फरनगर
५३	श्री केशव राम, श्री ..	.. कोट (अनुसूचित)
५४	केशव सिंह, श्री ..	.. जलालाबाद
५५	कैलाश, श्री ..	.. सलेमपुर (पूर्व)
५६	कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री	.. छिबरामऊ
५७	खयालीराम, श्री ..	.. मोहनलाल गंज
५८	खुशीराम, श्री ..	.. चम्पावत (अनुसूचित)
५९	खूब सिंह, श्री ..	.. धामपुर
६०	खेमचन्द, श्री ..	.. आगरा नगर (२)
६१	गंगाधर मैठाणी, श्री ..	.. केदारनाथ
६२	गंगा प्रसाद, श्री ..	.. गोंडा (पश्चिम) (अनुसूचित)
६३	गंगा प्रसाद वर्मा, श्री ..	.. एटा
६४	गंगा प्रसाद सिंह, श्री ..	.. सियार
६५	गंगा सिंह बिष्ट, श्री ..	.. अल्मोड़ा
६६	गणेशचन्द्र काछी, श्री ..	.. किशनी
६७	गणेश प्रसाद, श्री ..	.. बांसगांव
६८	गनेशीलाल चौधरी, श्री ..	.. तम्बौर (अनुसूचित)
६९	गयाप्रसाद, श्री ..	.. कस्वर
७०	गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री ..	.. बिसवां
७१	गिरजा प्रसाद, श्री ..	.. सरजू
७२	गिरधारी लाल, श्री (बिजनौर)	.. बुदपुर (अनुसूचित)
७३	गिरधारी लाल, श्री (वाराणसी)	.. वाराणसी नगर (दक्षिण)
७४	गिरवर प्रसाद, श्री ..	.. कासगंज

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
७५	गुप्तार सिंह, श्री	..	.. सरेनी
७६	गुलाब सिंह, श्री	..	.. मुसौरी
७७	गँदादेवी, श्रीमती	..	.. खलीलाबाद (अनुसूचित)
७८	गँदा सिंह, श्री	..	.. पडरौना (पूर्व)
७९	गोकुल प्रसाद, श्री	..	.. भरवारी (अनुसूचित)
८०	गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	.. सफीपुर
८१	गोविन्द सहाय, श्री	..	.. नगीना
८२	घनश्यामदास, श्री	..	.. सिद्धौर (अनुसूचित)
८३	घासीराम जाटव, श्री	..	.. लखना (अनुसूचित)
८४	चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	.. जालौन
८५	चन्दन सिंह, श्री	..	.. कैराना
८६	चन्द्रजीत यादव, श्री	..	.. मुहम्मदाबाद गोहाना
८७	चन्द्रदेव, श्री	..	.. पडरौना (उत्तर)
८८	चन्द्रपाल, श्री	..	.. बानगंगा (पूर्व)
८९	चन्द्रबली सिंह, श्री	..	.. रुद्रपुर
९०	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	.. रानी खेती (दक्षिण)
९१	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	.. पौड़ी
९२	चम्पावती, श्रीमती	..	.. फतेहपुर-सीकरी
९३	चरणसिंह, श्री	..	.. कोटाना
९४	चिरंजी लाल चाटव, श्री	..	.. जलेसर (अनुसूचित)
९५	चुन्नी लाल, श्री	..	.. अनूपशहर
९६	चैतन्यराज सिंह, श्री	..	.. खैर
९७	छत्रपति अम्बेश, श्री	..	.. आगरा देहात (अनुसूचित)
९८	छांगुर, श्री	..	.. बाला दौलताबाद (अनुसूचित)
९९	छेदा लाल चौधरी, श्री	..	.. पलिया (अनुसूचित)
१००	जगदम्बा प्रसाद, श्री	..	.. सुरहुरपुर
१०१	जगदीशनारायण सिनहा, श्री	..	.. रुड़की
१०२	जगदीश प्रसाद, श्री (बहराइच)		.. बहराइच (उत्तर)
१०३	जगदीश प्रसाद, श्री (मुरादाबाद)		.. हसनपुर (उत्तर)
१०४	जगदीश प्रसाद पांडेय, श्री	..	.. नौगढ़
१०५	जगदीश शरण अग्रवाल, एडवोकेट, श्री		.. बरेली नगर
१०६	जगदीश शरण रस्तोगी, श्री	..	.. मेरठ नगर
१०७	जगन प्रसाद रावत, श्री	..	.. खेरागढ़
१०८	जगन्नाथ चौधरी, श्री	..	.. सिकन्दरपुर
१०९	जगन्नाथ राव, श्री	..	.. मरियाहूं
११०	जगन्नाथ सिंह, श्री	..	.. बिंदकी
१११	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	.. गंगासलान
११२	जगवीर सिंह, श्री	..	.. अगौटा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
११३	जमादार सिंह, श्री ..	.. बरनवा
११४	जमीलुर्रहमान किदवई, श्री ..	.. नवाबगंज
११५	जयगोपाल, श्री ..	.. हरोरा
११६	जयराम वर्मा, श्री ..	.. टांडा
११७	जलील अब्बासी, काजी ..	.. डोमरियागंज (दक्षिण)
११८	जसराम सिंह, श्री ..	.. जेवार (अनुसूचित)
११९	जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)	.. उन्नाव
१२०	जुगलकिशोर, श्री ..	.. गुन्नौर
१२१	जे० पी० मिश्र, श्री ..	.. मल्लावां
१२२	ज्वाला प्रसाद, श्री ..	.. घाटमपुर (पश्चिम) (अनुसूचित)
१२३	झारखंडे राय, श्री ..	.. घोसी
१२४	झिलमिट राम, श्री ..	.. पचोतर (अनुसूचित)
१२५	टम्बेश्वर प्रसाद, श्री ..	.. खैराबाद
१२६	डल्लाराम, श्री ..	.. मच्छेहटा सीतापुर (अनुसूचित)
१२७	डूंगर सिंह, श्री ..	.. राठ
१२८	तारा अग्रवाल, श्रीमती ..	.. कानपुर नगर (१)
१२९	तेजनारायण त्रिवदी, श्री ..	.. धौरेहरा
१३०	तेजभान सिंह, कुंवर ..	.. अठेहा
१३१	तेजसिंह, श्री ..	.. गाजियाबाद
१३२	त्रेपन सिंह, श्री ..	.. टेहरी
१३३	दयाराम शाक्य, श्री ..	.. फर्रुखाबाद
१३४	दलजीत सिंह, श्री ..	.. बहराइच (दक्षिण)
१३५	दशरथ प्रसाद, श्री ..	.. सिधवाजोवना
१३६	दाऊ दयाल खन्ना, श्री ..	.. कांठ
१३७	दीनदयालु करबरिया, श्री ..	.. करबी
१३८	दीपनारायण सिंह, श्री ..	.. किशनपुर
१३९	दुर्गाप्रसाद, श्री ..	.. ६० बीसलपुर (अनुसूचित)
१४०	दुर्योधन, श्री ..	.. महाराजगंज (अनुसूचित)
१४१	देवदत्त मिश्र, श्री ..	.. भगवंत नगर
१४२	देवीदत्त, श्री ..	.. काशीपुर
१४३	देवेन्द्र सिंह श्री ..	.. नैनीताल
१४४	देशराज सिंह, श्री ..	.. बबेरू
१४५	दौलत लाल, श्री ..	.. महुल
१४६	द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री ..	.. फरेंदा (पूर्व)
१४७	द्विजेन्द्र नारायण, श्री ..	.. दरियाबाद
१४८	धर्मदत्त वैद्य, श्री ..	.. सिरौली
१४९	धर्मसिंह, श्री ..	.. छतारी (अनुसूचित)
१५०	धूम प्रसाद, श्री ..	.. मंगलसी (अनुसूचित)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन क्षेत्र
१	२			३
१५१	नत्थाराम रावत, श्री	..	..	कुरसी
१५२	नत्थूसिंह, श्री	..	..	जसवन्तनगर
१५३	नन्द कुमार देव वाशिष्ट श्री,	..	..	हाथरस
१५४	नरदेव सिंह, श्री	..	..	चान्दपुर
१५५	नरसिंह नारायण पांडेय, श्री	..	..	फरेंदा (पश्चिम)
१५६	नरेन्द्र सिंह, श्री	..	..	चन्दौसी
१५७	नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	..	पिथौरागढ़
१५८	नरोत्तम सिंह, श्री	..	..	उसेहत
१५९	नवरंगसिंह, श्री	..	..	गोंडा (उत्तर)
१६०	नवलकिशोर, श्री	..	..	आंवला
१६१	नाथूराम शिक्षक, श्री	..	..	करारी (अनुसूचित)
१६२	नारायण सिंह, श्री	..	..	दातागंज
१६३	नित्यानन्द पांडेय, श्री	..	..	डेरापुर
१६४	नियाज हसन खान, श्री	..	..	कुण्डा
१६५	नियामतुल्ला अन्सारी, श्री	..	..	गोरखपुर
१६६	नेकराम शर्मा, श्री	..	..	सिकन्दरराव
१६७	नैनसिंह श्री,	..	..	बधरा (अनुसूचित)
१६८	नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री	..	..	चाइल
१६९	नौरंगलाल, श्री	..	..	नवाबगंज
१७०	पंचमदास, श्री	..	..	संडीला (अनुसूचित)
१७१	परमाईलाल, श्री	..	..	गोपामऊ (अनुसूचित)
१७२	पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री	..	..	इनहौना
१७३	पातीराम अहरवार, श्री	..	..	कन्नौज (अनुसूचित)
१७४	पितई राम, श्री	..	..	सालौ (अनुसूचित)
१७५	पीतम सिंह प्रधान, श्री	..	..	हस्तिनापुर
१७६	पुरुषोतमलाल बधवार (राजाजी), श्री		..	उझानी
१७७	पूरन लाल, श्री	..	..	शिरोमन नगर (अनुसूचित)
१७८	प्यारेलाल मिश्र, श्री	..	..	शाहाबाद
१७९	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	..	मेरठ छावनी
१८०	प्रेम सिंह, श्री	..	..	चरदा
१८१	प्रेमसुन्दर, श्री	..	..	हापुड़
१८२	फूलसिंह, श्री	..	..	देवबन्द
१८३	बंकटा सिंह, श्री (टुन्नूसिंह)	..	..	खीरी
१८४	बंशीधर पांडेय, श्री	..	..	भदोही
१८५	बंशीधर मिश्र, श्री	..	..	श्रीनगर
१८६	बंशीलाल, श्री	..	..	झूंसी (अनुसूचित)
१८७	बद्री प्रसाद, श्री	..	..	फतेहपुर (अनुसूचित)
१८८	बद्री प्रसाद पालीवाल, श्री	..	..	औरैया

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१८९	बनवारी लाल बिप्र, श्री ..	.. फतेहाबाद
१९०	बनारसीदास, श्री ..	.. सिकन्दराबाद
१९१	बब्बन सिंह, श्री ..	.. बलरामपुर (दक्षिण)
१९२	बलदेव सिंह, सरदार ..	.. तुलसीपुर
१९३	बलदेव सिंह आर्य, श्री	.. शाहाबाद (अनुसूचित)
१९४	बलवान सिंह, श्री ..	.. अकबरपुर
१९५	बलबीर सिंह, श्री ..	.. जसराना
१९६	बसंतलाल, श्री ..	.. उमरी (अनुसूचित)
१९७	बसन्त लाल शर्मा, श्री ..	.. नानपारा
१९८	बसन्त सिंह, श्री ..	.. अफजल गढ़
१९९	बांके लाल, श्री ..	.. हाटा
२००	बाबूलाल श्रीवास्तव, श्री ..	.. ११८, प्रतापगढ़ (दक्षिणी)
२०१	बाबूसिंह, श्री ..	.. अतरौली
२०२	बालकराम वैश्य, श्री	.. लखनऊ (छावनी)
२०३	बालेन्दु भूषण प्रताप सिंह, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)
२०४	बालोजी अग्रवाल, श्री ..	.. आगरा नगर १
२०५	बिपिन बिहारी तिवारी, श्री ..	.. लहरपुर
२०६	बिशन लाल यादव, श्री ..	.. बहजोई
२०७	बृज बिहारी, श्री ..	.. अतरौलिया
२०८	बृजभूषण शरण, श्री ..	.. देहरादून
२०९	बृज मोहन लाल गुप्त, श्री	.. बांदा
२१०	बृजराज सिंह, श्री ..	.. मौदहा
२११	बृजरानी, श्रीमती ..	.. बिठूर
२१२	बृजेश्वर सहाय, श्री ..	.. मैनपुरी
२१३	बेचनराम, श्री ..	.. कंतित (दक्षिण) (अनुसूचित)
२१४	बेदराम, श्री ..	.. सहवार
२१५	बेनीबाई, श्रीमती ..	.. मऊ (अनुसूचित)
२१६	बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री ..	.. कमेठी
२१७	बैजूराम, श्री ..	.. बारी (अनुसूचित)
२१८	ब्रह्मदत्त मायर, श्री ..	.. सहारनपुर
२१९	भगवतीदीन तिवारी, श्री ..	.. गरवारा
२२०	भगवानदास बरनवाल, श्री ..	.. मिर्जापुर
२२१	भगवानदास यादवेन्दु, श्री ..	.. फिरोजाबाद
२२२	भगवानदीन, श्री ..	.. बछरावां (अनुसूचित)
२२३	भगवान सहाय, श्री ..	.. तिलहर
२२४	भानुप्रताप सिंह, श्री ..	.. डुमरियागंज (उत्तर)
२२५	भोलालाल, श्री ..	.. हसनगंज (अनुसूचित)
२२६	भीमा प्रसाद, श्री ..	.. आजमगढ़

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
२२७	भूपसिंह, श्री ..	.. कोइल (अनुसूचित)
२२८	मंगल, श्री ..	.. पडरौना (पश्चिम)
२२९	मंगलदेव, श्री ..	.. सरायमीर (अनुसूचित)
२३०	मंगल प्रसाद आर्य, श्री ..	.. इकौना (अनुसूचित)
२३१	मदन पाल सिंह, श्री ..	.. महोबा
२३२	मनसाराम, श्री ..	.. शिकोहाबाद
२३३	मन्नालाल, श्री	.. मुहमदी (अनुसूचित)
२३४	महमूद हसन खाँ, श्री ..	.. सम्भल
२३५	महराम सिंह, श्री ..	.. भोजपुर
२३६	महादेव, श्री ..	.. मिनहौर
२३७	महावीर प्रसाद, श्री ..	.. डलमऊ
२३८	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	.. लखनऊ, (केन्द्र)
२३९	महाबीर सिंह, श्री ..	.. खुर्जा
२४०	महेंद्र सिंह, श्री ..	.. सप्पल
२४१	महेश सिंह, श्री ..	.. हरदोई
२४२	माता प्रसाद, श्री ..	.. चांदा (अनुसूचित)
२४३	माधोनारायण मुद्गल, श्री ..	.. धिरौर
२४४	माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री ..	.. बानगंगा (पश्चिम)
२४५	मान्धाता सिंह, श्री	.. कोपाचित
२४६	मुकन्दी लाल बैरिस्टर, श्री ..	.. लैन्सडाउन
२४७	मुकुट बिहारी लाल, श्री ..	.. रुदौली
२४८	मुजफ्फरहसन, श्री ..	.. फूलपुर
२४९	मुन्नू सिंह, श्री ..	.. मिंगा
२५०	मुमताज मुहम्मड खाँ, श्री	.. सियाना
२५१	मुरलीधर कुरील, श्री ..	.. बिल्हौर (अनुसूचित)
२५२	गुलतान सिंह, श्री ..	.. एतमादपुर (दक्षिण)
२५३	मुहम्मद रफी खाँ, श्री ..	.. शाहजहांपुर
२५४	मुहम्मद हुसैन, श्री ..	.. बरेली छावनी
२५५	मूल चन्द शास्त्री, श्री ..	.. बरौत
२५६	मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री	.. दसना
२५७	मेवालाल जायसवाल, श्री	.. सोरांव (पश्चिम)
२५८	मेड़ी लाल, श्री ..	.. सन्निख (अनुसूचित)
२५९	मैनेजर सिंह, श्री ..	.. दोआबा
२६०	मोहन लाल आचार्य ..	.. ५९ पूरनपुर
२६१	मोहन लाल अहिरवार, श्री ..	.. चरखारी (अनुसूचित)
२६२	मोहन लाल वर्मा, श्री ..	.. गोंडवा
२६३	मोहन सिंह, श्री ..	.. बानपुर
२६४	यशपालसिंह वर्मा, श्री, ..	.. नकुड़

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
२६५	यशोदा देवी, श्रीमती	..	.. घरियापार (अनुसूचित)
२६६	यादवेन्द्र दत्त, श्री	..	.. जौनपुर
२६७	यादवेन्द्र सिंह, श्री (ललन जी)		.. तिलपुर
२६८	योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री	..	.. बद्रीनाथ
२६९	रक्षपाल सिंह, श्री	..	.. खागा
२७०	रघुनाथ, श्री	..	.. रसरा
२७१	रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	.. बारा (अनुसूचित)
२७२	रघुनाथ सिंह, डाक्टर	..	.. कटेहर
२७३	रघुबीर, श्री	..	.. जहूराबाद (अनुसूचित)
२७४	रघुबीर सहाय कैथवार, श्री		.. हसवा (अनुसूचित)
२७५	रघुबीर सिंह, श्री	..	.. मारहरा
२७६	रणबहादुर सिंह, श्री	..	.. हरैया (पश्चिम)
२७७	रतीपाल, श्री	..	.. रायबरेली (दक्षिण)
२७८	रमाकान्त सिंह, श्री	..	.. बरौंसा
२७९	रमेश चन्द्र शर्मा, श्री	..	.. बरसठी
२८०	राजदेव, श्री	..	.. रामकोला
२८१	राज नाथ सिंह, श्री	..	.. शादियाबाद
२८२	राजनारायण, श्री	..	.. चुनार
२८३	राजनारायण मिश्र, श्री	..	.. भोगनीपुर
२८४	राजनारायण सिंह, श्री	..	.. महँच
२८५	राजा राम, श्री	..	.. अमसिन
२८६	राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती	..	.. बस्ती
२८७	राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर		.. इलाहाबाद (उत्तर)
२८८	राजेन्द्र सिंह, श्री	..	.. निधपुर
२८९	राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	..	.. शमसाबाद
२९०	राधेश्याम शर्मा, श्री	..	.. मांठ
२९१	राम अधार कन्नौजिया, श्री	..	.. महसी (अनुसूचित)
२९२	रामअधीन सिंह, श्री	..	.. पुरवा
२९३	राम अनन्त पांडेय, श्री	..	.. बलिया
२९४	राम अवध, श्री	..	.. विनायकपुर
२९५	राम आसरे, श्री	..	.. मिटौली
२९६	रामकिंकर, श्री	..	.. पट्टी (अनुसूचित)
२९७	रामकिशोर त्रिपाठी, श्री	..	.. हैदरगढ़
२९८	रामकिशोर वर्मा, श्री	..	.. टप्पाबाजार
२९९	रामकुमार शास्त्री, श्री	..	.. बांसी (पश्चिम)
३००	रामचन्द्र विकल, श्री	..	.. बादरी
३०१	रामचन्द्र सिंह, श्री	..	.. भवां

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३०२	रामचरन शाह, श्री ..	.. निघासन
३०३	रामजीलाल सहायक, श्री ..	.. सरधना (अनुसूचित)
३०४	रामनाथ पाठक, श्री ..	.. राबर्ट्सगंज
३०५	रामपाल त्रिवेदी, श्री ..	.. मलिहाबाद
३०६	रामपाल सिंह, श्री ..	.. ठाकुरद्वारा
३०७	रामप्यारे , श्री ..	.. दूधी (अनुसूचित)
३०८	रामप्रसाद देशमुख, श्री ..	.. सासनी (अनुसूचित)
३०९	रामबली मिश्र, श्री ..	.. इसौली
३१०	रामभजन, श्री ..	.. हैदराबाद
३११	राममूर्ति, श्री ..	.. बहेड़ी
३१२	राममूर्ति 'अंचल' श्री ..	.. जमोर
३१३	रामरती, श्रीमती ..	.. अकबरपुर (अनुसूचित)
३१४	रामरूप सिंह, श्री ..	.. पीलीभीत
३१५	रामलखन वकील, श्री ..	.. चकिया (अनुसूचित)
३१६	रामलखन शुक्ल, श्री ..	.. भावापार
३१७	रामलखन सिंह, श्री ..	.. हरैया (पूर्व)
३१८	रामलाल, श्री ..	.. देवरिया (उत्तर)
३१९	रामसमझावन, श्री ..	.. केराकत (अनुसूचित)
३२०	रामसिंह, श्री (मैनपुरी) ..	.. करहल (अनुसूचित)
३२१	रामसिंह, श्री (सहारनपुर)	.. नागर (अनुसूचित)
३२२	रामसिंह शाक्य, श्री ..	.. सिढ़पुरा
३२३	रामसुन्दर पाण्डेय, श्री ..	.. नत्थूपुर
३२४	रामसुन्दर शास्त्री, श्री ..	.. करंडा
३२५	रामसूरतप्रसाद, श्री ..	.. झंगहा (अनुसूचित)
३२६	रामस्वरूप भारतीय, श्री ..	.. ढिंगवास (अनुसूचित)
३२७	रामायण राय, श्री ..	.. पडरौना (दक्षिण)
३२८	रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)	.. सनहा
३२९	रियासत हुसैन, श्री ..	.. मुरादाबाद देहात
३३०	रुकुमसिंह राठौर, कुंवर ..	.. बदायूं
३३१	रुद्रप्रताप सिंह, कुंवर ..	.. गौराजमो
३३२	लक्ष्मीशंकर यादव, श्री ..	.. शाहगंज
३३३	लखपतराम शर्मा, श्री ..	.. झांसी
३३४	लखीसिंह, श्री ..	.. छाता
३३५	लाल बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)	.. बेयालसी
३३६	लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)	.. शिवपुर
३३७	लोकपाल सिंह, श्री ..	.. अलीगंज
३३८	वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री ..	.. जमानिया
३३९	वसी नकवी, श्री ..	.. रोखा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३४०	विक्रमशाह, राजा ..	.. पोवायां
३४१	विचित्रनारायण शर्मा, श्री ..	.. मेरठ
३४२	विजय कुमार, श्री ..	.. निगोहां
३४३	विजयपाल सिंह, श्री ..	.. बुधना
३४४	विजयशंकर, श्री ..	.. बिंधूना
३४५	विजय शंकर सिंह, श्री ..	.. मुहम्मदाबाद
३४६	विजयसिंह, श्री ..	.. कोंच
३४७	विद्यावती राठौर, श्रीमती ..	.. बाह
३४८	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती ..	.. देव प्रयाग
३४९	विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री ..	.. अहरौरा
३५०	विश्वनाथ प्रसाद, श्री ..	.. वाराणसी नगर (उत्तर)
३५१	विष्णु प्रताप सिंह, श्री ..	.. महादेवा
३५२	वीरसेन, श्री ..	.. गढ़मुक्तेश्वर (अनुसूचित)
३५३	बैजनाथ पांडेय, श्री ..	.. केवई
३५४	शकुन्तलादेवी, श्रीमती ..	.. सरसवा (अनुसूचित)
३५५	शकुन्तला नायर, श्रीमती ..	.. बस्ती नगर
३५६	शराफत हुसैन रिजवी, श्री ..	.. अमरोहा
३५७	शशिभूषण सिंह, श्री ..	.. कानपूर (देहात)
३५८	शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री ..	.. पहाड़पुर
३५९	शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री ..	.. हरद्वार
३६०	शारदानन्द, श्री ..	.. सीतापुर
३६१	शारदाभक्त सिंह, श्री ..	.. पाली
३६२	शिब्बन लाल, श्री ..	.. श्याम देवरवा
३६३	शिवचरण, श्री ..	.. इतमादपुर (उत्तर) (अनुसूचित)
३६४	शिवदान सिंह, श्री ..	.. इग्लास
३६५	शिवनाथ सिंह, श्री ..	.. घाटमपुर (पूर्व)
३६६	शिवमंगल, श्री ..	.. बांसडीह (पश्चिम)
३६७	शिवमूर्ति, श्री ..	.. सोरों (पूर्व)
३६८	शिवराज सिंह, श्री ..	.. बिसौली
३६९	शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री ..	.. कालपी
३७०	शिवेन्द्रप्रसाद, श्री ..	.. महमूदाबाद
३७१	शीतलप्रसाद श्री ..	.. तरबगंज
३७२	शुकदेवप्रसाद, श्री ..	.. बलरामपुर (उत्तरी) (अनुसूचित)
३७३	शुगनचन्द मजदूर, श्री ..	.. मोकेरहेरी (अनसूचित)
३७४	शुगनचन्द शर्मा, श्री ..	.. शिकारपुर
३७५	शौकत हमीद खां, श्री ..	.. बागपत
३७६	श्यामलाल, श्री ..	.. महुली (पश्चिम) (अनुसूचित)
३७७	श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री ..	.. बीरापुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३७८	श्रद्धादेवी कुमारी ..	.. किठोर
३७९	श्रीनिवास, श्री ..	.. गंगीरी
३८०	श्रीपत मिश्र, श्री ..	.. कादीपुर
३८१	श्रीपाल सिंह, कुंवर ..	.. रारी
३८२	श्रीराम, श्री ..	.. नजीबाबाद
३८३	श्रीराम तिवारी, श्री ..	.. शालोतय अजगैन
३८४	सईद अहमद, श्री ..	.. ज्वालापुर
३८५	सत्यदेव, श्री ..	.. देवगांव
३८६	सत्यनारायण पांडेय, श्री ..	.. करछना
३८७	सत्यबीर कुंवर, श्री ..	.. बिजनौर
३८८	सन्त सिंह यूसुफ, श्री ..	.. कानपुर नगर २
३८९	सरदार सिंह, श्री ..	.. मुजफ्फराबाद
३९०	सहदेव सिंह, श्री ..	.. भर्थना
३९१	सालिग्राम जैसवाल, श्री ..	.. मेजा
३९२	सियादुलारी, श्रीमती ..	.. मानिकपुर (अनुसूचित)
३९३	सियाराम गंगवार, डाक्टर ..	.. कायमगंज
३९४	सीताराम, डाक्टर ..	.. गौरीबाजार (अनुसूचित)
३९५	सूक्खनलाल, श्री ..	.. हसनपुर (दक्षिण)
३९६	सुखरामदास, श्री ..	.. विरहर (अनुसूचित)
३९७	सुखलाल, श्री (इटावा) ..	.. अजीतमल (अनुसूचित)
३९८	सुखलाल, श्री (लखनऊ) ..	.. मोहाना (अनुसुचित)
३९९	सुचेता कृपालानी, श्रीमती ..	.. मंडवाल
४००	सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री	.. मोठ
४०१	सुरजन राम विशारद, श्री ..	.. मुबारकपुर (अनुसूचित)
४०२	सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री ..	.. हमीरपुर
४०३	सुरेन्द्र विक्रम, श्री ..	.. खैराबसेरा
४०४	सुशीला रोहतगी, श्रीमती ..	.. कानपुर नगर (५)
४०५	सूबेदार सिंह, श्री ..	.. भोगांव
४०६	सूरजपाल सिंह यादव, श्री ..	.. इस्लामनगर
४०७	सूरजलाल गुप्त, श्री ..	.. उतरौला
४०८	सेवाराम, श्री ..	.. बांगरमऊ (अनुसूचित)
४०९	सोहनलाल घुसिया, श्री ..	.. बांसी (दक्षिण) (अनुसूचित)
४१०	हमीद खां, श्री ..	.. कानपुर नगर (३)
४११	हरिगैन राम, श्री ..	.. ज्ञानपुर (अनुसूचित)
४१२	हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री	.. पश्चिम राठ
४१३	हरीदत्त काण्डपाल, श्री ..	.. रानीखेत (उत्तर)
४१४	हरीश कुमार गंगवार, श्री	.. भोजीपुरा
४१५	हरी सिंह, श्री ..	.. मेरठ देहात (अनुसूचित)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
४१६	हलीमुद्दीन, श्री ..	.. मुरादाबाद नगर
४१७	हिम्मत सिंह, श्री ..	.. देवई
४१८	हुकुम सिंह विसेन, श्री ..	.. कैसरगंज
४१९	हेतराम सिंह, श्री ..	.. बिलारी (अनुसूचित)
४२०	हेमराज, श्री ..	.. फरीदपुर (अनुसूचित)
४२१	हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	.. सिराथू
४२२	होरी लाल अग्रवाल, श्री ..	.. इटावा शहर
४२३	होरीलाल यादव, श्री ..	.. सौरिख
४२४	(रिक्त)	.. अलीगढ़
४२५	(रिक्त)	.. बुलन्दशहर
४२६	(रिक्त)	.. गोवर्धन
४२७	(रिक्त)	.. सुआर टांडा
४२८	(रिक्त)	.. कोपागंज
४२९	(रिक्त)	.. नरैनी
४३०	(रिक्त)	.. अलदेमऊ ।

सत्यमेव जयते

म

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री मदनमोहन वर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०,

उपाध्यक्ष

श्री होतीलाल अग्रवाल, एम० ए०, एल-एल० बी०,

सचिव, विधान मण्डल

श्री कौशलपाल गुप्त, एच० जे० एल०,

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०,

सहायक सचिव

श्री राम प्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०

समिति अधिकारी

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०, एल-एल० बी०,

अधीक्षक

श्री गिरधारी लाल, बी० ए०,
श्री श्रीनाथ दीक्षित, बी० ए०, एल-०एल०बी,
श्री उमाशंकर, बी० ए० ।

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

131822

बुधवार, ३० नवम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री

झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री

प्यारे लाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह बैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्र सिंह, श्री (लल्लनजी)
योगेश्वरप्रसाद खंडेड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैनरिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री

शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीरा ा, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अह द, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह य सुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्रा म जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री श्री कैलाश प्रकाश, गृह मंत्री श्री हर गोविन्द सिंह, राजस्व मंत्री श्री हुकुम सिंह विसेन तथा शिक्षा उप मंत्री श्री राम नारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३० नवम्बर, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री रस्तोगी, प्रधानाचार्य, आई० टी० आई०, पीलीभीत के विरुद्ध जांच

**१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली स्थित पीलीभीत आई० टी० आई० के प्रिंसिपल श्री रस्तोगी ने निम्न यात्राओं के संबंध में प्रथम श्रेणी का रेल किराया वसूल कर लिया है जबकि वे वास्तव में तृतीय श्रेणी में सफर करके गये :

बरेली सिटी से पूरनपुर ..	७—९—६५
पूरनपुर से बरेली जंकशन ..	८—९—६५
पीलीभीत से पूरनपुर ..	१५—९—६५
पूरनपुर से पीलीभीत ..	१५—९—६५
पीलीभीत से बरेली सिटी ..	१६—९—६५
पीलीभीत से बरेली जंकशन..	२९—९—६५

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

यह सत्य है कि श्री आर०एन० रस्तोगी, प्रधानाचार्य, आई०टी० आई० पीलीभीत स्थित बरेली ने प्रश्नानुकूल तिथियों में यात्रायें कीं तथा प्रथम श्रेणी का भाड़ा लिया जिसके वे अधिकारी हैं पर सरकार को इस बात की सूचना नहीं है कि उन्होंने यात्रा वास्तव में तृतीय श्रेणी में की ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

**२—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त तिथियों में प्रिंसिपल साहब द्वारा यात्रा के लिये प्रयुक्त ट्रेनों के लिये उपरोक्त स्टेशनों से कोई प्रथम श्रेणी के टिकट जारी ही नहीं किये गये ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं । जांच कराई जा रही है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, प्रश्न संख्या २ के संबंध में एक तो उत्तर है "जी नहीं" और दूसरा उत्तर है "जांच करायी जा रही है ।" प्रश्न मे केवल इतना है कि क्या फर्स्ट क्लास के कोई टिकट उन स्टेशनों से उक्त तिथियों को जारी गिये गये ? तो आपने उत्तर दिया "जी नहीं" । तो फिर जांच किस बात की करायी जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

जांच यह करायी जा रही है कि स्टेशन मास्टर्स को हमने यह पत्र लिखा है कि उन तिथियों में जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, कोई प्रथम श्रेणी के टिकट इश्यू किये गये या नहीं । अभीतक उनके उत्तर की प्रतीक्षा है और जब यह मालूम हो जायगा कि प्रथम श्रेणी के कोई टिकट इश्यू नहीं किये गये तो यह मान लिया जायगा कि प्रिंसिपल ने गलत सर्टिफिकेट दिया और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय, आप फिर से प्रश्न को देख लें....

श्री अध्यक्ष—

जो दूसरा प्रश्न है उससे यह बात टपकती है कि आपका यह कहना है कि फर्स्ट क्लास का कोई टिकट जारी ही नहीं हुआ । तो उन्होंने कहा कि यह बात नहीं है, हम दरियाफ्त कर रहे हैं । आपने जो कहा कि टिकट जारी ही नहीं हुये, इसको वह मानने के लिये तैयार नहीं है जब तक जांच न हो जाय ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को इसी संबंध में कोई और भी प्रार्थना-पत्र मिले हैं जिनमें उस प्रिंसिपल के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और क्या माननीय मंत्री जी उसकी भी जांच कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—

इस वक्त जांच पत्र तो मेरे सामने नहीं है लेकिन यह मेरी जानकारी में है कि इनके संबंध में बहुत सी शिकायतें आयी हैं और जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रश्न में भी एक तरह से निहित है कि जब तक मेरे पास निश्चित रूप से जानकारी न हो कि टिकट इश्यू किये गये या नहीं तब तक तो मैं यही कहूंगा । लेकिन हम जांच कर रहे हैं । मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रिंसिपल का आचरण काफी संदेहजनक है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने कहा—जांच की जा रही है । १० अक्तूबर का यह प्रश्न है । तो जांच के लिये पत्र कब भेजा गया ?

श्री बनारसीदास—

मेरे पास जांच की निश्चित तारीख तो नहीं है लेकिन जिन स्टेशन्स का उन्होंने जिक्र किया है और प्रिंसिपल ने फर्स्ट क्लास टिकट लेने का सर्टिफिकेट दिया है उन स्टेशन मास्टर्स को तभी लिख दिया और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । जैसे ही उनका उत्तर आयेगा हम ऐक्शन लेंगे ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

प्रश्नकर्त्ता महोदय ने जिन गम्भीर आरोपों की बात की है टिकट के अलावा और जिसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि उनके आचरण के प्रति काफी गम्भीर शिकायतें हैं और उनकी जांच की जा रही है, तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि वह गम्भीर शिकायतें क्या हैं ?

श्री बनारसीदास—

यह मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास जांच की पूरी कापी नहीं है लेकिन उसी प्रकार की जांच थी जैसे आई०टी०आई० में सामान खरीदा जाता है। इसके लिये डायरेक्टर को आदेश दे दिये गये हैं और वह जांच की गई है और सब चीजों की प्राविधिक अधिकारियों द्वारा जांच कराई जा रही है।

ग्रामीण जनशक्ति योजनान्तर्गत बाराबंकी जिले में विकास खण्ड

**३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार ३-८-६६ के तारांकित प्रश्न १ व २ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश-स्तर पर निर्मित जनशक्ति योजना समिति ने, जो एक तीन अधिकारियों की उप समिति जनशक्ति योजना में नये विकास खंडों के चयन करने के संबंध में छानबीन करने हेतु बनाई थी, उसने समिति को अथवा शासन को कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो उस उप समिति ने बाराबंकी जिले के किन-किन विकास खंडों को शामिल करने की सिफारिश की है और उस पर समिति अथवा सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त ब्लाकों को चौथी योजना में शामिल करने पर विचार किया जायगा ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

त्रि-सदस्यीय उप समिति ने राज्य स्तर पर निर्मित प्र० स० ब० समिति से बाराबंकी जिले के १—मवाई, २—पूरे दलाई, ३—मिन्हूरा, ४—सूरतगंज, ५—हैदरगढ़, ६—त्रिवदीगंज, ७—सिद्धौर विकास क्षेत्रों को ग्रामीण जनशक्ति योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी परन्तु समिति ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है क्योंकि भारत सरकार से नये विकास क्षेत्रों को इस योजना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जो सब कमेटी ने सिफारिश की है उन ब्लाकों के लिये जाने के यदि केन्द्रीय सरकार से आदेश हों तो विलम्ब न हो इसके लिये मंत्री जी शीघ्र निर्णय लेने के लिये विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही निवेदन किया कि अभी उप समिति अपनी सिफारिशें स्टेट कमेटी के सामने भेजेगी। स्टेट कमेटी विचार करेगी कि कौन कौन ब्लाक इसमें आते हैं। फिर भारत सरकार से जितने ब्लाक्स की सेक्शन मिलेगी उतने लिये जायंगे। अभी कुछ फाइनल नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि प्रदेश में सूखा पड़ गया है इसलिये अगर लोगों को काम मिल जायेगा तो लोगों को राहत मिलेगी, इसलिये शीघ्र काम चालू करने की कृपा करेंगे ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जहां तक सूखे का ताल्लुक है उसके लिये टेस्ट वर्क का अलग से प्राविधान है। जहां माननीय सदस्य समझते हैं कि ऐसी हालत हो गई है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संपर्क स्थापित करें क्योंकि टेस्ट वर्क्स वहीं से खोले जाते हैं। हमारे यहां जो आर० एम० पी० स्कीम का काम है उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से जितने ब्लाक्स की सेंक्शन होती है उनमें काम चालू किया जाता है और जिनमें सैंक्शन है उनमें तेजी के साथ काम हो रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

यही तो मैंने निवेदन किया है कि इससे ज्यादा सहायता मिलेगी। इसलिये क्या मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से आग्रह करेंगे कि इसकी तुरन्त सेक्शन दे दी जाय ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मान्यवर, विकास मंत्री जी ने साफ कहा है कि जो ब्लाक्स आर० एम० पी० स्कीम में स्वीकृत हैं और खर्चे के लिये योजना स्वीकृत है वहां काम हो रहा है। लेकिन जो ब्लाक्स सैंक्शन नहीं हैं उनमें यह काम चालू नहीं किया जा सकता।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समिति का गठन कब हुआ ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह समिति १९६५ में बनी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। लेकिन जब भारत सरकार बतायेगी कि कितने ब्लाक्स लिये जायं उस समय इस पर विचार किया जायेगा।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जो काम लिये गये हैं उनमें शीघ्रता करेंगे ताकि जो लोग बेकार हैं उनको काम मिल सके ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो इस प्रश्न का बड़ा विस्तार हो रहा है।

श्री बृजबिहारी—

अध्यक्ष जी, आवश्यकता इस माने में है कि सारे क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है, लोग बेकार हो गये हैं इसलिये इसमें थोड़ी शीघ्रता कर दी जायेगी तो उनको काम मिल जायेगा, इसलिये प्रश्न उपस्थित किया था।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

अध्यक्ष जी, यह पत्र जिलों को चला गया है कि जो जिले सूखे से ग्रस्त हैं उनमें काम शुरू कर दिया जाय। गेहूं की स्कीम जो लागू हो गई है उस पर भी तेजी से काम चालू किया जायगा।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

जनशक्ति योजना के अन्तर्गत राजनीतिक दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है। मैं इलाहाबाद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस योजना के अन्तर्गत केवल गंगापार और यमुनापार काम हो रहा है। दोआबा को बिलकुल अछूता छोड़ दिया गया है। तो क्या मंत्री जी दोआबा क्षेत्र में जन शक्ति योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये सरकार से अनुरोध करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न केवल बाराबंकी के संबंध में पूछा गया है। एक उप समिति जन शक्ति योजना में नये विकास खंडों के चयन करने के संबंध में छानबीन करने हेतु बनायी गयी थी, उसने क्या रिपोर्ट दी, यह प्रश्न है। आप उसको विस्तृत कर रहे हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यह जन शक्ति योजना केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से काम कर रही है। इसी कारण से यह असफल रही है। मैं खास तौर से इलाहाबाद की बात करता हूं। इसलिये मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान दिलाया।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप की बात का प्रतिवाद नहीं कर रहा हूं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जैसा कि पालीवाल जी ने जिक्र किया उन जिलों को भी जो इस योजना के अन्तर्गत शामिल हैं लेकिन ब्लाक्स संगठित नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार ने परमीशन नहीं दी है, क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से इस पर लिखा पढ़ी करने की कृपा करेंगे कि उनको ब्लाकों में शामिल करके राहत दी जाय ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस संबंध में बहुत प्रयास हुआ है। माननीय मंत्री और चीफ मिनिस्टर साहब ने गवर्नमेंट आफ इंडिया का बार बार ध्यान आकर्षित किया है। अभी बीस दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को और कृषि मंत्री को पत्र लिख कर भेजा है कि हम को कम से कम डेढ़ सौ ब्लाक्स मिलने चाहिये।

अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

**४—श्री रामचन्द्र विकल, श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपर), श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) तथा श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह देखते हुये कि सरकारी विभागों द्वारा जो भूमि अर्जित की जाती है अन्य प्रान्तों के मुकाबले बहुत ही कम रेट पर ली जाती है ? इस समय भूमि की दर दसगुनी हो गई है इस महंगाई को देखते हुये क्या लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में जल्द से जल्द कोई संशोधन करेगी जिससे किसानों को भूमि का मुआविजा अधिक से अधिक मिल सके ?

मालमंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत ली गई भूमि का प्रतिकर बाजार मूल्य के बराबर ही दिया जाता है। अतः उक्त ऐक्ट में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

ऐक्ट कब का बना हुआ है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

ऐक्ट पुराना है लेकिन काम चलता है उससे पूरा पूरा ।

श्री रामचन्द्र विकल—

किस सन् का है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लाइब्रेरी में ऐक्ट मौजूद है । देख लीजिये ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि दिल्ली, पंजाब, मध्यप्रदेश जो पड़ोसी प्रदेश हैं उनके यहां मुआवजे का क्या रेट है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारे यहां बाजार भाव से दिया जाता है, जो ऐक्ट में प्राविजन है । दिल्ली में स्वेली-शियम १५ प्रतिशत दिया जाता है । हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया है वह भी अडाप्ट करने जा रहे हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

लैंड अक्वीजीशन ऐक्ट में बाजार भाव नहीं है । एक दर है । तो किस आधार पर प्रतिकर देते हैं, कोई नियम बनाये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बाजार भाव से, जो दस्तावेज पेश किये जाते हैं उनके अनुसार उसके दर निर्धारित होते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ऐक्ट सन् १८९८ का बना हुआ है, जिसमें यह उसूल है कि इस इस दर से दिया जाय, किन्तु अब उसूल यह बनाया गया है कि बाजार भाव से दिया जाये, जैसा कि मंत्री जी कहते हैं । तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस ऐक्ट में ही यह प्रावधान क्यों नहीं कर दिया जाता कि अब बाजार भाव से ही दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारा काम तो ठीक चल रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने ऐक्ट में तरमीम कर दे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अन्य प्रदेशों में किस आधार पर, किस दर पर दिया जाता है, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दूसरे प्रदेशों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है । जो हो सकता है १५ परसेंट की बात हम अपने यहां भी करने जा रहे हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि किसानों की जो भूमि ली जाती है तो लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत उन्हें नोटिस दिया जाता है और उन्हें ऐक्ट के अनुसार ही पुराने रेट से मुआवजा दिया जाता है । किन्तु जहां के किसान संगठित होकर आन्दोलन करते हैं, झगड़ा करते हैं और सरकार क सामने डटकर आते हैं, जैसा कि गाजियाबाद आदि में हुआ है, तब उन्हें बाजार भाव से मुआवजा दिया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---

आन्दोलन से प्रभावित भी होते हैं और नहीं भी होते हैं । यदि ठीक आन्दोलन है तो अवश्य हम प्रभावित होते हैं और यदि ठीक नहीं है, तो नहीं होते हैं ।

श्री झारखंडेराय---

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी इस बात के लिये बनी थी कि चूंकि यह ऐक्ट बहुत पुराना है और उस समय का है जब हमारे देश में विदेशी हुकूमत थी और उस समय सरकार को भूमि की जरूरतें बहुत कम थीं, आज की स्थिति को देखते हुये हिसाब से किसानों को वाजिब मुआवजा मिले, उस कमेटी ने अन्य प्रान्तों के रेट का तुलनात्मक अध्ययन भी किया था ? तो क्या उसकी रिपोर्ट सरकार के पास है ? यदि है, तो उसमें क्या अन्तिम निर्णय हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कमेटी बनी थी, रिपोर्ट भी उसने दिया था लेकिन वह क्या थी और वह यहां प्रस्तुत हुई या नहीं यह मुझे याद नहीं ।

श्री चन्दनसिंह---

मंत्री जी ने जो बताया कि हम बाजार भाव से देते हैं तो वह बाजार भाव का उसूल मंत्री जी के दफ्तर तक ही सीमित है । डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज तो पुराने उसूल को ही चला रहे हैं । क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देती हूं कि उसने जो कहा है उसके अनुसार कानपुर में बाजार भाव से दिया गया है । जो १०० रुपये से २०० रुपये तक होता था वह अब १८०० से लेकर २५०० रुपये के अन्दर दिया गया है । तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यह जो रेट पहली अप्रैल, ६६ से लागू किया गया है, इसे विद रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से बढ़ाने की कृपा करेंगी, यानी ३-४ साल पूर्व से ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)---

क्या यह सही है कि सत्याग्रह करने के पहले कुछ मुआविजा दिया जाता है और सत्याग्रह करने के बाद कुछ मुआविजा दिया जाता है, जैसे देवरिया में डेढ़ हजार रुपये तक मुआविजा सत्याग्रह करने के बाद और उससे पहले तो डेढ़ सौ, दो सौ रुपये तक ही मुआविजा दिया जाता था? इसके पहले और जगहों में भी कहीं ३ हजार, कहीं १ हजार, कहीं १५ सौ रुपया तक दिया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐक्ट के अनुसार जब दिया जाता है तो एकरूपता क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बाजार भाव के हिसाब से दिया जाता है ।

अनेक सदस्य—

जी नहीं, बाजार भाव से नहीं दिया जाता है ।

श्री झारखंडे राय—

यह बयान व्यवहार में सही नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

बाजार भाव से नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

बाजार भाव तो भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या प्रदेश में कोई स्थान ऐसा है जहां पहली बार में ही बाजार रेट्स पर मुआविजा दिया गया हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस जवाब के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

जब कब्जा लेते हैं उस समय के या जब एक्वीजीशन की कार्यवाही शुरू करते हैं उस समय के, किस समय के बाजार भाव से देते हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

इसकी इत्तला मुझे नहीं है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

देवरिया जिले में लैटरल रोड के लिये जो भूमि ली गयी है उसका मुआवजा क्या बाजार भाव पर तैयार किया जा रहा है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रामचन्द्र विकल—

प्रदेश में जहां बाजार भाव से मुआवजा नहीं दिया गया है उनको दिलाने के लिये क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

जब तक पूरा किस्सा न मालूम हो, आश्वासन किस बात का ?

परगना खेड़ा बघेड़ा में मालगुजारी वसूली का स्थगन

**५—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माल मंत्री को पता है कि परगना खेड़ा बघेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में जो गत वर्ष सूखे की छूट लगान में दी गई थी वह इस वर्ष वसूल करने के आदेश राज्य सरकार ने दे दिये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा बघेड़ा में गत वर्ष खरीफ १३७३ फसली को सूखे से हुई हानि के कारण मालगुजारी का स्थगन स्वीकृत किया गया था। जिलाधिकारी ने पुनः इसकी छूट हेतु प्रस्ताव किया है जो राजस्व परिषद् के विचाराधीन है। उक्त मालगुजारी की वसूली स्थगित है।

**६—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या यह सही है कि उपरोक्त वसूली के आदेश से जनता में भयानक असन्तोष है और इसको देखते हुये तुरन्त वसूली स्थगित करने का आदेश देंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

गत वर्ष परगना खेड़ा बघेड़ा, जिला शाहजहांपुर को अहेतुक सहायता कितनी और किस रूप में दी गयी थी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

६ हजार रुपये सदर और तिलहर तहसीलों में अहेतुक सहायता दी गयी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

१३७३ खरीफ फसली में जो छूट या सस्पेंशन डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज ने रिकमेंड किया था उसका सरकार द्वारा अभी तक फायनल नहीं हो सका कि वह सस्पेंशन है या छूट। तो क्या मेहरबानी कर के सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जैसे ही मेरे पास फाइल आ जावेगी वैसे ही करूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

विकास खण्डों के पुनर्गठन पर आपत्तियां

*१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश में निर्धारित नीति के प्रतिकूल, अनियमित और स्वेच्छाचारी ढंग से जिलाधीश व कार्यकारिणी जिला परिषदों द्वारा दी गई सामयिक राय की उपेक्षा कर, घोषित संख्या से कम पिछड़े क्षेत्रों तथा अधिकांश प्रथम सोपान के विकास खंडों को जुलाई, वर्ष १९६६ में विघटित कर देने से जन साधारण में घोर असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है ?

श्री राममूर्ति—

विकास खंडों का पुनर्गठन निर्धारित नीति के अनुकूल ही हुआ है। इस संबंध में जिला स्तर से प्राप्त प्रस्तावों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है। मितव्ययिता एवं प्रशासनीय व्यावहारिकता के सिद्धान्तों के आधार पर, विकास संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुये राज्य में विकास खंडों के पुनर्गठन की जो अंतिम रूपरेखा निर्णीत हुई है, उसके प्रति जन साधारण में असंतोष के किसी वातावरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

*२—श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह भी पता है कि विघटित विकास खंडों को वर्तमान विकास खंडों में सम्मिलित करते समय, सीमाओं, आवागमन के साधन, न्याय पंचायतों की संख्या, खंड की जन-संख्या और विकास खंड के मुख्यावास की दूरी तथा अन्य आवश्यक समस्याओं का भी ध्यान नहीं रखा गया ?

श्री राममूर्ति—

वस्तुतः इन सभी बातों का यथोचित ध्यान रखा गया है। जहां तक मुख्यावासों का प्रश्न है खंडों की परिवर्द्धित सीमाओं के दृष्टिकोण से मुख्यावासों की स्थिति में यथोचित तथा आवश्यक परिवर्तन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

*३—श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सत्य है कि विकास खंडों के दोषपूर्ण विघटन और संगठन के विरुद्ध शासन को प्रदेश के प्रत्येक जिले से पर्याप्त मात्रा में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, और आपत्तियों की गंभीरता को देखते हुये शासन विकास खंडों के विघटन और संगठन में सुधार करने का विचार किस हद तक रखता है ?

श्री राममूर्ति—

आपत्तियां कुछ अवश्य प्राप्त हुई हैं किन्तु खंडों के पुनर्गठन के संबंध में कुछ रिट याचिकायें दायर हो जाने के कारण मामला न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही इन आपत्तियों पर समुचित विचार का प्रश्न उठता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मलेरिया विभाग के असिस्टेंट यूनिट अफसरों की पुनर्नियुक्ति

*१—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मलेरिया विभाग के ए० यू० ओज० को सेवा मुक्ति का १ मास का नोटिस न देकर तुरन्त ३१ अगस्त, १९६५ से सेवा मुक्त कर दिया गया है और परिवार नियोजन के विभिन्न वेतन-क्रमों में रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

असिस्टेन्ट यूनिट अफसरों को ३१-८-६५ से बिना नोटिस सेवा मुक्त करके उन्हें उसी आदेश के अन्तर्गत हेल्थ सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया था। यह पद परिवार नियोजन में नहीं बल्कि मिश्रित स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत मलेरिया मेन्टेनेन्स के बजट पर है। चूंकि उन्हें विभाग में तत्काल दूसरा पद दिया जा रहा था और चूंकि शासन द्वारा स्वीकृत उनके सेवाकाल की समाप्ति की बात उनकी जानकारी में पहले से थी इसलिये उन्हें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

असिस्टेन्ट यूनिट अफसरों की सेवाओं की समाप्ति और नये पद पर उनकी पुर्नियुक्ति ३५.७५ मलेरिया यूनिटों के १-९-६५ से मेन्टेनेन्स फेज में जाने के कारण की गयी थी।

*२—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि मलेरिया विभाग में कुछ पदों से सेवा आयोग से अप्रूव्ड व्यक्तियों को हटा कर अन-अप्रूव्ड व्यक्तियों को उनके स्थानों पर पदोन्नति भी कर दी गई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी हां। २६ जगहों के बारे में ऐसा किया गया था, ताकि मेन्टेनेन्स फेज में हेल्थ सुपरवाइजरों के पद पर नियुक्त होने वाले पुराने असिस्टेन्ट यूनिट अफसरों की सीनियारटी बाद में नियुक्त होने वाले हेल्थ सुपरवाइजरों के मुकाबले में सुरक्षित रहे।

श्री दयाराम शाक्य---

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मलेरिया के कर्मचारी, जो स्वास्थ्य सेवाओं में लिये गये हैं, उनको भिन्न-भिन्न ग्रेड दिये गये हैं क्या यह सत्य है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

ऐसी बात नहीं है, इनको तो उसी ग्रेड पर लिया गया है।

श्री दयाराम शाक्य---

क्या उनको विभाग की ओर से कोई जानकारी करायी गयी थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अव्वल तो यह सारा का सारा टेम्पोरेरी बिना नोटिस वाला विभाग है। इसके अतिरिक्त जो ३५.७५ यूनिट्स चली गयीं मेन्टेनेंस फेज में, यह बात सारे मलेरिया विभाग को मालूम है।

श्री दयाराम शाक्य---

क्या सभी कर्मचारियों को विभाग की ओर से लिखित जानकारी करायी गयी थी ? या कोई सरकुलर था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह सब योजनान्तर्गत काम हो रहा है। सबसे पहले मलेरिया इरैडिकेशन प्रोग्राम आता है। उसके बाद ६७ में से जितना यूनिट्स जिस प्रकार से टूटी उनका सारा शिड्यूल बनता है और उसे सब लोग जानते हैं। यह थोड़ा और निवेदन कर दूं कि जितने आदमी बच गये उनको सुपरवाइजर बनाया गया। यह सारे के सारे आदमी सीनियर मोस्ट थे और इनकी सीनियारिटी समाप्त न हो इसलिये ऐसा किया गया।

श्री दयाराम शाक्य---

सेवाआयोग से ऐप्रूव्ड कैन्डीडेट्स को हटाकर अनऐप्रूव्ड कैंडीडेट्स को पदोन्नति दी गयी। तो ऐसे कितने लोग ह जो ऐप्रूव्ड थे, सेवाआयोग से उनको हटा दिया गया और उनके स्थान पर अनऐप्रूव्ड कंडीडेट्स को पदोन्नति दी गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इसमें कुछ भ्रम सम्भवतः है। ये जितने लोग हटाये गये ऐप्रूव्ड, वे असिस्टेंट यूनिट आफिसर्स थे। इनका मेन्टिनेंस फेज बना दिया गया। अब उनकी जगह पर मलेरिया इंस्पेक्टर्स को बढ़ाकर उनकी जगह पर पहुंचा दिया गया। आगे बढ़ाने के लिये ही ऐसा किया गया।

आई० टी० आई० स्कूल

*३---श्री रियासत हुसैन---

क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में किस-किस जगह पर आई० टी० आई० स्कूल चलते ह ?

श्री बनारसीदास---

प्रान्त में इस समय चल रहे आई० टी० आई० की एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी ' क' आगे पृष्ठ १२० पर)

*४---श्री रियासत हुसैन---

क्या श्रम मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि आई० टी० आई० के क्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैन सिविल को रुड़की यूनिवर्सिटी के क्वालिफाइड ड्राफ्ट्समैन सिविल को उससे भिन्न ग्रेड मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों का एक ही ग्रेड करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास---

जी हां ।

चूंकि यह ग्रेड Pay Rationalisation Committee द्वारा निर्धारित हैं, अतः फिलहाल इनको एक करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५---श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि आई० टी० आई० द्वारा पास किये गये ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स रुड़की यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ज्यादा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री बनारसीदास---

जी नहीं । आई० टी० आई० का ड्राफ्टसमैन सिविल का कोर्स रुड़की यनिवर्सिटी के मुकाबले में कुछ कम है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि एक ही जगह पर जो अलग अलग आई० टी० आई० जिलों में चल रहे हैं उससे विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई होती है तो उनको वहां से हटाकर हेड क्वार्टर पर कर देने की सरकार कायवाही करेगी ?

श्री बनारसीदास---

जी हां, जैसा कि माननीय सदस्य ने देखा होगा बहुत सी जगहों पर बिल्डिंगस बन रही हैं । बुलन्दशहर, आजमगढ़, बस्ती, सीतापुर और पीलीभीत आदि स्थानों पर बन रही हैं । हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे सेशन के पहले ही आई० टी० आई० को ट्रान्सफर कर दिया जाय । दूसरे स्थानों पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उपयुक्त स्थान यदि मिल सके तो वहां पर उसको किराये पर लेले । करीब करीब सभी जगह हमारा कार्यक्रम भूमि हस्तगत करके बिल्डिंग बनाने का योजना के अनुसार चल रहा है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान मुरादाबाद के आई० टी० आई० की तरफ गया है जहां पर २, ३ शेड हैं । वहां विद्यार्थियों और स्टाफ को उससे बड़ी परेशानी होती है जब कि एक हजार रुपया महीना उसका किराया दिया जाता है । क्या मुरादाबाद की तरफ स्पेशल ध्यान देकर आई० टी० आई० की बिल्डिंग अलग से बनायेंगे या लेंगे ?

श्री बनारसीदास---

मुरादाबाद में सब से बड़ी दिक्कत यह है कि वहां उपयुक्त भूमि नहीं मिल रही है । हमारा प्रयास जारी है कि उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त भूमि मिल सके । इसके लिये हमारे पास बजट के अन्दर भी प्राविधान है ताकि सब बिल्डिंगस बन सकें । जो मौजूदा बिल्डिंग है उससे हम

स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं इसलिये हम चाहते हैं कि उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त भूमि मिल सके तो अवश्य वहां उसका ट्रान्सफर कर दें।

श्री दयाराम शाक्य—

प्रान्त में ऐसे कितने जिले हैं कि जहां पर भूमि अधिग्रहण करके ३, ४ साल हुये बिल्डिंगस बना दी गईं और उनको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—

कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ३, ४ साल से बिल्डिंग बनकर तैयार हो और पड़ी हो। बहुत सी बिल्डिंगस अपूर्ण हैं वहां पर हमने अभी ट्रान्सफर नहीं किया है। वह अपूर्ण बिजली की वजह से या और किसी दिक्कत की वजह से है। हमारा प्रयास बराबर जारी है। ऐसा नहीं है कि ३, ४ साल से पी० डब्लू० डी० ने हमको ट्रान्सफर कर दिया हो और वहां पर आई० टी० आई० को न भेजा हो।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आई० टी० आई० के जो क्वालिफाइड विद्यार्थी हैं उनको सरकारी नौकरियों में कोई मान्यता नहीं है ? सरकारी रुपया भी उन पर व्यर्थ व्यय हो रहा है। तो क्या सरकार इस मामले में कोई कदम उठा रही है जिससे उन विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों में स्थान मिल सके इन क्वालिफिकेशन के आधार पर ?

श्री बनारसीदास—

प्रायः सभी आई० टी० आई० में ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर हैं। कुछ हम कारखानों से निकालकर देते हैं। अभी हमने एक योजना तैयार की है कि जो आई० टी० आई० से ट्रेन्ड होकर निकले हैं उनके पास कार्ड भेजे हैं कि उनको काम मिला या नहीं। अगर उनका उत्तर नहीं मिला तो हम यह समझ लेंगे उनको काम मिल गया है। हम चाहते हैं कि जो लोग ट्रेन्ड होकर निकले हैं वे रोजगार दफ्तर के द्वारा प्रयत्न करें ताकि उनको काम मिल सके। हम समझते हैं कि उन सब को काम मिल जायगा और नहीं तो वे अपना नाम रजिस्टर्ड करा लें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि आई० टी० आई० में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति मिले क्योंकि यह देखा गया है कि जो असरदार व्यक्ति होते हैं उन्हीं के लड़कों को यह छात्रवृत्ति मिल पाती है, जिनको जरूरत होती है उनको नहीं मिलती ?

श्री बनारसीदास—

यह जो सहायता दी जाती है इसमें ६० प्रतिशत भारत सरकार देती है और ४० प्रतिशत हम देते हैं और जितने प्रशिक्षार्थी होते हैं उनके एक तिहाई को ही यह मिलती है। कुछ परिगणित जाति के विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग भी देता है, हमने भारत सरकार को लिखा है कि यह अमाउन्ट बढ़ा दिया जाय, लेकिन भारत सरकार इसको मंजूर नहीं कर रही है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित, आंग्ल-भारतीय)—

क्या जितने लड़के आई० टी० आई० से पास होकर निकलते हैं उन सभी के नाम रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड हो जाते हैं ? मेरी जानकारी यह है कि कानपुर में जो लड़के पास होकर निकलते हैं, रोजगार दफ्तर में उनको कोई पूछता तक नहीं, उनको वहांसे कोई सहायता नहीं मिलती ?

श्री बनारसीदास---

जितने लड़के पास होकर निकलते हैं उन सभी के नाम रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड होते हैं और वहां से नाम कारखानों आदि में भेजे जाते हैं। एपरेन्टिस ऐक्ट के अन्तर्गत कारखानों के लिये यह अनिवार्य है कि वे अपने यहां उनको ट्रेनिंग दें।

श्री ऊदल---

कारखानों में एपरेन्टिस ऐक्ट के अन्तर्गत जो सीटें हैं वे बहुत कम हैं, क्या सरकार उन सीटों को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास---

इसका उत्तर देना इस वक्त कठिन है। यह संख्या टैक्नीकल ऐडवाइस के आधार पर तय की जाती है। अगर टैक्नीकल ऐडवाइस यह मिलती है कि उनकी संख्या बढ़ा दी जाय तो अवश्य बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन---

ड्राफ्ट मैन्स (सिविल) की ट्रेनिंग का कोर्स रुड़की यूनिवर्सिटी तथा आई० टी० आई० में भिन्न-भिन्न है तथा उनका ग्रेड भी भिन्न है। तो क्या सरकार इन दोनों का ग्रेड और ट्रेनिंग समान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री बनारसीदास---

अब तक रुड़की में इनकी ट्रेनिंग की दो साल की अवधि थी, अब जुलाई, ६६ से आई० टी० आई० में भी यह अवधि बढ़ा कर २ साल कर दी गयी है। जहां तक उनके ग्रेड की समानता का प्रश्न है, उस पर विचार किया जायेगा।

हैजे और चेचक से मृत्युएं

६---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक मार्च, १९६६ से १५ जून तक उत्तर प्रदेश में :

(क) हैजे से,

(ख) चेचक से,

(ग) लू से,

कितने बीमार पड़े और कितने व्यक्ति मर गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---

प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में १ मार्च, १९६६ से १८ जून को समाप्त होने वाले सप्ताह तक :

(क) हैजे से ३० व्यक्ति बीमार हुए तथा १० की मृत्यु हुई।

(ख) चेचक से ३२६० व्यक्ति बीमार हुए तथा ९७८ व्यक्ति मरे।

(ग) "लू' से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७---श्री उग्रसेन---

क्या स्वास्थ्य मंत्री इसकी जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जिलेवार सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२१ पर)

श्री उग्रसेन---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हैजे और चेचक से मरने वालों के आंकड़े जो माननीय मंत्री ने अपने विभाग द्वारा मंगवाये हैं और जो जिलों के आंकड़े हैं उन दोनों में काफी अन्तर है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन, ये जिलों से ही आये हुये आंकड़े हैं ।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी देवरिया, आजमगढ़ और बलिया जिलों के आंकड़ों की विशेष जांच करवायेंगे और वहां के कागज पत्र मंगवायेंगे कि इन आंकड़ों और उनके आंकड़ों में काफी फर्क है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अगर माननीय सदस्य जिलों के नाम लिखकर दे देंगे तो हम जांच करवा लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय अयध्क्ष महोदय, देहातों के अन्दर ग्राम सभाओं में पैदायश और मरने के रजिस्टर रहते हैं और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि पचास प्रतिशत से अधिक रजिस्टर ग्राम सभाओं में मैन्टेन ही नहीं होते हैं । ये आंकड़े मंत्री जी ने फिर कहां से इकट्ठे कर लिये । क्या मंत्री जी इन आंकड़ों की पुनः जांच करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन, इसके लिये जिलों से हर जगह से सूचनाएं आती हैं कि कहां पर कितने लोग रोग ग्रसित हैं या कितनी मृत्यु हुई ।

श्री उग्रसेन---

क्या मंत्री जी को पता है कि चेचक से जो मौतें हुईं और इस रोग में जिस दवा का इस्तेमाल हुआ था वह रूस द्वारा दिया गया उपहार स्वरूप था । जो बीमारी फैली उसमें दवा दे नहीं सके । नैनीताल में एक औषधशाला है उसकी सूई देने से बीमारी फैली । क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि उस सूई से तो कहीं बीमारी नहीं फैली, उस में तो कोई कमी नहीं थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन, ऐसी बात नहीं है ।

श्री उग्रसेन---

इनका यह कहना कि ऐसी बात नहीं है इसके लिये इनके पास आधार क्या है? ये तो सूई लगाने गये नहीं थे । ये तो नहीं पर टोपी लगाये बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

तो फिर उग्रसेन जी, आपकी ही जानकारी का आधार क्या है ?

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा विधान सभा का सदस्य जो कहता है वह सच कहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है। मन्त्री जी को कोई जानकारी नहीं है।

वाराणसी जिले में नलकूप बोरिंग मशीनें

*८—श्री ऊदल—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माइनर इर्रीगेशन स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी जिले के प्रत्येक ब्लाकों में ६ इंच के ट्यूबवेल तथा पम्पिंग सेट आदि के लिए कितना रुपया सन १९६५ तथा मई, १९६६ तक दिया गया और उसमें कितने बोर हो गए, कितने बाकी हैं? क्या वाराणसी में बोरिंग की सिर्फ एक ही पुरानी मशीन है? यदि हां, तो दूसरी नई मशीन अब तक न देने का कारण क्या है?

श्री राममूर्ति—

वाराणसी जिले में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत ६ इंच के ट्यूबवेल तथा पम्पिंग सेट के लिए सन्, ६५ तथा मई, ६६ तक दिए गए धन का ब्लाकवार विवरण संलग्न है उसमें से ४ नलकूप बोर हो गए हैं तथा १२ बाकी हैं। वाराणसी जिले में इस समय दो मशीनें हैं तथा दो के सप्लाई के लिए आदेश हो चुके हैं।

(देखिए नःथी 'ग' आगे पृष्ठ १२४ पर)

श्री ऊदल—

श्रीमन्, सन् ६५ और मई ६६ में पम्पिंग सेट्स् के लिये जो चौदह लाख के करीब रुपया दिया गया है उसमें कितने ट्यूबबेल लगे हैं और कितने बाकी हैं?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

प्रश्न में तो आपने ट्यूबवेल्स पूछे थे। १२ ट्यूबबेल्स को दिया गया था, १२ हो गये हैं। शेष के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मशीनों के लिये आपका आदेश हुआ और वाराणसी में मशीनें कब पहुंच जायेंगी?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, १६ मशीनें आई थीं। उनको बांट दिया गया है। हमें मशीनें ज्यादा चाहिये और वे रिलायेबिल कम्पनीज द्वारा मंगाई जा रही हैं। जैसे जैसे मशीनें मिलती जाती हैं वैसे ही बांट दी जाती हैं। लेकिन इतना वह बतला नहीं पाते हैं कि फलां महीने में इतनी हम दे देंगे। जितनी बनती जाती हैं फौरन हम उतनी उनसे ले लेते हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

बोरिंग की मशीनों की कमी को देखते हुये क्या सरकार हर जिले को मशीनों के अनुपात में ही रुपया देगी ताकि उस रुपये का सदुपयोग हो सके?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

बोरिंग दो प्रकार की मशीनों से होता है—१ हैंड बोरिंग और दूसरा मशीन बोरिंग। यह ठीक है कि इस मामले में हम बहुत आगे बढ़ गये हैं और अगर मशीन ज्यादा मिल जायं तो ज्यादा अच्छा है लेकिन हैंड बोरिंग भी असफल नहीं है। उसमें केवल मजदूरों के ऊपर कुछ रुपया अधिक

खर्च करना पड़ता है । रिलायेबिल वाटर सप्लाई कंपनी से जितनी भी मशीन हमें मिल सकती है, उतनी हम ले लेते हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि प्रदेश में उनके पास कितनी बोरिंग की मशीनें हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उनकी संख्या तो ठीक-ठीक याद नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वह उतने ही पंपिंग सेट्स खरीदे जितने की बोरिंग वह करा सके और जो लोग अपना इन्तजाम स्वयं करने वाले हों उनको पंपिंग सैट्स मारकेट में मिल सकें ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

पंपिंग सैट्स के दो फंकशन्स हैं—१—तालाब से पानी निकालने का, और २—जमीन में बोरिंग करके पानी निकालने का । हमारा ध्यान दोनों तरफ है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा एफीशियेन्सी के साथ उनको काम में लाया जा सके, लाया जाय ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मंत्रीजी इस बेइंसाफी का कारण बतायेंगे कि बनारस के एक जिले में ४ मशीनें हैं और हरदोई जिले में ४ ट्यूबवेल साल भर से बोर किये हुये पड़े हैं लेकिन वहां एक भी मशीन नहीं है ?

श्री राममूर्ति—

सवाल बनारस के मुताल्लिक था, हरदोई का उसमें जिक्र नहीं था इसलिये इस समय इसका उत्तर न दे सकूंगा ।

श्री झारखंडे राय—

क्या प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुये, और प्रदेश में बोरिंग सेटस की कमी को देखते हुए सरकार ने दूसरे सूबों में ऐसे सेट्स लाने के लिये अपने अधिकारियों को भेजा और उसमें उसे क्या सफलता प्राप्त हुई ?

श्री राममूर्ति—

मैंने अभी बताया कि इन बोरिंग मशीनों के केवल रिलायेबिल वाटर सप्लाई कंपनी ही बनाती है । फारेन एक्सचेंज की कमी की वजह से बाहर से मंगा नहीं सकते । जितनी मशीनें यह कम्पनी बनाती है, हम सब ले लेते हैं । हम चाहते हैं कि १–१, २–२ मशीनें सब जगह हो जायं लेकिन उनकी कमी है । हैंड बोरिंग भी बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है । उसके जरिये से बहुत काम हुआ है ।

श्री शिवराज सिंह—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि चूंकि रिग पावर बोरिंग मशीन्स की कमी है और हम उन को अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो ऐसी हालत में अधिक से अधिक हैंड बोरिंग सेटस तैयार करा के इस सूखे की अवधि में मुहैया करने का कार्यक्रम बनाया जाय ?

श्री राममूर्ति—

यह सही है और हम हैंड बोरिंग के बारे में अधिक तवज्जह दे रहे हैं, सेट्स भी तैयार कराये जा रहे हैं और आदमियों को भी इसके लिये ट्रेन्ड किया जा रहा है ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार ने इस बात का अन्वेषण किया कि यह १२ बोरिंग किन कारणों से नहीं सफल हो सके ?

श्री राममूर्ति—

४ का तो हो गया है, ६ का हो रहा है और ६ का अभी शुरू नहीं हो सका है, कुल १६ का था ।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

यह जो रिग मशीनें जिलों में भेजी गई हैं उन में साढ़े ६ हार्स पावर के इंजन लगे हैं जो ६०—७० फुट गहराई की खुदाई के बाद बेकार हो जाते हैं, ऐसी दशा में क्या उनमें अधिक गहरी खुदाई के लिये अधिक पावरफुल इंजन लगाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—

अलग-अलग जिलों में स्ट्रेटा का हिसाब अलग-अलग है, अगर कहीं पर ज्यादा गहराई में वह काम नहीं करते तो दूसरे अधिक हार्सपावर के बदल दिये जायेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

इस साल के सूखे ने जनता और सरकार के सामने स्पष्ट कर दिया कि सिंचाई का कितना महत्व है । माननीय ऊदल ने सन् ६५ और आधे सन ६६ का डेढ़ साल का प्रश्न पूछा था और उसके उत्तर से स्पष्ट है कि पूरे जिले में केवल ४ नलकूपों की ही बोरिंग हुई है, तो क्या आगे सिंचाई के साधन तत्परता से पूरे किये जायेंगे ताकि प्रगतिशील तरीके से वहां कृषि कार्य हो सके ?

श्री राममूर्ति—

हमारी सिंचाई की योजनायें एक संयोजक ढंग से चल रही हैं लेकिन इस साल यह अचानक सूखा आ गया और ऐसी हालत में हमने एक ही काम किया है कि पूर्व के जिलों में जो लोग कच्चे कुएं खोद लेते हैं उन को हम ५० रुपया देते हैं जिस में २० रुपय का अनुदान होता है । जितने भी लोग कुएं खोदेंगे हम यह उन्हें देंगे । जहां ऐसा नहीं होता और पक्के कुओं का साधारण काम चल रहा है उन को तकावी व सबसिडी कम दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि पम्पिंग सेटस जितने ज्यादा से ज्यादा मिल सकें वह लोग लें और हम ने यह भी प्रबन्ध किया है कि जहां किसी कम्पनी के ज्यादा पम्पिंग सेट्स खरीदे जायं वहां उनके सरविसिंग सेट्स भी खोले जायं ....

श्री उग्रसेन—

यह कहां हो रहा है, कब होगा, महीनों बी० डी० ओ० के यहां चक्कर लगाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई सर्विसिंग स्टेशन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बहस न करें, बैठें ।

श्री उग्रसेन—

बहस नहीं है यह, वह गलत कह रहे हैं ।

श्री ऊदल—

पूर्वी जिलों में हैंड बोरिंग का काम अभी बिलकुल नया आरम्भ हुआ है और सरकार के पास अभी अधिक बोरिंग मेकेनिक्सट्रेन्ड नहीं हैं जिस की वजह से अभी वहां यह काम असफल हो रहा है, तो क्या सरकार विचार करेगी कि मेरठ और दूसरी कमिश्नरियों में जो प्राइवेट बोरिंग कम्पनियां

हैं उनसे बातचीत कर के उन्हें पूर्वी जिलों में भेजने पर विचार करेगी ताकि वहां भी ठीक ढंग से बोरिंग हो सके ?

श्री राममूर्ति--

श्रीमन्, १७०० आदमियों को ट्रेनिंग दी गयी है जो बराबर काम करते हैं लेकिन अगर प्राइवेट आदमी काम करना चाहते हैं, तो वे भी कर लें ।

दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, बरेली

*९--श्री रामेश्वर नाथ (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को सूचना है कि दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, करगैना, बरेली, जिला बरेली के अध्यक्ष तथा संचालक मंडल का निर्वाचन जुलाई, सन् १९६५ में होना चाहिये था जो अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो सरकार यह चुनाव कब तक कराने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री बनारसीदास--

बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० बरेली के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु वार्षिक अधिवेशन दिनांक ८ अगस्त, सन् १९६५ को बुलाया गया था जो सदस्यों द्वारा वैधानिक आपत्ति उठाने पर स्थगित कर दिया गया। तदुपरान्त संचालक मंडल ने संघ की नियमावली में चुनाव से संबंधित कुछ संशोधन निबन्धित (रजिस्टर्ड) हो जाने के उपरान्त ही चुनाव करने का निश्चय किया है। उसके उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराया जायगा ।

*१०--श्री रामेश्वरनाथ (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, करगैना, बरेली, जिला बरेली के सदस्यों की मांग पर पिछले १० महीने से संघ की बैठक किन कारणों से नहीं बुलाई जा रही है ?

श्री बनारसीदास--

उपरोक्त संघ की कुछ सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ४-९-६५ को संघ की साधारण सभा बुलाने तथा संचालक एवं अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु दी थी। संघ के संचालक मंडल द्वारा दिनांक १४-२-६६ को उस पर विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि नियमावली में चुनाव संबंधी संशोधन रजिस्टर हो जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र वार्षिक साधारण सभा बुलाई जाय। इसी कारण अभी तक संघ की वार्षिक साधारण सभा सदस्यों की मांग पर नहीं हुई ।

*११--श्री रामेश्वरनाथ (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ बरेली, जिला बरेली दूध खरीदने और बेचने का कार्य किस तारीख से प्रारम्भ करने जा रही है ?

श्री बनारसीदास--

भारत सरकार से कुछ मशीनरी क्रय हेतु इम्पोर्ट लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है तथा कुछ मशीन आनी बाकी है। प्रयत्न किया जा रहा है कि इस वर्ष के अन्त तक डेरी का कार्य इम्पोर्ट लाइसेंस न मिलने पर भी आरम्भ किया जाय ।

*१२--श्री झारखंडे राय, श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--

[५वें गुरुवार के लिये प्र० सं० १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

विकास खण्ड कल्यानपुर में दुलारेसिंह को कुक्कुट फार्म के लिए कथित धन

*१३—श्री कमला सिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड कल्यानपुर, जिला कानपुर ब्लाक प्रमुख के अपने रिश्तेदार गांव सभा, परगही कछार के प्रधान श्री दुलारे सिंह को कुक्कुट योजना के अन्तर्गत पोल्टरी फाम खोलने के लिये धन दिलाया है जिस धन से प्रधान दुलारे सिंह ने आज तक कोई भी पोल्टरी फार्म नहीं खोला है बल्कि प्रधान राम दुलारे सिंह व ब्लाक प्रमुख तथा विकास खंड अधिकारी, कल्यानपुर ने आपस में मिलकर पोल्टरी काम के धन का बांटकर धन का दुर्विनियोजन कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा करा कर वैधानिक कायवाही करने को कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। श्री दुलारे सिंह को कोई धन कुक्कुट फार्म खोलने हेतु नहीं दिया गया। अतः फार्म खोलने का सवाल नहीं उठता।

ब्लाक प्रमुख, पहला के विरुद्ध शिकायतें

*१४—श्री शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या विकास मंत्री को कोई पत्र ब्लाक प्रमुख पहला, जिला सीतापुर का वहां के क्षेत्र विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध दिनांक ३० मार्च, १९६६ को मिला ?

*१५—यदि हां, तो क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शिवेन्द्र प्रताप—

श्रीमन्, यह कब तक आयेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आगामी सप्ताह में आ जायेगी।

ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी कल्यानपुर के विरुद्ध जांच

*१६—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या विकास मंत्री कृपया प्रश्न संख्या २२, नत्थी (क) २ फरवरी, १९६६ के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि ब्लाक प्रमुख तथा विकास खंड अधिकारी, कल्याणपुर, जिला कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच करने वाले वरिष्ठ अधिकारी कौन हैं ?

*१७—क्या विकास मंत्री कृपया उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि वरिष्ठ अधिकारी महोदय भ्रष्टाचार के शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच उक्त प्रश्न की पूर्व स्थगन तिथि २२ सितम्बर, १९६५ के पूर्व से विधिवत् ढंग से कर रहे हैं ? यदि हां, तो वरिष्ठ अधिकारी ने कितनी बार किन जगहों पर पूछताछ की तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

विकास क्षेत्र कल्यानपुर जिला कानपुर, के ब्लाक प्रमुख तथा खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच जिन वरिष्ठ अधिकारी ने की है वह सरकार को प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र कार्यालय की आडिट रिपोट भी सरकार को प्राप्त हो गई है। ये रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन हैं। माननीय सदस्य द्वारा किये गये प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देना इन रिपोर्टों पर विचार करने के बाद ही संभव हो सकेगा।

श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी शिकायत कब हुई और रिपोर्ट पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, रिपोर्ट अभी थोड़े दिन हुये प्राप्त हुई है। बड़ी मुश्किल बात यह हुई कि वहां के जो बी० डी० ओ० थे उनके विरुद्ध, चार्ज शीट दी गयी थी, वे भागे हुये थे और मुद्दत के बाद जब वे आये तो इन्क्वायरी हुई। अब रिपोर्ट आ गयी, मुझे आशा है कि हम जल्द ऐक्शन लेंगे। उस रिपोर्ट की जो सीरियसनेस है, उस पर सरकार विचार कर रही है और काफी सख्ती के साथ कदम उठायेगी।

गाजीपुर तथा वाराणसी जिले में ग्राम सेवकों को क्वार्टर देने का सुझाव

***१८—श्री कमला सिंह यादव (अनुपस्थित)—**

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर तथा वाराणसी जिले में ग्रामसेवकों को बहुत सा सामान रखने को तथा प्रदर्शन के लिये अपने पास रखना पड़ता है जिससे बगैर बड़ा मकान किराये पर लिये इसका इन्तजाम नहीं हो पाता, तो क्या सरकार सरकारी सामान रखने के लिये जो क्वार्टर लिया जाता है उसका किराया देने की कृपा करेगी ताकि सामान ठीक ढंग से रखा जा सके ?

श्री राममूर्ति—

धनाभाव एवं कटौतियों को तत्कालीन विषम परिस्थिति में इस प्रश्न पर विचार करना संभव नहीं है। इस प्रसंग को लेकर व्यावहारिक स्तर पर अभी तक कोई कठिनाई अथवा असुविधा सामने नहीं आई है।

[३० नवम्बर, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

डाक्टर हरिपूजनसिंह चौहान, कुर्रीसुदौली के ट्रांसफर की मांग

***१—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर हरिपूजन सिंह चौहान जो रायबरेली जिले के रहने वाले हैं तथा जिनका स्थानान्तरण गत वर्ष कुर्रीसुदौली (रायबरेली) सिविल डिस्पेन्सरी से पिथौरागढ़ कर दिया गया था, तो क्या पुनः कुर्रीसुदौली भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। डाक्टर चौहान ने पुनः कुर्री सुदौली चिकित्सालय में दिनांक १२-७-६६ को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

उचित संख्या में चिकित्सकों के उपलब्ध न होने के कारण दिनांक १-६-६५ से ११-७-६६ तक कुर्री सुदौली चिकित्सालय में कोई डाक्टर तैनात नहीं किया जा सका। इसलिये सीमान्त प्रान्त में एक साल की अवधि समाप्त करने के पश्चात् डाक्टर चौहान को कुर्री सुदौली चिकित्सालय में पुनः भेजा गया।

*२—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह ज्ञात है कि डाक्टर हरिपूजन सिंह का ननिहाल जमावार खेड़ा (कुर्रीसुदौली) में है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

डाक्टर हरिपूजन सिंह का ननिहाल रायबरेली में पासिया खेरा गांव में है।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब डाक्टर हरिपूजन सिंह कुर्रीसुदौली में नियुक्त थे तब उनके विरुद्ध कुछ शिकायती आवेदन-पत्र मंत्री जी एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के पास भेजे गये थे और उनकी जांच भी हुई थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। सिविल सर्जन, रायबरेली ने शिकायत कर्त्ता को कई पत्र रजिस्ट्री द्वारा भेजे कि वे जांच के समय मौजूद रहें, परन्तु वे नहीं आये और न उन्होंने आरोपों के संबंध में कोई प्रमाण ही दिया। इसलिये पूरी जांच नहीं हो पायी।

श्री श्रीराम तिवारी—

इस बात को देखते हुये कि डाक्टर चौहान वहां पहले भी रह चुके हैं, और उनके विरुद्ध शिकायत और असन्तोष है, उनका किसी दूसरी जगह स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कोई ऐसी बात असन्तोष की तो है नहीं और न साबित ही हुई है।

जलालपुर–मिल्कीपुर सड़क

*४—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११ मई, १९६५ को ग्रामीण शक्ति योजना के एक जी० ओ० द्वारा फैजाबाद जिले की जलालपुर–मिल्कीपुर सड़क ६ मील के निर्माण के लिये ४ लाख अस्सी हजार रुपये की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो इस सड़क का रूट क्या होगा और इस सड़क का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी हां। अध्यक्ष, जिला परिषद्, फैजाबाद ने सूचित किया है कि फैजाबाद जिले में इस नाम की कोई सड़क नहीं है। इसलिये इस सड़क को योजना के स्वीकृत कार्यक्रम से निकाल दिया गया है। इस प्रकार अब इस नाम की सड़क को योजनान्तर्गत निर्मित कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दौलतलाल—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जो सड़क है जिसका जिक्र किया गया है, यह आजमगढ़ और फैजाबाद दो जिलों में पड़ती है। इसी संदर्भ में मंत्री जी अपना ९ फरवरी, १९६६ का पत्र देखेंगे जिस में अध्यक्ष जिला परिषद् आजमगढ़ की ओर से मांग की गयी थी और उन्होंने उस संबंध में अपनी राय दी थी कि यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आर० एम० पी० स्कीम में ले लिया जाय और इसीलिये आपने मंजूर किया था। अतः आप इस को लेने का विचार करेंगे ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

अध्यक्ष जी, मुझे आजमगढ़ का बिलकुल नहीं मालूम। प्रश्न में है फैजाबाद जिले की जलालपुर–मिल्कीपुर सड़क। हो सकता है कि माननीय सदस्य को उस की ज्यादा जानकारी हो कि यह सड़क दो जिलों में पड़ती है। लेकिन अगर दो जिलों में यह सड़क पड़ती भी है तो सैंक्शन ब्लाकवाइज होगी और वह तभी होगी जब दोनों ब्लाक उस सड़क को मिलाने वाले आर० एम० पी० स्कीम के अन्तर्गत हों। आप लिख कर देंगे तो सरकार विचार करेगी।

*५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

*६—श्री नाथूराम शिक्षक—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण

*७—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के सलेमपुर तहसील में मोहरा सपोगर, बरांव व पुराना बरहज रोड, यानी रामनाथ देवरिया, बेलडांड रोड के निर्माण हेतु रुपया मंजूर हो गया है ? यदि हां, तो जनशक्ति उपयोग योजना से वह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

श्री राममूर्ति—

मोहरा समौगर सड़क अभी हाल ही में ग्रामीण जनशक्ति योजनान्तर्गत स्वीकृत हुई है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस सड़क पर काम आरम्भ हो जायगा तथा अगले वर्ष की समाप्ति तक कार्य पूरा हो जायगा।

पुरानी देवरिया–बरहज सड़क ग्रा० ज० श० योजना के स्वीकृत कार्यक्रम से निकाल दी गई है। अतः इस सड़क के योजनान्तर्गत निर्मित होने का प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं जिले के विकास खण्डों में डाक्टरों का अभाव

*८—श्री उल्फत सिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खंडों के किन-किन अस्पतालों में आजकल डाक्टर नहीं हैं तथा यह कमी कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बदायूं जिले के विकास खंडों के निम्नलिखित अस्पतालों में आजकल डाक्टर नहीं हैं:

१—उसावां
२—जुनावई
३—दहगवा
४—इस्लामनगर
५—बिनावर
६—गुलरिया

डाक्टरों के उपलब्ध होने पर इन अस्पतालों में डाक्टर भेजा जा सकेगा।

गांव प्रधान, गनेशपुर का चुनाव

*९—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा, ब्लाक सहावर, ग्राम गनेशपुर में दिनांक १८ जून, १९६६ को प्रधान के चुनाव की तारीख थी ? यदि हां, तो दिनांक १८ जून, १९६६ को चुनाव न कराने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। (निर्विरोध निर्वाचन हो जाने के कारण मतदान की आवश्यकता नहीं हुई)।

*१०—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गांव वालों ने दिनांक १८ जून, १९६६ को जिला विकास अधिकारी के पास उक्त संबंध में तार भेजे हैं? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति—

श्री ओम प्रकाश द्वारा भेजा गया एक तार दिनांक २० जून, १९६६ को जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसके उत्तर में उन्हें सूचित कर दिया गया था कि निर्वाचन के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति हो तो पंचायत राज अधिनियम के अनुसार निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हैं।

टांडा क्षेत्र में विकास अधिकारी

*११—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र टांडा (जिला फैजाबाद) में गत ३ वर्षों के भीतर एक ही पद पर कार्य करने वाले ५ विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ है? यदि हां, तो इस प्रकार शीघ्रता से स्थानान्तरण करने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—

जी हां। जब २२-८-६३ को श्री राजनाथ श्रीवास्तव का तबादला हुआ तो श्री सुखरामपाल सिंह तथा स्वास्थ्य सिंह की नियुक्ति बारी बारी से की गई परन्तु उनमें से किसी ने टांडा में ज्वाइन नहीं किया। तब श्री पुत्तूलाल दोहरे क्षेत्र विकास अधिकारी की नियुक्ति २-१-६४ को हुई परन्तु कुछ शिकायतों के कारण ११-८-६४ को उन्हें टांडा से हट जाना पड़ा। श्री महेन्द्र प्रताप भारमा ने ११-८-६४ से २२-३-६५ तक कार्य किया। इनके स्थानान्तरण के बाद श्री हसन जमील की नियुक्ति हुई परन्तु शीघ्र ही उन्हें भी टांडा से हटाना पड़ा। उनके बाद श्री राय रामनाथ शर्मा को भी १५-७-६५ से १७-६-६६ तक ही काम करने का मौका मिला। शिकायतों की वजह से इनका तबादला हो गया।

*१२—श्रीमती रामरती—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस समय उपरोक्त विकास क्षेत्र में गत दो मास से न तो कोई विकास क्षेत्र अधिकारी है और न कोई सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ही हैं, जबकि यह क्षेत्र पैकेज स्कीम में है?

श्री राममूर्ति—

विकास खंड टांडा में कोई खंड विकास अधिकारी नहीं है, परन्तु वहां के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अपने कार्य के साथ-साथ क्षेत्र विकास अधिकारी का कार्य भी देख रहे हैं और वित्तीय मामले (Drawing and Disbursing) का कार्य खंड विकास अधिकारी, अकबरपुर, (फैजाबाद) संपादित कर रहे हैं। सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ रही है। श्री राम कीरत सिंह, विकास खंड अधिकारी, सोहवल (फैजाबाद) को विकास खंड, टांडा में स्थानान्तरित करके नियुक्त कर दिया गया है और वह वहां से २२-७-६६ को कार्यमुक्त हो चुके हैं। परन्तु वे अवकाश पर हैं। सहायक विकास अधिकारी (कृषि) पद पर श्री के० एन० पी० श्रीवास्तव दिनांक २७-६-६६ से कार्य कर रहे हैं और उक्त स्थान रिक्त नहीं है।

बंकी विकास क्षेत्र की जीप से दुर्घटना

*१३—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बाराबंकी के बंकी विकास क्षेत्र की जीप दिनांक १४ मार्च, १९६६ को एक अधिकारी सांयकाल लगभग ६ बजे से लेकर लखनऊ को रवाना हुये थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त जीप लगभग १० मील चली ही थी कि उसका ड्राइवर जीप से नीचे गिर गया तथा जीप ड्राइवर के ऊपर चढ़ गई जिसे जीप सहित छोड़कर उक्त अधिकारी भाग गये ? यदि हां, तो विस्तृत रिपोर्ट क्या है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। यह घटना बाराबंकी से ६ फर्लांग दूर रथ नदी के पुल पर, १२–१३ मार्च, १९६६ की रात्रि को प्रतिकूल दिशा से आती हुई ट्रक से बचाव करने की कोशिश के दौरान में हुई। पुलिस का एक अनुमान यह भी है कि ड्राइवर, जीप के नीचे नहीं वरन् उसी ट्रक के पहिये के नीचे आ गया। मामले की जांच हो रही है। प्रसंगगत अधिकारी निलंबित हैं तथा इस समय जमानत पर हैं। विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना तभी संभव होगा जब कि जांच संपूर्ण हो जाय।

विकास खण्ड, फतेहपुर मण्डान का भवन तथा विकास खण्ड पुनर्गठन के विरुद्ध रिट

*१४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड फतेहपुर मण्डान, जिला आजमगढ़ के कार्यालय भवन का निर्माण अब तक न होने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

विकास खंड फतेहपुर मण्डान जिला आजमगढ़ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का प्राप्त न होना।

*१५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ विकास खंडों को तोड़ने का निर्णय सरकार द्वारा जो किया गया था, उसे अब तक कार्यान्वित न करने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

उच्च न्यायालय में रिट पेटीशन्स हो जाने के कारण विकास खंडों के पुर्नगठन संबंधी आदेशों को पुर्णरूपेण क्रियान्वित नहीं किया जा सका है।

विकास खण्ड, जसपुरा का कार्यालय पैलानी में रखने पर आपत्ति

*१६—श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड जसपुरा का कार्यालय पैलानी में स्थित है जो विकास खण्ड की सीमा से बाहर है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति—

विकास खण्ड जसपुरा का कार्यालय ग्राम पैलानी में स्थित है, जो पुर्नगठित विकास क्षेत्र जसपुरा की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है।

*१७—श्री शिवनाथ सिंह—

क्या यह सत्य है कि क्षेत्र की जनता को पैलानी कार्यालय जाने के लिये केन नदी को पार करना पड़ता है ? और बरसात में तो असंभव-सा हो जाता है ?

श्री राममूर्ति—

केन नदी पुर्नगठित जसपुरा विकास क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। अतः विकास क्षेत्र का मुख्यालय चाहे जहां भी रहे, एक ओर की जनता को केन नदी पार करनी ही पड़ेगी ।

*१८—श्री शिवनाथ सिंह—

क्या सरकार जनता की मुसीबतों को दूर करने एवं उनकी सुविधा के लिये उक्त कार्यालय को पैलानी से हटाकर क्षेत्र के किसी मध्यस्थ ग्राम में भवन निर्माण कराकर स्थापित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न संख्या १० के उपरान्त इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि यही प्रश्न इस पार की जनता के लिये उठेगा जब विकास खण्ड का मुख्यालय पैलानी से हटा कर उस पार किसी अन्य ग्राम में ले जाया जायगा। यों, पैलानी जसपुरा विकास खण्ड के पुर्नगठित रूप में खण्ड के मध्य क्षेत्र में ही स्थित है। कानाखेरा जहां पहले कभी विकास खण्ड का मुख्यालय था, एक सर्व अरक्षित स्थान है तथा वहां से एक बार चोरी भी हो चुकी है।

अस्पतालों में १० पैसा रजिस्ट्रेशन फीस

*१९—श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकारी अस्पतालों में १० पैसे की पर्ची बनवाने के बाद ही दवा मिलती है तथा जो पैसा न होने के कारण पर्ची नहीं बनवा पाते उनका इलाज नहीं होता ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

राजकीय अस्पतालों में प्रत्येक रोगी को चिकित्सा प्रारम्भ कराने से पहले अपने को अस्पताल में रजिस्टर करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिये उन्हें १० पैसा रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है। ऐसे रोगियों को जो वास्तव में उक्त शुल्क देने की स्थिति में नहीं होते हैं और जिन्हें संबंधित नियमावली में डेस्टीटयूट्स की संज्ञा दी गई है, इस शुल्क से छूट दे दी गई है।

दूध की कमी

*२०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन नगरों में दूध के रूपान्तर करके बनने वाली मिठाइयां, रवड़ी, क्रीम आदि पर प्रतिबन्ध लगाये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो जिन नगरों में दूध की कमी के कारण हजारों बच्चे प्रत्येक नगर मे बगैर दूध के रह जाते हैं उनके लिये दूध की क्या कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री बनारसीदास—

उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में दूध को रूपान्तर करके बनाने वाली मिठाइयों, रबड़ी, क्रीम आदि पर अब तक प्रतिबन्ध नहीं लगा है। दूध के अभाव से बच्चों को दूध न मिलने की सूचना शासन के पास नहीं है। फिर भी दूध की कमी को देखते हुये कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में तरल दूध के प्रयोग से बनने वाले पदार्थों, जैसे कन्डेन्सड मिल्क, बेबी फूड, मिल्क पाउडर आदि के व्यवसाय पर नियंत्रण लगाने के प्रश्न पर भारत सरकार से परामर्श किया जा रहा है। उनके आदेश के अनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी ।

गढ़िया ग्राम में चिकित्सालय खोलने की मांग

*२१–श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा), श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर), श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई), श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर), श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट––

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला परिषद एटा ने दिनांक १९ जून, १९६६ की बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी की आलोचना पर एक प्रस्ताव पास किया है कि ग्राम गढ़िया, विकास खंड जैथरा, जिला एटा में एक चिकित्सालय खोले जाने की परम आवश्यकता है अतः खोला जावे ? यदि हां, तो स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है और यह कब तक खुल कर कार्य करने लगेगा ?

श्री बनारसीदास––

जी हां, जिला परिषद, एटा ने १९ जून, १९६६ को एक प्रस्ताव पास किया था कि ग्राम गढ़िया में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिया जाय। इसके पहले माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह का एक पत्र २ अप्रैल, १९६५ का इसी आशय का प्राप्त हुआ था जिस पर निदेशक आयुर्वेद व जिला स्वास्थ्य अधिकारी एटा से रिपोर्ट मंगाई थी जो २४ अगस्त, १९६६ को प्राप्त हुई थी और उसी के साथ जिला परिषद का उक्त प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था। उससे पता चला कि वहां औषधालय की आवश्यकता है, किन्तु सीमित प्राविधान के कारण वहां औषधालय खोलना इस वर्ष संभव नहीं हो सका। इसलिये इस प्रस्ताव पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जायगा और ऐसा ही निदेशक आयुर्वेद को भी ११ अक्तूबर, १९६६ को दिया जा चुका है।

बस्ती जिले में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन

*२२––श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)––

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती में कितनी सहकारी समितियों का प्रार्थना-पत्र तीन मास से अधिक समय से रजिस्ट्रेशन हेतु पड़ा हुआ है ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास––

जिला बस्ती में किसी भी समिति का प्रार्थना-पत्र तीन मास से अधिक समय से रजिस्ट्रेशन हेतु सहायक निबन्धक बस्ती के कार्यालय में नहीं पड़ा है।

*२३––श्री जगदीशप्रसाद पांडेय––

[६ठें बुधवार के लिये प्र० सं० ६० के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

मेडिकल असिस्टेंटों की ट्रेनिंग

*२४––श्री ऊदल––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने मेडिकल असिस्टेन्ट की पोस्ट के लिये २०० छात्रों, जिसमें ५० छात्रायें थी, चुनाव करके प्रदेश के बड़े अस्पतालों में एक वर्ष की ट्रेनिंग हेतु भेजा था जिनकी परीक्षा भी २० जनवरी, १९६६ को हो गयी है ? यदि हां, तो इसका रिजल्ट अब तक क्यों नहीं निकाला गया और इनकी नियुक्तियां क्यों नहीं की गयीं ? क्या इन लोगों से एक बांड भी भराया गया है कि उन्हें ५ वर्ष की सेवा प्रदेश सरकार की करनी होगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

मेडिकल अटेन्डेन्ट [न कि मेडिकल असिस्टेन्ट] के प्रशिक्षण के लिये [न कि पोस्ट के लिये] १४६ छात्र तथा १८ छात्राओं का चुनाव किया गया था। इन लोगों की परीक्षा २० जनवरी, १९६६ को समाप्त हो गई। इन लोगों का परीक्षाफल निकाल दिया गया और नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये हैं।

प्रशिक्षणार्थियों से ५ साल तक उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करने का बान्ड भराये जाने की व्यवस्था है।

*२५---श्री ऊदल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन मेडिकल असिस्टेंटों की ट्रेनिंग शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल वाराणसी, महिला अस्पताल, वाराणसी में कितने की हुई तथा दूसरे प्रदेश के किन-किन अस्पतालों में इन्हें ट्रेनिंग दी गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल वाराणसी में १० पुरुष प्रशिक्षणार्थियों और महिला अस्पताल, वाराणसी में ७ महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश के निम्न अस्पतालों में भी प्रशिक्षण दिया गया :

(क) पुरुष प्रशिक्षार्थी केंद्र

१---बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ
२---यू० यच० एम० अस्पताल, कानपुर
३---जिला अस्पताल, आगरा
४---मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद
५---क्रास्थवेट अस्पताल, नैनीताल
६---जिला अस्पताल, देहरादून
७---जिला अस्पताल, पिथौरागढ़
८---जिला अस्पताल, गोरखपुर
९---जिला अस्पताल, झांसी
१०---जिला अस्पताल, बरेली
११---पी० एल० शर्मा अस्पताल, मेरठ
१२---जिला अस्पताल, बस्ती
१३---जिला अस्पताल, मुरादाबाद
१४---जिला अस्पताल, चमौली

(ख) महिला प्रशिक्षार्थी केंद्र

१---डफरिन अस्पताल, लखनऊ
२---डफरिन अस्पताल, कानपुर।

131822

डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर, फतेहपुर के कार्यालय में हरिजन

*२६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

१६ मार्च, १९६६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि प्रश्नगत हरिजन कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गये हैं ? यदि हां, तो उन्होंने किस कारणवश और कब नौकरी छोड़ी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२५ पर)

सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर सहारनपुर में गबन

*२७—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर के सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर में पिछले कुछ महीनों में तीस-चालीस हजार रुपये का गबन हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, अब तक की जांच व सूचना के अनुसार कुल गबन २६७५०.६७ रुपये का हुआ है। मामले का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२६ पर)

स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर में हरिजन कर्मचारी

*२८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

१ सितम्बर, १९६५ के तारांकित प्रश्न ५ के उत्तर के संदर्भ में क्या यह सही है कि ३० अगस्त, १९६५ तक १०४ हेल्थ विजिटर, २६ सर्वेक्षण निरीक्षक, ४ मलेरिया निरीक्षक तथा १० अन्य कर्मचारी थे और इन १४४ में से केवल २१ हरिजन थे ? यदि हां, तो ९८ कुल और २१ हरिजन कर्मचारी उत्तर में बताने का आधार क्या है और उक्त आंकड़ों के आधार पर हरिजन संरक्षण का प्रतिशत क्या है ?

*२९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक १ सितम्बर, १९६५ के प्रश्न ६ के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि स्वास्थ्य व एंटी मलेरिया एवं चेचक उन्मूलन विभाग, फतेहपुर में ३० अगस्त, १९६५ तक कुल २२६ कर्मचारी थे और उनमें से केवल २४ हरिजन कर्मचारी थे तथा केवल स्वास्थ्य विभाग के ८२ कर्मचारियों में केवल ३ ही हरिजन थे? यदि हां, तो स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर में ३० प्रतिशत से ऊपर हरिजन संरक्षण किस प्रकार होता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२७ पर)

जिला अस्पताल, सहारनपुर में डाक्टर

*३०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिला अस्पताल में सर्जन श्री टी० सी० शर्मा छट्टी पर गये तथा उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति न होने के क्या कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डाक्टर टी० सी० शर्मा १३–४–६६ से २४–७–६६ तक छुट्टी पर रहे। चूंकि जिला अस्पताल सहारनपुर में डाक्टर शर्मा के अवकाश काल में उनका काम चलाने के लिये कई अन्य डाक्टर मौजूद थे इसलिये उनकी जगह पर किसी दूसरे डाक्टर को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*३१—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस समय जिला अस्पताल में कितने डाक्टरों की जगह खाली हैं और क्या सरकार पूरा स्टाफ रखने के लिये नगर के डाक्टरों की पार्ट टाइम सेवा लेने को तैयार है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस समय जिला अस्पताल सहारनपुर में डाक्टर के केवल २ पद खाली हैं। सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की खाली जगहों पर नगर के प्राइवेट डाक्टरों की पार्ट टाइम सेवा लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में तकावी के मामले

*३२—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले के ग्राम संकिसा के रघुनाथ प्रसाद, रामनिवास, राम स्वरूप को सन् १९६५ तथा १९६६ में नलकूप आदि के लिये हैसियत न होने पर भी नियम के विरुद्ध जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर तकावी का हजारों रुपया दिया गया ? यदि हां, तो यह अनुचित कार्य क्यों किया गया ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३३—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त तकावी के विरुद्ध स्थानीय व्यक्तियों ने जिलाधीश को जून, १९६६ में शिकायत की ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३४–३५—सर्वश्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी), महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)—

[६ठवें बुधवार के लिये प्र० सं० ५८–५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३६—श्री वेदराम (जिला एटा)—

[५वें सोमवार के लिये प्रश्न सं० २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सोरों चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण न होना

*३७—श्री वेदराम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के चिकित्सालयों का प्रांतीयकरण करने के क्या मुख्य-मुख्य आधार हैं तथा वर्ष ६४ से किन-किन चिकित्सालयों का प्रांतीयकरण किया गया है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चिकित्सालयों के प्रांतीयकरण का मुख्य आधार यह है कि यदि चिकित्सालय की प्रबन्धक समिति या निकाय अपने चिकित्सालय का प्रबन्ध करने में असमर्थ हो और प्रार्थना करे कि उसके चिकित्सालय को राज्य सरकार अपने प्रबन्ध में लेकर उसे सरकारी चिकित्सालय के रूप में चलाये तो सरकार ऐसी प्रार्थना पर उसकी उपयुक्तता और उपलब्ध साधनों के आधार पर विचार करती है। ऐसे चिकित्सालयों के प्रांतीयकरण को वरीयता दी जाती है जिनकी प्रबन्धक समिति या निकाय प्रांतीयकरण के बाद भी चिकित्सालय पर उनके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि सरकार को अंशदान के रूप में देने को तैयार हो, या उस धनराशि को उन क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं पर खर्च करने के लिए सहमत हो जो जहां ऐसी सुविधाओं की कमी है। वर्ष १९६४–६५ में तीन और १९६५–६६ में ९ अस्पतालों का प्रांतीयकरण किया गया। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं।

वर्ष १९६४–६५
(१) जिला परिषद चिकित्सालय, बिसवां, सीतापुर।
(२) जिला परिषद चिकित्सालय अमरोहा, मुरादाबाद।
(३) जिला परिषद चिकित्सालय मऊरानीपुर, झांसी।

वर्ष १९६५–६६
(४) म्युनिसिपल बोर्ड महिला अस्पताल सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर।
(५) जिला परिषद चिकित्सालय, गोवर्धन, मथुरा।
(६) जिला परिषद चिकित्सालय, शाहगंज, जौनपुर।
(७) सिविल अस्पताल, कौंच, जालौन।
(८) सिविल अस्पताल, कन्नौज, फर्रुखाबाद।
(९) जिला परिषद चिकित्सालय, औरैया, इटावा।
(१०) जिला परिषद चिकित्सालय, मेंहदावल, बस्ती।
(११) जिला परिषद चिकित्सालय, हसनपुर, मुरादाबाद।
(१२) आई० डी० अस्पताल, लखनऊ।

*३८—श्री वेदराम—

यह देखते हुये कि सोरों, जिला एटा एक भारतवर्ष का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है वहां का चिकित्सालय लगभग १५०, २०० वर्ष पुराना बना हुआ है, सोरों की महत्ता को देखते हुये प्रांतीयकरण करने में क्या आपत्ति है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अस्पतालों के प्रांतीयकरण के लिये कोई व्यवस्था न होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता।

विकास खण्डों का पुनर्गठन

*३९—श्री शुख देव प्रसाद, श्री बलदेवसिंह (जिला रामपुर) तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १९७ विकास क्षेत्र समाप्त कर दूसरे में मिलाये जाने के क्या आधार हैं?

श्री राममूर्ति—

प्रदेश में विकास खण्ड का पुनर्गठन भौगोलिक स्थिति तहसील तथा न्याय पंचायत की सीमाओं, जनसंख्या तथा यातायात के साधनों को दृष्टिकोण में रखकर किया गया है। जहां तक संभव हो सका है विकास खण्ड में बने भवनों को उपयोग में लाया गया है।

विकास खण्ड दहगवां की आडिट रिपोर्ट

*४०—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां के वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के आडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

विकास खण्ड दहगावां जिला बदायूं में वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के आडिट रिपोर्ट की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२८ पर)

परसपुर अस्पताल में डाक्टर न होना

*४१—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोन्डा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के परसपुर सरकारी अस्पताल में करीब १ वर्ष से कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां डाक्टर भेजने की तुरन्त व्यवस्था करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस अस्पताल में दिनांक ६-४-६६ से डाक्टर नहीं है।

डाक्टरों के उपलब्ध होने पर इस अस्पताल में डाक्टर भेजा जा सकेगा ।

सहकारी शीतगृह, अरौला

*४२—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जनता सहकारी शीत गृह-लिमिटेड अरौला, जिला कानपुर का रजिस्ट्रेशन १८-७-६६ के पूर्व कब हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है तथा इसके सभापति व प्रधानमंत्री कौन हैं ?

श्री बनारसीदास—

जनता सहकारी शीत गृह अरौला जिला कानपुर के नाम से कोई सहकारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं हुई है। अतः अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

ए० डी० ओ०, पी० आर० डी०, जिला प्रतापगढ़ का वेतन

*४३—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ)—

क्या यह सही है कि ए० डी० ओ० , पी० आर० डी० जिला प्रतापगढ़ के माह मई, १९६२ का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी हां ।

यह भुगतान १ मई, १९६२ से २५ मई, १९६२ के संबंध में है जब कि वे निलम्बित रहे। वैभागिक कार्यवाही करने के बाद उनका संबंधित बिल, महालेखाकार, के पास ३१-८-६५ को प्री आडिट के लिये भेज दिया गया है और उसके बाद तीन स्मृति पत्र भी जारी किये जा चुके है। बिल पास होने के बाद ही भुगतान किया जा सकता है।

विशुनीपुर सहकारी समिति

*४४—श्री अवधनारायणप्रताप सिंह (जिला गोन्डा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशुनीपुर क्षेत्रीय सहकारी समिति, जिला गोन्डा के सभी व्यवस्थापक कितने साल से वहां पर कार्य कर रहे हैं और उक्त मंत्री के कार्य-काल में उक्त समिति पर प्रत्येक वर्ष ३० जून को बैन्क का बकाया रह जाता है ? यदि हां तो उक्त सुपरवाइजर को वहीं पर रखने का औचित्य क्या है ?

श्री बनारसीदास—

विशुनीपुर क्षेत्रीय सहकारी समिति जिला गोन्डा में केवल एक मंत्री व्यवस्थापक है और इस पद पर श्री शब्बन खां २४-५-६१ से कार्य कर रहे हैं। उक्त मंत्री व्यवस्थापक के ५ वर्ष के कार्यालय में ३०-६-६२ तथा ३०-६-६३ को बैन्क का कोई बकाया नहीं पड़ा। इसके बाद बैन्क के बकाया की स्थित ३० जून को निम्न थी :

तिथि	बैन्क का बकाया
३०-६-६४	.. २८,९८७.५६
३०-६-६५	.. ३९,०६१.३९
३०-६-६६	.. १४,८५१.७४

उक्त बकाया कुछ नादेहन्द सदस्यों के ऋण न अदा करने के कारण पड़ा परन्तु इसके लिये मंत्री व्यवस्थापक को हटा देने का कोई औचित्य नहीं था।

बहजोई महिला चिकित्सालय में डाक्टर न होना

*४५—श्री विशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय महिला चिकित्सालय, बहजोई, जिला मुरादाबाद में डाक्टर कितने समय से नहीं है ? क्या सरकार वहां की जनता की परेशानी को देख कर शीघ्र से शीघ्र डाक्टर भेजने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बहजोई महिला चिकित्सालय में दिनांक १-१-१९६४ से लेडी डाक्टर नहीं है। जैसे ही कोई लेडी डाक्टर उपलब्ध होगी, वहां भेज दी जायगी।

*४६—श्री विशनलाल यादव—

क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र पुरुष कम्पाउन्डर को राजकीय महिला चिकित्सालय बहजोई से हटाकर वहां पर एक महिला कम्पाउन्डर को भेजने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पुरुष कम्पाउन्डर को हटा कर उसके स्थान पर महिला कम्पाउन्डर को नियुक्त करना अभी संभव नहीं है।

*४७—श्री विशनलाल यादव—

क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र जिला परिषद, मुरादाबाद के अस्पताल को बहजोई से हटा कर गांव फरीदपुर खुशहाल में भेजने की कृपा करेगी क्योंकि इस अस्पताल को वहां से हटने के आदेश हुए काफी समय हो गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है।

कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर

*४८—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार ऐसे कोआपरेटिव इन्सपेक्टरों को अविलम्ब स्थानान्तरित करने का आदेश देगी जो अपने होम टाउन में या किसी स्थान विशेष में, पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं?

श्री बनारसीदास—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पंचायत मन्त्री

*४९—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार पंचायत मन्त्री के पद को स्थाई करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

चूंकि पंचायत मन्त्री सरकारी कर्मचारी नहीं हैं अतः सरकार द्वारा उन्हें स्थाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला फैमिली प्लानिंग, लखनऊ की लेडी सोशल वर्कर्स को वेतन न मिलना

*५०—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर लखनऊ जिला फैमिली प्लानिंग के लेडी सोशल वकस तथा अन्य कर्मचारियों को अभी तक वेतन इत्यादि न दिये जाने का कारण क्या है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५१—श्री बलवानसिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक उक्त कर्मचारियों को बकाये धन का भुगतान कर दिया जावेगा?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

टेक्निकल असिस्टेंट नियोजन विभाग का वेतन

*५२—श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेतन अभिनवीकरण (पे कमेटी) समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि हुई है उसमें टेक्निकल असिस्टेंट (अल्प सिंचाई) जो नियोजन विभाग में कार्य कर रहे हैं, उसके वेतन में वृद्धि नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--

टेक्निकल असिस्टेंट (अल्प सिंचाई) का नया वेतन-क्रम वेतन अभिनवीकरण समिति ने अभी तक निर्धारित नहीं किया है। यह मामला अभी विचाराधीन है।

विकास खण्डों का विघटन

*५३--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने और किन विकास खण्डों को तोड़ कर दूसरे विकास खण्डों में मिलाने की योजना है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--

प्रदेश में १९८ विकास खण्डों को विघटित करने की योजना है। इनकी सूची संलग्न है। विघटन के आदेश पारित किये जा चुके हैं परन्तु उच्च न्यायालय में कुछ क्षेत्र समितियों के प्रमुखों द्वारा रिट-याचिकायें दायर हो जाने के कारण उनके विघटन की कार्यवाही रोक दी गई है। इस संबंध में फैसला हो जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही संभव है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १३३ पर)

विघटित विकास खण्ड

*५४--श्री उग्रसेन--

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ जुलाई, १९६६ से प्रदेश के कितने विकास खण्ड टूट गये और क्यों ?

श्री राममूर्ति--

१ जुलाई, १९६६ के असाधारण गजट द्वारा १९८ विकास खण्डों के विघटन के आदेश पारित किये जा चुके हैं परन्तु उच्च न्यायालय में इन आदेशों के विरुद्ध रिट-याचिकायें दायर हो जाने के कारण इनका पूर्ण रूपेण पालन नहीं हो सका है। विघटन का उद्देश्य जनहित में मितव्ययिता तथा प्रशासनीय सुधार है।

*५५--श्री उग्रसेन--

क्या विकास मन्त्री उससे अतिरिक्त घोषित कर्मचारियों को काम दिलायेंगे ?

श्री राममूर्ति--

विघटन का मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण कोई कर्मचारी अभी अतिरिक्त घोषित नहीं किया गया है।

सिकन्दरपुर-नगरा सड़क पर पुलियों का निर्माण

*५६--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को पता है कि बलिया जिले के सिकन्दरपुर-नगरा सड़क में कितनी पुलियां हैं और इन पुलियों को बनाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कब-कब काम शुरू किया और यह काम कब पूरा हुआ ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५७—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार को पता है कि उक्त पुलियों को बनाने में सभी ठेकेदारों को मिलाकर कुल कितना रुपया खर्च हुआ और इन ठेकेदारों को अन्तिम पेमेन्ट कब-कब हुआ ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५८—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार को पता है कि मार्च, १९६५ में कुछ बिल खर्च में दिखाकर डिपाजिट में डाल दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने रुपये के और अब तक उसकी क्या पोजीशन है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

दहगवां क्षेत्र विकास अधिकारी का स्थानान्तरण

*५९—श्री उल्फतसिंह यादव—

१९६६ के चौथे बुधवार के लिये श्री उल्फत सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर से सम्बन्धित क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदेव राय को विकास खण्ड दहगवां में अपने इस पद पर काम करते हुये ५ वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो इनका स्थानान्तरण कब कर दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—

श्री रामदेव राय क्षेत्र विकास अधिकारी दहगवां जिला बदायूं का स्थानान्तरण माह जून, १९६६ में जिला मुरादाबाद के विकास क्षेत्र हसनपुर में हो गया है और दहगवां विकास क्षेत्र से कार्यभार से मुक्त हो कर उन्होंने हसनपुर विकास क्षेत्र में ४ जुलाई, १९६६ को योगदान कर लिया है ।

उपभोक्ता सहकारी समिति, सहारनपुर के हिसाब में गड़बड़ी

*६०—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री को मालूम है कि २६,५८४ रुपये डिपो होल्डरों से वसूल करने के लिये जो आर्बीट्रेशन राजा लाल उपभोक्ता सहकारी समिति, सहारनपुर ने किया था वह सबूत न होने के कारण २८ जनवरी, सन् १९६५ को खारिज हो चुका है ? यदि हां, तो रुपया वसूल होने के लिये क्या हो रहा है ?

श्री बनारसीदास—

राजालाल उपभोक्ता सहकारी समिति ने आर्बीट्रेटर के एवार्ड के विरुद्ध अपील दायर की है जो सहायक निबन्धक सहारनपुर की सुनवाई में है । अपील के फैसले के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

*६१—श्री जयगोपाल—

क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त उपभोक्ता भंडार की १९६०-६१ की आडिट रिपोर्ट में ७,००० रुपये का गबन दिखलाया गया है ? यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास—

आडिटर ने ६०-६१ की स्पेशल आडिट रिपोर्ट में ६८८९·६९ पैसे के हिसाब में गड़बड़ियों का उल्लेख किया है। उक्त रकम से ३७७९·९३ पैसे की गड़बड़ियों का रुपया वसूल करके, मुजरा करके अथवा लेखन त्रुटि में सुधार करके ठीक कर ली गई है। शेष ३१०९·७६ पैसे की वसूली के लिये सालसी कार्यवाही की गई है।

गोंडा जिले के सहकारी सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण

*६२—श्री नवरंगसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के कुछ सहकारी सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण सहकारी वर्ष, १९६५-६६ के प्रारम्भ में उप-निबन्धक, फैजाबाद द्वारा अन्य जिलों के लिये हुआ था ? यदि हां, तो कितनों का ?

श्री बनारसीदास—

हां, सहकारी वर्ष ६५-६६ के प्रारम्भ में गोंडा जनपद से १७ पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण उप निबन्धक फैजाबाद द्वारा अन्य जिलों के लिये किया गया था।

*६३—श्री नवरंगसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त स्थानान्तरण कार्यान्वित हो गये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

अभी तक उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश के अन्तर्गत स्थानान्तरित ११ पर्यवेक्षकों को जिले से मुक्त किया जा सका है।

*६४—श्री नवरंगसिंह—

क्या यह सही है कि कुछ स्थानान्तरण कार्यान्वित नहीं हुये तो उनकी संख्या कितनी है और कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास—

स्थानान्तरित पर्यवेक्षकों में से अभी ४ पर्यवेक्षक कार्यमुक्त नहीं हो पाये हैं जिसका मुख्य कारण जनपद में पर्यवेक्षकों की कमी है। २ पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया है।

मलेरिया यूनिट, बांदा के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

*६५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यह सत्य है कि मलेरिया यूनिट, बांदा के कर्मचारियों को जून, १९६६ की तनख्वाह २७ जुलाई, १९६६ तक भी नहीं मिली और क्या यह भी सत्य है कि गरीब कर्मचारियों को दो बार चरखारी भी तनख्वाह के लिये कर्मचारियों को जाना पड़ा। उसके पश्चात भी तनख्वाह उपरोक्त तिथि तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो तनख्वाह न दिये जाने के क्या कारण हैं और उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*६६-६७—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद,) श्री ऊदल तथा श्री झिलमिट राम—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

विकास क्षेत्र, माधोगंज के कैशियर के खिलाफ शिकायत

*६८—श्री बलदेव सिंह तथा श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र माधोगंज जिला हरदोई के कैशियर को २४ सितम्बर तथा २७ सितम्बर, १९६५ को सरकारी पैसा जो सहायक विकास अधिकारी पशुपालन ने दिया उसे लेने के बाद आग्रह करने पर भी कैशियर ने रसीदें नहीं काटीं और व्यक्तिगत कार्यों में लगाया जिससे मलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है ? यदि हां, तो कितना रुपया दिया गया था और विभागीय जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—

कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार २४ तथा २७ सितम्बर, १९६५ को कोई धन सहायक विकास अधिकारी पशुपालन से विकास क्षेत्र माधोगंज के कैशियर द्वारा प्राप्त होना नहीं पाया जाता । अतएव गबन इत्यादि का कोई आरोप कैशियर पर नहीं लगाया गया था और न ही इस सम्बन्ध की कोई जांच अब तक की गई थी ।

*६९—श्री बलदेव सिंह तथा श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या यह सत्य है कि उक्त कैशियर ने बाद में स्वीकार किया, परन्तु १०० रुपया फिर भी नहीं दिया ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक्टरों का वेतन

*७०—श्री बसन्त सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पी० एस० एम० एस० डाक्टरों को न तो नया वेतन-क्रम पी० एम० एस० (द्वितीय) का मिल रहा है और न ही उन्हें पुराना वेतन-क्रम का दक्षता रोक पार करने के उपरान्त का वेतन मिल रहा है ? यदि हां, तो उन्हें इस आर्थिक हानि से बचाने का क्या उपाय किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चौबीस पी० एस० एम० एस० डाक्टरों को दिनांक १७ फरवरी, १९६६ से पी० एम० एस० में पदोन्नत कर दिया है, जो पी० एम० एस० के वेतन-क्रम पाने के अधिकारी हैं । ५ पी० एस० एम० एस० डाक्टरों को उनके वेतन-क्रम में दक्षता रोक पार करने के प्रश्न पर जल्द विचार किया जायेगा ।

विकास खण्ड बड़ागांव का विघटन

*७१—श्री झिलमिट राम तथा श्री ऊदल—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बड़ा गांव, तहसील व जिला वाराणसी को तोड़ दिया गया है जब कि यह ब्लाक दूसरे स्टेज में था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। विकास खंडों का विघटन उनकी स्टेज के आधार पर नहीं किया गया है, वरन् भोगोलिक स्थिति, जनसंख्या, यातायात के साधन, तहसील तथा न्याय पंचायतों का सीमांकन तथा विकास खंडों में बने भवनों के उपयोग को दृष्टिकोण में रखा गया है। प्रसंगगत विकास खंड के विघटन में भी यही सिद्धान्त सन्निहित हैं।

*७२—श्री झिलमिट राम तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनशक्ति योजना के अन्तर्गत वाराणसी जिले का ब्लाक बड़ा गांव नहीं शामिल किया गया है जब कि इस ब्लाक की एक सड़क बड़ा गांव से तमाचाबाद (कछबां) तक की जनशक्ति योजना में ली गई है। और वह सिर्फ सैवापुरी ब्लाक में बन रही है ? यदि हां, तो क्या बड़ा गांव ब्लाक को भी इस योजना में शामिल किया जायगा ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना कठिन है।

बस्ती जिले में कुओं के लिए ऋण

*७३—श्री चन्द्रपाल रावत (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास खंड नं० ६ में १९६६ में जनवरी से जून, १९६६ तक किन-किन व्यक्तियों को कुआं बनवाने के लिये कर्ज स्वीकृत किया गया ?

श्री राममूर्ति—

जनवरी, १९६६ से जून, १९६६ तक खंड विकास बंजपूर नं० ६ से निम्नलिखित १४ व्यक्तियों को सिंचाई कूप निर्माण हेतु कर्ज स्वीकृत किया गया।

(१) श्री मजीद खां, ग्राम रमनपुर।
(२) श्री शहीउल्लाह, ग्राम पल्टादेवी।
(३) श्री मुल्कि नरायन, ग्राम लकड़ी।
(४) श्री शफी, ग्राम गढ़गौर।
(५) श्री कवल प्रसाद।
(६) श्री लक्ष्मी शुक्ल, ग्राम लकैड़ी।
(७) श्री मोती लाल।
(८) श्री तीरथ, ग्राम दुजौली।
(९) श्री माता प्रसाद, ग्राम अभयपुर।
(१०) श्री राम दुलारे, ग्राम फटके।
(११) श्री दरबारी, ग्राम ठाठोरी।
(१२) श्री शोहरत सिंह, ग्राम रामभारी।
(१३) श्री राम सूरत शर्मा, ग्राम पिपासन।
(१४) श्री जमालुद्दीन, ग्राम सिकरी।

*७४—श्री चन्द्रपाल रावत—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित व्यक्तियों में से क्या उन्हीं व्यक्ति को अभी कर्ज का धन हस्तगत नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ? कर्ज कब तक दे दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति---

प्रश्न ७३ में उल्लिखित सभी १४ व्यक्तियों को स्वीकृत किए हुए ऋण का वितरण कर दिया गया है। किसी को देना शेष नहीं है।

पंचायत राज प्रशिक्षण शिविर, दोहरीघाट

*७५---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन-गुरुकुल गांधी ग्राम दोहरी घाट, जिला आजमगढ़, में पंचायत राज जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उस प्रशिक्षण शिविर में बर्तमान समय में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनका वेतन-क्रम क्या है? क्या अलग-अलग नाम और पद व मासिक वेतन सहित एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति---

जी हां।

प्रशिक्षण केन्द्र पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, उनके नाम पद वेतन, क्रम तथा बर्तमान वेतन की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १४१ पर)

*७६---श्री मंगलदेव---

क्या यह सही है कि मार्च, १९६६, से जुलाई, १९६६, तक उक्त शिविर में किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं हुआ और वह पूर्णतः बन्द है? यदि हां, तो क्या कारण है?

श्री राममूर्ति---

जी हां।

अप्रैल, ६६ से जुलाई, ६६, तक कोई शिविर नहीं चला और कार्यक्रम पूर्णतया बन्द रहा। कार्य-क्रम बन्द रहने का कारण यह था कि यह योजना भारत सरकार द्वारा पोषित है और कुछ प्रशासकीय एवं सैद्धान्तिक कठिनाइयोंवश केन्द्रों के चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक अनुदान की स्वीकृति भारत सरकार से जुलाई, ६६ के पूर्व प्राप्त नहीं हो सकी।

फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास

*७७---श्री दयाराम शाक्य---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में प्रस्तावित सहकारी कोल्ड स्टोरेज जिसका शिलान्यास श्री चतुर्भुज शर्मा तत्समय मन्त्री ने अब से लगभग ३ वर्ष पूर्व किया था, उसके सम्बन्ध में कितना रुपया हिस्सों के रूप में एकत्रित किया गया था तथा उस रुपए का कितना रुपया शेष इस समय है और कितना किस प्रकार खर्च हुआ?

श्री बनारसीदास---

सूचना अभी उपलब्ध नहीं है जांच की जा रही है।

मन्त्री व्यवस्थापक, एटा के विरुद्ध शिकायत

*७८---श्री गिरवर प्रसाद (जिला एटा)---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ जुलाई, १९६६ ई० को अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, एटा, ने मन्त्री व्यवस्थापक, एटा, के पास से सात प्रोनोट मय ऋण मांग-पत्र जिन पर सदस्यों के हस्ताक्षर हो रहे थे और बिला लिखे थे और कर्जा की मांग भी नहीं लिखी गई थी पकड़े गए थे, इस जुर्म में उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री बनारसीदास---

२७-७-६६ को अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, एटा ने मन्त्री व्यवस्थापक, एटा, के पास से कोई भी प्रोनोट या ऋण मांग-पत्र जिन पर सदस्यों के हस्ताक्षर हो रहे थे और बिना लिखे थे, नहीं पकड़े थे अतः मन्त्री व्यवस्थापक, एटा के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*७९---श्री गिरवरप्रसाद---

क्या यह मामला पुलिस की जांच के लिए भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

श्री बनारसीदास---

प्रश्न नहीं उठता है।

सहकारी बीज भण्डार, बिल्वा, में अनियमितायें

*८०---श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

दिनांक १० अगस्त, १९६६, को मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि उक्त सुपरवाइजर को अब तक सुअत्तल नहीं किया गया ?

श्री बनारसीदास---

सहकारी सुपरवाइजर यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ, के कर्मचारी हैं तथा उनको निलम्बित करने का अधिकार यूनियन के नियमों के अनुसार स्थानीय अनुशासन समिति को है। यह समिति इस मामले में अपनी अगली बैठक में विचार करेगी तथा निलम्बन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश देगी।

*८१---श्री हरीशकुमार गंगवार---

डी० पी० ओ० द्वारा २५ अप्रैल, १९६६, को ही धान की कमी की सूचना दिए जाने पर उनसे २९ जुलाई, १९६६ को जवाब तलब किया गया और उनके होम डिस्ट्रिक्ट को तबादला क्यों किया गया ?

श्री बनारसीदास---

जिला नियोजन अधिकारी, बरेली, द्वारा सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, बरेली, को मौखिक रूप से सूचना देने पर स्टाक की जांच के फलस्वरूप सुपरवाइजर को हटाया गया। तत्पश्चात, निरीक्षक द्वारा मामले की विस्तृत जांच के फलस्वरूप उनके विरुद्ध आरोप लगाकर २९-७-६६ को उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। उनका स्थानान्तरण उनके होम डिस्ट्रिक्ट (बदायूं) में भूले से कर दिया गया था। भूल का ज्ञान होने पर उनका स्थानान्तरण शाहजहांपुर को कर दिया गया।

झांसी तहसील में बीड़ी मजदूरों की मजदूरी

*८२---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या श्रम मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि यह सत्य है कि सरकारी आदेशानुसार बीड़ी मजदूरों को १.८७ पैसे तथा १.७५ पैसे प्रति हजार मालिकों द्वारा दिया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो झांसी शहर तथा झांसी तहसील के बीड़ी मजदूरों को बीड़ी मालिक द्वारा उपरोक्त रेट न दिए जाने के क्या कारण हैं व सरकार द्वारा आदेश का पालन कराने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास---

जी हां।

निर्धारित वेतन दरों से भुगतान न होने का कारण बीड़ी मजदूरों द्वारा अपने दावों को न प्रस्तुत करना है। झांसी के जिन बीड़ी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को निर्धारित वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है, उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा १२ के उल्लंघन की नोटिसें दी गई थी, जिनके फलस्वरूप १५ बीड़ी प्रतिष्ठानों ने हाई कोर्ट के समक्ष (रिट) दायर की थी, उनमें से केवल ६ ही प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो निर्धारित दरों से भुगतान नहीं कर रहे हैं। श्रमिकों को सलाह दी गई है कि वे न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत अपने दावे (क्लेम) दाखिल करें, ताकि प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सम्भव हो सके।

सुल्तानपुर के परिवार नियोजन कर्मचारियों का बकाया वेतन

*८३---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सुल्तानपुर के परिवार नियोजन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन अभिनवीकरण समिति के आधार पर नवीन वेतन का एरियर अभी तक नहीं मिला? यदि नहीं, तो क्यों? और उसके कब तब मिल जाने की सम्भावना है?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८४---श्री रामकिंकर---

क्या यह सही है कि जिला फैजाबाद के परिवार नियोजन विभाग के प्रसार शिक्षकों को इस वर्ष १९६६ में किसी-किसी मास में १०० रु० तक मासिक भत्ता दिया गया जबकि सुल्तानपुर में काम करने वाले प्रसार शिक्षकों को कुछ भी यात्रिक भत्ता नहीं दिया जाता? यदि हां, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

१९६६-६७ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

श्री अध्यक्ष---

१२ बजे का समय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करने का निश्चित हुआ था तो उसका पालन हो। पुस्तकें बांटी जायें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

व्यवस्था का प्रश्न है। जब कार्यक्रम में छपा है कि शोक प्रस्ताव पेश होंगे तो मन्त्री जी अनुपूरक अनुदान कैसे पहले पेश कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---

चूंकि १२ बजे विधान परिषद् में भी अनुपूरक अनुदान पेश होगा, इसलिए यह उचित ही है कि दोनों जगह एक साथ तथा एक ही समय पेश हो।

श्री उग्रसेन---

शोक प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलती है। इस सदन की परम्परा रही है, हाउस आफ कामन्स, लोक सभा, राज्य सभा, सभी जगह यही होता है कि पहले शोक प्रस्ताव लिए जाते हैं।

माननीय गवर्नर महोदय वित्त मन्त्री को सहूलियत देने के लिए पहले अनुपूरक अनुदान पेश करा देंगे यह कहां समीचीन है? पहले शोक प्रस्ताव लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन सुन लें। १२ बजे यह अनुपूरक अनुदान विधान परिषद् में भी पेश किया जायगा। तो एक सदन मे पहले बट जाय, एक में बाद में बटे, यह उचित नहीं है।

श्री उग्रसेन--

मेरा कहना है कि शोक प्रस्ताव पहले लिया जाय। आप व्यवस्था दें कि मैं ठीक हूं कि आप ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष--

हम दोनों ठीक हैं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

वित्त मन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

सर्वश्री अब्दुल बशीर खां, मतोलासिंह तथा शंकरलाल एवं भूतपूर्व सदस्य, श्री प्रयाग नारायण, के निधन पर शोकोद्गार

श्री बनारसीदास (सहकारिता मन्त्री)--

अध्यक्ष महोदय, जब हम पिछली मर्तबा उठे थे और आज हम मिल रहे हैं, इस अर्से में इस सदन के तीन माननीय सदस्यों का निधन हो गया है और एक माननीय सदस्य जो पहले इस सदन के सदस्य रह चुके थे वह भी इस संसार से विदा हो गए। काल का चक्र बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और इस बीच के अन्दर श्री अब्दुल बशीर खां, जो रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अन्दर प्रोफेसर थे, काफी दिनों से कैन्सर के रोग से पीड़ित थे, उनका निधन हो गया।

श्री मतोला सिंह जो जनसंघ के सदस्य थे, यद्यपि परिपक्व आयु पर उनका निधन हुआ जो कि बहुत कम सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन अन्तिम समय तक वह बड़े सक्रिय रहे। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के अन्दर उन की विशेष रुचि थी और अन्त समय तक वे अपने निर्वाचन क्षेत्र और जिले के अन्दर सक्रिय भाग लेते थे।

शंकर लाल जी ने भी जब से सार्वजनिक सेवा का व्रत लिया अपने क्षेत्र में वह जनता के साथ सम्पर्क स्थापित रखते थे और यकायक उनकी हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी।

श्री प्रयागनारायण जी सन् ४६ से ले कर सन ५२ तक इस सदन के सदस्य रहे। सन २८ की पुरानी कौंसिल के भी वह सदस्य थे। पायनियर के वे डाइरेक्टर थे। मौरावां के अन्दर प्रयाग इन्टर कालेज के वे प्रबन्धक थे। लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य भी वह रहे, मौरावां टाउन एरिया के चेयरमैन रहे। उन्नाव जिला परिषद् के वह सदस्य रहे और कालविन ताल्लुकेदार कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति के वह सदस्य रहे। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन के अन्दर एक बड़ी क्षति हुई है।

इन चारों महानुभावों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके हमारी संवेदना परिवारो के प्रति भेज दी जाय।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला वस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने चार स्वर्गीय व्यक्तियों के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री मतोला सिंह जी लगभग ९३ वर्ष की आयु में मरे। उनको इस समय कैंसर की पीड़ा थी। उससे वह कुछ अच्छे हो चले थे किन्तु वह बच नहीं सके। वे शुरू से बड़े समाज सेवी थे। शिक्षा विभाग में उन्होंने बहुत रुचि ली। हिन्दू इन्टर कालेज, अतर्रा को इन्होंने स्थापित किया। प्रदेश के कुल ५ आयुर्वेदिक कालेजों में एक आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा, भी इन्होंने ही स्थापित किया था। नेहरू डिग्री कालेज को भी इन्होंने स्थापित किया था। सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह थी कि ये इतने क्रियाशील थे कि अन्त समय तक जब तक वह चलने योग्य रहे विधान सभा में अथवा अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे यद्यपि उनकी उम्र काफी हो गयी थी। ऐसा समाजसेवी अपने बीच में न रहे तो दुख का होना स्वाभाविक है।

दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्ता शंकर लाल जी का देहान्त हो गया। तीसरे प्रयाग नारायण जी और चौथे अब्दुल बशीर खां का भी देहान्त हो गया। उनके बारे में भी माननीय मन्त्री जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और जब ऐसे समाजसेवी चले जाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि एक-एक कड़ी खाली होती जाती है। मैं अपने और अपने दल की ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी तथा हमारे दल की संवेदना उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे खयाल से यह पहला मौका है जबकि चार-चार महानुभावों के सम्बन्ध में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो सार्वजनिक कार्यकर्ता थे वह एक-एक करके उठते जा रहे हैं। माननीय मतोला सिंह जी जो इस सदन में हमारे साथी रहे हैं उनके प्रति हमारा आज तक यही खयाल रहा है कि वह बड़े सक्रिय रहे हैं और ९३ वर्ष की अवस्था वाला शायद कोई भी सदस्य यहां मौजूद नहीं है। इतनी अवस्था तक सदन की कार्यवाही में और बाहर भी हिस्सा लेना उनके साहस और उनकी कर्मठता का द्योतक है।

अब्दुल बशीर साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विज्ञान के प्रोफेसर थे। ऐसे लोग जो विज्ञान ऐसे विषय के ज्ञाता हों और इस सदन के सदस्य हों और जिनके हाथों में राय देने का अवसर हो जब साथ छोड़ कर उठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छे-अच्छे लोग जो इस प्रदेश को कुछ दे सकते हैं, उठते चले जा रहे हैं। मैं अपने दल की ओर से तथा अपनी ओर से इन चारों सदस्यों के सम्बन्ध में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके दुखी परिवारों तक हम लोगों की संवेदना भेजने की कृपा करें।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व और वर्तमान चार सदस्यों के निधन पर हम बहुत दुखी हैं। करीब-करीब पिछले पौन पांच वर्षों में जो भी सदस्य इस सदन में रहे हैं वे मतोलासिंह जी को नहीं भूल सकते हैं। उनकी वह पगड़ी और ढीला-ढाला कुरता और वह बुन्देलखंडी चाल-ढाल एक सिंह की तरह से हमेशा हमें याद रहेगी। और उनकी कर्मठता का इससे प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है कि वे अपने क्षेत्र में बराबर घूमते रहने के बाद भी, यद्यपि उनके दो-दो लड़के वकील हैं उनके यहां न रह कर और अपने गांव में रह कर, दिन रात एक फकीर की तरह से अपने विचारों को ले कर जनता में घूमते थे। यहां पर भी आपने देखा होगा कि चाहे वह सदन के वाद-विवाद में बहुत भाग न लेते हों लेकिन बैठे बराबर रहते थे और उनकी पगड़ी और उनका ढीला-ढाला डीलडौल हमेशा हमें जीवन में याद रहेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब्दुल बशीर साहब को हम भलीभांति जानते थे। वे प्रोफेसर थे और बहुत विद्वान थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उस मामले के बाद जब से उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब से उनको बहुत से लोग जान गए जो उस वक्त तक उनको नहीं जानते थे। उनके चले जाने से हमारे प्रदेश की और हमारे सदन की विशेष तौर से क्षति हुई है।

शंकर लाल जी और प्रयागनारायण जी के निधन से हम बहुत दुखी हुए हैं और हम आप से प्रार्थना करेंगे कि आप मेरी और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमारी सम्वेदना उनके सन्तप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मौजूदा और पुराने चार मेम्बरों के निधन पर यह हाउस बहुत कुछ खो बैठा है। मतोलासिंह जी के बारे में जैसा कि झारखंडे राय जी ने कहा, वे बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे और उनका एक मात्र काम था अपनी कांस्टीटयूऐंसी में घूमते रहना।

डाक्टर अब्दुल बशीर साहब शाहजहांपुर जिले के कांठ के रहने वाले थे और एक मध्यम परिवार से आते थे। बहुत मेहनत से वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जियोलाजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनको नेशनल ख्याति मिली। और इस तरह से उन्होंने इस प्रदेश का और शाहजहांपुर का नाम बहुत ऊंचा किया। यह सदन उनसे और श्री मतोलासिंह जी से जाती तौर से परिचित है।

श्री शंकरलाल जी और श्री प्रयागनारायण जी को गोकि बहुत से सदस्य नहीं जानते हैं लकिन उनके कारनामे हम लोगों ने सुने हैं और मैं आपसे इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि जैसा कि विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलियां पेश की हैं, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन चारों महानुभावों के प्रति श्रद्धांजलि पेश करता हूं और आपसे इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारी और हमारे दल की ओर से उनके दुखी परिवारों तक सम्वेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जिन लोगों के बारे में सदन के सामने शोक प्रस्ताव रखा है उनके सम्बन्ध में जितना भी रंज व गम किया जाय वह थोड़ा है। यों तो हर शख्स की जिन्दगी की कुछ सांसें मुकर्रर हैं और वह उतनी सांसें पूरी कर के ही दुनियां से जाता है लेकिन जब कोई मखसूस शख्सियत हमारे बीच में से उठ जाती है तो उसका जितना भी रंज व अफसोस किया जाय वह थोड़ा है। मैं प्रोफेसर अब्दुल बशीर की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। जिस तरीके से काबिल आदमी होने के साथ-साथ हिन्दुस्तान में पालीटिक्स में हिस्सा लेना उन्होंने शुरू किया और उसके बदले जो जो ज्यादतियां की गईं उनके साथ उनको अगर देखा जाये तो बड़ा अफसोसनाक है।

श्री अध्यक्ष—

यह अवसर ऐसा नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा एक मिनट और लूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन जी, यह मौका ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी बात कहें कि जो विवादात्मक हो । हम तो एक हस्ती चली गई उसके लिये अफसोस जाहिर कर रहे हैं और उसके खान्दान के साथ हमदर्दी पेश कर रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यही कहने जा रहा हूं कि ऐसे शख्स के चले जाने पर जितना रंजोगम और अफसोस किया जाय वह थोड़ा है । आपके द्वारा इन लोगों के परिवार के प्रति मेरी पार्टी की तरफ से हमदर्दी जाहिर की जाय ।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में तीन वर्तमान और एक पुराने सदस्य के निधन के संबंध में विचार व्यक्त किये जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं यह समझता हूं कि जो सत्य है वह छिपाया नहीं जा सकता है और इसको व्यक्त करने में मतभेद पैदा करना उचित नहीं है । हमने माननीय मतोलासिंह जी को देखा है कि जिस तरह से उन्होंने सदन के कार्यों में भाग लिया और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य किया वह सराहनीय है । उनको कैंसर हो गया था । उनका अभाव हमेशा खलता रहेगा । जब वे शान्त मुद्रा में अपने विचार व्यक्त करते थे तो मालूम होता था कि एक कर्मठ पुरुष अपनी कर्मसाधना पर चल रहा है ।

डाक्टर साहब के बारे में यद्यपि बहुत सी बातें आईं लेकिन वे परम सौम्य मूर्ति थे और उनका स्थान देश के १७ जियोलोजिस्ट में आता था । उन्होंने देश-विदेश की डिग्रियां ले रखी थीं और उनके आधार पर उन्होंने देश में अपना एक विशेष स्थान बना लिया था। वह देश में जियोलोजी के सर्व प्रथम व्यक्ति थे । राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के बाद भी इनका व्यवहार सरल तथा निष्कपट था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता । ऐसे व्यक्ति का निधन चाहे वह किन्हीं कारणों से हुआ हो यह कोई बात नहीं है, लेकिन खलने वाला अवश्य है । उनका वक्तव्य हमारी आंखों में सदैव घूमता रहता है । विशेषकर हमारे दल को बड़ी क्षति हुई है। वह सदन के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति थे, इस नाते सदन की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है ।

हमारे तीसरे सदस्य श्री शंकरलाल जी बहुत सीधे, कर्मठ व्यक्ति थे । उनको वृद्धावस्था में भी आलस्य नहीं था । यकायक हृदय की गति रुक जाने से वह संसार में नहीं रहे । इस दुखमय वातावरण में हम अपना शोक प्रकट कर रहे हैं ।

पुराने सदस्य जो थे उनसे परिचित नहीं था । जैसा कि माननीय सहकारिता मंत्री ने विचार प्रकट किये कि वह इतनी संस्थाओं में भाग लेते थे, कितना उनका सार्वजनिक जीवन व्यस्त था, इन सब का ध्यान करते हुए उनकी क्षति भी हमारे लिए दुख का विषय है । इन भावनाओं के साथ अन्य नेताओं ने जो जो भाव व्यक्त किये हैं, उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । चारों दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

इस आदरणीय सदन द्वारा जो भावनायें प्रकट की गयीं हैं, उन साथियों के सम्बन्ध में, जो कल हमारे साथ बैठे और इसके पूर्व यहां बैठ चुके हैं, उन सब भावनाओं से, सिवाय उस हिस्से के जो विवादास्पद थीं, अपने आप को सम्बद्ध करता हूं । इस सृष्टि में हम सबको उसी रास्ते जाना है, जिस रास्ते ये गये । ऐसी दशा में समवेदना प्रकाशन समय के गाम्भीर्य को ध्यान में रखते हुये विवादास्पद बात छेड़ना अप्रासंगिक हैं । मैं बांदा गया और मतोला सिंह जी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दर्शन किये । लोगों से मिला । मालूम हुआ कि इस अवस्था में किस प्रकार से वह जन जीवन में प्रवेश किये हुये थे । उनको अपनी उम्र का बिलकुल ध्यान नहीं था । जब यहां खड़े होते थे, धीरे धीरे उनकी बातों से प्रकट होता था कि वह अपने क्षेत्र से कितने परिचित हैं और जन जीवन में घुसे हुये हैं । जैसा कि माननीय झारखंडे राय जी ने कहा, उनकी स्मृति बहुत दिन तक हमारे हृदय में रहेगी ।

शंकरलाल जी फैजाबाद जिले के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर के थे । वह अत्यन्त मौन, खामोश और कर्मठ थे । वह गांव-गांव घूमा करते थे । सौभाग्य से वह मेरे परिचित थे । उनके उठ जाने से उस क्षेत्र की बड़ी क्षति हुई है ।

बशीर साहब एक अत्यन्त विद्वान थे, यद्यपि उनसे यह सदन अधिक लाभान्वित नहीं हो सका । वह दीर्घकाल तक रुग्ण रहे । ऐसे व्यक्ति के चले जाने से केवल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की क्षति हुई है इसमें कोई शंका नहीं ।

कुंवर प्रयागनारायण ताल्लुकदार थे । ताल्लुकदार होते हुये भी प्रत्येक जन क्षेत्र में अपने आप को सम्बद्ध किये थे, चाहे शिक्षा में हो, चाहे ताल्लुकदारी में हो, चाहे कौंसिल में हो । इन सब के परिवारों के प्रति सम्वेदना प्रकट करता हूं और आपकी सम्वेदना उनके परिवारों तक पहुंचा दी जायगी । अब हम एक मिनट खड़े हो कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर एक मिनट के लिये खड़े हुये ।)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, १९६६†

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री अंशीधर पान्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, १९६६, को सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पालिका सेवायें (केन्द्रीयकरण) (प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पालिका सेवायें (केन्द्रीयकरण) (प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६†

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (संशोधन) नियमावली, १९६६*

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३३३४/९(२)—-२-६६, दिनांक ३१ अगस्त, १९६६, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश, विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (संशोधन) नियमावली, १९६६, को, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२, की धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६६

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-बी-आर० ए०-एम०-१९६७-टी-एम/३०-ख-९५—पी-६४, दिनांक १७ मई, १९६६, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६६, को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ (३) के अन्तर्गत निवास विभाग की विज्ञप्ति*

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शुद्धि पत्र संख्या २-एच/३-१६(९)(१)-६६, दिनांक ९ सितम्बर, १९६६, के साथ पठित निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या २-एच-३७-क-—१६ (९)-(१)-६६, दिनांक २८ जून, १९६६, द्वारा प्रख्यापित प्रपत्र जिनमें और अन्तराल जिन पर परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विवरणियां और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे, नियत करने के सम्बन्ध में नियमावली को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५, की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन†

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शुद्धि पत्र संख्या २०२०-टी-एम/३०-ख—१६६-पी-६१, दिनांक २२ जून, १९६६, के साथ पठित परिवहन विभाग की विज्ञप्ति विभाग की संख्या एम०-वी-आर-ए-एम-६५/८-जी-टी—३०-ख—१६६-पी-६१, दिनांक २४ जुलाई, १९६५, द्वारा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-वी-आर-ए-एम-६-१६५८-टी/३०-बी—१२३-पी-६२, दिनांक २९ अगस्त, १९६६, द्वारा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

*छापी नहीं गयी ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वर्ष १९६५–६६ का पूरक वित्तीय विवरण-पत्र†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वर्ष १९६५–६६ का पूरक वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र को एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८, की धारा ६१ की उपधारा (५) के साथ पठित उक्त धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६, एवं वित्त तथा विनियोग लेखे, १९६४–६५†

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पान्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शासन के 'लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६' 'तथा राजस्व 'प्राप्तियों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६' को उत्तर प्रदेश के 'वित्त लेखे १९६४–६५' तथा' विनियोग लेखे १९६४–६५' सहित सदन की मेज पर रखता हूं ।

पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित शुद्धि-पत्र†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंन्शीधर पान्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४११८–बी/३३–६९–६५, दिनांक २९ जुलाई, १९६६, द्वारा प्रख्यापित शुद्धि-पत्र को, यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन नियमावली, १९६६*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांन्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २१६८–बी/३३–१५५(१०)–५९, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन नियमावली, १९६६" को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भवन में परिवर्तन करने या गिराने के व्यय की वसूली) नियमावली, १९६६*

स्वायत्त शासन मंत्री की सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप आज्ञा से निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५४१–एस/३७–१६(९)–१६–६६, दिनांक २० अक्तूबर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भवन में परिवर्तन करने या उसे गिराने के व्यय की वसूली) नियमावली, १९६६, को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।
*छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४, में प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पान्डेय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनिमय, १९५४, में, नियुक्ति (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४१/४–६६–नियुक्ति (ख), दिनांक ३ सितम्बर, १९६६, द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को", भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९६३–६४ का वार्षिक प्रतिवेदन*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष, १९६३–६४ के "वार्षिक प्रतिवेदन" को ज्ञापन-पत्र सहित "भारत का संविधान" की अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६, में किए गए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६, में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ', आगे पृष्ठ १४२ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिए विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६, में किए गए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६, में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट', आगे पृष्ठ १४३ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) विधेयक, १९६६, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २६ जुलाई, १९६६ की बैठक में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ८ अगस्त, १९६६, को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १९ अगस्त, १९६६ को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का १८ वां अधिनियम बन गया ।

---

*छापा नहीं गया ।

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक, २१ जुलाई १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २६ जुलाई, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १९ अगस्त, १९६६, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ जुलाई, १९६६, को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २९ जुलाई, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २५ अगस्त, १९६६, को प्राप्त हो गई और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ मई, १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २० जुलाई, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २६ अगस्त, १९६६, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६६ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १० अगस्त, १९६६, की बैठक में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १९ अगस्त, १९६६, को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २७ अगस्त, १९६६, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २ अगस्त, १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ८ अगस्त, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त, १९६६, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १ अगस्त, १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १२ अगस्त, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ सितम्बर, १९६६, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिए विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ३ अगस्त, १९६६, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ९ अगस्त, १९६६, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ४ अक्तूबर, १९६६, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एक विशेष प्रस्ताव है "इस सदन का यह निश्चित मत है कि समूचे उत्तर प्रदेश को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय" ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे नहीं मालूम है, मैं उसे देखूंगा ।

श्री चन्द्रबली सिंह द्वारा राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय चन्द्रवली सिंह ने भेजा है। वह माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध है। उसको मैंने माननीय राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है। जब उनका उत्तर आ जायगा तो मैं तब इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

प्रदेश में छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में मेरे पास ८ कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक सूखे के विषय में था। आज सूखे का विषय सदन में आ रहा है इसलिये उसका प्रश्न नहीं उठता। यह आठ कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक ही विषय पर छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में हैं। इसको मैंने

स्वीकार किया है। उनमें से मैं एक पढ़े देता हूं। माननीय झारखंडे राय का पढ़ने है, वही पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है:--

"गत सप्ताहों में प्रदेश के कोने कोने में पुलिस और अधिकारियों द्वारा निरपराध छात्रों पर अकथनीय अत्याचार किये गये हैं। बीसियों जगह लाठी चार्ज किया गया और दर्जनों नवयुवक बुरी तरह से घायल हुये हैं। आज भी लगभग दो हजार छात्र जेल में बन्द हैं अथवा उन पर केस चल रहे हैं। राज्य सरकार छात्रों की सर्वथा उचित मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति आज भी बरत रही है। इस नीति और छात्र असन्तोष और राज्य सरकार को उसे समाप्त करने में नितान्त असफलता ने प्रदेश भर में विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी है। आज घोर असन्तोष और क्षोभ व्याप्त है। अतः इस विषम परिस्थिति पर सम्यक विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, माननीय ईश्वेश्वर प्रसाद, माननीय जगदीश प्रसाद, माननीय हरीश कुमार गंगवार, माननीय केदारीप्रसाद पांडेय, माननीय गयाप्रसाद, माननीय उग्रसेन, माननीय राजेश्याम शर्मा, माननीय काशीराय मिश्र, माननीय शिवराज सिंह, माननीय चन्द्र भानो सिंह, माननीय लक्ष्मीसिंह, माननीय शराफत हुसैन रिजवी, माननीय ऊदल, माननीय बालेश्वरी प्रसाद, माननीय ब्रह्मदत्त मौर्य, माननीय सत्तीसिंह यादव, माननीय कल्याणचन्द्र मोहिले और माननीय रामसुन्दर पांडेय ने भी दिया है। इसको मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्वीकार किया है। क्या इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री को कुछ आपत्ति है?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

जब आपने इसको स्वीकार ही कर लिया है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है?

श्री अध्यक्ष--

यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव आज दिवस के अपराह्न ४ बजे लिया जायगा। इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री को कोई आपत्ति नहीं है इसलिए इस सम्बन्ध में अनुज्ञा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी किन्तु नियमानुसार अनुज्ञा मांगना आवश्यक है। चूंकि माननीय नेता विरोधी दल ने भी यह दिया है, उनको आपत्ति नहीं है, वे इसे सदन की अनुज्ञा के लिये कृपया प्रस्तुत करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं अपना कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश करने की सदन से अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

(कोई आपत्ति न होने पर) चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, अतः यह स्वीकार हुआ। ४ बजे से ६ बजे तक यह लिया जायेगा।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के सरकार द्वारा तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक सूचना श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री हरिनाथ तिवारी की स्वीकार की है जो इस प्रकार है--"प्रदेश की राजधानी में स्थित एक मेव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अकस्मात सरकार द्वारा तोड़ दिया गया है। कालेज का तोड़ा जाना सरकार की प्रशासकीय असफलता का स्पष्ट उदाहरण है। इससे आयुर्वेद के अध्ययन के लिये भारी संकट

[श्री अध्यक्ष—]

उत्पन्न हो गया है तथा अकस्मात कालेज बन्द कर देने से सैकड़ों छात्रों का अध्ययन अधूरा रह गया है जिससे कि उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो गया है . . .'

माननीय मंत्री जी कब इस पर वक्तव्य देंगे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

२ तारीख को।

श्री अध्यक्ष—

यह २ तारीख को लिया जायेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

एक हमने प्रभुदत्त जी की गिरफ्तारी से सम्बन्धित दिया था, जेल में उनको अनेकों यातनायें दी जा रही हैं। पहले ऐसे कई उदाहरण हैं कि आपने एक से ज्यादा नियम ५२ के प्रस्तावों को स्वीकार किया है। सरकार ऐसे सन्तों को बन्द करके जनरोष को बढ़ा रही है और आग में घी डालने का काम कर रही है।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

पंचायत मंत्री अनशन कर रहे हैं, उस सम्बन्ध में बयान दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार एक ही स्वीकार हो सकता है, मेरी मजबूरी है।

विधायकों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब कुछ सूचनायें मुझे देनी हैं। माननीय विजय सिंह ने सूचना दी है कि "मैंने भारतीय जनसंघ की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है और विधान सभा में भी उसी दल के सदस्य के नाते काम करने लगा हूं। आपसे प्रार्थना है कि मुझे सदन में तदनुसार मान्यता प्रदान करने की कृपा करें तथा इसकी घोषणा आदरणीय सदन में करने की कृपा करें।"

माननीय रतीपाल ने लिखा है कि उन्होंने संयुक्त सो० पा० से त्यागपत्र देकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लिया है। विधान मंडल व पार्टी से उनके त्यागपत्र के कारण उन्हें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विधायक माना जाय।

माननीय दीपनारायण सिंह लिखते हैं कि मैं सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया हूं। अतः मुझे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में विधान सभा में समझा जाय।

विविध विषय

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

श्रीमन, मैंने दफा ५३ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया था . . .

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने देखा नहीं है, वह कार्यालय में है।

विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति का प्रतिवेदन

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन, मैं आपसे जानकारी चाहता था कि विधान सभा सचिवालय के पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन रक्खा गया था उसके सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है और न ही उसके लिये समय का निर्धारण किया गया है। मुझे आज जानकारी हुई है कि उसे शायद आपने माननीय राज्यपाल को भेजा है। मैं इस सम्बन्ध में दो बातें जानना चाहता था। राज्यपाल को आपने किस रूप में भेजा है और दूसरी बात यह कि उसमें दो कमेटी बनाने के अधिकार आपको मिले थे, एक वित्त समिति और दूसरी थी नियुक्ति समिति। मैं चाहता था कि आप दोनों समितियों की घोषणा कर दें और जो आपका यश है उसका मान यहां के सचिवालय के कर्मचारियों को भी हो जायेगा। मैं आपके जरिये राज्यपाल महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उसको जल्दी लागू कर दें। उसे जल्दी लागू कर देने से ही इस प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों को उससे लाभ हो सकेगा, नहीं तो उसके अभाव में नुकसान ही हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में अनुच्छेद १८७ के अन्तर्गत कानून, अधिनियम बनाने, विधि द्वारा सेवाओं को संचालित करना या नियमों द्वारा करना, ये दो अधिकार दिये गये हैं। मैंने इस आदरणीय सदन के अन्दर कहा था कि अगर सरकार समय नहीं देगी तो मैं प्रतिवेदन को अपनी सहमति सहित भेज दूंगा। तो मैंने उसको माननीय महामहिम राज्यपाल के पास लिखकर भेजा है। मैं इस प्रतिवेदन से साधारणतया सहमत हूं और चाहता हूं कि आप इसे कार्यान्वित करें।

अब आपने जो दूसरी बात उठाई कि जल्दी किया जाय। इसमें तो आप लोग खुद कह सकते हैं या कहिये तो मैं भी खुद निवेदन कर दूं। मैंने तो निवेदन कर दिया है। मैंने कहा है कि कार्यान्वित करने की कार्यवाही की जाय उसी रूप में जिस रूप में प्रतिवेदन था और अपनी साधारण सम्मति प्रकट करते हुए मैंने भेजा है।

हायर जुडिशियल सर्विसेज के सम्बन्ध में हाई कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न परिस्थिति पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में जानकारी

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन, आपकी आज्ञा से मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है हायर जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, वह यह कि हाई कोर्ट का एक निर्णय हो चुका था जिसमें उनका अप्वाइन्टमेंट अल्ट्रा-वायरस या नियम विरुद्ध करार दिया गया था। उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में है। अभी उसने कोई फैसला नहीं दिया है। हम इस भ्रम में हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसी हाई कोर्ट वाले फैसले को पुष्ट किया तो जुडिशियल सिस्टम की क्या स्थिति हो जायगी, जो निर्णय दिये गये उनकी क्या स्थिति होगी। क्या सरकार इसके बारे में सोच रही है जिससे यह संकट दूर हो जाय? अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया तो मेरी और आपके दश की बात नहीं रहेगी। हमारी प्रार्थना है कि सरकार इसके बारे में प्रकाश डाले।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)--

जहां तक इस सदन का सवाल है वह सक्षम नहीं है। संविधान के अन्दर संशोधन करना होगा और हमारी प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इसमें संशोधन किया जाय। इससे जो निर्णय जजेज ने दिये हैं, उन पर विपरीत प्रभाव न पड़ सके। माननीया मुख्य मंत्री जी इसी कार्य से गयी हैं, वे अभी नहीं आ पायी हैं। माननीय न्याय मंत्री जी भी गये थे। केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया जा रहा है कि उसको वेलीडेट कर दिया जाय। केन्द्रीय सरकार इस पर विचार कर रही है। यहां पर उसके बारे में कोई प्रस्ताव कर लेना या कोई नियम बना लेना सदन की क्षमता के बाहर होगा।

२८ जुलाई, १९६६ के गृह मन्त्री के वक्तव्य का शोधन

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय, मंगलदेव, भीमा प्रसाद तथा दौलतलाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण नोटिस में अन्य बातों के अतिरिक्त यह कहा गया था कि "वह भी (खाना) दिन में ४ बजे शाम और रात को १२ बजे दिया जाता है।" उस नोटिस में आगे कहा गया था कि "उक्त शिकायतों को दूर करने के लिये ३१५ राजनीतिक बन्दियों ने २४ घंटे का अनशन किया।"

इस सम्बन्ध में सदन में २८ जलाई, १९६६ को वक्तव्य दिया गया था कि "शाम का खाना केवल पहले दिन अर्थात् १२ जुलाई, १९६६ को देर से ११ बजे रात तक जरूर बटा क्योंकि उस दिन बन्दियों के जत्थे १० बजे रात के बाद तक आते रहे और सब को भोजन दिया जाता रहा।" इस वक्तव्य में आगे यह भी कहा गया था कि "बन्दियों ने, जिनकी संख्या ३१५ थी, अनशन की सूचना दिनांक १३ जुलाई, १९६६ की रात को ८ बजे दी जब कि पका हुआ खाना उनके वार्डों में पहुंचा दिया गया था। बहुतों ने तो यह कहा कि उस दिन का खाना दोपहर को देर से खाया था तथा भूख के कारण अधिक भी खा लिया था। अतः खाने की इच्छा नहीं थी। दिनांक १४ जुलाई, १९६६ के अपराह्न में जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट के समझाने पर सबने अनशन तोड़ दिया।" वक्तव्य के उक्त अंश ठीक नहीं थे जिसका बाद में पता चला। पहले अंश का सही रूप इस प्रकार है :--

"शाम का खाना केवल पहले दिन अर्थात् १२ जुलाई, १९६६ को देर से ११ बजे रात तक जरूर बटा क्योंकि उस दिन बन्दियों के जत्थे ८ बजे रात तक आते रहे और सबको भोजन दिया जाता रहा।"

दूसरे अंश का सही रूप इस प्रकार है--

"१३ जुलाई, १९६६ को रात में ८ बजे जब भोजन ३१५ आन्दोलनकारी बन्दियों के वार्डों में भेजा गया तो कुछ से जेलर को सूचना मिली कि वे अनशन करेंगे, कुछ ने खाना खाया और कुछ ने भूख न होने के कारण उस समय खाने की इच्छा न होना बताया। दूसरे दिन दिनांक १४ जुलाई, १९६६ को दिन में लगभग १०-३० बजे इन आन्दोलनकारी बन्दियों के अनशन करने की लिखित सूचना दो शिकायती पत्रों के माध्यम से जेलर को मिली। इस पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की गयी और उसी दिन अपराह्न में जेल सुपरिंटेंडेंट के समझाने पर सबने अनशन तोड़ दिया।"

मूल नोटिस तथा इस पर दिये गये वक्तव्य की प्रतियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 5 आग पृष्ठ १४४ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो सदन में पहले सूचना दी थी वह गलत निकली। श्रीमन्, आपने कई बार सरकार को सूचित किया है कि उनके जो अधिकारी गलत सूचना देते हैं और अगर यह निश्चय हो जाय कि वह सूचना गलत थी, तो उस अधिकारी को सजा दी जाय। तो माननीय मंत्री जी ने गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या ऐक्शन लिया ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

यह बात सही है कि वह सूचना गलत थी। ११ बजे के बजाय ८ बजे लिख दिया था। उसके लिये उसको तम्बीह दे दी जायगी।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन में पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १४६ पर)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ सदन में पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ सदन में पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ १४९ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन में पुरःस्थापित करने के हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुर:स्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ १५२ पर)

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य तथा उस पर चर्चा

श्री अध्यक्ष---

अब हम मद नम्बर ३४ पर विचार करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, आप की ओर से जो कार्यक्रम समय के वितरण का बना है उसमें सूखे की स्थिति पर विचार के लिये केवल एक दिन का समय रखा गया है। यहां के ४१ जिलों पर सूखे का प्रभाव है, ८८ हजार गांव उससे प्रभावित हैं और साढ़े ४ करोड़ जनता उससे त्रस्त है और एक दिन का समय इस समस्या पर विचार के लिये जो दिया गया है वह बहुत ही कम है। इस पर इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्यों को अपनी राय जाहिर करने की इच्छा है, इसलिये आप क्षमा करें, आप को इस पर स्वयं अधिक समय निर्धारित करना चाहिये था और सरकार की ओर से यदि प्रतिबन्ध लगाया गया तो आप को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिये था लेकिन आप ने १ दिन ही समय निश्चित किया है, ,अतः आप से आग्रह है कि यह बहस कम से कम ३ दिन कराई जाय।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैंने भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि इस विषय के लिये तीन दिन से कम समय काफी न होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि यह सही है कि इस विषय पर माननीय विरोधी दल के नेता और एस० एस० पी० के नेता काफी दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि सूखे की स्थिति पर ज्यादा से ज्यादा विचार किया जाय। आज के बाद कल के लिये आप ने दूसरा आइटम रखा है और मैं समझता हूं कि अब आखिर में उस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और कल भी इसी पर विवाद हो और अविश्वास के प्रस्ताव पर केवल वोट ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष---

नहीं नहीं, यह कैसे ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

वह तो हमारे ऊपर छोड़ें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मंत्री जी के कहने से यह बात तो स्पष्ट हो गई कि वह समय बढ़ाने से तो सहमत हैं, वह कब बढ़ाया जाय केवल इतना सवाल है।

श्री बनारसीदास---

मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की थी, मैं अर्ज कर रहा था कि जैसी कि माननीय सदस्यों की राय है वैसे आप कल तक के लिये ही रख लें। बाकी उसके बाद तो मैं जानता हूं कि

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी, इसके लिए आग्रह कर रहे हैं लेकिन उनका कार्य भी बड़ा अधिक है और उनकी चिन्ताएं भी दूसरी जगह होंगी। इसलिए मैं चाहता हूं, और आपसे अनुरोध है कि इसको कल तक के लिए रख लिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, ये अपनी चिन्ताओं से सदन को चलायेंगे नहीं और इन्हें हमारी चिन्ताओं की फिक्र पड़ी है।

श्री अध्यक्ष---

इन छोटी छोटी बातों को छोड़िए।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, आपने एक दिन का समय रखा था लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी नहीं मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

इसमें कोई भी झगड़ा नहीं है। आप समय मांग रहे हैं। ये कहते हैं २ दिन का समय दे दिया जाय और आप कहते ह कि ३ दिन। अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, सूखे पर जो माननीय मंत्री जी का बयान होगा, उससे काम नहीं चलने वाला है। इस पर माननीय उग्रसेन जी के प्रस्ताव पर जब बहस होगी तभी एक नतीजा निकलेगा और सारे प्रदेश के सूखे की सही तस्वीर, और जो भुखमरी प्रदेश में है, उसकी सही तस्वीर सामने आयेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव पर विचार करवाइये ?

श्री अध्यक्ष---

इस समय केवल प्रश्न यह है कि कितना समय दिया जाय। आज ४ बजे से ६ बजे तक तो छात्रों का विषय है। यदि आप चाहते हैं तो इसे २ बजे से ४ बजे तक और ६ से ७ बजे तक आज कर लें और कल आप दिन भर लें और कल सायंकाल दूसरा प्रश्न जो है उसको ५ बजे ले लें और ७ बजे तक समाप्त कर लें। इस प्रकार २ दिन आपको मिल जायेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, जो आपके विरुद्ध प्रस्ताव है, उस पर ७ बजे तक ही नहीं अपितु रात के १२ बजे तक बहस होगी।

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, यह तो सदन तय करेगा।

श्री अध्यक्ष---

अब उनका मन है। मैं कहता हूं माननीय उग्रसेन जी से कि केवल ७ बजे से १२ बजे तक ही नहीं दूसरे दिन ७ बजे शाम तक बहस कीजिए ?

श्री उग्रसेन---

हाउस आफ कामन्स में तो यहां तक हुआ कि जब घड़ी बढ़ने लगी तो उसे पीछे कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष---

तो आज और कल शाम को दूसरे विषय ले लेंगे।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आपके कार्यक्रम में यह है कि माननीय मंत्री का वक्तव्य और सूखे पर बहस। माननीय नेता विरोधी दल भी यही चाहते हैं कि इस पर एक दिन नहीं बल्कि ३ दिन बहस हो। मेरा सुझाव यह है कि जो मंत्री लोग यहां पर गला फाड़ फाड़ कर बातें करते हैं वे जरा जाकर देखें कि देवरिया में, बांदा में, मिर्जापुर में भुखमरी फैली हुई है। सारे सदन का निश्चित मत यह है कि सारे प्रदेश को अकाल पीड़ित घोषित किया जाय और इस पर बहस के उपरान्त वोटिंग होनी चाहिये। श्रीमन्, आपने भी देखा होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि प्रदेश की क्या हालत है। आप इस प्रस्ताव पर बहस करवाइये वरना इस मामले में कुछ नहीं होगा। अगले महीने में यह विश्वास कर लिए कि इस प्रदेश की १०—१५ लाख जनता भूख से मर जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसके पहले कि माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ कहें, मैं चाहूंगा कि सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर माननीय मंत्री जी यह घोषणा कर दें कि वे १६ आने छट देंगे, अलावा सर्चार्ज के।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

श्रीमन्, यह नहीं हो सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह मानते हुए कि ४१ जिलों में ८८,९६१ गांवों में अकाल की स्थिति है तो फिर सरकार को क्या एतराज है।

श्री उग्रसेन—

जब अकाल कानून लागू हो जायगा तो सरकारी रकम माफ हो जायगी, जगह-जगह खाने का प्रबन्ध होगा। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है।

श्री अध्यक्ष—

कुछ कहना है सरकार की ओर से इस प्रस्ताव के संबंध में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वक्तव्य के ऊपर बहस कराइये।

श्री उग्रसेन—

इस पर बहस से क्या लाभ जब तक कि हमारा प्रस्ताव न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस समय मंत्री जी अपना बयान पढ़ें। उस पर दो दिन बहस होगी उसक बाद फिर हम बिचार कर लेंगे।

श्री उग्रसेन—

क्या बिचार करेंगे आप। जो विषय ६ महीने के अन्दर चर्चित है उस पर प्रस्ताव नहीं लिया जा सकेगा नियमावली के अनुसार। इसलिये हम कहते हैं कि हमारी मांग जायज है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिये। सरकार कहती है कि किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। २० रुपया दिये हैं एक कानूनगो को इसलिये कि उसके हल्के में कोई आदमी भूख से न मरने पाये। सरकार बिल्कुल झूठा नाटक रच रही है इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगले दो महीने

के अन्दर १०, १५ लाख आदमी इस प्रदेश में भूख से मरेंगे। हमने देवरिया के कलेक्टर को कह दिया है कि अगर एक भी आदमी भूख से मरा तो उसकी लाश को तुम्हारे बंगले में लाकर फूकेंगे और फिर तुम्हारे डंडे और गोली को देख लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय उग्रसेन हवा न बांधें, जिम्मेदारी के साथ बात करें।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रस्ताव रखा गया है इसकी आप सूचना हमें दे देते, मैं सरकार के पास भेज देता, वह इसके ऊपर विचार करती।

श्री उग्रसेन—

मैंने दो कापी दी हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब इस समय कुछ नहीं हो सकता। मेरे सामने यह साढ़े ११ बजे रखा गया। मैंने सरकार के पास उस प्रस्ताव को विलम्ब से मिलने के कारण नहीं भेजा है। अतः बिना नोटिस के मैं बहस कराने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उग्रसेन—

तो आपने मंत्री जी से क्यों पूछा।

श्री चन्द्रबली सिंह—

मंत्री जी अपनी कठिनाई बतावें इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये। क्या प्रदेश में अकाल की स्थिति नहीं है ? वह बतावें। तब उस पर विचार हो।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप सवेरे देते तो ठीक था। आपने ११ बजे के बाद दिया और कहते हैं कि बहस हो। तो फौरन बहस नहीं हो सकती। मुझे अफसोस है कि मैं इस समय इसको स्वीकार नहीं कर सकता। जो कार्यक्रम निश्चित है उसके अनुसार कार्यवाही होगी। इसकी सूचना न आने के कारण इस समय मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष जी, सदन की परिपाटी रही है कि सरकार की ओर से जो चर्चा का विषय होता है उसमे संशोधन करने का अधिकार सदन के सदस्यों को आप देते रहे हैं। जो यह विषय आप ले रहे हैं उस पर संशोधन ११ बजे के बाद दिया है और दो घंटे से अधिक समय हो चुका है। मंत्री जी की ओर से जो सूखे के विषय पर बुलेटिन छपा है उसमें एक लाइन और हम जोड़ देना चाहते हैं कि इस प्रदेश को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय और इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं पड़ती। इससे तो जो बात मंत्री जी कहेंगे और जो बात प्रदेश की स्थिति के बारे में हम कहने जा रहे हैं उन दोनों में सामंजस्य हो सकेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार यहां की स्थिति को छिपाती है जब कि बिहार की स्थिति यह है कि वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करके केन्द्र से ज्यादा सहायता लेती है। अलबत्ता सरकार को अधिकार है कि हम जो संशोधन रखना चाहते हैं उसे वह अपने बल पर अस्वीकार कर दे लेकिन इसे रखने के लिये आपको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रस्ताव रखा आज अगर वह चर्चा का विषय बन जाय तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। मंत्री जी का जो वक्तव्य है उसमें कोई निश्चित सुझाव नहीं है, न सदन उससे किसी निश्चित निष्कर्ष पर आने वाला है। ऐसे निरर्थक वक्तव्य पर बहस करने के बजाय तो इस प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिये कि प्रदेश अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि वक्तव्य के बाद यह प्रस्ताव ले लिया जाय जो सार्थक है, महत्वपूर्ण है प्रदेश की स्थिति को देखते हुए।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसलिये विरोध करता हूं कि इससे पेनिक क्रियेट होगा (व्यवधान) कोई नहीं मर रहा है।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी की यह गलत सूचना है। मंत्री जी विरोध करें मगर वह जो यह कह रहे हैं कि भूख से कोई नहीं मरा यह गलत कह रहे हैं। (व्यवधान) डाक्टर सीताराम, माननीय गैंडासिंह जी हमारे साथ चलें। मैं उन्हें दिखा दूंगा मेजा में, करछना में देवरिया में परासी चकलाल थाना लार में सुखदेव हरिजन की स्त्री ४ दिन हुए भूख से मर गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं इस प्रस्ताव का विरोध इसलिये करता हूं कि यह बिला वजह पैनिक क्रियेट करेगा देश और तमाम प्रदेश भर में। दूसरी बात यह है कि आज एकदम से एक प्रस्ताव आ गया। हम कैसे उसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। आप एक प्रस्ताव भेजिये तो अध्यक्ष महोदय रूल के मुताबिक उसको ऐडमिट करेंगे या रिजेक्ट करें। उस वक्त वह हमारे पास आ जायगा और गवर्नमेन्ट भी उसके बारे में पूरी तरह से तैयार हो जायगी। आंखमुदा खेल नहीं खेला जाता।

श्री उग्रसेन—

इतने बड़े लोक महत्व के प्रश्न पर तो एक सेकेन्ड भी नहीं लगना चाहिये एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिये। लोक कल्याणकारी राज्य का यही कर्त्तव्य नहीं है कि वह केवल न्याय दे सके बल्कि जनता समझ सके कि यह लोक कल्याणकारी राज्य न्याय को देती है। हम भूखों मर रहे हैं और यहां व्यवस्था का सवाल उठाया जा रहा है। गैंडा सिंह जी के इलाके में केकड़ा तक खाने को नहीं मिलते।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

इस प्रस्ताव के बारे में आपको निश्चय करना है। इसमें कोई समय भी नहीं दिया है कि किस समय दिया जाय, कभी भी आपको दे सकते हैं। और इसको स्वीकार करना या न करना मंत्री जी की मर्जी पर नहीं है, आप स्वयं सक्षम हैं। यह इतना बड़ा सवाल है जो कभी भी उठाया जा सकता है। इसे आप स्वीकार करें और मंत्री जी को मजबूर करें कि इस पर बहस करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहूंगा। राजस्व मंत्री जी ने एक दलील दी कि क्यों यह प्रस्ताव इस समय न लिया जाय और यह कहा कि इससे पैनिक क्रियेट हो जायगी। जितनी चीजें उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखी हैं वह अपनी पोजीशन को बचा कर लिखा है और उसमें एक चौथाई ही सच होंगी। यह प्रस्ताव इतना गंभीर है कि इस पर बहस करने से कौन-सी नयी स्थिति सामने आ जायगी जो पैनिक क्रियेट हो जायगी। पैनिक तो वैसे ही क्रियेटेड है। आप स्वयं विवेक इस्तेमाल करें और हम लोगों को आज्ञा दें कि हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

मैं आपसे कहना चाहता था कि हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है वह नियम १०८ के अन्तर्गत दिया है। और आप नियम १०६ और १०७ देखें। उसमें लिखा है कि जो लोक हित का विषय हो उस पर चर्चा इस सदन में हो सकती है। यह प्रस्ताव नियम १०८ के बिल्कुल अनुरूप है। नियम १०९ में आपको अधिकार मिला हुआ है कि उसको आप स्वीकार करें। राजस्व मंत्री जी ने चर्चा करने का अधिकार दिया है। यह किस नियम के अन्तर्गत दिया है यदि वे नियम बता दें तो हम पूछें कि संशोधन क्यों नहीं हो सकता है। अगर इस नियम के अन्तर्गत उन्होंने दिया है तो फिर आपको अधिकार मिला हुआ है। जो उनका बुलेटिन है उसमें केवल ऐसी चर्चा है कि तकावी दी जा रही है और वह कैसे दी जा रही है। बस इसी पर चर्चा करके खत्म हो जाता है। नियम १०६ और १०७ लोक महत्व विषयों के बारे में है। इसे आपको स्वीकार करना चाहिये। मंत्री मानें या न मानें, यह आपके अधिकार की बात है।

श्री अध्यक्ष---

(श्री भानुप्रतापसिंह के खड़े होने पर) जितना समय आप लोग सूखे पर बहस में लगा सकते थे वह समय आप इस पर बहस करने में लगा रहे हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

सूखे की बहस बिल्कुल बेकार इस माने में है कि राजस्व मंत्री ने अपना वक्तव्य तो दे दिया है, उसे हम पढ़ सकते हैं। एक निश्चित प्रस्ताव आया है उस पर बहस हो तो सार्थक हो सकता है। सरकार कुछ समय चाहती है। मैं देख रहा हूं कि यदि यह अभी से शुरू हो जाये तब भी केवल ढाई घंटे का समय बच रहा है। आपकी मांग है कि आज बहस न करें तो मैं चाहता हूं कि आज इसको मुल्तवी कर दिया जाय और कल इसी प्रस्ताव पर बहस हो जाये। सरकार को तैयारी करने के लिये समय दे दिया जाये।

श्री बनारसीदास---

अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय भानुप्रतापसिंह जी का प्रस्ताव मान लिया जाये तो इसका अर्थ है कि आज सदन स्थगित कर दिया जाये। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम ११३ के अनुसार कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर सूचना दिये बिना ही विचार किया जा सकता है और १०७ में लिखा है कि "नियम ११३ में उपबंधित अवस्था को छोड़कर प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जायेगी और सचिव को सम्बोधित होगी।" यह समय पर नहीं दिया गया है और स्थिति की गंभीरता को समझ कर आज सरकार ने..... (व्यवधान)

श्री उग्रसेन---

यह तो फर्जी उड़ा रहे हैं।

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

उन्हें खत्म तो कर लेने दीजिये।

श्री बनारसीदास---

जहां तक इस प्रस्ताव का सवाल है, जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा, हम इसका विरोध करते हैं और माननीय उग्रसेन जी ने जो कहा है उसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। जैसा वे चाहते हैं कि तमाम प्रदेश को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया जाय। यह ठीक नहीं है। उनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। आज जहां तक अकाल की स्थिति का सवाल है, बहस होगी और माननीय सदस्य अपने यहां की समस्या रख सकेंगे। इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जो भी बातें आयेंगी उनकी स्थिति में अगर कहीं फेमिन कोड लागू करना होगा तो सरकार उसको करेगी।

श्री उग्रसेन—

जब सब मर जायेंगे तब करेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए तो सही ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इस तरह से कार्यवाही नहीं चल सकती है । मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से बोलने की आपको अनुमति न दी जाये । यह तो सदन का अपमान करना है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री उग्रसेन—

जी नहीं । यह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अनियमित रूप से बोल रहे हैं ।

श्री उग्रसेन—

सदन में धमकी नहीं दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, धमकी नहीं है ।

श्री बनारसीदास—

मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है कि सदन स्थगित किया जाय । सूखे की स्थिति पर बिचार किया जाये ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

यह जो प्रस्ताव है किस नियम के अन्तर्गत है ?

श्री अध्यक्ष—

आज की बहस जो हमारे सामने है वह सूखे की है । सूखे के संबंध में सरकार अपना दृष्टिकोण और सूचना आपके सामने रखना चाहती है और आपकी सूचना तथा आपके सुझाव लेना चाहती है ताकि एक विस्तृत सूखे की जो अवस्था है उसका किस प्रकार प्रबन्ध किया जाय उसके प्रभावों का किस प्रकार निराकरण किया जाय यह प्रयत्न सरकार का होना चाहिए और है । इसी कारण सूखे का प्रश्न उठाया । अब माननीय उग्रसेन का प्रस्ताव ले लें तो फिर सारा उद्देश्य इस विषय का मारा जायगा ।

श्री उग्रसेन—

नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री उग्रसेन—

बोलना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष---

तो मैं इसको अस्वीकार करता हूं। कारण लिख कर दे दूंगा।

श्री उग्रसेन---

आप तो नाराज हो जाते हैं। आप इस तरह से जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप हमारे प्रस्ताव को लीजिये और रखिए।

श्री अध्यक्ष---

मैं नहीं चाहता कि अन्तिम सत्र में हमारी आपकी ....

श्री उग्रसेन---

हमारी आपकी लड़ाई आखिरी दिन तक होगी।

श्री अध्यक्ष---

हम नहीं लड़ना चाहते। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम भागेंगे भी नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

हम लोगों का क्या होगा आपकी और माननीय उग्रसेन की लड़ाई में?

श्री अध्यक्ष---

हम और आप कभी लड़ेंगे नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

जो यह सरकार का चर्चा का विषय ले रहे हैं यह किस नियम के अन्तर्गत है?

श्री अध्यक्ष---

यह जो बुलेटिन आयी है इसमें यह माननीय रामसुन्दर पाण्डेय शब्द जोड़ना चाहते हैं। तो जो बांटा गया है वह बुलेटिन के रूप में वक्तव्य है इसको बांटने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन सदन के सदस्यों की सुविधा के लिये बांट दिया गया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

किस नियम के अन्तर्गत यह वक्तव्य दिया गया है और उस नियम के अन्तर्गत कहां है कि हम संशोधन नहीं दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---

सरकार अपना बिचार रख सकती है और आपकी राय ले सकती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

नियम आप बताते नहीं हैं। तो हम भी कहते हैं कि यह नियम है कि जब कोई वक्तव्य दें तो हमको उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला हुआ है। इस नियमावली के अन्तर्गत सरकार को अधिकार नहीं है कि जब चाहें तब वक्तव्य दे दें और सदन का कोई सदस्य संशोधन करना चाहे तो न करे।

श्री अध्यक्ष---

मेरा मत यह है कि वर्तमान प्रस्ताव जो माननीय उग्रसेन जी द्वारा दिया गया है वह आज की बहस के सारे उद्देश्य को सीमित करता है और जिस उद्देश्य से यह विषय रखा गया है वह पूरा नहीं करेगा। इसलिये अस्वीकार होता है। माननीय राजस्व मंत्री वक्तव्य दें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

आप हमको बता दें कि किस नियम के अन्दर इस वक्तव्य को ले रहे हैं ?

श्री झारखण्डे राय—

मेरा सुझाव यह है कि कृपा करके माननीय उग्रसेन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और उसी प्रस्ताव पर वक्तव्य पढ़ दें । विवाद हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

नियम ३१७ और ३१९ को पढ़ लीजिये । ३१७ में दिया हुआ है, जिस संबंध में कोई विशेष प्राविधान नहीं हो, उस संबंध में अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उसको विनियमित करेंगे और ३१९ में मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने की व्यवस्था है । तो मंत्री द्वारा वक्तव्य हो रहा है । मैं समझता हूं उसके ऊपर बहस हो जाए ताकि पूरा चित्र सदन के समक्ष आ जाए ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

३१९ आप देखें, उसमें पढ़िये, वह कहां है ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्रियों के विविध वक्तव्य उसमें है । अब राजस्व मंत्री पढ़ें ।

(श्री रामकुमार शास्त्री के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

आप हमारे प्रश्न पर मत ले लीजिए, सदन की राय ले लीजिये । सदन की राय लिये बिना कोई कार्यवाही न करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

श्री उग्रसेन—

मैं क्यों बैठू, काहे बैठूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बैठें ।

श्री उग्रसेन—

आप तो हमारे अधिकारों का हनन करने के लिये प्रार्थना करते हैं, इसलिये मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए या सदन छोड़िये ।

श्री उग्रसेन—

मैं न सदन छोड़ूंगा न बैठूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप नहीं बैठेंगे तो न इच्छा होते हुए भी मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी, जो कार्यवाही मैं नहीं करना चाहता हूं ।

श्री उग्रसेन—

मैं भी मजबूर हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय सदस्य को सदन छोड़ने में मदद करें ।

श्री उग्रसेन—

सारे विरोधी दल ने, नेता विरोधी दल ने, भानुप्रताप जी ने, राय साहब ने कहा. . . .

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल की प्रार्थना पर श्री उग्रसेन सदन से बाहर चले गये ।)

आप सन् ४२ की परम्परा को भूल गये हैं । मेरा एक ऐतिहासिक प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, मैं आदेश देता हूं आप इन्हें सदन से बाहर ले जाएं ।

(श्री अध्यक्ष के आदेश से मार्शल हाउस गार्डस् के सहायता से श्री उग्रसेन को सदन से बाहर ले गये ।)

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, क्या बात है, आज आपको गुस्सा बहुत आ रहा है ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

आपकी ओर से सदन में जो अव्यवस्था हो रही है जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के सारे जिलों से संबंध रखता है, जो सही मानों में एक सही प्रस्ताव है, और माननीय मंत्री महोदय का जो वक्तव्य है वह एक बड़ा गड़बड़ घोटाला है, उससे साफ जाहिर नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और वे केन्द्रीय सरकार से क्या मांग कर रहे हैं । वह लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि आगे से प्रदेश में सूखा नहीं रहेगा, यह कैसे हो सकता है बिना कोई कारगर उपाय किये हुए । मैं नहीं समझता हूं कि वह किसी नियमावली के अन्तर्गत है, जब वह नियमावली के अन्तर्गत नहीं है . . . . .

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने कह दिया कि वह नोटिस के बाद ही आना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

१०८ में अधिकार मिला हुआ है, उसका उपयोग हर माननीय सदस्य कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको सूचना देनी चाहिये, वह नहीं है, इसलिये यह नहीं आ सकता ।

वह विषय समाप्त हो गया, आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप तो सदन में विरोधी दलों की बातों पर विचार करते रहे । आज क्या बात हो गयी । १०८ और ११३ में अन्तर है ।

श्री अध्यक्ष—

उस पर इस समय बहस नहीं होगी, आप कृपा करके बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप मेरी बात तो सुनिये ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, समय नष्ट हो रहा है। आप कृपा करके बैठ जाइये । वह विषय समाप्त हो गया । और अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन को छोड़ दीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

छोड़ना अगर आप चाहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन आप को वह सदन की बात कहां चली जायगी। यह मेरा अकेला निवेदन नहीं है, जितने विरोधी दल के लोग हैं सबका एक मत से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपने सदन के विरोधी दलों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया है और आपकी यह परिपाटी रही है कि विरोधी दलों के नेताओं की . . .

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त और कुछ नहीं होगा, वह विषय समाप्त हो चुका, आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपको जरा सा उदार होना चाहिये जब सारे विरोधी दल के लोग एकमत से एक बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस वक्त उस बात को नहीं मान सकता क्योंकि वह विषय समाप्त हो चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

केवल कांग्रेस पार्टी की और सरकार की हिफाजत नहीं होनी चाहिये, जनता की हिफाजत होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप सदन को छोड़ दें या बैठ जायं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप भी सरकार के इशारे पर चलना चाहते हैं तो मैं यह आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैं और हमारे दल के लोग आध घंटे के लिये सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। आप अपनी कार्यवाही अनमाने ढंग पर सरकार की हिफाजत करते हुये चलाइये ।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बारिश जून के अन्त में आरम्भ हो गई थी। किन्तु जुलाई के पहिले सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह के आरम्भ तक बारिश नहीं हुई और इससे चिन्ता होने लगी थी लेकिन उसके बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह तक वर्षा सन्तोषजनक होती रही और सारी चिन्ता दूर सी हो गई। अभाग्यवश अगस्त के तीसरे सप्ताह के बाद वर्षा फिर करीब-करीब बन्द सी ही हो गई जिससे खरीफ की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। प्रदेश में वर्षा की स्थिति को निम्न आंकड़े स्पष्ट कर देते हैं :

माह	सामान्य वर्षा मिलीमीटर में	वास्तविक औसत वर्षा मिलीमीटर में	अन्तर
१	२	३	४
मई ..	१४.८०	२०.१५	+५.३५
जून ..	९७.१	१७६.९६	+७९.८६
जुलाई ..	२९४.७०	१७८.९९	−११५.७१
अगस्त ..	२९१.६०	३३०.१७	+३८.५७
सितम्बर ..	१७८.९०	५०.६२	−−१२८.२८
अक्तूबर ..	३३.१०	१५.००	−−१८.१०
नवम्बर पहला सप्ताह ..	शून्य	..	..
नवम्बर दूसरा सप्ताह ..	..	११.५८	..

सितम्बर व अक्तूबर में वर्षा इतनी कम रही कि रबी की बोआई कठिन हो गई और बहुत से क्षेत्र में बोआई न हो सकी। लेकिन फिर नवम्बर के दूसरे सप्ताह में वर्षा हो जाने से इस क्षेत्र के एक काफी अच्छे हिस्से में रबी की बोआई हो रही है।

२—सूखे से प्रदेश के एक बहुत बड़े भाग में खरीफ की फसल में कुंआरी तथा अगहनी धान, गन्ना, दालें तथा अन्य प्रकार के मोटे अनाजों को अधिक क्षति पहुंची। सूखे का प्रदेश के ४१ जिलों पर प्रभाव पड़ा और लगभग ८८,९६१ गांवों की फसलों को नुकसान पहुंचा। प्रभावित जन-संख्या का अनुमान लगभग ४ १/२ करोड़ के है। नवम्बर में वर्षा हो जाने से आने वाले समय के लिये कुछ आशा बंधी है कि रबी की फसल अगर इतनी बुरी न होगी जितना होने का उसके बारे में नवम्बर के शुरू में डर था। लेकिन अब भी रबी का उत्पादन बहुत कुछ जाड़े की वर्षा पर निर्भर रहेगा।

३—सरकार सूखे के बारे में बराबर सतर्क थी और जैसे ही ऐसा मालूम होने लगा कि सूखे से खरीफ की फसल को भारी क्षति पहुंची रही है सरकार ने अपना पहला आदेश २२ सितम्बर को भेज दिया और २४ जिलों में वसूली बन्द कर दी। उसके बाद सभी जिलों की स्थिति का अध्ययन किया गया और अक्तूबर के प्रथम पक्ष में मन्त्रि-मण्डल ने इस पर विस्तृत रूप से

(इस समय १ बज कर ४४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद पीठासीन हुये।)

[श्री रामकुमार शास्त्री]

विचार करके अपने भविष्य के कार्यक्रम को रूपरेखा बना ली। निश्चित कार्यक्रम को पूरा करने में कोई विलम्ब न हो इसके लिये एक एमर्जेंसी कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई जिसमें सम्बन्धित विभागों के सचिव तथा कुछ विभागाध्यक्ष सदस्य रखे गये। यह बराबर कमेटी काम कर रही है। स्थिति की गम्भीरता से तथा उसका मुकाबला करने के लिये प्रदेशीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना भारत सरकार के पास भेजी गई। केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा केन्द्र के मन्त्रियों से वार्ता करके उसको अन्तिम रूप दिया गया और अब एक योजना बद्ध तरीके से सरकार बराबर काम कर रही है। इस योजना की मुख्य बातों को नीचे दिया जा रहा है :

कृषि उत्पादन---रबी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह निश्चय किया गया कि मैक्सीकन गेहूं का क्षेत्रफल प्रदेश में ४ लाख एकड़ से बढ़ाकर ५ लाख एकड़ कर दिया जावे, कानपुर ६८ का क्षेत्रफल पौने २ लाख एकड़ से बढ़ाकर ४ लाख एकड़ कर दिया गया। शंकर मक्का और टाइचून धान को जायद/खरीफ फसल में क्रमशः ३ १/२ और १ लाख एकड़ पर बोया जावे और आलू के क्षेत्रफल में भी लगभग १ १/२ लाख एकड़ से वृद्धि की जावे। इस तरह से इस साल ५ लाख एकड़ में आलू बोने का प्रोग्राम है। इसके अतिरिक्त एक बड़े पैमाने पर तरकारी बोने का कार्यक्रम लिया गया है और लगभग साढ़े तीन लाख किलो तरकारी का बीज रियायती दरों पर इस कार्य के लिए पूरे प्रदेश में बांटा गया है।

सूखे के कारण फसल में बीमारी लगने का अधिक भय रहता है। बीमारी से बचाने के लिए सरकार द्वारा लगभग ७० लाख रुपया लगाकर दवाई और छिड़कने वाली मशीनों का प्रबन्ध किया जा रहा है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद पर भी लगभग २ करोड़ रुपया अधिक व्यय किया जा रहा है।

सिंचाई योजना—सिंचाई को इस वर्ष की योजना में काफी महत्व दिया गया था। सूखे की स्थिति होने पर सिंचाई-साधनों को और बढ़ाने का निश्चय किया गया। बोरिंग के ७० हजार के लक्ष्य को बढ़ाकर इस वर्ष के लिए १ लाख किया गया है और अब १२,००० प्राइवेट ट्यूबवेल के बजाय १५,००० ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं। १०,००० प्राइवेट ट्यूबवेल्स/पम्पिंग सेट को बिजली देने का लक्ष्य था इसको बढ़ाकर अब १७,००० किया गया है। सरकारी ट्यूबवेल्स की नालियों में बढ़ोत्तरी करने के लिए और उन्हें ठीक कराने के लिए और रुपया इस विभाग को दिया गया है। ८० सरकारी ट्यूबवेल्स और बनाने का निश्चय किया गया है। लगभग १,००० छोटे पम्प सरकार ने इसलिये लिये हैं कि उनके द्वारा नदी और बड़े-बड़े तालाबों से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सिंचाई की सुविधा दी जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार ने १० लाख कच्चे कुयें खुदवाने का लक्ष्य रक्खा है और उसके लिए प्रत्येक कुयें पर २० रु० का अनुदान दे रही है। यह सुविधा उन छोटे-छोटे किसानों के लिए रक्खी गई है जो पक्के कुयें नहीं बनवा सकते और इसीलिये इसमें यह रखा गया है कि यह अनुदान केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके पास ५ पक्के बीघे से भूमि कम है और किसी एक खातेदार को अधिक से अधिक दो कुओं के लिये अनुदान मिल सकता है।

इन सब कार्यों को करके सरकार का इरादा है कि हमारी वर्तमान रबी और अगली जायद की फसलों में अधिक से अधिक अन्न उत्पादन किया जाये और खरीफ में आई कमी को ज्यादा से ज्यादा पूरा कर लें।

सहायता कार्य—जैसा ऊपर कहा जा चुका है सरकार ने २२ सितम्बर, १९६६ को ही प्रदेश के २४ जिलों में मालगुजारी, नहर शुल्क और तकावी की वसूली बन्द

कर दी थी। स्थिति में सुधार न होने के कारण सरकार ने ऐसे सभी प्रभावित क्षेत्रों के लिए, जहां सूखे से अधिक हानि हुई है, आदेश दे दिये हैं कि पुरानी मालगुजारी की बकाया और मालगुजारी के अधिभार की वसूली ऐसे क्षेत्रों में स्थगित रहेगी। नियमों में कलेक्टरों को यह अधिकार है कि वर्तमान मालगुजारी की मांग को प्रभावित क्षेत्रों में वे स्थगित कर सकते हैं और उनसे ऐसा करने के लिए कह दिया गया है। हानि की विस्तृत रिपोर्ट आने पर सरकार इस बारे में आगे आदेश देगी।

लोगों को काम देने के लिये सरकार ने इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर और देवरिया में टेस्ट वर्क्स खोलने का प्रबन्ध किया। प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद में २६ टेस्ट वर्क्स, मिर्जापुर में ३४ टेस्ट वर्क्स, बांदा में १० टेस्ट वर्क्स और देवरिया में २ टेस्ट वर्क्स चालू हैं। इनमें ३५,२४४ लोगों को काम मिला है और सरकार इन जिलों के लिये २२,९१,००० रु० स्वीकृत कर चुकी है। सरकार ने वाराणसी को १ लाख रुपया, फतेहपुर को ३० हजार रुपया, गाजीपुर को ५० हजार रुपया और बस्ती को ५० हजार रुपया, गोरखपुर को १० हजार रुपया तथा झांसी को ५० हजार रुपया टेस्ट वर्क्स चालू करने के लिए स्वीकृत किया है। इस प्रकार शासन प्रदेश में टेस्ट वर्क्स चालू करने के लिए अभी तक २५,८१,००० रु० स्वीकृत कर चुका है। अन्य जिलों में भी यथाआवश्यक काम चालू किये जावेंगे। जहां-जहां टेस्ट वर्क्स चालू है वहां सस्ते गल्ले की दूकानों का भी प्रबन्ध कर दिया गया है। ताकि काम करने वालों को गल्ला मिल सके। ऐसी जगहों पर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी विशेष व्यवस्था की गई है।

सरकार ने तकावी के लिये २ करोड़ रुपया परिषद, के माध्यम से जिलों को दिया है और उसका वितरण बराबर जारी है। इसके लिये यदि और आवश्यकता हुई तो रुपया दिया जावेगा। जिला अधिकारियों को ४२,००,००० रुपये अहेतुक सहायता के लिए दिया जा चुका है। जैसे-जैसे इसकी और आवश्यकता हो रही है उन्हें यथासम्भव रुपया देने का क्रम जारी है। इसके अतिरिक्त १ लाख १३ हजार रुपया गरीब विद्यार्थियों की सहायता के लिए भी प्रभावित जिलों के जिला अधिकारियों को दिया जा चुका है।

इलाहाबाद जिले में केयर संस्था द्वारा बच्चों को दूध बांटने की योजना चल रही है। यह १५ नवम्बर, १९६६ को समाप्त होने वाली थी लेकिन स्थिति को देखते हुये इसे अब अगली गर्मी तक बढ़ा दिया गया है। मिर्जापुर और बांदा के जिलों में भी इस योजना को पूरी-पूरी चलाने के लिए वह संस्था राजी हो गई है और ऐसी आशा है कि शीघ्र ही यह कार्य चालू हो जावेगा। इस योजना से इस जिले के छोटे-छोटे बच्चे, गर्भवती व छोटे बच्चों की माताओं को लाभ पहुंचेगा। अन्य जिलों को ३०० टन दूध पाउडर और ७० टन बिस्कुट, जो केन्द्र से आये थे, दिये जा चुके हैं। १,००० टन गेहूं भी मुफ्त बांटने के लिए इलाहाबाद, बांदा और मिर्जापुर जिलों को दिया जा चुका है। इसके अलावा गैर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करके बराबर प्रयास किया जा रहा है कि वे अपने साधनों से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता-कार्य करें।

खरीफ की फसल खराब होने के कारण प्रदेश में खाद्यान्नों की कमी है। बराबर कोशिश की जा रही है कि केन्द्र से मिलने वाला कोटा बढ़े ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। प्रदेश का सामान्य कोटा ५०,००० टन है। नवम्बर में हमें ६७,००० टन मिला है। दिसम्बर के माह के लिए इस कोटे को ९०००० टन कर दिया गया है। इसे और बढ़वाने की जरूरत है और इस ओर सरकार बराबर कोशिश कर रही है।

कुछ प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में या उससे पूर्व ही पीने के पानी की कमी हो जाने का भय है। इसके लिये भी योजना बनायी गई है और काम चालू किया जा रहा है ताकि लोगों को जरूरत के समय पानी पहुंचाया जा सके।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

चारे की कमी को दूर करने के लिए भी सरकार ने कार्यवाही की है। सरकारी ठेकेदार से और चारा देने के लिये एक नया ठेका किया जा रहा है। वन विभाग से खाने वाली घास इकटठा करने के लिए कह दिया गया है और वे इस कार्य को पिछले माह से ही कर रहे हैं।

सूखे से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका हमें साहस और दृढ़ता के साथ मुकाबला करना है और मुझे आशा एवं विश्वास है कि इस कार्य में मेरे सारे सहयोगी सरकार को मदद करेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि जनता और जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से हम इस विषम परिस्थिति का मुकाबला करने में सफल होंगे और जो योजनायें बनायी गयी हैं उन्हें पूरा करके अपने अन्न की कमी की समस्या को काफी हद तक आगे के लिए सुलझा सकेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता—

इस समय सदन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर आप कोई संशोधन प्रस्ताव ला सकें। माननीय माल मंत्री जी ने सदन की सूचनार्थ एक वक्तव्य पेश किया है। आप अपनी राय, अपने विचार उस पर व्यक्त कर सकते हैं। उस पर कोई मत प्राप्त करने का, या उस वक्तव्य को स्वीकार अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी तरफ से अगर कोई निश्चित रुख अपनाया गया है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आप नियमों के अनुसार मेरी बात सुन सकते हैं तो मुझे अपना प्रस्ताव आप रखने दें। मैं तो यह प्रस्ताव रखता हूं कि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में यह संशोधन जोड़ दिया जाय कि सदन को खेद है सरकार ने प्रदेश को अभी तक अकाल-पीड़ित घोषित नहीं किया जिस पर यह सदन विचार करे, या चर्चा करे, चाहे जो शब्द आप रख दें। वक्तव्य से पूर्व तो मैं कोई प्रस्ताव रख ही नहीं सकता था नहीं तो आप उसको हाईपोथेटिकल कह देते।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय सदन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर कोई संशोधन आ सके। माननीय माल मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है, उस पर आपको विचार करने का समुचित अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का प्रश्न हो या उस पर सदन का मत लेना हो।

(व्यवधान)

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य तो दे दिया, अब वे क्या चाहते हैं? क्या हम लोग उसकी प्रशंसा करें?

श्री भानुप्रतापसिंह—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि पृष्ठ २ पर जो लिखा है कि सरकार ने तकावी के लिये दो करोड़ रुपया परिषद् के माध्यम से जिलों को दिया वह परिषद् कौन है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह बोर्ड आव् रेवेन्यू के जरिये से दिया गया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, जहां तक मंत्री जी के वक्तव्य का प्रश्न है उस पर आपका इतना कहना है कि वक्तव्य वोट नहीं होगा। मेरा इतना सवाल है कि अगर मंत्री जी वोट करने को न कहें . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपके इस प्रस्ताव पर मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। मैंने निर्णय दिया कि यह कोई प्रस्ताव नहीं है, अतः किसी संशोधन के प्रस्तुत करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य उपस्थित किया है उस पर विचार प्रकट करने के लिये माननीय सदस्यों को समुचित अवसर दिया जावेगा। मेरे विचार में माननीय नेताओं को बीस मिनट का समय और सदस्यों को पन्द्रह मिनट का समय पर्याप्त होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुझे कुछ समय और दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल को पच्चीस मिनट दे दिये जायेंगे।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री का यह वक्तव्य सुना और देखा। उन्हीं के अनुसार ८८,९६१ गांव और ४१ जिले प्रभावित हैं जिसमें साढ़े चार करोड़ जनता के जीवन का प्रश्न है और वक्तव्य देने खड़े हुए हैं राजस्व मंत्री जो केवल वसूली से संबंधित है। विषय इतना गम्भीर है कि माननीय मुख्य मंत्री को अवसर नहीं कि वे इस गम्भीर विषय को कान खोल कर सुनने के लिये उपस्थित हों। इतना ही नहीं, इसी गम्भीर विषय पर चर्चा करने के लिये बार-बार हम आग्रह करते थे और इन्होंने १५ से ३० तारीख तक इस विषय को रखा कि कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड की बैठक हो। सूखे का लाल इनके मस्तिष्क में नहीं है। अगर होता तो केवल रक्त खींचने वाले माननीय माल मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं होते बल्कि कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित होतीं। अगर इस समय भी मंत्री लोग नहीं आते हैं तो मैं समझता हूं कि इनके हृदय में कोई खेद या दुःख नहीं था। यह कितने लज्जा की बात है कि ये प्रदेश की जनता के साथ खेल कर रहे हैं।

यह जो वक्तव्य लिखित मौजूद है मैं इसके बारे में थोड़े में कहूंगा। इनके जहां और कागजी घोड़े दौड़ते हैं वैसे ही यह भी है। यदि मुझे ठीक स्मरण है तो हमारी प्रधान मंत्री ने कहा था कि अगर बाहर से अनाज नहीं आया तो मौत का सामना करना पड़ेगा। हमारी मुख्य मंत्री कहती हैं कि अगर केन्द्र से सहायता नहीं मिलती है तो हम सम्हाल नहीं सकते और केन्द्रीय सरकार कहती है कि अगर विदेशी सहायता नहीं आती तो हम सम्हाल नहीं सकते। आज भीषण परिस्थिति होते हुए भी मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री उपस्थित नहीं हैं और न ही सिंचाई मंत्री उपस्थित हैं। इससे ज्यादा कान्डेमेबुल स्थिति नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि स्थिति की गम्भीरता इनके सामने नहीं है। इनके सामने तो वोट हैं, गुटबाजी है और प्रदेश है और इनके सामने इनकी गम्भीरता नहीं है। मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता। आंकड़े इनके पास हैं। मैं अपने भाषण को समाप्त कर देता हूं कम या अधिक समय में। परन्तु मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। आज १९ वर्ष के बाद श्रीमन्, तीन पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के बाद इनके कृषि और इनके सिंचाई विभाग की नीति खोखली साबित हो रही है। इसलिये आज यह प्रदेश भुखमरी, अकाल और सूखा के कगार पर खड़ा है। इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है कि हमारा प्रदेश जो एक कृषि प्रधान प्रदेश है वह १९ वर्षों के कांग्रेस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

के शासन के बाद इतना भी नहीं कर सकता कि इनसे हमें छुटकारा दिला देता। इसका कारण यह है कि आप सिंचाई का प्रबन्ध नहीं कर सके हैं, आप की कृषि नीति ठीक नहीं है। किसी भी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को पढ़ लीजिये उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस सरकार की कृषि नीति बिलकुल खराब है। आज आपकी कोई भी सिंचाई की निश्चित योजना नहीं है। लोगों ने शुरू से ही कहा था कि लघु सिंचाई की योजनाओं को चलाइये। ५०–५० बीघा पर आपकी सिंचाई योजना होनी चाहिये। आज तो मैंने सुना है कि ६ किलो के बजाय ३ किलो ही राशन होने जा रहा है। यह एक गम्भीर बात है। आधे खेतों में अनाज बोया गया है और आधे में जो बोया गया है वह भी बिना सिंचाई के साधन के सूख रहा है। लेकिन इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं है कि बीज उगा है या नहीं उगा।

प्रशासन और कृषि के सम्बन्ध में तो मैं बाद में कहूंगा, केवल एक बात और कहना चाहता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यही समय आपकी गुटबाजी का है? मैं ही नहीं, सारा विरोधी दल आपको सहयोग देने के लिये तैयार है। लेकिन क्या करें, आप में आपस में ही सहयोग नहीं है। दो-चार प्रमाण भी दे दूं। अखबारों के द्वारा मुझे मालूम हुआ है कि कांग्रेस के लोग जो योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जाते हैं उनके लिये आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आर्डर्स दे रखे हैं कि वे उनके प्रोग्राम को बनायें तथा उनके आने जाने का प्रबन्ध करें। मुझे यह भी सूचना मिली है कि एक ग्रुप वाले के क्षेत्र में पानी की योजना काट कर दूसरे के क्षेत्र में कर दी गयी। बनारस में एक पी० एस० पी० के माननीय सदस्य के क्षेत्र से पानी हटा कर दूसरे क्षेत्र में कर दिया गया। बाराबंकी से भी मुझे ऐसी ही सूचना मिली है। यह एक नमूना हमने बताया है। सैकड़ों घटनायें ऐसी हैं जिनसे यह प्रूव होता है कि वोटों को कैच करने का ही दिन-रात प्रयत्न किया जाता है। आपके प्रधान मंत्री तो कहते हैं कि हमें सबका सहयोग चाहिये, इस समस्या को युद्ध-स्तर पर मीट करना चाहिये और हम हृदय से आपको हेल्प करना चाहते हैं लेकिन आप सदा ही विरोधी दलों की उपेक्षा करते हैं। सर्वदलीय समिति बना कर इस मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप की यह बात है कि कहीं कुआं है तो पानी नहीं है, कहीं दोनों चीजें हैं तो वहां आपरेटर नहीं है, अगर कहीं तीनों हैं तो बिजली नहीं अगर चारों हैं तो काश्तकार के पास पैसा नहीं है क्योंकि उसके रेट आपने इतने ज्यादा बढ़ा दिये हैं।

एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप की स्थिति यह है कि माननीय गेंदा सिंह के जिम्मे यह देखने के लिये कि गवर्नमेंट की योजनाओं को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है, २ जिले रखे गये थे-देवरिया और गोरखपुर। उसमें माननीय मंत्री जी ६ टयूबवेल्स पर गये। जहां आपरेटर्स गैर हाजिर थे। दूसरी मार्के की बात यह थी गंडा और रोहिन हेड वर्क्स के बगल में ही सूखा पड़ा हुआ था। जब उस इलाके की ऐसी हालत है तो जहां मंत्री जी या दूसरे लोग नहीं गये वहां की क्या हालत होगी। इसलिये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह समय काम करने का है अथवा इस प्रकार से आपसी दांवपेंच लगाने का?

मैं आपको मिसाल देता हूं कि झांसी में नलकूप मौजूद है और वह बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन उस की नालियां दस साल से आजतक नहीं बन सकीं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि नहर के चीफ इंजीनियर गए उन्होंने वहां बड़ी दिलचस्पी ली, वह बहुत दौड़े। उन की व्यक्तिगत बात छोड़ दीजिए, वह हर जगह कहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आज तक उस कुएं से नालियों के न होने से एक बूंद पानी भी नहीं सींचा गया और आज अब उस कुएं को उखाड़ने की बात है। मन्त्री जी बतायें कि क्या आज यह स्थिति नहीं है कि नलकूपों पर नालियां नहीं है? आप नालियों के लिए रुपया देते हैं लेकिन वह मौके पर नहीं बनतीं, आप का पैसा बेकार जाता है। आप का यह प्रशासन इतना ढीला है कि आप उस को काबू में नहीं रख सकते और आप अपनी नीतियों को उस से कार्यान्वित नहीं करा सकते। इसी कारण से आप की सिंचाई की ही नहीं तमाम योजनायें असफल हुई हैं और यह सब जन जीवन के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है।

एक बात मैं और बता दूं। आज ऐसी तो स्थिति है लेकिन आप कहते हैं कि प्रदेश में अकाल की परिस्थिति नहीं है। अभी सुबह माननीय उग्रसेन जी ने कहा तो आप ने कहा कि यहां अकाल की परिस्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमारा कहना नहीं है, यह यू० पी० कांग्रेस के प्रेसीडेंट और श्री बहुगुणा का कहना है उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और उनका कहना है कि हम लोग इलाहाबाद गए और हमने स्वयं देखा कि लोग हमारे सामने आए और हमें घास की बनी हुई रोटियां दिखाईं और उन्होंने कहा कि यह घास के बीज से बनी रोटियां हम नहीं खा सकते और इसलिए यह जानवरों के खाने के लिए रख दी हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि जो टेस्ट वर्क खुले हैं जिनकी सरकार डीग हांकती है, उनकी हालत यह है कि मौके पर गरीब मजदूरों से, भूखों से काम लिया गया लेकिन १६ दिन तक उन को मजदूरी नहीं दी गई। एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक मास हो गया मजदूरी नहीं मिली, बाकी १६ दिन की बात तो कांग्रेस के प्रदेश के सभापति कहते हैं त्रिपाठी जी, जब ऐसी हालत आप पैदा करते हैं तो क्या भूख से आदमी नहीं मरते होंगे? वह जरूर मरते होंगे।

एक बात और मैं जनरल कहता हूं कि आज परिस्थिति यहां तक पहुंच गई है कि इन तीन व्यक्तियों, माननीय कमलापति जी त्रिपाठी, माननीय बहुगुणा जी और माननीय गेंदा सिंह जी की बात को हम धूल में कैसे मिला सकते हैं और अगर ऐसा ही रहा और जिस तरह से कि आज सारा प्रशासन का ढांचा चरमरा उठा है वह गिरेगा और सारे सूबे को लेकर जायगा। जो कुछ आप चाहते हैं आज उसका कार्यान्वयन नहीं होता। आप को अब भी किसी झोंक में नहीं रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आज गेंदा सिंह क्यों यहां से चले गए, मन्त्री क्यों चले गए क्या वह अपनी खामियों को सुनने को तैयार नहीं हैं, क्या उनमें इतनी भी ताब नहीं थी?

मुझे यह भी याद है कि इसी सदन में बहुत पहले माननीय नाथूरामजी शिक्षक तथा श्री सालिग्राम जैसवाल ने इलाहाबाद के विषय में बहुत पहले आवाज उठाई थी कि जिला पानी के अभाव से मर रहा है, वहां सूखे की स्थिति है, पानी की व्यवस्था नहीं है और पीने के पानी के अलावा वहां अनाज बोने तक के लिए पानी नहीं है।, सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय में कहा, लेकिन वहां न तो खरीफ ही बोई जा सकी और अगली फसल भी नहीं बोई जायगी चूंकि वहां पानी का प्रबन्ध नहीं है। मैं कहता हूं कि वहां पर पहले से कुएं और सिंचाई के साधनों के बारे में समय से ध्यान नहीं दिया गया इसलिये यह परिस्थिति आज आ गई। आप को बेताया गया आप नहीं चेते तो कसूर किसका है? पायल विशेष से यह ब्लैक डाकुमेंट भरा हुआ है उससे हम क्या करें। इसकी भाषा आप सुन लें "८० सरकारी नलकप और बनाने का निश्चय किया गया है।' यह कब बनेंगे जब जनता मर जायगी और कहते हैं कि हम १ हजार के स्थान पर १७ हजार पम्पिंग सेट्स का प्रबन्ध कर रहे हैं और यह भी कहते हैं कि १२ हजार की जगह १५ हजार प्राइवेट नलकूप बनाए जा रहे हैं। यह बनेंगे ठीक है लेकिन कब बनेंगे, जब लाखों की हत्या हो चुकेगी, जो भूखे रह कर कमजोर होंगे और उन पर रोगों का आक्रमण होगा और इस तरह से हत्या होगी तो वह भी भुखमरी के कारण से ही होगी और उस की जिम्मेदारी भी इस सरकार की ही होगी। मूल कारण यही है कि सरकार ने जनजीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया है और समय रहते कोई प्रबन्ध इन के प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डाकूमेंट मेरे सामने रखा गया है और इसका जवाब एक है। आचार्य कृपालानी, श्री राजगोपालाचार्य, माननीय गेंदासिंह और श्रीमन्नारायण जो ने कहा है कि सरकार के जितने आंकड़े निकलते हैं ये धोखेधड़ी के आंकड़े होते हैं। इनके रेवेन्यू विभाग और टयूबवेल विभाग सब झूठे रिकार्ड स मेनटेन करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप इन सारे आंकड़ों को पब्लिसाइज कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जिस पर बीतती है वह इनकी असलियत को पहचानता है। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि एग्रीकल्चर विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े गलत हैं।

मन्त्रि मण्डल में आज जो संयुक्त रेस्पांसिबिलिटी, संयुक्त जिम्मेदारी है, वह है नहीं। कृषि उत्पादन के बारे में यहां पर वक्तव्य में कहा गया कि रबी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

यह निश्चय किया गया कि मैक्सिकन गेहूं का क्षेत्रफल प्रदेश में ४ लाख से बढ़ाकर ५ लाख एकड़ कर दिया गया। जहां तक मैक्सिकन गेहूं की बात है उसमें विशेष स्थिति यह है कि इसमें एक विशेष प्रकार की खाद और सिंचाई की आवश्यकता होती है। आज किसानों के सामने एक विशेष परिस्थिति है और वह यह है कि वे अपने भोजन का प्रबन्ध करें, बुआई करवायें या अपने जानवरों के चारे का प्रबन्ध करें या इनके फर्टीलाइजर को खरीदें। दूसरी बात यह है कि इसके लिए विशेष सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें। कहते हैं कि आज २५ प्रतिशत कल्टीवेबिल लैंड इर्रीगेशन के अन्तर्गत है लेकिन यह सब झूठा है। आप के जो इस प्रकार के सिंचाई के आंकड़े हैं वे बिलकुल गलत हैं। आप मैक्सिकन गेहूं के बोने का तो प्रचार खूब कर रहे हैं लेकिन किसानों के लिए न तो फर्टीलाइजर है और न सिंचाई के लिए आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं। आलू के क्षेत्रफल के बारे में भी आपने कहा है कि इसका क्षेत्रफल लगभग १ १।२ लाख एकड़ बढ़ाया जायगा। आप यह सब कागज पर लिखकर दिखा सकते हैं लेकिन आपने यह नहीं देखा कि सैद्धान्तिक रूप से इनका कार्यान्वियन होना बड़ा मुश्किल है। आगे आपने लिखा है कि फसल को बीमारी से बचाने के लिए लगभग ७० लाख रुपया लगाकर दवाई और छिड़कने वाली मशीनों का प्रबन्ध किया जा रहा है। यह बिलकुल ऐसा ही है जैसा कि आपने बीजों का प्रबन्ध किया था। यह केवल जेन्टल कन्जम्शन के लिए हमारे सामने रखी जाती हैं पर वास्तविक चीजें और ही हैं। बीज के बारे में भी निवेदन है कि जिस समय सरकार ने किसानों को बीज दिया उस समय लोगों ने नहीं उठाया क्योंकि उसमें सरकार ने यह शर्त लगा दी कि इतना फर्टीलाइजर लेना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ? वह बीज इनके भंडारों में ही भरा रह गया। इनका एक्सप्लेनेशन आता है कि उनके पास (किसानों के पास) रुपया ही नहीं था लेकिन हुआ क्या कि इनके प्रतिबन्धों के कारण बहुत से खेत बोने से रह गए।

सिंचाई के बारे में आपने कहा है कि बोरिंग के ७० हजार के लक्ष्य को बढ़ाकर इस वर्ष के लिए १ लाख कर दिया है। कच्चे कुओं के बारे में आपने कहा है कि सरकार ने १० लाख कच्चे कुएं खुदवाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वे कच्चे कुएं कब खुदेंगे? इसके पूर्व भी विरोधी दलों की ओर से सदन में बार-बार कहा गया कि छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं चलाई जायं क्योंकि जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला है और वे फेल हो जायंगी। आप अपने ट्यूबवेल्स और नहरों पर भरोसा न कीजिए। तब कुआं खुदवा रहे हैं। कच्चे कुओं के बारे में क्या हो रहा है? लोग मेरे पास आएं और कहने लगे कि २० रु० का वोट खरीदा जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है २० रु०? १, १ सेर प्याज दे देते हैं, १ सेर मैक्सिकन गेहूं दे देते हैं, इस वक्त दे रहे हैं, और तरकारी के बीज दे देते हैं जब सारा खेत बो चुके। लेकिन इसके लिए भी तो पानी चाहिए। उस का कोई प्रबन्ध नहीं। तीन रुपया अधिकारी वर्ग ले लेता है सर्टिफाई करने का। इन के नेता जिस को कहते हैं सर्टिफाई कर देते हैं। आज जन जीवन के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, पैसे के बल पर वोट खरीदे जा रहे हैं। इससे ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट कोई सरकार हो सकती है? २० रु० देने के लिए मिलते हैं लेकिन मुंशी जी हिसाब लगा कर अपना उस को १२ रु० ही देते हैं। कहीं-कहीं देते ही नहीं। हजारों रुपया एस० डी० ओ० एस० बांटने के लिए लाते हैं लेकिन लेने वाले इतने आते हैं कि बिना बांटे ही रुपया वह वापस ले जाते हैं। क्या २० रु० में कच्चा कुआं खोदा जा सकता है? मटियारे में तो खोदा जा सकता है लेकिन जहां की जमीन में बालू है वहां खोदते-खोदते मिट्टी गिर जाती है। बोरिंग के लिए मशीनें नहीं मिलती हैं। रिग्स नहीं हैं। कहा जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि तुम्हारा नम्बर बाद में आएगा और जिस का जोर पड़ गया उस के यहां मशीनें चली जाती हैं।

ट्यूबवेल्स के बारे में कहना चाहता हूं, बांसी से बस्ती जाते समय मैंने देखा है कि तीन कुएं सिक कर रहे हैं। नालियां आज तक नहीं बनीं। अगर इनकी गुटबाजी चलती रही तो

नालियां पारसाल तक नहीं बन पावेंगी। आप कागज में कुछ दिखा दीजिए लेकिन वास्तविकता यह है कि किसान तक पानी नहीं पहुंच रहा है।

नहरों की बनी हुई गूलों में पानी नहीं चढ़ता है। नहरों की गूलों से लाभ नहीं, जनता परेशान है। टेस्ट वर्क की मजदूरी क्या रखी? १० मील की दूरी पर टेस्ट वर्क खोलते हैं, गरीब आदमी सारे परिवार को ले कर वहां जाते हैं और १६ रोज तक उनको मजदूरी नहीं मिलती जिसके कारण आदमी भूखों मर रहे हैं। फेमीन ऐक्ट को सरकार ने नहीं बदला, टेस्ट वर्क की मजदूरी नहीं बढ़ायी। सरकार कहती है कि सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हैं। एक साहब कहते हैं कि दूकानें कहां से खोलें, दूसरे साहब कहते हैं कि तमाम दूकानें अनाज से भर गयी हैं। यह बिलकुल झूठ है। १० मील की दूरी पर टेस्ट वर्क खुलवा कर आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी डिमान्डस हैं कि आप इसको फेमीन एरिया डिक्लेयर कीजिए। दूसरे फेमीन ऐक्ट का संशोधन कीजिए। तीसरे सर्वदलीय स्तर पर समितियां कायम की जायं और जहां फसल खराब है वहां १६ आन छूट दी जाय क्योंकि लगातार चार फसलें खराब होती आई हैं। हर प्रकार की वसूली बन्द हो। विद्यार्थियों की फीस माफ होनी चाहिए और उसमें पार्टीबाजी से काम न लिया जाय। सिंचाई की दर भी कम की जाय। दवायें अभी से वितरित की जायं। जायद फसलें बैदा की जायं और राशन शाप्स जितनी हो सकें शीघ्रातिशीघ्र खोलने का प्रयास किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के एक कृषक तथा विधायक की हैसियत से मुझे रूहानी तकलीफ है कि इतिहास प्रसिद्ध गंगा जमुना जैसे जरखेज मैदान के स्वामी होते हुए भी इस प्रदेश की सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि प्रदेश व्यापक रूप से खाद्यान्न के अभाव से ग्रस्त है। यह बात अपनी जगह सही है कि अपूर्व सूखा इस प्रदेश में इस समय है और यह एक कारण है खाद्यान्न के अभाव का। पर मैं इस बात को मानने से इंकार करता हूं कि यही एक मात्र कारण है इस प्रदेश में खाद्यान्न के अभाव का। गत वर्ष मुझे यूनाइटेड स्टेटस जहां से सदैव हम अन्न पाते हैं प्रगाढ़ रूप से उसकी १२ स्टेट्स की कृषि तथा कृषकों को निकट से देखने का अवसर मिला। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जरखेज जमीन, तथा आबोहवा, खेत की पैदावार की दृष्टि से उन सब राज्यों से बेहतर है। यही नहीं, यहां के अच्छे कृषकों की पैदावार वहां के अच्छे कृषकों की पैदावार से ज्यादा है। वहां अधिकांश स्टेटस में एक ही फसल पैदा की जा सकती है एक वर्ष में और इस प्रदेश में बलवानसिंह तथा भानुप्रतापसिंह जैसे कृषक तीन-तीन फसलें पैदा करते हैं एक साल में। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदेश के अन्दर अन्न पैदा करने की पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन दुख इस बात का है कि हम उनको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में Co-existnce के सिद्धांत के हामी हैं, पर मुझे दुख है कि हमने अपनी समस्याओं के साथ भी को-एग्जिस्ट करना सीख लिया है। जो भी समस्या सदन के सामने आवे उसका हल निकालना चाहिए चाहे कितनी ही देर हमको बैठना पड़े। सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न यह सदन है और हर तरह के साधन व आंकड़े इसको उपलब्ध हैं, सबसे बड़े देश भक्त हम बनते हैं फिर मैं नहीं समझ पाता कि समस्याओं पर महज चर्चा हो कर क्यों रह जाती है और उसका हल हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं? इसके लिए हमको आने वाली नसलें और इतिहास बख्शेगा नहीं। मेरा सुझाव यह है कि अविलम्ब एक फूड एंड एग्रीकल्चर कमीशन बनाया जाय जो नियत न्यूनतम समय के अन्दर प्रदेश की खाद्यान्न उत्पादन की पूरी-पूरी (potentialities) को Realise करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार करके दे और सरकार के समक्ष रखे और फिर उसकी प्रगति को वाच करे। इसके पश्चात, जो व्यापक सूखा है और जो खाद्यान्न का अभाव है उसका मुकाबला करने के सम्बन्ध में जो मश्विरा मेरे मस्तिष्क में आ सकते हैं वह मैं एक-एक करके आपके सामने रखता हूं।

[श्री शिवराजसिंह]

बहुत आवश्यक है कि हमारी फूड मिनिस्ट्री सतर्क हो जाय ताकि बिहार जैसी अवस्था न उत्पन्न हो कि जो खाद्यान्न उपलब्ध भी हों वह इक्विटेबिल ढंग से जरूरत मन्दों में बंट न पायें। बहुत आवश्यक है कि जितने खाद्यान्न के डीलर्स हैं उनकी लाइसेंसिंग के साथ-साथ उनके स्टोर हाउसेज की भी लाइसेंसिंग कर दी जाय और हर जिले के डी० एस० ओ० के पास यह लिस्ट रहे कि उसके जिले में कितने गल्ले के व्यापारी हैं और उनके किन-किन गोदामों में कितना-कितना गल्ला रखा है। जरूरत पड़े तो इस प्रकार का आर्डिनेन्स आ सकता है कि बताए गए गोडाउन्स के अलावा अगर कोई ट्रेडर कहीं गल्ला रखेगा तो वह जुर्म करार दिया जायगा ताकि जब कभी भी गल्ला लेने की जरूरत पड़े तो हमको जानकारी रहे।

बड़ी चर्चा है कि डीजल पम्पिंग सेट बांटे जा रहे हैं और सबसिडी भी दी जा रही है। लेकिन मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि डीजल सेटस को ज्यादा कीमतों पर बेंच कर सारा पैसा डीलर्स की जेब में जा रहा है। खाद्य मन्त्री श्री नेगी जो शायद यहां नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह डी०आई० आर० का सहारा लें या Essential Commodities Act का, लेकिन जिस प्रकार से ब्लेड वगैरह या और दूसरी चीजों की लिस्ट दूकानदारों को टांगने का आदेश दिया हुआ है उसी प्रकार से खेतों में काम आने वाले यन्त्रों की, विशेष कर डीजल सेटस और बोरिंग करने वाले यन्त्रों व सामग्रियों की कीमतों की सूची दूकानदार टांगा करें और उससे ज्यादा पैसा लेने वालों की सजा दें।

मान्यवर, बात कही गयी कृषि विभाग की। एक अच्छे कृषि विभाग का कार्य इस आपत्तिकाल में यह था कि ज्यों ही प्रदेश के अन्दर सूखा शुरू हुआ तो रबी बुवाई के समय से पहले ही उसे विभिन्न डेप्थ्स पर विभिन्न मात्रा में बीज डाल कर एक्सपेरीमेंटस करने चाहिए थे और कृषकों को सलाह देनी चाहिए थी कि इस वर्ष के सूखे को देखते हुए उनको अपनी सीड रेट, अपनी डेप्थ के सम्बन्ध में किस-किस तरह का सुधार कर लेना चाहिए। मुझे बड़ा खेद है कि कृषि विभाग का खोज विभाग पूर्णतया सोता रहा। उससे हम कोई मदद किसान को नहीं कर पाए। जो हिस्से सूखे के कारण से बोए नहीं गए, जाड़ों में जैसे बारिश हुई और होने की सम्भावना है तो उन हिस्सों को कृषक बोना जरूर चाहेगा और बोना चाहिए। इस दृष्टि से कृषि विभाग को विशेष रूप से यह कोशिश करनी चाहिए थी कि वह जाड़े में बोए जाने वाली फसलों, जैसे मटर, देर से बोए जाने वाला गेहूं, इत्यादि की मात्रा का जखीरा तैयार करता। जब पिछले सप्ताह इस प्रदेश में बारिश हुई तो मुझे खुशी हुई लेकिन कृषि मन्त्री का एक वक्तव्य निकला और उसे पढ़कर मुझे श्रीमन् बड़ी तकलीफ हुई। वह श्रीमन कुछ इस प्रकार का था :—

"Agriculture Department is in a biquandery and will not be able to procure any additional amount of seed for the State farmer needed it because of these winter rains etc."

जो काम कृषक न कर पाए सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है इस सरकार को उसे करने की। मुझे खुशी है इस बात की सरकार ने सफाई से यह स्वीकार किया कि सूखे के कारण फसलों को बीमारी लगने का अधिक भय रहता है। इस साल यह भय है। लेकिन इस सदन के हर सदस्य को यह जानकर तकलीफ होगी कि इसी पहली नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है। अब तक फसलों की १४० बीमारियां ऐसी थीं उत्तर प्रदेश के अन्दर जिनके सम्बन्ध में या तो सरकार मुक्त तरीके से दवायें छिड़कवाया करती थीं या आधी या चौथाई सबसिडी दिया करती थी—अब सरकारी नए आदेश के अनुसार इन तमाम बीमारियों के लिए दवायें छिड़कवाने पर कीमत ली जायगी और कीमत ही नहीं ली जायगी बल्कि दस प्रतिशत और अधिक चार्ज किया जायगा। प्रदेश में व्यापक सूखे की अवस्था है। जब सूखे की अवस्था में बीमारी फैलेगी तो कैसे फसलों को बचाया जायेगा ? एक तरफ तो माल मंत्री जी लगान माफ करने जा रहे हैं

और दूसरी तरफ कृषि विभाग जो दवाइयों के छिड़के जाने के लिये छूट देता आया है उसको ऐसी हालत में वसूल करना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही सरकार के विभिन्न विभागों में कोआर्डीनेशन है ? मैं चाहता हूं कि इस आदेश को तुरन्त वापस किया जाय।

मान्यवर, फर्टिलाइजर्स के दाम अपने यहां २ फरवरी, ६६ से बढ़ाये गये हैं हमारे प्रदेश में अन्य राज्यों से फर्टीलाइजर्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और उनके दाम केन्द्रीय सरकार ने जितने बढ़ायगा उससे भी तिगुनी चौगुनी बढोत्तरी U.P. government ने की हैं। यह फर्टिलाइजर्स में मुनाफाखोरी करके सरकार प्रदेश की कृषि के साथ खेल रही है। संकर सीड पर से सब्सीडी हटा दी गई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि किस तरह कृषि विभाग कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के बजाय धक्का लगाता चला जा रहा है।

इस सभय बिजली विभाग की हम लोगों को चर्चा करनो चाहिये थी। प्रदेश की विधान सभा का मैं १५ साल से सदस्य हूं। इस सदन में कभी पुलिस विभाग के Corruption के संबंध में शोर हुआ है तो कभी पी० डब्लू० डी० को पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट कहा गया, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बिजली विभाग ने पिछले १५ सालों के सारे रिकार्ड्स corruption को तोड़ दिये हैं। इस प्रदेश में इस विभाग से कृषकों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। जो कृषक अपना सारा रुपया लगाकर किसी तरह से नलकूप बना लेता है तो उसको बिजली नहीं मिलती है। एक जगह नहीं बल्कि सारी जगह रिश्वत ली जाती है। मैं अपने यहां के कृषकों की बात कहना चाहता हूं कि जो किसान अपने कुओं की बोरिंग कर चुका है और पम्पिंग सेट ले आया है उसे तुरन्त बिजली दी जाये। बदायूं जिले की बात मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुओं की बोरिंग कर ली है, पम्पिंग सटस भी ले आये हैं लेकिन डेढ़ दो साल से उनको बिजली नहीं मिली है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे कृपया दस मिनट और दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता--

एक दो मिनट और दे सकता हूं दस मिनट नहीं दे सकता। आप के तीन मिनट रह गये हैं।

श्री शिवराज सिंह--

कृपया ५ मिनट दे दीजिये। मेरा अनुरोध है कि उनको शीघ्र बिजली दी जानी चाहिये।

सिंचाई के संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि बहुत से टयूववेल्स सरकार ने बना दिये हैं। लेकिन वे पानी नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इससे भी और कौन सा कठिन दिन आयेगा जब सरकार इस तरह की देरी को समाप्त कर सकेगी। बिसौली सब डिविजन में १०-२० सरकारी कुयें होंगे जिनको बने ६ महीने से ज्यादा हो गये हैं, बिजली की लाइन भी खिच गई है लेकिन फिर भी पानी नहीं दे रहे हैं। पूछने पर कहते हैं कि कम्प्रैशर मशीन नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्तलिफ डिवीजनों में कोआर्डीनशन क्यों नहीं है ? आज रोज चीफ सेक्रेटरी के यहां कान्फ्रेन्स होती है तो यह क्यों कर हो रहा है कि महीनों से कुयें पानी नहीं दे रहे हैं ?

श्रीमन्, पिछले महीने अक्तूबर में मेरी कांस्टीटुयेन्सी में दो तीन हफ्ते तक बीसों सरकारी नलकूप बन्द रहे। सूखे से ग्रस्त कृषक देखता है कि कुआं तो है लेकिन पानी नहीं देता है। इससे ज्यादा तकलीफ और कोई नहीं हो सकती है। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राम मूर्ति जी मेरे जिले के अन्दर गये थे। मुझे खेद है कि जहां लगान वसूल किया जा रहा है। मैं बमौनी ग्राम, तहसील बिसौली जिला बदायूं का नाम लूंगा। वहां कोशिश की जा रही है कि पहले आबपाशी के रुपये कृषक दे तब पानी दिया जाय। इर्रीगेशन चार्जेज तुरन्त सस्पेन्ड किये जायं और पानी देने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है कि राममूर्ति जी हमारे समक्ष आ गये।

[श्री शिवराज सिंह]

मैं उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने माइनर इर्रीगेशन पर सब्सिडी देने की बहुत अच्छी योजना चलायी है। बदायूं में दो सौ नलकूप १९६५-६६ में तैयार हुए। एक भी नलकूप पर सब्सिडी नहीं दी गयी। न बोरिंग पर सब्सिडी दी गयी। १५ सौ रुपये के करीब सब्सिडी दी जाती है। दो सौ कुओं पर तीन लाख की रकम बनती है। उन कृषकों को जिन्होंने ट्यूबवेल बना लिए हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र सब्सिडी देने का प्रबन्ध किया जाय।

इस प्रदेश की एक और बड़ी समस्या है। जहां मनुष्यों का पापुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उससे बड़े पैमाने पर पशु धन बढ़ रहा है। पिछले पांच वर्षों में इस प्रदेश में १४ परसेन्ट पशुधन बढ़ा है जब कि आल इंडिया में १७.७ बढ़ा है। भेड़ें इस प्रदेश के अन्दर पांच साल के अन्दर २९ फीसदी बढ़ी हैं जब कि आल इंडिया में २.६ फीसदी। इसी प्रकार बकरियां जिनके पालने पर पाकिस्तान ने तो प्रतिबन्ध लगा दिया है इस प्रदेश में २७ फीसदी बढ़ी हैं जब कि आल इंडिया में ९.७ मेरा सुझाव है कि हम अमेरिका जैसे राज्यों से बात करें कि वह हमको ऐसा कैसे ट्रेट पशुधन के लिये बना कर दें या बनाना बतावें जिसको हम खाद्यान्न की जगह पशुधन के लिये इस्तेमाल कर सकें। मेरी जानकारी है कि शीरे से ऐसे concentrates बनाये जा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

*श्री भानु प्रताप सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, सर्व प्रथम मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं कि इस चर्चा के समय जब कि खाद्यान्न की कमी सब से भीषण है, उस समय माननीय कृषि मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको बुलवा भेजें। वह अपनी जिम्मेदारी को निभाने में एक बहुत बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। जिस समय प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, एक-एक दाने के लिये लोग तरस रहे हैं उस समय माननीय कृषि मंत्री सदन में मौजूद रहने का कष्ट न करें यह सदन का ही नहीं सारे प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। जिस समय राजस्व मंत्री का वक्तव्य पढ़ा जा रहा था मुझे हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक कार्टून की याद आ गयी। कार्टून में एक मोटे ताजे ठाकुर साहब जैसे व्यक्ति वह कह रहे हैं एक दुबले पतले श्री अशोक मेहता जैसे योजना मंत्री से, आई डू नाट वान्ट फाइव इयर प्लान, आई वान्ट इंस्टैन्ट प्लान। पंचवर्षीय योजना को आप छोड़िए ऐसा प्लान बनाइये जिससे कोई तत्काल नतीजा निकले। मैं उस कार्टून की चर्चा इसलिये कर रहा हूं कि आज सरकार कहती है कि इतने टयूववेल बनाये, तरह तरह की योजनाएं उन्होंने प्रस्तुत कीं। मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र के लिये बड़ी-बड़ी योजनाएं निर्मित कीं लेकिन उनकी समझ में यह बात नहीं आयी कि इस प्रदेश में सिंचाई की बड़ी जरूरत है, हर आठ दस वर्ष बाद इस प्रकार की विपत्ति आया करती है। यह हमारी कैसी योजनाएं हैं, जिन्होंने हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता की ओर ही ध्यान नहीं दिया। आज तो बिजली भी पहुंचाने की बात कही जा रही है, नये-नये टयूबवेल भी बनाने की बात कही जा रही है। क्या यह सारी बातें पहले नहीं सोची जा सकती थी? आज जो देवी विपत्ति बताई जाती है, यह इस सरकार की नालायकी का नमूना है कि इसकी फसलें पानी के अभाव में सूख गयी हैं। मैं इस प्रदेश के ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां पर सूखे का भीषण प्रकोप है, फिर भी वहां पर हर वर्ष की तुलना में इस बार कम फसल नहीं होगी, इसका मैं आपका विश्वास दिला सकता हूं। इसका कारण यही है कि वहां पर सिंचाई के साधन जुटाये गये हैं। यदि इसी प्रकार के साधन हर जगह उपलब्ध होते तो कोई कारण नहीं कि प्रदेश में ऐसी कोई विपत्ति आने पाती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा है जिसमें सूखे का प्रकोप है वह हिस्सा देश के १/६ हिस्से से ज्यादा नहीं है। १/६ भाग में यदि थोड़ी सी वर्षा कम हुई तो ऐसी स्थिति में हमारा देश मजबूर हो जाए किसी भी स्थिति में किसी भी शर्त पर विदेशों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो जाए और यदि न मिले तो लाखों करोड़ों लोगों को मरना पड़े। तीन तीन योजनाओं के बाद ऐसी बात होना इस सरकार के लिये डूब मरने की बात है। आज यह भी एक आरोप है कि हम अमेरिका से कनाडा से और आस्ट्रेलिया से तो गल्ला मंगा सकते हैं, लेकिन पंजाब से उत्तर प्रदेश में गल्ला नहीं आ सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं इस सरकार से कि इन सारी बातों से जो इसमें लिखी गयी हैं, इससे स्थिति सुधरने वाली नहीं है। गल्ले की बहुत कमी है। यदि वास्तव में ऐसी स्थिति है और सरकार गल्ला सप्लाई कर सकती है तो वह देहातों में हर एक पंचायती अदालत क्षेत्र में फेयर प्राइस शाप खोले। आज तक बस्ती जिले के किसी भी पंचायती अदालत क्षेत्र में फेयर प्राइस शाप नहीं खोली गयी है और भूमि विहीनों की वहां जो दशा है, उसको यह लोग यहां पर बैठे हुए सोच नहीं सकते हैं। यदि उनके पास गल्ला नहीं है कहा तो यह जाता है कि उत्तर प्रदेश के लिये ५० से ६७ और ६७ से ९० हजार मन का कोटा कर दिया गया है तो मैं कहूंगा कि यहां की सरकार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और हम लोगों का और जनता का आवाहन करे और जोनल रेस्ट्रिक्शन्स को तोड़ा जाए। मैं चाहूंगा कि यदि आन्ध्र और मैसर की सरकार वहां की जनता का आवाहन कर उसे सहायता दे सकती है, जैसा की स्टील प्लान्ट लगाने में हुआ, वहां जो भी कान्ड या उपद्रव हुए वे वहां की सरकार के इशारे पर हुए। तो वहां भी सरकार भी प्रदेश की जनता को जोनल रेस्ट्रिक्शन्स तोड़ने में मदद करे। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी ऐसा कर के ऐसी स्थिति पैदा करे कि जोनल रेस्ट्रिक्शन्स तोड़े जाएं, नहीं तो हर पंचायत अदालत क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जाएं। आज अमेरिका का भी यह आरोप है कि हमसे तो मांगते हैं लेकिन अपने ही देश के एक भाग से दूसरे भाग को नहीं गल्ला भेज सकते हैं।

श्रीमन्, मैं इस समय इससे अधिक इनकी नीतियों के विषय में न जाकर, इस कार्यक्रम को किस रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, उस पर प्रकाश डालूंगा। किस प्रकार से लखनऊ से इनके अधिकारीगण तथा उच्च कर्मचारी क्षेत्रों में जाते हैं, यह आप लोग देखें। हमारे एक सभा-सचिव जी हैं वह जो लम्बी गाड़ी होती है, वह उनके लिये गोरखपुर से मंगाई जाती है, उससे अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं सूखे के संबंध में, जब कि दिखावे के लिये कैबिनेट के मंत्री छोटी गाड़ी का उपयोग करते हैं। लेकिन उनको इस हालत में बड़ी गाड़ी का उपयोग शोभा देता है। दिन भर तो वह यह दिखलाते हैं कि २०) २०) जो बांटा जा रहा है वह उनकी कृपा से ही बांटा जा रहा है और रात्रि में वह पुलिस थाने में रहते हैं और वहां पर क्षेत्र के रईस और मजबूत आदमियों को बुलाकर कहा जाता है, उन पर जोर डाला जाता है कि हमें वोट दिलवाओ। इस प्रकार से दौरे का दुरुपयोग किया जाता है चुनाव जीतने के लिये। यहां से एक बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर डुमरिया गंज तहसील का मुआइना करने के लिये गये जिनका नाम मित्रा साहब है। हम लोगों को भी सूचना दी गई कि सूखे की स्थिति पर विचार करने के लिये सभा बुलाई जा रही है आप भी आइये। उस सभा के लिये समय २ बजे का दिया गया। २ बजने में उस समय दो मिनट थे मैं वहां पहुंच गया। मुझको वहां पर पहुंचने पर बतलाया गया कि मित्रा साहब ४ बजे आयेंगे। मैं वहां से चला गया और दूसरा काम किया तो फिर ४ बजे आया। ४।। बजे तक वहां मित्रा साहब दिखलाई नहीं पड़े। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप यह कहते हैं कि इस काम को वार फुटिंग पर करना है तो यह नवाब साहब समय का इस प्रकार से दुरुपयोग करें और दूसरे सैकड़ों आदमियों का समय नष्ट करें तो ऐसे [× × ×] अफसर को वहां पर भेजना अनुपयुक्त है। इस प्रकार के अफसर को भेजना जनता का अपमान कराना है। पता नहीं कितने प्रतिष्ठित आदमी वहां पर अपना अपना काम छोड़कर आये थे लेकिन उन सरकारी अफसर का वहां पता नहीं रहा। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अफसरों को वहां पर या कहीं पर भी भेजने की कृपा न की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। इस प्रकार से किसी अफसर को [× × ×] कहना, जब कि वह यहां पर उपस्थित न हो, तो कुछ उचित नहीं लगता।

श्री भानुप्रताप सिंह—

मैं बिलकुल ऐसे व्यक्ति को [× × ×] कहूंगा और मैं हर ऐसे व्यक्ति को × × × समझता हूं जो सैकड़ों आदमियों को आमन्त्रित करके समय पर वहां स्वयं न आये।

श्री अधिष्ठाता—

आप इस शब्द को वापस ले लें नहीं तो कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री भानुप्रताप सिंह—

मैं इसको वापस नहीं ले सकता हूं। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को चाहे वह सरकारी अफसर हो या राजनैतिक कार्यकर्त्ता हो अगर वह सैकड़ों आदमियों को आमंत्रित करके समय पर स्वयं उपस्थित नहीं होता है और समय पर नहीं पहुंचता है उसको [× × ×] समझता हूं।

अब मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि रुपया किस तरह से बांटा जा रहा है। यह २० रुपया कच्चा कुंआ बनाने के लिये जो दिया जा रहा है पता नहीं इससे कच्चा कुंआ बनेगा या अपने पुराने पापों का पश्चाताप करने के लिये या चुनाव के अवसर पर उनको राजनैतिक घूस देने के लिये यह योजना चालू की गई है। मैं यह कह सकता हूं कि इनका उद्देश्य यह है कि कि इससे सिंचाई हो और उत्पादन बढ़े लेकिन यह जितना भी व्यय किया जा रहा है उसका २० प्रतिशत भी इसमें नहीं रहेगा। मैंने सैकड़ों किसानों से बात की उनमें एक किसान भी ऐसा नहीं मिला जिसने यह न कहा हो कि ५ रुपया लिये बिना लेखपाल ने २० रुपया दिया हो। तो यह ५ रुपया पहले ही कट गया। उसके बाद इन्होंने मैक्सिकन गेहूं की योजना चालू की कि इस साल मैक्सिकन गेहूं बोया जाय। मैं कहता हूं कि किसान होशियार था उसने जो इसको लेने से इनकार कर दिया। कृषि विभाग ने मूर्खतापूर्ण सलाह किसानों को दी कि यह गेहूं बोया जाय। जिस वर्ष पानी की इतनी कमी हो उस वर्ष मैक्सिकन गेहूं नहीं बोया जाता है। इसको कम से कम ५ पानी की जरूरत है। मैं उसके लिये नहीं कहता जिसके पास पानी के साधन हैं। मेरे पास साधन हैं। मैंने उसको बोया है लेकिन हर किसान की ऐसी दशा नहीं है। लेकिन इस कृषि विभाग ने मैक्सिकन गेहूं को उनके ऊपर लाद दिया है। मेरे तहसील डुमरियागंज में इसको किसानों ने लेने से इन्कार कर दिया। वह सरप्लस हो गया तो इन्होंने उसकी कीमत ५ रुपया उस २० रुपये में काट ली। वह तब काटी है जब गेहूं के बोने का समय बीत चुका है। उस २० रुपये में से यह जो सरकारी योजना है इसके लिये बीज की कीमत भी बांटी गई है। तो ५ रुपया लेखपाल की जेब में गया। ५ रुपया कृषि विभाग की जेब में गया। अब बचा केवल १० रुपया। उसका कोई सर्टिफिकेट देगा कि इसने कुंआ बना लिया है तब वह अनुदान माना जायगा अन्यथा तकावी हो जायगी। और जो सर्टिफिकेट देने आयेगा वह ५ रुपये लगा। तो इस तरह से किसान के पास ५ रुपये ही पहुंचेंगे। मैं इस २ करोड़ की योजना को इसलिये केवल राजनीतिक घूस ही मानता हूं।

(इस समय २ बजकर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

एक सदस्य—

आप कोई और प्रणाली बताइये।

[× × ×] माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार हटा दिया गया।

श्री भानु प्रताप सिंह---

प्रणाली की बात आप पूछते हैं, तो इससे कहीं बेहतर होता यदि आप ताल और पोखरों को खुदवाते ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

तालाब खुदवाने की योजना भी विचाराधीन है, एक दो हफ्ते में उसे चालू कर रहे हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह---

श्रीमन्, अन्त में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । इन सारी योजनाओं से तत्काल कोई लाभ होने वाला नहीं है । तत्काल दो बातों की जरूरत है। एक तो आप सस्ते गल्ले की दकानें खुलवायें और अगर इनके पास गल्ला नहीं है तो यह जोनल सिस्टम की रिस्ट्रिक्शन्स को सरकार तुड़वाये । दूसरी जरूरत यह है कि टेस्ट वर्क जो सड़कों के रूप में सरकार चला रही है उसको ताल पोखरों के खुदवाने में चलाये। इससे लोगों को मजदूरी मिलेगी और सिंचाई को भी लाभ होगा । यही मुझे निवेदन करना है ।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में और प्रदेश में दो वर्षों से अनावृष्टि रही है और उसके कारण प्रदेश में सूखे की परिस्थिति है जो बहुत ही भयंकर है । माल मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वयं यह स्वीकार किया है कि इससे साढ़े ४ करोड़ जनता प्रभावित है और सरकार तथा प्रदेश की जनता को मिलकर उसका मुकाबला करना है । जो भी प्रयत्न इस वक्त किये जा रहे हैं, जो भी कुवें आदि खुदवाये जा रहे हैं, इन सबका लाभ हमें रबी की फसल में हो सकता है, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में इससे कोई लाभ नहीं हो पायेगा । आज प्रश्न यह है कि इन ४ महीनों में हम कैसे मुकाबला करें परिस्थित का । आज स्थिति यह है कि अमेरिका ने भी करीब करीब अन्न देना बन्द कर दिया है । आज भी मैंने केन्द्र के कृषि मंत्री का बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने दूसरे देशों से मिलने वाले अनाज की संभावनाओं पर मायूसी जाहिर की और न कोई ऐसी आशा ही व्यक्त की कि हमें इस वक्त दूसरे किसी देश से सहायता मिल सकेगी। इसलिये जो हमारी मौजूदा स्थिति है उसी पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा और उन्हीं के सहारे जो भूखी जनता है उनको रोटी पहुंचानी होगी । इसलिये ऐसे संकट के समय में हम सबका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम सोचें कि किस प्रकार हम अपने एक भी भाई को भूखों न मरने दें । यह बहुत ही जरूरी है सबके लिये । ऐसे समय में अपने खाने से एक चौथाई बचाने की कोशिश करें । अगर हम चार रोटी खाते हैं तो तीन ही रोटी खांय और अगर आठ रोटी खाते हैं तो चार रोटी खांय । जब हमारे यहां रोटी बना करती थी तो हम पहिले भूखों के लिये, कुत्तों के लिये रोटी निकाला करते थे । पहले उनके लिये रोटी निकालते थे और तब खाया करते थे । आज वह प्रथा नहीं रही । अगर हम भूखों को अन्न पहुंचाना चाहते हैं तो अपने अन्न से कटौती करनी होगी । आज हंसने का समय नहीं है, रोने का समय है । यह सोचने का समय है कि हम उनको किस तरह अन्न बचाकर पहुंचा सकें । उनको कच्चे कुयें बनाने से रोटी मिलने वाली नहीं है । हां जो मौजूदा साधन है उनसे ही लाभ उठाना होगा । इसलिये सबसे पहली बात मुझे यह निवेदन करनी थी ।

दूसरी बात यह है कि हमने यह देखा लिया कि कृषि के अन्दर पानी की सबसे बड़ी आवश्यकता है । हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास मजदूर भी हैं, हमारे पास यन्त्र भी हैं हमारे पास खाद भी है परन्तु अगर पानी नहीं है तो सब निष्फल हो जाता है । इसलिये सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम पानी के साधन को बढ़ायें । पहले यही करना होगा कि जो मौजूदा पानी के साधन हैं उनको हम समुचित उपयोग में ला सकें । मैंने देखा है कि जो हमारी नहरें चलती हैं उन पर इक्वीटेबुल डिस्ट्रिब्यूशन आफ वाटर नहीं है । एक को आवश्यकता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री केशव गुप्त]

तो हम पानी नहीं दे रहे हैं । देखने में आया कि एक ६ इंच का कुलावा है उस पर तो २५० एकड़ जमीन है और दूसरे पर १०० एकड़ जमीन है । एक पर पानी की कमी है और दूसरे पर ज्यादती है । लेकिन आप ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन आफ वाटर करने के लिये तैयार नहीं हैं । अगर एक कुलावा उचित स्थान पर नहीं है अनुचित लगा हुआ है तो वह उचित स्थान पर लगाया जाय । जरूरत इस बात की है कि आप देखें कि किन माइनर्स में पानी ज्यादा है और किन में कम है । मौजूदा पानी के साधनों के उपयोग के दूसरे तरीके भी हैं । जितने भी हमारे चैनल्स हैं और जितने भी आउटलैट्स हैं चाहे वे ट्यूबवेल्स या नहरों के हों उन सबको हम पक्का बना दें । उस पर खर्चा हमारा चाहे दो या तीन अरब रुपये हो हम उनको पक्का बना दें । मेरा ट्यूबवैल था वह काम कर रहा था लेकिन उसका पानी पहिले कम पड़ता था पर जब मैंने वह पक्का बना दी तो उसका पानी दुगुना हो गया और खेती के लिये काफी हो गया और मैं फिर पानी दूसरों को भी दे सका । चाहे आप इसके पक्का करने का खर्चा काश्तकारों से बाद में वसूल लें पर आपका कर्त्तव्य है कि मौजूदा साधनों को आप ठीक कीजिये ।

आपने देखा है कि इजराईल एक छोटा सा देश है । वहां केवल रेगिस्तान था । वहां के लोगों ने पहिले मुसीबतों का मुकाबला किया और इजराईल को हरा भरा बना दिया । वे किसी पर निर्भर नहीं हैं । रेगिस्तान, जिसके अन्दर एक भी पौधा नहीं उगता था आज वह हरा भरा हो गया है और आत्मनिर्भर है। आज हमारा देश, कि जो इतना समृद्ध है जिसकी जमीन भी है जहां पानी भी पर्याप्त मात्रा में निकलता है क्या हम भी अपने देश को इस तरह से हरा भरा नहीं कर सकते हैं । लेकिन बात यह है कि हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया । हमें करना यह होगा कि जो हमारे मौजूदा साधन है उनको हम ठीक करें । जहां पर ट्यूबवैल्स या नहरें नहीं निकल सकती हैं वहां पर टैस्ट वर्क लगाकर बन्धियां चलायें और बारिश के पानी को रोकने की कोशिश करें जो बारिश के टाईम में सीधे समुद्र पहुंच जाता है और उसका कोई लाभ हमारे प्रदेश को नहीं हो पाता । इस समय हमें सब लोगों को काम पर लगाकर बंधिया बनाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त बदायूं के माननीय सदस्य ने बताया कि वहां २–३ साल से ट्यूब वैल्स बने हुये हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिल पायी है । एक न एक बहाना करके उनको कनेक्शन से वंचित किया जाता है । एक एक जिले में २–२, ३–३ हजार ट्यूबवैल्स बेकार पड़े हुये हैं बिजली के बिना। अगर उनको बिजली मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा साधन उनके पास हो जाता । हमारा जिला सबसे सम्पन्न जिला है । वहां पर इस वर्ष पैडी बहुत अच्छी हुई । मैंने कभी भी इतनी अच्छी पैडी नहीं देखी । मेरे यहां गन्ना भी अच्छा हुआ । उसका कारण एक ही है कि हमारे यहां किसानों ने अपने साधन से जगह जगह पर ट्यूबवैल्स बना रखे हैं, वे गवर्नमेन्ट पर निर्भर नहीं हैं । अगर आप उन सब लोगों को भी बिजली दे देंगे तो एक एक जिला ३–३, ४–४ जिलों को खाना दे सकता है । इसके लिये जरूरत है कि आप शहरों और कारखानों की बिजली को काट कर उनको बिजली दीजिये । हम कपड़ा, तेल, शीशा, कास्मेटिक आदि के बिना रह सकते हैं लेकिन अन्न के बिना नहीं रह सकते । इस बार जितने भी हमारे साधन हैं उनको हमें कृषि के ऊपर लगा देना चाहिये ।

जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि आने वाले ३–४ महीनों में जो कमी होगी, उसको आप कैसे पूरा करेंगे । आप कहते हैं, दिसम्बर में ६७ हजार टन मिलेगा और जनवरी में ९० हजार टन मिलेगा, लेकिन क्या इससे आपका काम चल जायगा। हमारे मंत्रिगण स्वयं इस बात का उदाहरण पेश करें कि वे अपने खाने को घटा कर कमी के इलाके वाले लोगों को भेजें और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस अभियान की ओर अवश्य ध्यान देगी और अगर यह अभियान चला तो देश में जल्दी ही अन्न की कमी पूरी हो जायगी ।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । चूंकि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिये समय घटा कर ८–१० मिनट कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

१५ मिनट काफी ज्यादा हैं इसलिये ७–८ मिनट किया जाता है ताकि ज्यादा लोग बोल सकें ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन का शरद्कालीन अधिवेशन भयानक अकाल की छाया में प्रारम्भ हो रहा है । हमें दुख है कि मंत्रिगण आज भगवान को कोसने लगे हैं कि हम क्या करें भगवान ने पानी ही नहीं बरसाया । लेकिन जब फसल अच्छी होती है तब वे ही वक्तव्य देते हैं कि हमारी योजनाओं से इतने गल्ले की पैदावार बढ़ गयी है । मनुस्मृति में सच कहा गया है कि यद्यपि भगवान सब बातों का कारण है लेकिन अकाल का कारण राजा ही होता है:

'सर्वस्य कारणम् कालः, राजा कालस्य कारणम्' ।

प्रदेश में इस समय जो अकाल पड़ रहा है यह भारतवर्ष में कोई नई चीज नहीं है हर समय में यहां अकाल पड़ते रहे हैं, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, कभी बिहार में, कभी आन्ध्र में, कभी उड़ीसा में और अब यह हमारा प्रदेश भी अकाल की चपेट में आया है । मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की गलत योजनाओं के कारण ही यह अकाल पड़ा है । जब हम ने पैसा महिला मंगल केन्द्र में खर्च किया, पंचायत घर में खर्च किया, जब हम ने पैसा ज्वाहर बाल क्रीड़ा केन्द्र में खर्च किया, जब हमने पैसा ढोल मंजीरा और दरियों पर खर्च किया लेकिन धरती को हमने प्यासा रखा तब अकाल पड़ेगा ही । आज हमारे यहां केवल २२.५ प्रतिशत जमीन ही सिंचित है और ७८ प्रतिशत से अधिक जमीन असिंचित है तब ऐसी दशा में सूखे की स्थिति में भुखमरी की स्थिति न हो तो और क्या हो । इसलिये मेरा चार्ज है कि जिस सरकार ने धरती माता को प्यासा रखा है, जिस ने धरती की प्यास नहीं बुझाई है उसीकी अक्षमता के कारण यह अकाल पड़ा है । सिंचाई के साधन हमने नहीं बढ़ाये और आज यह हालत पैदा हुई । फिर भी आज यह समय दोष देने का नहीं है । यह सरकार जो कुछ यहां के निवासियों के लिये कर रही है और जो नीति आज सरकार की है उसी पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा ।

आप कहते हैं कि हमने टेस्ट वर्क पर मजदूरी बढ़ा दी है लेकिन मैं सदन को बताता हूं कि इलाहाबाद का कलेक्टर आज भी वहां ६० पैसा ही देता है वयस्कों को, ५० बच्चों को और ७५ पैसा महिलाओं को । आप कहते हैं कि हमने टेस्ट वर्कस पर सस्ते गल्ले की दुकानें खोली हैं लेकिन वहां पर भी बहुत भ्रष्टाचार है । ३,००० रुपया मजदूरी बांटी गई लेकिन १६,००० रुपये का गल्ला दूकानदार ने उठा लिया, वह कहां गया इस की आप जरा जांच अवश्य करा लें । इलाहाबाद के जिलाधीश से बात करो तो वह कहते हैं कि विद्यार्थियों के आन्दोलन से ही फुर्सत नहीं है, आप उन का आन्दोलन बन्द करायें और उन्हें गिरफ्तार करायें तो हम इधर ध्यान दें, ऐसी अनर्गल बातें वह करते हैं । मेरा निवेदन है कि आप देहात में इस तरह से बरबाद होने के लिये गल्ला न भेजें जब तक कि वहां उस के उचित वितरण की व्यवस्था न हो । आज भी गल्ला वहां चोरी से बिक जाता है और वह जनता तक नहीं पहुंचता और आप समझते हैं कि हमने गरीबों के लिये गल्ला भेज दिया । मैं चाहता हूं कि टेस्ट वर्क की मजदूरी के नये रेट जिलाधीश से कहकर लागू कराये जायं और वहां जो गल्ला भेजा जाय उसका ठीक से वितरण हो । शहर की तरह कार्ड की व्यवस्था की जाय ।

आप कहते हैं कि हम तकावी बांट रहे हैं । हमारे यहां करछना तहसील में २ लाख किसान परिवार हैं जिनमें से ५० हजार परिवार ऐसे हैं कि जो शायद तकावी न लें, लेकिन डेढ़

[श्री सत्य नारायण पांडेय]

लाख परिवार शायद ऐसे हैं कि जो तकावी लेना चाहते हैं। हमारे यहां चूंकि साढ़े चार इंच पानी भी नवम्बर में पड़ गया और समय से किसानों ने बीज डाल दिया था इसलिये वहां बीजमारी हो गयी। पहले देहात में बड़े बड़े किसानों के पास बीज का बन्दोबस्त रहता था और वह सवाये पर बीज दिया करते थे लेकिन नेगी जी ने अब कानून बना दिया है कि २०० मन से अधिक अब कोई किसान नहीं रख सकता। नतीजा इस का यह हुआ कि अब सवाई पर छोटे किसानों को बीज नहीं मिला। अब आपकी इस २० रुपये की तकावी से क्या होगा? आपने ४ लाख की तकावी भेजी १ १/२ लाख किसानों के लिये जो लगभग २ १/२ रुपया प्रति परिवार आता है। मेरा अनुरोध है कि इलाहाबाद जिले में कर्छना हंडिया, मेजा फूलपुर आदि जगहों में जहां बीज मारी हुई है, जहां वर्षा ४ १/२ इंच से लेकर ५ इंच तक हुयी है वहां ४ लाख तकावी का रुपया अपर्याप्त है और इसको बढ़ाना चाहिये। होता यह है कि १०-१० हजार किसान आते हैं और १२--१२ बजे रात्रि तक बैठे रहते हैं फिर उन्हें यह कह दिया जाता है कि तुमको तकावी नहीं मिलेगी। यह बहुत ही खराब बात है। तकावी की मात्रा को आप बढ़ावें ताकि जब तक आलू वगैरह की फैसल नहीं आती है किसान अपने खाने का भी प्रबन्ध कर सके और बुवाई कर सके।

सिंचाई के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप प्रत्येक गांव में तत्काल २ कुओं की बोरिंग करवा दें और प्रत्येक पर १० हार्स पावर की मोटर लगवा दें तो न आपके ट्यूबवैल्स की, न आपके नहरों की और न आपके कच्चे कुओं की, जिनका आप बहुत ढोल पीटते हैं, आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक मुझे मालूम है इलाहाबाद जिले में केवल एक या दो बोरिंग मशीन हैं। आपको चाहिये कि तत्काल आप विदेशों से शृंगार की चीजों और दवाइयों की मशीनों की खरीद को छोड़कर बोरिंग मशीन जो पत्थर को भी और बालू को भी बोर कर सकें, खरीदिये ताकि काफी मात्रा में पंपिंग सैट लगवाये जा सकें।

अन्त में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह कहूंगा कि आप आंकड़ों में और इन कागजों में न जायें बल्कि वास्तव में कुछ काम करें। आज इलाहाबाद जिले में सेवई घास की रोटी खाई जा रही है। और अगर आपने तत्काल उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो हालत बहुत ही खराब हो जायगी। इससे आप संतुष्ट न हों कि वर्षा हो गयी है। इसका परिणाम चैत और बैसाख के महीने में देखने को मिल सकता है। इस समय स्थिति यह है कि पिछली तीन फसलें रबी और खरीफ की खराब हो गयी हैं। इसलिये अनुरोध है कि आप इलाहाबाद जिले में तकावी की रकम को बढ़ाइये, सारे जिले को अकाल पीड़ित जिला घोषित कीजिये, और वहां पर किसानों के बच्चों की फीस माफ कीजिये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, वहां की हालत सुधरने के स्थान पर और खराब होगी।

*श्री राजदेव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विषय सूखे का सदन में चल रहा है यह बड़ा ही महत्व-पूर्ण विषय है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सूखे को दूर करने के लिये सरकार को सारी मशीनरी इसमें लगानी चाहिये। जिस प्रकार से सूखे का मुकाबला इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, वह पर्याप्त नहीं है। मुकाबला करने में जो मशीनरी लगी हुयी है, वह दक्ष नहीं है, उसमें ढील ढाल हो रही है। देवरिया जिले के अन्दर जो तहसीलें सलेमपुर दक्षिणी देवरिया और हाटा आदि हैं, उन सब में खरीफ की फसल सूख गयी है और बिलकुल ही कुछ नहीं हुआ है। धरती में पानी की बूंद तक नहीं है। किसान लोग कच्चे कुयें खोद खोद कर दिन रात मेहनत करके सिंचाई कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो प्राइवेट ट्यूबवैल आज लगे हुये हैं सालों से, किसानों ने सरकार से कुछ तकावी ले कर और अपनी गाढ़ी कमाई लगा कर जो ट्यूबवैल बनवाये, उन को बिजली आज तक क्यों नहीं दी गई। परिणाम यह है कि सारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खेती सूख रही है । सिंचाई और बिजली विभाग के इंजीनियर कहां हैं, मंत्री जी कहां हैं, कुछ पता नहीं । सारा प्रदेश अकाल से पीड़ित है, किसान परेशान हैं लेकिन प्रदेश के सिंचाई और बिजली विभाग के मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं । यह कितने शर्म की बात है । सम्भवतः मंत्री जी घर पर सो रहे हैं । मैं चाहूंगा कि जो ट्यूबवैल बने हुये हैं उनको बिजली सरकार दे । एक गरीब किसान अपने मैले कपड़े पहन कर डी० एम०, डी० पी० ओ० के पास बिजली के लिये जाता है लेकिन निराश हो कर लौटता है । रामकोला ट्यूबवैल की यही कहानी है । फिर आप बतायें कि आप का रबी अभियान कैसे चलेगा । ट्यूबवैल्स की नालियां सब नष्ट भ्रष्ट हैं । हाटा के अन्दर एक गांव में ट्यूब वैल बना, नाली बनायी गयी और उस में पानी छोड़ा गया तो चन्द मिनटों में ही नाली टूट गयी ।

आज छितौनी बांध कहां है । सिंचाई मंत्री जवाब दें । गरीबों की गाढ़ी कमाई से बना छितौनी बांध टूट गया । हमारे सिंचाई मंत्री नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि जहां नालियां टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत की जाय, प्राइवेट ट्यूब वैल्स को बिजली दी जाय चाहे वे निजी नलकूप सरकारी ट्यूबवैल के पास ही क्यों न हों । हो क्या रहा है कि सरकारी नलकूपों से नालियां खराब होने के कारण या मशीनरी खराब होने के कारण पानी नहीं मिल रहा है किसान को और दूसरी तरफ उसके कमान्ड एरिया में निजी नलकूप को सरकार लगाने नहीं देती । ऐसे कानून को आप खत्म कीजिये । अगर आप सचमुच अभाव का मुकबला करना चाहते हैं तो सरकार अपनी निद्रा को त्यागे और किसानों की जरूरत को पूरा करे ।

आधा देवरिया बाढ़ से गया और आधा देवरिया सूखे से गया लेकिन मंत्री महोदय का पता नहीं कि वे कहां हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रान्त का किसान सबसे ज्यादा मुसीबत में है, खाने का कोई इन्तजाम उसके पास नहीं है । इस समस्या को सरकार को अविलम्ब हल करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

*श्री झारखंडे राय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत कुछ महीनों में हमारे प्रदेश को सबसे बड़ी दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । एक तो सूखे का और दूसरे खाद्य का । पिछली एक शताब्दी में संभवतः ऐसा सूखा नहीं पड़ा जैसा कि इस समय है । इस सूखे का फैलाव व विस्तार केवल हमारे प्रदेश में नहीं है बल्कि इसकी बाहों के चंगुल में बिहार, बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी आ गया है । पिछले २० वर्षों में देश और प्रदेश के पैमाने पर जितना रुपया खर्च किया गया सिंचाई योजनाओं में और किसानों के सूखे व प्यासे खेतों को जितना पानी मुहैया किया गया उस सबके लिये प्रकृति की ओर से केवल एक चैलेंज मीट करने में यह सरकार पूरे तौर से असफल हो गयी और इसकी सारी योजनायें एक ही परीक्षा में धराशायी हो गयीं । इस सरकार को अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह गद्दी पर बनी रहे, इसे इस्तीफा दे देना चाहिये जो एक चैलेंज का मुकाबला न कर सकी और किसानों को पानी मुहैया न कर सकी । ऐसे गंभीर विषय पर, राष्ट्रीय विपत्ति पर विचार हो रहा है उस समय यहां पर कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री और खाद्य मंत्री लापता हैं और सारी जिम्मेदारी वयोवृद्ध नेता हुकुम सिंह के सबल कन्धों पर फेंक कर लापता होने से यह सिद्ध होता है कि कोई भी इस परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता । मैं यह समझता हूं कि यह सूखा कांग्रेस पार्टी के लिये एक वरदान स्वरूप आ गया है और इसका पूरा इस्तेमाल आगे आने वाले चुनाव के लिये किया जा रहा है । सूखे की स्थिति इतनी भयावह है कि घंटों उसकी कहानियां यहां कहीं जा सकती हैं । मैं सूबे के कोने कोने में अपनी पार्टी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झारखंडे राय]

कार्य से घूमा हूं, इसलिये मुझे बहुत बड़े इलाके का प्रत्यक्ष अनुभव है । यदि गोंडा से गोरखपुर लूप लाइन पर चला जाय तो रेल जो कि प्रदेश के सीमान्त अन्तरों को छूती हुई चलती है और उसका फैलाव प्रदेश के अन्दर ही नहीं, नेपाल की सरहद और हिमालय की तलहटी तक भी है वहां आप देखेंगे कि २०, ४० मील तक खेत जल कर खाक हो गये । उसका परिणाम यह हुआ कि बस्ती, देवरिया और गोरखपुर के उत्तरी अंचल के जो हजारों किसान बहुत काफी मात्रा में धान ले खाते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे आज उससे वे महरूम हो गये । यह एक भयंकर अकाल है जिससे हमारा प्रदेश जल रहा है ।

कच्चे कुयें की जो स्कीम चलायी गयी है मैं समझता हूं यह एक बिलकुल बेकार सी चीज है जो केवल रुपये से कुछ वोट खरीदने के लिये इस्तेमाल की जा रही है । जैसी कि कहावत है, जिससे आप भी परिचित हैं कि जब घर में आग लग जाय तब कुआं खोदा जाय । इस प्रकार से सरकार ने अपनी सिंचाई योजना की असफल नीति का परिमार्जन करने के लिये यह नीति अपनायी है ।

मैं अपनी पार्टी के कार्य के सिलसिले में गोरखपुर, बस्ती आदि के इलाके में गया था और वहां के सैकड़ों किसान हमारी मीटिंग में आये थे । उन्होंने एक बात कही जो मैं इस सदन के सामने कहना चाहता हूं और वह एक चेतावनी होनी चाहिये इस सरकार को और एक लज्जा का विषय हमारे पूरे राष्ट्र के लिये है और हमारी इस कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के लिये है । वहां के किसान एक अंग्रेज की जमींदारी में रहते थे जिनका नाम था मिस्टर बर्ड । उन्होंने उन किसानों को बसाया था, उनके लिये नहरें वगैरह बनवाई थीं । उस अंग्रेजी की जमींदारी में बसे हुये किसान आज क्या कहते हैं कि इस राज्य से तो अंग्रेजी राज्य अच्छा था । मैं समझता हूं कि इस सरकार को मर जाना चाहिये कि आज बीस वर्ष की आजादी के बाद भी किसान यह कहे कि इससे अंग्रेज अच्छा था । इससे ज्यादा नालायकी का सर्टिफिकेट और कोई हो नहीं सकता है । आजमगढ़ जिले में मंडवार तहसील में एक तिहाई हिस्सा, लालगंज तहसील का तीन हिस्सा और तहसील सदर का तीन हिस्सा सूखाग्रस्त है । आपको ताज्जुब होगा कि मैं वहां चालीस चालीस मील तक इक्के और साइकिल से गया मगर उतने भूखंड में एक बूंद भी पानी नहीं मिला । कुछ गूलें वहां बन गयी हैं जिससे राहत मिली है इसमें कोई संदेह नहीं है और इसकी चर्चा मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में की है । हमारे प्रदेश में १७ करोड़ रुपया प्रति वर्ष खेती पर खर्च होता है लेकिन नतीजा यह होता है कि हमारा प्रदेश आज भयंकर सूखे से पीड़ित है । जिस प्रदेश की ५० फीसदी से अधिक आय कृषि से हो और ८० फीसदी तक निर्यात खेती से होता हो वह देश अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी अपने पैरों पर कृषि के मामले में खड़ा न हो सके । आज भी हम अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, चीन या रूस, किसी के भी सामने भिक्षुक की तरह से खड़े होने के लिये मजबूर हो गये हैं । इस कांग्रेस सरकार ने पूरे मुल्क को लज्जा में डुबो दिया है ।

आप अगर देखें तो ३१ करोड़ एकड़ भूमि सारे देश में कृषि योग्य है जिसमें से केवल ६ करोड़ एकड़ भूमि की सरकारी योजनाओं द्वारा सिंचाई हो पाती है । यह बीस वर्ष का पूरा रेकार्ड है और जब कि सिंचाई रेट कांग्रेस के राज्य में तिगुना हो गया है । यह कोई गर्व की बात नहीं है । सब से मजे की बात तो यह है कि जब इतना भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, कच्चे कुयें और गूलें वगैरह बनायी जा रही हैं वहां दूसरी तरफ सात लाख कुएं जो किसी जमाने में चाहे राजाओं ने या किसानों ने या बड़े जमींदारो ने बनवाये थे वे बिलकुल बरबाद हो गये, पट गये । क्या बड़ी योजनाओं के साथ-साथ छोटी २ योजनाओं के साथ साथ पुराने जो सिंचाई के साधन थे उनको सरकार को नष्ट हो जाने देना चाहिये था ? या उनको भी इन्टैक्ट रखना चाहिये था । यह सरकार की नीति है । यह जो अंग्रेज नहरें बना गये थे वे चौपट हो गई हैं, उनमें घास जम गई है, नये साधन बनाते जा रहे हैं पुराने साधन नष्ट होते जा रहे हैं । यह इस सरकार की नीति की विडम्बना है ।

हमारे देश में ९० फीसदी नदियों का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है। क्या इसको रोककर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ? इसके रोकने का कई उपाय नहीं है। आज स्थिति यह है कि आजमगढ जिले में घोसी तहसील में पनकी ताल है। वहां पर ८० हजार मन धान पैदा होता है। यह सूख रहा था। हमने मंत्री जी को लिखा चीफ इंजीनियर को लिखा और पी० ए० सी० में भी ध्यान दिलाया गया और हमसे कहा गया कि पानी देने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। लेकिन वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं दिया गया और वह धान सूख गया। मैं कहता हूं कि ऐसे अधिकारियों का इम्पीचमेन्ट होना चाहिये, उनको पनिशमेन्ट मिलना चाहिये जो इतना आग्रह करने पर भी काम नहीं करते ह। आज देश के कोने कोने में नहरों और टयूववेल्स की मांग हो रही है। आजमगढ़ जिले में २५२ टयूबवेल्स हैं, गाजीपुर में ४५०, बनारस में ५५० हैं। आजमगढ़ में केवल ४ टयूववेल्स और मिले हैं। उनसे क्या किया जा सकता है अगर खाली लालगंज तहसील में लगाये जायं तब भी वहां कुछ नहीं होगा। हमारे जिले में टयूबवेल्स की संख्या दुगनी की जाये तब कुछ हो सकता है।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इस वर्ष जो सूखा पड़ा है वह एक अभूतपूर्व सूखा है। इसकी स्थिति का नक्शा जब हमारे सामने आता है तो हमें अत्यन्त दुखी होना पड़ता है इसके ऊपर विचार करते समय। यह एक संयोग की बात रही कि स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था अन्न उत्पादन और खाद्य समस्या का हल करना। संयोगवश परीक्षा का समय हमारी योजनाओं के विषय में नहीं आया जिससे हम अन्दाजा लगा लेते कि हम किस हद तक सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। अन्न के उत्पादन में कृषि विभाग, सिंचाई विभाग और सहकारिता विभाग लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग में जितना रुपया खर्च किया जा रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। तमाम टयूबवेल्स बनाये गये, सिंचाई के साधन उपलब्ध किये गये, बाढ़ की समस्या पर काबू पाने के लिये बड़े-बड़े बांध बनाये गये। लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो मैं यह कहने में संकोच नहीं करता कि हम सिंचाई के मामले में अकर्मण्य सिद्ध हुए हैं।

मेरी तहसील नानपारा में टयूबवेल्स बने हुए हैं उनकी गूलें निकम्मी बनी हुई हैं। सीमेंट में बहुत बालू मिली हुई है जिसके कारण वे फूट जाती हैं और पानी नहीं मिल पाता है। मेरे यहां कुछ क्षेत्र में मक्का पैदा होती है। तराई क्षेत्र ४० से ५० परसेंट तक मक्का पैदा हुई है लेकिन धान नष्ट हो गया है। हमारे राजस्व मन्त्री जी ने सूखा क्षेत्र का दौरा किया है मुझे बड़ा असमंजस लगा जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जहां से विरोधी दल के प्रतिनिधि आते हैं वहां पर सरकार सौतेला व्यवहार करती है। मुझे शिकायत है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने दौरा किया तो वह अन्य क्षेत्रों में गये और हमारे साथी प्रेमसिंह जी के क्षेत्र चरदा में दौरा किया लेकिन हमारे कहने के बावजूद भी हमारे यहां नहीं आये। उन्होंने कहा कि मैं उन क्षेत्रों को देखने दो जहां ज्यादा सूखा है। मैं कहता हूं कि जिन टयूबवेलों से पानी नहीं दिया जा रहा है उनकी चेकिंग होनी चाहिये। मैं चरदा क्षेत्र में ही उमरिया की मिसाल देना चाहता हू पम्पिंग सेट से वहां सिंचाई की गई है। वहां काफी धान पैदा हुआ है वहां पर ६० परसेंट धान को बचाया जा सका है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिन किसानों की लाभकर जोत मानी जाती है उन पर दबाव दिया जाय कि वे पक्के कुयें बनायें और जो लागत लगे गवर्नमेंट उसको दे। और उनसे लगान के रूप में वह रुपया दस पन्द्रह साल में वसूल कर लिया जाय। मुझे दुख होता है कि भानु प्रताप सिंह जैसे अनुभवी व्यक्ति ने यह कहा कि २० रुपया जो कच्चे कुएं खोदने के लिये दिया जा रहा है वह वोट खरीदने के लिये दिया जा रहा है। उसका दुरुपयोग होगा। पांच रुपये लेखपाल ले लेता है, पांच रुपये वसूली के वक्त देगा, पांच रुपये सर्टिफाई करेंगे तब ले लिया जायगा, किसान के पास पांच रुपया बचेगा। उन्होंने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बात कही है। यह सोलह आने गलत बात है। मैंने अपनी तहसील में स्वयं देखा है। जो बीस रुपया दिया गया, एस डी० एम०

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

ने बुला कर किसानों से पूछा कि आपसे किसी ने कुछ लिया तो नहीं किसानों ने कहा कि कुछ नहीं लिया। माननीय राजस्व मंत्री ने एलान किया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार होगा तो उन अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम सब जन प्रतिनिधि हैं, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के।

माननीय सत्यनारायण जी ने मनुस्मृति का एक श्लोक सुन कर राजा पर सब डाल दिया। लेकिन आज यदि राजा विराजमान होता तो हम अर और आप यहां नहीं होते। कोई राजा नहीं है। प्रजा का राज्य है। उसके प्रतिनिधि चुनकर हम आते हैं। आज समय इस बात का है कि हम सब बैठ कर यह सोचें कि इस समस्या को कैसे हल किया जाय, खाद्य समस्या पर कैसे काबू पाया जाय। जो २० रुपया दिया जा रहा है उससे किसान चाहे कच्चा कुआं खोदे या न खोदे, लेकिन उसको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रलोभन मिलेगा कि यदि वह कुंआं खोद लेता है तो २० रुपया सहायता के रूप में मिल जायगा। भानु प्रताप जी ने कहा कि तालाब खुदवाएं जायं। कैसा हास्यपूर्ण सुझाव दिया है। तालाब खोदा जायगा तो बरसात में भरेगा और आवश्यकता इस बात की है कि अगर पानी न बरसा तो माघ और फागुन में सिंचाई की आवश्यकता होगी उस समय कच्चे कुओं से सिंचाई कर सकें। वोट तो समाज सेवा पर निर्भर करता है। आप सेवा करेंगे तो आप को मिलेगा हमारा दल सेवा करेगा तो जनता उसको वोट देगी। इस लिये यह चुनाव और वोट का प्रश्न नहीं है। यदि हम चुनाव की चर्चा सूखे के समय में भी करते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री चन्दन सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी क वक्तव्य से जाहिर है कि तमाम प्रदेश में सूखा मानते हैं और वाकई सूखा है। आप आंकड़े उठा कर देख लीजिये। जमुना नहर में सिर्फ साढ़े चार क्युबिक फीट पानी चला है। यह सूखा नहीं है तो सूखा किसको कहते हैं? पिछले साल हमारी कितने लाख एकड़ की कृषि हुई? और इस पर भी इस बार ४ लाख एकड़ की कृषि हुई तो यह किस आधार पर आंकड़े लिखे गये हैं। इसके लिये ७ पानी की आवश्यकता है। देशी गेहूं के लिये तीन पानी की आवश्यकता है। अगर इसका कोई एक्सपेरीमेन्ट हुआ था कि कम पानी में बोया गया और उससे ज्यादा उपज हुई तो विभाग को इस पर बल देना चाहिये था। मंत्री जी ने जो वक्तव्य दे दिया है उसके लक्ष्य बड़े ही भ्रान्तिपूर्ण हैं खरीफ की बात रबी में और रबी की बात खरीफ में रखकर बड़ा भ्रम उत्पन्न किया गया है, इससे कृषकों को भी नुकसान होता है और प्रदेश को भी नुकसान होता है।

हमारे यहां सूखा मंत्री ने मान लिया है, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। ५ अक्तूबर को बिजली विभाग का एक जी० ओ० निकला कि उन लोगों को बिजली नहीं दी जायगी जो नहर के ७०० मीटर और २०० मीटर टयूबवेल के और १०० मीटर डिस्ट्रीब्यूटरियों के जिनके एन्ड पर पानी नहीं जाता, के अन्दर जिनकी भूमि है। फिर ऐसा प्रतिबन्ध क्यों लगा रहे हैं। एक तरफ तो वह सोच रहे हैं कि ५ हजार रुपया लोन लेकर ६ इंच बोरिंग कर रहे हैं और टेम्पोरेरी साधन अपने इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप उसे बिजली नहीं देते हैं। आयल एंजन में तो डीजल उपयोग नहीं होता है। आप हम पर ऐसा प्रतिबन्ध क्यों लगा रहे हैं कि जो नहरी कमान्ड और टयूबवेल कमान्ड होगा वहां पर अनुदान नहीं मिलेगा? जो नहरी कमान्ड और टयूववेल कमान्ड में जो व्यक्ति टयूबवेल लगायेगा वहां पर ५० परसेन्ट और २५ परसेन्ट की इलेक्ट्रिक में सरकार छूट नहीं देगी। हमारे पश्चिमी इलाके में अंग्रेज साधन बना गये, तो हमने कौन सा गुनाह किया है कि हमारे लिये कानून दूसरा और दूसरों के लिये दूसरा। यह कहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का न्याय है कि हमारे लोग गाड़ी पर चढें तो पटरी पर खड़े रहे और पूर्वी जिले के चढें तो अन्दर तन कर बैठें। हमारे ऊपर तरह-तरह का प्रतिबन्ध आखिर क्यों लगाया गया है।

श्री राममूर्ति—

नहर के पास लगा सकेंगे।

श्री चन्दनसिंह—

नहीं यह भी नहीं है। मैं आपको जी० ओ० दिखा सकता हूं, कागज दिखा सकता हूं, जिस पर लिख दिया गया है कि नहीं बिजली मिलेगी। यदि नहीं है तो कल से लगने शुरु हो जायेंगे। मेरे साथ अन्याय बन्द किया जाय, हमारे भी साधन बढाये जायं, हमारे भी बच्चों की फीस माफ हो, हमें भी छूट दी जाय, हमारा भी लगान माफ किया जाए, क्योंकि हम भी प्रदेश में रहते हैं।

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर अनावृष्टि हुई। यह मानना पड़ेगा कि पिछले ४०, ५० वर्षों में इतनी बड़ी अनावृष्टि नहीं हुई थी तो यह स्वाभाविक है कि उसका बुरा असर सारे प्रदेश पर पड़े। हमारी खरीफ की फसल जितनी बरबाद हुई उसका सही अनुमान तो आने वाला है लेकिन जो अनुमान हुआ है उससे यह लगता है कि भारी संकट हम लोगों के सामने है। इस जाड़े के महीने में आदमी कुछ ज्यादा अनाज का उपभोग करते हैं तब ऐसे बहुत भारी कमी महसूस होगी। डर यह भी लगता है कि अगर पूरी पूरी परवाह नहीं की गई तो अन्न के बिना किसी की मौत भी हो सकती है। तो श्रीमन्, बड़ी भारी भयानक स्थिति है। कोई भी सरकार और खासकर वह सरकार जिसे जनता के समर्थन की जरूरत हो वह कभी सोच भी नहीं सकती है कि इस तरह की मुसीबत पैदा हो, लेकिन ऐसी मुसीबत आई। मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसकी परवाह समय से हुई। समय से जो मानवीय ढंग से उसका प्रबन्ध किया जा सकता है। उसमें सरकार कुछ भी कसर उठा नहीं रख रही है।

माननीय झारखन्डे राय की बात मैं अभी सुन रहा था और सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उनका कहना यह है कि अगर हमारी सिंचाई की व्यवस्था हुई होती ठीक तरह से तो यह अकाल नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस इलाके में सूखा पड़ा हुआ है उस इलाके में तो पहले से ही सिंचाई की व्यवस्था कम थी। पिछले १५, १६ वर्षों में कुछ सिंचाई की व्यवस्था हुई है लेकिन फिर भी भूमि जो खेती में है उसका कितना अंश सिंचाई के क्षेत्र में हैं। अगर सारे प्रदेश को लिया जाय तो १ करोड़ ४० लाख एकड़ क्षेत्र में कमो बेश पानी पहुंचाया जाता है। अब ४ १/२ करोड़ एकड़ में हमारी खेती है। अगर इस १ १/२ करोड़ एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाय तो ३ करोड़ एकड़ में आबपाशी का कोई सरकारी साधन नहीं है। उनको भगवान के भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो किसी भी हालत में छोटा-मोटा आप सिंचाई का साधन कर दें लेकिन सारी जमीन को पानी नहीं दे सकते। खरीफ को कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ को पानी नहर से, टयूब-वैल से और कच्चे कुंओं से नहीं दिया जा सकता। खरीफ को भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ेगा और भगवान के भरोसे काम चलाना पड़ेगा। हां, यह बात जरूर है कि जो हाई ईल्डिंग वैराइटी की खेती है उसको जरूर पानी ऐसे ढंग से देना होगा जो उसको पूरा पानी मिल सके। उसको अगर पूरा पानी नहीं दिया गया तो वह हाई ईल्डिंग वैराइटी के खेत सूख जायंगे। जिन किसानों के पास पानी का प्रबन्ध था उन्होंने तो उसको बचा लिया और उसकी अच्छी फसल पैदा की, जहां पानी की कमी थी वहां वह नहीं हुई। जहां किसानों ने पानी दिया वहां अच्छी इसकी पैदावार हुई है। एक किसान के यहां ८५ मन एक एकड़ में पैदा हुआ। अगर पानी हर खेत में पहुंच सकता तो किसान अपनी फसल को बरबाद नहीं होने देता।

[श्री गेंदासिंह]

श्रीमन, इस संकट का मुकाबला करने के लिये सरकार ने कच्चे कुवों की ओर ध्यान दिया। जो आधा एकड़, एक एकड़, दो एकड़ के किसान हैं वे पक्के कुवें नहीं बनवा सकते क्योंकि उसमें काफी लागत बैठती है। इसलिये सरकार का ध्यान इनकी समस्या की ओर गया। यह कोई मामूली समस्या नहीं है, सबसे बड़ी यह समस्या है। इस सूबे की अगर कोई समस्या है तो वह ३ एकड़ से नीचे वाले किसानों की है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप कल अपना भाषण जारी रखें।

प्रदेश में छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मुझे कितना समय मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

१५ मिनट।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। 'छात्र आन्दोलन से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिये सरकार द्वारा अपनायी गयी अव्यवहारिक अविवेक-पूर्ण एवं गलत नीति के कारण आज राज्य के समस्त विश्वविद्यालय तथा अधिकांश शिक्षण संस्थायें बन्द हैं। पढ़ाई की भारी क्षति हो रही है। छात्र इधर उधर भटक रहे हैं तथा आर्थिक हानि हो रही है। विश्वविद्यालय बन्द होने के कारण पूरे प्रदेश में एक तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त है। सरकार द्वारा स्थिति को सामान्य बनाने के लिये, विद्यालय खोलकर कोई समुचित पग न उठाये जाने के कारण पूरे प्रदेश में सरकार के प्रति उत्तेजना तथा अविश्वास का वातावरण निरन्तर बढ़कर शांति तथा व्यवस्था के लिये भयंकर संकट की दशा उत्पन्न हो गयी है।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर बिचार करने के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन अपना कार्य स्थगित करे।'

मान्यवर, मैं एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसके बारे में यह प्रदेश ही नहीं सारा भारतवर्ष चिंतित है। हमारे अनुभव में आया है कि जहां कहीं भी विद्यार्थी अनियंत्रित हुए हैं वहां की सरकार की स्थिति डावाडोल हो गई है। आज हमारे देश में बाहर से भयंकर स्थिति उत्पन्न है, दुश्मन हमारे दरवाजे पर है, आन्तरिक स्थिति भी बड़ी भयंकर है। देश की आर्थिक स्थिति को देखकर, ला एन्ड आर्डर को देखकर, आन्दोलनों को देखकर कोई भी व्यक्ति जो देश का हितैषी है और बिचारक है वह आज बड़ा दुखी है। ऐसी परिस्थिति में हम स्टूडन्टस की आजकल की गतिविधियों पर बिचार करने जा रहे हैं। दरअसल हमको इसके मूल कारण में, श्रीमन, जाना चाहिये। स्टूडेन्टस से इस वर्तमान राज्य के पहिले भी अन्य सरकार ने विदेशी सरकार ने जो उसके साथ व्यवहार किया जो उनको व्यवहार दिया, मैं समझता हूं कि इस सरकार ने उससे भी कटु व्यवहार किया। सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि आज अपनी सरकार होने पर भी शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसके पहिले कि मैं कुछ और कहूं यह एजीटेशन कैसे हुआ इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। बड़ी साधारण सी बात है। सारे देश में आग लग गई। आयुर्वेदिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छात्रों के साथ सहानुभूति रखने के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक प्रोसेशन निकाला। उसके बाद एडवोकेसी ऐक्ट के बारे में सहानुभूति में प्रोसेशन निकाला। सरकार ने प्रोसेशन को बैन कर दिया और उससे असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई। सारे प्रदेश में जो दुःखद घटना हुई वह आपको मालूम है। एक विचारणीय विषय यह है कि मैं कानपुर भी गया लखनऊ भी गया। दोनों स्थानों पर गया। एक चीज मैंने देखी। यह बात अपने स्थान पर सही है कि विद्यार्थियों की मनोवृत्ति, उनके कोमल बिचार और उनके स्वभाव को ध्यान में रखकर अधिकारियों को व्यवहार करना चाहिये। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं एक बात जानना चाहता हूं। ऐसी भी परिस्थितियां हमने देखीं कि अगर विद्यार्थी कहीं ईट चलाते हैं पथराव हुआ तो विद्यार्थियों से पहिले पुलिस आफिसर्स इसके लिये तैयार रहे कि वे लाठी चलायेंगे वे ढेले फेंकेगे। उनके पास बिकबैट्स मौजूद रहे। जब मन्की ब्रिज पर यह घटना हुई थी तो मैं वहां गया था। मैं कानपुर भी गया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी प्रेरक शक्ति है जो पुलिस को इसके लिये तैयार रखती है कि विद्यार्थियों पर ढेले चलाये जायं। विद्यार्थियों पर लाठियां चलाई जायं और विद्यार्थियों पर बुलैट्स और ब्रिकबैटस चलाये जायं। क्या यह खोखली नीति सरकार की नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जिस तरह से यह प्रश्न सुलझाना चाहती है वह उस तरह से सुलझने वाला नहीं हे और अगर सरकार बुद्धि से काम लेती तो यह परिस्थिति न होती।

एक आयुर्वेदिक कालेज का प्रश्न था और दूसरा एडवोकेसी ऐक्ट क वापिस लेने का था। क्या सरकार इस पर मौन होकर बिचार नहीं कर सकती थी। एक कान्सलटेटिव कमेटी नहीं बना सकती थी क्या इसका समाधान हो सकता था या नहीं इसमें इतना वितन्डावाद खड़ा होगा। इसमें असफलता सरकार की ही है। आज यहां पुलिस स्टेट हो गई है। सरकार जो साधन अपनाती है वह है लाठी डन्डा और गोली। मैं कानपुर जब गया था तो विद्यार्थियों की दुर्दशा देखने को मिली। वहां एक पी० पी० एन० कालेज था। जहां के प्रिन्सिपल साहब मारे गये या वे मर गये। अश्रु-गैस का प्रभाव रहा। वे केवल विद्यार्थियों को वश में करने के लिये गये थे ताकि कोई गलत स्थिति उत्पन्न न हो। दूसरी स्थिति एस० एस० डी० कालेज की थी। वहां बदले की भावना से पुलिस उनकी प्रिमेसिज में घुसी और उन पर गोली चलीं। मैं प्रिन्सिपल साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त पुलिस और विद्यार्थियों में आपस में मुठभेड हो रही थी तो छात्र पेड़ के पीछे हो गये और प्रिन्सिपल साहब ने कहा भी कि मैं इनको सम्हाल लूंगा आप चले जाइये। मैं इनको वश में करूंगा आप इन पर लाठियां क्यों चला रहे हैं गोलियां क्यों चला रहे हैं। अगर वे पेड़ की आड़ में न होते तो मर जाते। तिस पर भी प्रहार किया उन पर। प्रिन्सिपल की जान बची पर वे अधमरे हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक जो स्थिति चलती आई कि विद्यालयों का प्रथम कार्य है कि विद्यार्थियों को सम्हाले क्या वह विद्यालयों के सुपुर्द नहीं करना चाहिये। वही कार्य अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। यह केवल सरकार की नीति थी। दूसरी बात सरकार के पास इस बात का क्या जबाब है कि क्या विद्यार्थियों ने अपनी लेबोरेटरीज को तोड़ा था? क्या साइन्स के इक्विपमेन्ट को तोड़ा? क्या विद्यार्थियों ने विद्यालयों में उद्दंडता दिखायी या विद्यार्थियों को पुलिस के अधिकारियों ने मारा, उनकी लेबोरेटरी के सामान को तोड़ा, तितर-बितर किया, टीचरों को घसीट कर अन्दर से निकाला। यह उनकी कौन सी नीति है। पुलिस के माध्यम से सरकार ने विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि देश की लाखों की संपत्ति नष्ट हो गयी है, गार्जियन्स के ऊपर बहुत भार पड़ा है और प्रदेश का वातावरण विषात हुआ है। इस सब को देखकर यह बात कही जा सकती हे कि सरकार मोरली और पोलीटिकली कालेप्स हो गयी हे। आज विद्यार्थियों के द्वारा जो भी गड़बड़ हुई है, उस सबके लिये यह सरकार ही जिम्मेदार थी। हम नहीं चाहते थे कि विद्यार्थी तोड़-फोड़ करते क्योंकि उससे राष्ट्र का नुकसान होता है। इसके लिये हमने उनको कई बार कहा भी कि वे ऐसी चीजों में भाग न लें। उसके लिये उनके मां बाप को ही तो टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सरकार ने एजूकेशन के पेटर्न को अभी तक क्यों नहीं बदला। अगर सरकार उसको बदलती और विद्यार्थियों के साथ अच्छा सलूक करती तो ऐसी

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

हालत कभी न हुई होती। सरकार ने विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिये शांति का मार्ग नहीं अपनाया। केवल लाठी का प्रयोग किया।

इसका सबसे बड़ा कारण एक और भी है कि विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलरों के एप्वान्टमेंटस किये जाते हैं वे सब राजनीतिक दृष्टि से किये जाते हैं। आज सारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों को देख लीजिये, सिर्फ एक दो को छोड़ कर, सारे विश्वविद्यालयों में या तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं या कांग्रेस पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति है यह बात भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री छागला ने कही थी। यही कारण है कि वे विद्यार्थियों के हित में न सोच कर सरकार के हित में सोचते हैं और विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने का उचित मार्ग नहीं अपना पाते। सरकार कहती तो दूसरी पार्टीज को है लेकिन हर विश्वविद्यालय में ट्रेजरार के रूप में एक्जीक्यूटिव के मेंबर की हैसियत से नामीनेट करके, वाइस चांसलर को नामिनेट करके अपना प्रभुत्व बनाये रखती है। यूथ कांग्रेस वहां पर कायम करके विधान सभा और अन्य इलेक्शनों में उनको इस्तेमाल करती है। यही कारण है कि १-२ विद्यार्थी भले ही किसी और पार्टी का मेम्बर हो सारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। वाइस चांसलरों के स्थानों पर यह सरकार हाई एजूकेशनिस्ट न रख कर अपने लोगों को खुश करने के लिये वाइस चांसलर नियुक्त करती हैं। इससे विद्यार्थियों में डिसिप्लिन कायम नहीं रह पाता, उनकी शिक्षा संबंधी बातों से उनको संतोष नहीं होता। विद्यार्थियों में उनके प्रति कोई भी श्रद्धा और प्रेम नहीं होता। उनमें कर्त्तव्य की भावना भी नहीं होती। इसलिये उनकी बातों को वे नहीं मानते।

आज हमारी शिक्षा पद्धति क्या है, वही जो २० वर्ष पहले की नीति थी वही आज भी जारी है और केवल एक पढ़े लिखे बेकारों की फौज हम तैयार करते चले जाते हैं। शिक्षा का जीवन में जो आदर्श होना चाहिये वह हमें कहीं नहीं दिखाई देता, पुरानी शिक्षा प्रणाली में समयानुसार परिवर्तन नितान्त आवश्यक है, मैं परिवर्तन के माने यह नहीं कहता कि हम २०० साल पहले चले जायं लेकिन जो हमारे पुराने आदर्श थे उनको हमें अपनाना चाहिये। विद्यार्थियों के चरित्रगठन के सम्बन्ध में इस सरकार ने क्या किया? उनको राष्ट्र के प्रति प्रेम का कोई पाठ पढ़ाया गया? उनमें सेल्फ लेस कार्य करने की कोई प्रेरणा पैदा की गई? इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई और उसका फल यह हुआ कि उनमें उद्दंडता और आदर्शहीन जीवन का आविर्भाव हुआ। केवल उन का यही उद्देश्य रह गया कि परीक्षा पास करके नौकरियों की तरफ जायं। यही जीवन का उद्देश्य आज उनके सामने रह गया है इस तरह से कभी भी एक आदर्श जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।

इसके अलावा आप देखें कि शिक्षा संस्थाओं में आज विद्यार्थियों का ओवर क्राउडिंग है। बजाय इसके कि उनको टेकनिकल शिक्षा देश की जरूरत के अनुसार दी जाती उनको आज इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है कि वह वहां से निकल कर इधर उधर भटकते हैं। उनके सामने राजनीतिज्ञों या पालिटिशियन्स ने जो आदर्श रखा है या सर्विसेज ने जो जीवन का आदर्श उनके सामने रखा है कि रुपया पैसा ही सब कुछ है वही जीवन का मूल्य है, उसी पर वह चले जा रहे हैं। आज समाज में जीवन में जिसके पास रुपया है चाहे वह बेईमानी से कमाया गया हो या अच्छे तरीके से कमाया गया हो, वही एक आदर्श है। लेकिन विद्यार्थियों का चरित्र ऊंचा हो, उनके आदर्श ऊंचे हों, गलत तरीके से कमाये गय रुपये वालों को मान्यता समाज में न मिले वह आदर्श अपनाये ही नहीं गये हैं, यह आदर्श ही हमारे दिमाग से गायब हो चुके हैं। आज उनके लिये प्रेरणा उनको मिलती है, उनको आदर्श सामने मिलता ही नहीं है जिस पर वह चलें।

इसके अतिरिक्त पढ़ने के बाद विद्यार्थियों के लिये कालेज आवर्स के बाद कोई एक्सट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज ही नहीं रह गई हैं। इस कारण से भी उनको अच्छी एक्टिविटीज में लगाये रखने में हम असफल रहे हैं। हर चीज में यह सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करती है और फिर बातचीत में ही सारा मामला समाप्त हो जाता है और उसका कोई फल नहीं निकलता

है । ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी हो कि जिसमें विश्वविद्यालय के लोग भी हों, शिक्षा विशेषज्ञ हों और विद्यार्थियों के प्रतिनिधि भी हों और सारी समस्याओं पर वह विचार करें, इससे उलझने के बजाय समस्या सुलझ सकती है।

पोलिटिकल इन्टरफीयरेंस होता है, यह बात मैंने जनरल कही, टीचर्स की नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनमें भी राजनैतिक हस्तक्षेप चलता है और नतीजा यह होता है कि अयोग्य लोग आ जाते हैं जो चरित्र की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से स्टेंडर्ड के मुताबिक नहीं होते। उनका कोई कानटेक्ट विद्यार्थियों से नहीं रहता तो आदर्श की स्थापना या चरित्र कैसे उठ सकता है और उनमें अनुशासन की मनोवृत्ति कैसे सबल हो सकती है। वह इस तरह से कभी नहीं आयेगी।

एक चीज और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वह यह है कि अभी भी समय है, सरकार सोचे कि जो विद्यालय बन्द हैं या जो इस झगड़े की जड़ आयुर्वेदिक कालेज है वह बन्द है और फिर वही परिस्थिति उत्पन्न न हो उसको रोकने के लिये सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया और सारा मामला खटाई में पड़ा हुआ है। इस बीच के समय को उपयोग में लाकर यदि सरकार कोई ऐसी बाडी नियुक्त करती जो इस सारे विद्यार्थियों के मामले पर विचार करती और कोई ऐसा हल निकालती कि भविष्य में इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न न होती। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बृजभूषण शरण (जिला देहरादून)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय जो आज नेता विरोधी दल ने सदन के समक्ष रखा है वह प्रदेश के लिये ही नहीं, वरन सम्पूर्ण देश के लिये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम सब लोग, जिनको देश का हित है, वे इस बात से पिछले २-३ महीनों से बहुत ही चिन्तित रहे हैं कि यह जो कठिनाई हो रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है। समस्या तो है लेकिन उसका कोई न कोई हल अवश्य निकाला जाना चाहिए। यहां माननीय नेता विरोधी दल का जो विश्लेषण है उससे मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने यहां पर यह दलील दी है कि पुलिस वाले बिला वजह विद्यार्थियों के छात्रावासों में घुसे, लेबोरेटरीज के सामान की तोड़फोड़ की, और सामान उठा कर ले गये। लेबोरेटरीज को तहस नहस करते हैं और वहां पर विद्यार्थियों और अध्यापकों को मारते हैं। मैं यहां पर कोई विरोधाभास की बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं सरकार की नीतियों से भी पूर्णतया सहमत नहीं हूं, परन्तु उसके कारण कुछ और समझता हूं। यह बात ऐसी है कि कहने में ही अटपटाव मालूम होती है, जैसे कि पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया कि वे छात्रालयों में घुसें और छात्रों की मारपीट करें। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी दलील में कहा है कि यह सरकार विद्यालयों को और छात्रों को राजनीति में प्रयोग करती रहती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यदि वह सरकार उनको राजनीति में इस्तेमाल करती है तो क्या हमको पागल कुत्ते ने काटा है कि हम उनको पिटवावें। तो ऐसी बात नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि विद्यार्थियों के लिए कोई केरीकुलर एक्टीवीटीज नहीं। इसी सदन में कुछ दिन हुए यह मसला आया और यह मांग की जा रही थी कि विद्यार्थियों के लिए एन० सी० सी० को उपस्थिति (अटैन्डेन्स) जरूरी (कम्पलसरी) न की जाय। क्या यह देश की सुरक्षा के हित में नहीं है या यह कैरीकुलर एक्टीविटी नहीं है, परन्तु उसमें भी यह बात आयी।

जहां तक माननीय नेता विरोधी दल के भाषण का सम्बन्ध है जितने दोषारोपण उन्होंने सरकार के ऊपर किए हैं, उनमें मैं केवल उतनी बात तो मानता हूं कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई, जो कोर्स है, जो कैरीकुलम है, उसमें आदर्श की भावना नहीं है। ऐसे ही ऊट पटांग प्रेस्क्राइब कर देते हैं। विद्यार्थियों को कोई धर्म की बात की शिक्षा नहीं दी जाती है। धर्म का नाम लेने से ही घृणा होती है। सैक्युलर स्टेट का तात्पर्य रिलीजस स्टेट नहीं है। किसी भी धर्म में,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीबृजभूषण शरण]—

चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिन्दू धर्म हो और चाहे ईसाई धर्म हो, उनमें कहीं यह नहीं लिखा कि झूठ बोलना पुण्य है। सब धर्मों में यह लिखा हुआ है कि चोरी करना पाप है, दिल दुखाना बुरा है। तो अगर इस प्रकार की धर्म शिक्षाओं को किसी न किसी रूप से कैरीकुलम में शामिल कर दिया जाय तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे सैक्युलर स्टेट की सैंक्टिटी को खराब करना है।

जहां तक वाइस चांसलर्स की नियुक्ति का प्रश्न है इसको भी हमारी सरकार को दुबारा सोचना पड़ेगा। राजनीतिज्ञों को, चाहे उनकी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स कितनी ही हों, उनकी एकेडेमिक अटेन्मेंटस कितनी ही हों या न हों उन्हें नौकरी देने के लिए नियुक्त नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसा किया जाता है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अध्यापकों और वाइस चान्सलर्स के पदों पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जिनकी शिक्षा के जगत में ख्याति हो ताकि विद्यार्थी उनसे कुछ प्रेरणा लें कि हमारे जो अध्यापक हैं, वे शिक्षक हैं, उनके पद चिह्नों पर हम चलेंगे। इस तरह की भावना जब तक विद्यार्थियों में नहीं रहेगी तो वे अपने अध्यापकों का आदर नहीं करेंगे। यह समस्या ऐसी है कि जिस पर हमें सोचना चाहिए।

जहां तक एडवोकेसी ऐक्ट का सम्बन्ध है जिसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि जिस दिन से यह ऐक्ट पास हुआ उसी दिन से विद्यार्थियों में चर्चा होने लगी। मेरा पहले भी और आज भी यह मत है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। विद्यालयों में पढ़कर वकालत नहीं आती है। वकालत जो आती है वह नोट्स से पढ़कर, जैसा कि हम लोग करते हैं, नहीं आती है। वह सचमुच में फील्ड में आकर ही आती है। उसके लिए एक साल का समय बढ़ा दें और उसके जीवन में से एक या २ साल का समय निकाल दिया तो वह अगर अदालतों में जायें और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें तो सचमुच लाभ होगा और विश्वविद्यालयों में २५ साल तक पढ़ते रहें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा यह खयाल उस वक्त भी था और आज भी है। ४, ५ दिन हुए अखबारों में मैंने देखा था कि केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर लिया है कि ट्रेनिंग के पीरियड को घटा दिया गया है, केन्द्रीय सरकार बधाई की पात्र है और जो पहले लम्बा पीरियड रखा गया था वह अनुचित था।

मैं विद्यार्थियों की मांग का पूर्णतया समर्थक था। हां, एक बात विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूं कि ये छात्र देश द्रोही नहीं हैं, उन्हें भी देश से उतना ही प्रेम है जितना हमको और आपको है। परन्तु उनका मस्तिष्क इतना कच्चा है कि वह अभी दुनियादारी को नहीं समझते। उन्हें कुछ लोग भड़काते हैं। आप खुद सोचें कि जीवन को अस्त-व्यस्त कर देना सरकार के हित की बात नहीं होती है। हमारे यहां देहरादून में भी छात्र असन्तोष हुआ, वहां भी एक दुर्घटना हुई। परन्तु छात्रों का उसमें लेशमात्र भी कसूर नहीं है। यह जरूर है कि उन को जलूस निकालने की परमीशन दे देनी चाहिये, दी जाय, लेकिन उन्हें कैसे रोका जाय जो तोड़-फोड़ करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि विद्यार्थियों ने तोड़-फोड़ नहीं की। वे शान्तिपूर्ण तरीके से जलूस निकाल रहे थे, परन्तु कुछ गुंडे और कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे मिल गये कि उन्होंने शुरूआत की जो सामने ट्यूब लाइट आयी, स्ट्रीट लाइट आयी, उसे तोड़ा, प्राइवेट प्रोपर्टी को तोड़ा, म्युनिसिपिल बोर्ड की प्रौपर्टी को तोड़ा, साइन बोर्ड्स को तोड़ा। दुकानों में घुसना शुरू किया। मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों ने नहीं किया। लेकिन आप बतायें कि जब ऐसी हालत हो और जनता अपनी जान माल की अपेक्षा सरकार से करे तो सरकार का फर्ज हो जाता है कि लोगों को बचाये और सख्त कदम उठाये। अगर ऐसा नहीं करती तो जनता कहेगी कि सरकार ने ला ऐंड आर्डर को गुंडों के हवाले कर दिया है। इस बात की गम्भीरता आप सोचें। हर बात में सरकार का दोष नहीं है। दोष उनका है जो गुंडागर्दी को पनपाते हैं, गुंडा गर्दी को पनाह देते हैं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अभी जो तोड़फोड़ की बात कही गयी और यह कहा गया कि छात्रों में धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि छात्रों में उद्दंडता आ गयी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह मैंने नहीं कहा कि छात्रों में उद्दंडता है। मैंने कहा कि उनका चरित्र अच्छा हो, वे शान्त प्रकृति के बनें इसके लिये उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जिन घटनाओं का जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने किया यह मौलिक सवाल नहीं है। छात्रों में रोष आज क्यों है और उनका आन्दोलन क्यों होता है। ये तो समय-समय पर सवाल खड़े हो जाते हैं। मौलिक कारण कहीं और है। मौलिक कारण यह है कि शिक्षा जगत में जो जोर जुल्म है उसको नौजवान पढ़ा लिखा आदमी बरदाश्त नहीं कर सकता। एक तरफ जब छात्र देखता है कि मंत्री का थर्ड क्लास पास लड़का अच्छी अच्छी कम्पनियों में हजार, डेढ़ हजार की नौकरी पा लेता है और दूसरी तरफ फर्स्ट क्लास पास लड़का मारा मारा फिरता है, एक तरफ देखते हैं कि केशवदेव मालवीय का लड़का तेल की कम्पनी में काम पा गया, सम्पूर्णानन्द का लड़का साहूजैन फैक्टरी में नौकर हो जाय...

श्री उपाध्यक्ष—

आप किसी का नाम लेकर बात न कहें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ये सारे सवाल आज छात्रों के सामने प्रस्तुत हैं। शिक्षा जगत में जो खामियां हैं वही समय समय पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर ५० फीसदी नतीजा निकलता हो। यूरोप में ९०, ९५ फीसदी से कम लड़के पास नहीं होते। यहां नीति यह है कि कालेज की शिक्षा समाप्त कर दो, पढ़-लिख कर निकलेंगे तो नौकरी का, रोजगार का सवाल पैदा होगा। चार हिन्दी भाषा भाषी जो प्रान्त हैं वहां १० हजार के पीछे डेढ़ लड़का कालेज में जाता है। बम्बई और मदरास में १० हजार के पीछे ३, ४ लड़के जाते हैं और यूरोप में ५०, ६० जाते हैं। शिक्षा की क्या प्रगति है इसी से साबित होती है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में सन् ४७ में जितने लड़के पढ़ते थे आज भी उतने ही पढ़ते हैं और पास होने के बाद न जाने कितने बेरोजगारी के शिकार बने रहते हैं।

नेता विरोधी दल ने उद्दंडता का जिक्र किया लेकिन सबसे बड़े उद्दंड देश और प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जो अमीरों और गरीबों के बच्चों के लिये अलग अलग स्कूल खोले हुए हैं। किसी भी देश को बतायें माननीय शिक्षा मंत्री जहां प्राइमरी शिक्षा गरीबों और अमीरों के बच्चों को अलग दी जाती हो। अमरीका पूंजीवादी देश है लेकिन ए, बी, सी, डी की पढ़ाई के लिए करोड़पति, राष्ट्रपति और मजदूर का लड़का एक साथ शिक्षा लेता है। यही शिक्षा की खामियां हैं और कहा जाता है कि लड़के राष्ट्रीय सम्पत्ति का ह्रास करते हैं। मैं पूछता हूं कि राष्ट्रीय सम्पत्ति है क्या? राष्ट्रीय सम्पत्ति वहां हुआ करती है जहां की मिल्कियत आम लोगों में बिखरी हुई हो लेकिन यहां तो बहुत सारी मिल्कियत चन्द लोगों में बटी हुई है और जब आन्दोलन होंगे तो इस सम्पत्ति का ह्रास होगा, नुकसान होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता और इसकी जिम्मेदारी हरगोविन्द सिंह जी की पुलिस पर है क्योंकि सबसे अधिक गुंडागर्दी पुलिस ही करती है कि शान्तिपूर्ण जुलूस पर पथराव करती है और छात्रावास में घुस घुस कर छात्रों को पीटती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

आज सदन में सूखे पर बहस हुई लेकिन जब सरकार हो तब तो बहस की जाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार रही नहीं, सारे प्रदेश में चन्द गुंडे और बदमाश, हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और जो अराजकता और, अव्यवस्था फैलाने पर आमादा हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कहता है कि उसे कोई खबर नहीं कि पुलिस विश्वविद्यालय में किस की आज्ञा से घुस आई? विशुद्ध रूप से आज सारे प्रदेश में गुंडों का और पुलिस का राज्य हो गया है, जो पुलिस चाहती है करती है, कोई सरकार रह नहीं गयी है। मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर और प्रतापगढ़ में किस तरह से छात्रों के ऊपर लाठी व गोली से बराबर प्रहार किया गया उसे सभी जानते हैं और फिर कहते हैं कि राष्ट्रीय सम्पत्ति का ह्रास होता है? एक तरफ छात्रों की जानें जायं, लाठियों का प्रहार किया जाय, पुलिस की गुंडागर्दी यहां तक बढ़ जाय कि छात्रावासों में घुस कर छात्रों की साइकिलें और बिस्तर उठा ले जायं उसके बाद अगर एक आध बस जल गयी तो कौन सी बड़ी बात हो गयी? यह सिलसिला तो जारी रहेगा, यह बन्द नहीं हो सकता है। हुकूमत ने और शिक्षा मंत्री ने जो तरीका अख्तियार किया है उसका लाजिमी नतीजा है कि दंगे होकर रहेंगे, हंगामे होंगे, आन्दोलन होंगे। यह हुकूमत उनको रोक नहीं सकती। माननीय भानुप्रताप जी ने कहा कि सूखे की चर्चा हो रही है और माननीय गेंदासिंह यहां हैं ही नहीं। कैसे रहेंगे वे? उनको तो टिकट की फिक्र है। वे तो कमरा कमरा घूम रहे हैं टिकट के चक्कर में।

आज शिक्षा जगत में है क्या? चपरासी दिमाग के लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति बना दिये जाते हैं। शासन के सामने एक चपरासी दिमाग वाले आचार्य जुगलकिशोर वाइस-चांसलर बने हुये हैं, मदनमोहन गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर बने हैं। आर० के० नेहरू, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि वाइस-चांसलर बनने के काबिल नहीं हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने हैं। वह अध्यादेशी वाइस चांसलर कहलाते हैं। जब इस तरह का चपरासी दिमाग रखने वालों को वाइस चांसलर बनाया गया तो उसका क्या नतीजा होगा। चपरासी से मैं घृणा नहीं करता, यह मत समझिये। बहुत से ऐसे चपरासी हैं जिनका दिमाग चपरासी का नहीं है और बहुत से ऐसे मंत्री हैं, गेंदासिंह जैसे, जिनका चपरासी का दिमाग है। तो जब चपरासी दिमाग वाले लोग शिक्षण संस्थाओं में रहेंगे तो गड़बड़ी फैलेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, आप जो लोग यहां नहीं हैं और अपने को डिफेन्ड नहीं कर सकते उनका नाम मत लीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह तो बड़ा मौलिक सवाल है। आप हमारा समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, माननीय नेता समाजवादी दल जो शिक्षा के सम्बन्ध में बहुधा अपने विचार व्यक्त किया करते हैं और जिनका सम्बोधन आम तौर से समाजवाद कह कर हुआ करता है उनकी ओर से यह सुन कर कि कोई चपरासी दिमाग हुआ करता है, कोई कलेक्टर दिमाग हुआ करता है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष--

बीच में व्यवस्था का क्या सवाल है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आपने हमको केवल ६ मिनट बोलने दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह गलत बात है, आप दस मिनट बोले। आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हम तो बैठ ही जाते हैं लेकिन आप उस कुर्सी पर बैठ कर अन्याय करते हैं।

श्री रामायण राय--

किसी चपरासी का समाजवाद में कोई स्थान नहीं होगा। उनकी दृष्टि में उससे हेय कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी आशा मैं अपने समाजवादी मित्र से नहीं करता था। मान्यवर, मैं तो आशा करता था कि जितने गहन विषय पर, राष्ट्र की जितनी कठिन समस्या के सम्बन्ध में आज विचार हो रहा है उस पर माननीय सदस्य द्वारा कुछ रचनात्मक सुझाव मिलेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक कांग्रेस की हुकूमत रहेगी हमारे ऐसा सदस्य कोई रचनात्मक सुझाव इस सदन में नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि यह बेकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये। इस प्रकार विघ्न डालने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री रामायण राय--

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि उनका कहना यह है कि इस प्रदेश में राष्ट्रीय सम्पत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। यह भी उन्होंने कहा कि काशी विश्वविद्यालय में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जब से हमारे प्रदेश में इस दल ने शासन संभाला है तो उस समय प्रदेश के हर हिस्से में विश्वविद्यालयों की आवश्यकता थी और इस दल की ओर से उनके स्थापित करने का निरन्तर प्रयास किया गया है। कोई जमाना था जब इस प्रदेश में इने-गिने विश्वविद्यालय थे। लेकिन अब कितने विश्वविद्यालय हो गए हैं। जब हमारे यहां विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है तब काशी विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस गहन समस्या के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने संकेत किया है उससे समस्या पर अंधकार ही छा जाएगा। इस समय काशी विश्वविद्यालय एक दिन के लिए भी बन्द नहीं हुआ वहां अनुशासन का सारा काम छात्रों के ऊपर छोड़ रखा है। दूसरा विश्वविद्यालय जिस के वाइस चांसलर के सम्बन्ध में चपरासी दिमाग की बात कही गई है, गोरखपुर का है।

जब हम कोरी बकवास में लगे होंगे उस समय वहां के उपकुलपति और छात्रों ने ५ हजार कुएं एक सप्ताह में खोदे हैं। छात्रों की समस्या बड़े स्वस्थ ढंग से गोरखपुर विश्वविद्यालय ने हल की है। उसके लिए सदन को धन्यवाद देना चाहिए न कि चपरासी दिमाग की बात कही जाती।

श्री काशीनाथ मिश्र--

कुआं खुदवाना भी चपरासी दिमाग का काम है। सरकार का जो हुक्म मिले उसको मानना इसी चीज को दिखाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइए।

श्री रामायण राय--

मैं शिक्षा मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि यूनियनों के पदाधिकारियों के चुनाव की जो पद्धति है वह बहुत हद तक इस चीज को जन्म दिए हुए है। प्रत्येक वर्ष जुलाई में इस बात की होड़ लगती है कि कौन हीरो साबित होगा जिससे यूनियन के चुनाव में आसानी से पद प्राप्त किए जा सकते हैं। जिस तरह से अन्य देशों में क्वालीफिकेशन्स निर्धारित हैं उसी तरह से यूनियन के चुनाव में भी इस तरह की कोई निश्चित रूपरेखा होनी चाहिए कि किस तरह के छात्र खड़े हो सकते हैं। आज देखने में आता है कि जो युग के अनुरूप नेतृत्व देना चाहते हैं वे पिछड़ जाते हैं और जो खाली हुल्लड़ करते हैं वही अधिकार प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं कि यहां पर भी शान्त बैठने वाले सदस्यों का नाम अखबारों में नहीं छपता है। आम तौर से पब्लिसिटी उसी को मिलती है जो भोंड़े ढंग से बातें कहे। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि छात्रों की समस्या को सुलझाने के लिए यूनियन के चुनाव की पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

साथ ही राजनीतिक सांठगांठ की बात की जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ इसी सदन के माननीय सदस्य तशरीफ ले गए। भाषण दिया गया कि आगे बढ़ो, इनकलाब करो, दूसरे मुल्क के विद्यार्थियों की नकल करो, और जमहूरियत की बुनियाद पर टिकी हुई इस सरकार को उखाड़ फेंको। जिस समय इस तरह का प्रस्ताव जिम्मेदार (इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुये) लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उस समय छात्रों को जिम्मेदार ठहराना मैं सर्वथा अनुपयुक्त मानता हूं। मैं कम से कम इस बात को मानता हूं कि कोई भी पिता अपने पुत्र को नालायक नहीं कहता। वह कहता है कि मैं इतना लायक नहीं था कि अपने पुत्र को लायक बना सकता।

(व्यवधान)

पुलिस की गोलियां चलती हैं तो हम लोगों के बच्चे किसी दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है कि रामायण राय के बच्चे के सीने पर वह गोली लगे। किसी को खुशी नहीं होती विद्या मन्दिरों में पुलिस भेजने में। लेकिन विद्या मन्दिरों की पवित्र भावना के पीछे यदि कुछ लोग शासन को उलटने की साजिश करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, तो राजनीतिक तरीके से उसका जवाब देना हम जानते हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता जी,.....

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है। जिन लोगों ने कामरोको प्रस्ताव दिया है उनमें से बुलाइए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय यूसुफ उन्हीं में से एक हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

यह मत कहिए कि मैं उनके लिए कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—]

समय इतना थोड़ा है। आपकी सहायता की आवश्यकता है।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न कोई जोश और भावुकता में आ कर सोचने का नहीं है। आज हमारे पूरे देश में तमाम क्षति और नुकसान पहुंच रहा है। सैकड़ों विद्यार्थी जेलों में पड़े ह। सारे विद्यार्थियों की शिक्षा चौपट हो रही है। मुझे सुन कर बड़ा अफसोस हुआ है कि माननीय रामायणराय जी कहते हैं कि अगर विद्यार्थी सरकार को चैलेन्ज करेंगे तो हम बैठे रह।

(व्यवधान)

अगर आप विद्यार्थियों की प्राबलम्स को सोचने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप इस मसले को हल नहीं कर सकेंगे। इसके पीछे साइकोइक्नामिक हालत है। आज विद्यार्थी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, बी०ए०, एम०ए० पास करने के बाद बेकार घूमते हैं। अंग्रेजों ने सिर्फ क्लर्क पैदा करने के लिए शिक्षा की प्रथा शुरू की, अपने निजाम को चलाने के लिए। आपने उसमें कोई परिवर्तन किया? कुछ परिवर्तन नहीं किया। अगर आज पांच जगह खाली होती हैं तो हजारों की तादाद में बी०ए०, एम०ए० सर्टिफिकेट लिए मारे-मारे घमते ह।

आज वह सोचते हैं कि हमारी जिन्दगी के बारे में क्या होगा? उसको एजूकेशन पाने के लिए कालेज में दाखिला नहीं मिलता है, उसे कालेजों में इसके लिए घूस देनी पड़ती है, सिफारिश करानी पड़ती है।

आज आपकी एजूकेशन की प्रथा यह है कि उसके बाद उसके सामने बहुत से सवालात पैदा होते ह। म जहां तक पूरे विद्यार्थियों के आन्दोलन से समझा, मैं उनसे कोई निकट सम्बन्ध नहीं रखता हूं, लेकिन समाचार पत्रों आदि के जरिये जो जानकारी मुझे हुई उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनके सामने कुछ सवालात थे। विद्यार्थियों के सामने एडवोकेसी ऐक्ट का सवाल था, जो आपका आयुर्वेदिक कालेज है उसके विद्यार्थियों के कुछ गम्भीर सवाल थे। आज आयुर्वेदिक कालेज बन्द हैं, लड़कों की ४–४ साल की शिक्षा का क्या होगा? या उनकी यूनियन्स के बारे में है या गरीब विद्यार्थियों की मदद करने का मसला है या उनको शिक्षा के बारे में प्रोत्साहन देने का है। ये सभी उनके बुनियादी सवाल हैं। इन सवालों को हमारी सरकार उनके साथ बैठकर हल करने के लिए तैयार नहीं है, उनके सवाल हल करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मुझको मालूम है कि लखनऊ में चीफ मिनिस्टर से विद्यार्थियों ने अपना डेपूटेशन मिलने के लिए जस्टिस मुल्ला की अध्यक्षता में भेजा, किन्तु मुझे निहायत अफसोस है कि उनसे मिलने से मुख्य मन्त्री ने इंकार कर दिया। आप मिजो से, नागा से इन तमाम लोगों से तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों से, उनके प्रतिनिधियों से बात नहीं कर सकते हैं, यह कितने शर्म की बात है। आपके रवैये के चलते विद्यार्थी आन्दोलन से जो नतीजा निकला है, उसको देखते हुए यदि आप अपना रवैया नहीं बदलेंगे, मेथड नहीं बदलेंगे तो आगे बड़ी ही खराब स्थिति आने वाली है यह आप समझ लें।

प्रदर्शन—हड़ताल पर आप लाठी का प्रयोग करते हैं, लाठी के बाद गोली का प्रयोग करते हैं और गोली विद्यार्थियों पर ही नहीं, मुझको बहुत दुःख है कि, यदि मैं रामायणराय जी की यह बात मान भी लूं, हमारे शहर कानपुर के एस० डी० कालेज के अन्दर उसके प्रिन्सिपल खड़े होकर कहते हैं कि हम विद्यार्थियों को रोक लेंगे, अनुशासित कर लेंगे आप यहां से चले जाएं तो उस प्रिंसिपल को पुलिस द्वारा पीटा जाता है और बेइज्जत किया जाता है और पुलिस अधिकारी मानते हैं कि उस प्रिंसिपल के खिलाफ ज्यादती हुई है, फिर भी पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बी० एन० एस० डी० कालेज के प्रिंसिपल हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि हम विद्यार्थियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री संतसिंह यूसफ]

को संभाल लेंगे. आप कालेज कम्पाउन्ड के बाहर चले जाएं, किन्तु पुलिस उन पर अश्रु गैस फेंकती है और वह उसी में बेचारे मर जाते हैं। इस घटना को बनारस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कन्डेम करते हैं। लेकिन आप वाइस चांसलर और प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके बारे में तो तुम नहीं कह सकते कि ये पत्थर फेंक रहे थे या बस जला रहे थे या लूट रहे थे। इनके बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं। यह मनोवृत्ति हमारे रामायणराय जी की ही नहीं है, यह सारी सरकार की मनोवृत्ति है। यह तलाश करते हैं कि इस आन्दोलन में कोई राजनीतिक पार्टी का हाथ है, एलेक्शन की वजह से हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि एलेक्शन की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अन्दर भी तो पार्टी बाजी है, उड़ीसा में तुम्हारी पार्टी ने विद्यार्थियों का इस्तेमाल किया और वहां पर भी सुचेता कृपालानी को तोड़ने के लिए तुम्हारी पार्टी ने यही किया। इस तरीके से मामला हल नहीं होगा। हल होने का एक ही तरीका है कि इस लाठी डंडे के तरीके को बन्द करें।

मैं जेल गया और वहां देखा कि जितने लोग वहां पर बन्द हैं उनमें १० परसेन्ट विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जो मिला उसको पीटना शुरू कर दिया। अगर आप इस रवैये को जारी रखेंगे तो आज विद्यार्थियों का प्राबलेम हल नहीं कर पायेंगे। उसका एक ही तरीका है और वह यह है कि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, कालेजों के प्रिंसिपल और विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं

(इस समय ४ बजकर ४६ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

की एक कांफ्रेन्स बुलाकर विद्यार्थियों के प्राबलेम पर विचार किया जाय। यह एक उनका बुनियादी प्राबलेम है उसको ठंडे दिल से सोचकर हल किया जाय। लाठी डंडे से समस्या हल होने वाली नहीं है। अब थोड़े दिनों के बाद कालेज खुलने वाले हैं तो अगर समस्या का हल नहीं होगा तो फिर झगड़े और उपद्रव होंगे। उसका इलाज आप लाठी और डंडे से नहीं कर सकते हैं। यह प्राबलेम थोड़े दिनों के लिए ठंडा पड़ सकता है लेकिन समय मिलने पर फिर उठेगा और अधिक जोर के साथ उठेगा। मैं कैलाश प्रकाश जी को जानता हूं, वह बहुत समझदार आदमी हैं। यह मुझे मालूम नहीं है कि अंग्रेजी जमाने में वह डंडे से पिटे हैं या नहीं लेकिन मुझे उनसे यह कहना है कि आप भी टीचर रहे हैं और उनकी कठिनाइयों को जानते हैं तो उन टीचरों और प्रिंसिपलों की राय ली जाय और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाय और उनके प्रावलेम को हल करने का प्रयास किया जाय तभी यह समस्या हल हो सकती है।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं नेता विरोधी दल का और माननीय शिक्षा मन्त्री जी का जिनकी अनुमति से आज ही इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकी, लेकिन मान्यवर इस चर्चा का हल और समाधान जैसा हमारे माननीय मित्र काशीनाथ जी ने अपने भाषण में बताया उससे हो सकता है, इसमें मुझे सन्देह है। मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि अगर शासन से सम्बन्ध रखने वाले लोग इस समस्या की चर्चा करते समय सारा दोष इस आन्दोलन का कुछ राजनैतिक बलों पर डाल कर अपना उत्तरदायित्व खतम करना चाहें तो वह उतना ही गलत है। मान्यवर, राज्य सरकार को और राज्य को उन बातों का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा जो छात्र आन्दोलन को प्रेरित करती हैं और जो उनकी बेसिक कठिनाइयां हैं। मान्यवर, हमने छात्रों की समस्या की बहुत दिनों तक उपेक्षा की। हमारे प्रदेश और देश में बहुत से शिक्षा विशेषज्ञों का कमीशन बैठा। स्वयं जो आजकल हमारे प्रेसीडेंट हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा, राधाकृष्णन् कमीशन, और उस कमीशन की बहुत सी सिफारिशों का कार्यान्वयन हो सका। उस पूरे चैप्टर का कार्यान्वयन जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों की डिसिप्लिन के बारे में अपने ठोस सुझाव दिए हैं और वह शायद ही एक ऐसा कमीशन था जिसने इस दिशा में अध्ययन किया, मनन किया और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुझाव दिए, उनका हम कार्यान्वयन नहीं कर सके। तो मान्यवर, जिम्मेदारी हमारी भी उतनी ही है जिसने इस समस्या को पीछे किया है। आज हमारे शिक्षकों में असन्तोष है। हमारे विद्यार्थियों के सामने लक्ष्य--हीनता है और उनके जीवन में निराशा है। यही मान्यवर, मौलिक कारण हैं जिसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा उस वर्ग पर होगी जिसके अधिकार में शासन है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी से विरोधी दल के लोग भी नहीं बच सकते और वह उससे इंकार करने की कल्पना मुश्किल से कर पायेंगे। माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में कहा था कि जिन देशों में छात्र अनियन्त्रित हुए हैं वहां की सरकार की स्थिति डावांडोल हुई है। सम्भवतः इसी भावना से प्रेरित हो कर, चुनाव के अवसर पर, कुछ लोगों ने यह उचित समझा कि छात्रों को इसके लिए प्रेरित किया जाय और जो दूसरे देशों में हुआ उसकी पुनरावृत्ति की उन्होंने कल्पना की ।

मान्यवर, इन आन्दोलनों में जो क्रिया कलाप हुए वे सब जगह करीब-करीब एक से ही थे। एक ही तारीख में बसों को जलाना, सरकारी प्रापर्टी का नष्ट करना आदि एक से ही कार्य थे। यह सब इस बात के संकेत हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने ही युवकों को राजनीति का यन्त्र बनाया, लेकिन मान्यवर, वे भूल गए कि उस वक्त क्या परिस्थितियां थीं। उस समय विदेशी सरकार को हटाना था। तो मान्यवर, ऐसे समय जब कि चुनाव के तीन महीने रह गए हो उस वक्त ऐसे कार्य होना कि बसों को जलाया जाय, सरकारी प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाया जाय, यह मैं उचित नहीं समझता। सरकार को हटाने के लिए इस प्रकार के कार्य देश के हित में नहीं हैं। मेरा निश्चित मत है कि विद्यार्थियों की समस्या ला ऐंड आर्डर की समस्या नहीं है, शान्ति की ही समस्या नहीं है विद्यार्थियों के जुलूस पर रोक लगी, बड़ा अच्छा हुआ, कोई भी सरकार यह नहीं कर सकती कि वह अपने कर्तव्यों को एप्रोबेट कर दे, उसको अपने कर्तव्यों को करना ही पड़ेगा, किन्तु उसी से सरकार को यह सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए कि उसने या सरकारी अधिकारियों ने ऐसा करके कोई बड़ी भारी शक्ति का प्रदर्शन करके, छात्र आन्दोलन को रोक दिया। ऐसा सोचना सरकार को गलत दिशा में ले जा सकता है।

मान्यवर, आज ९५ प्रतिशत छात्र पढ़ना चाहते हैं, ५ प्रतिशत छात्र किन्हीं तत्वों के प्रभाव में आ कर झगड़ा करना चाहते हैं। इसलिए सारे विद्यालयों को बन्द कर देना कोई बहुत उपयोगी उपाय नहीं है। पहली दिसम्बर को सरकार विद्यालयों को खोल रही है। मैं बरेली की बात जानता हूं। वहां अधिकारियों ने यह किया है कि हर एक विद्यार्थी से इन्डीविजअली इस बात की अन्डरटेकिंग ली कि वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा। मान्यवर, इससे हम सोते हुए विद्यार्थियों को जगा रहे हैं। यह हम उनको एक तरह से चुनौती देकर गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से विद्यार्थियों को हम एक असमाजिक तत्वों की तरफ नहीं ले जायं, उनको ह्युमिलिएट करके या उनको ऐसी शर्तें लगाकर जिससे उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचे हम यह समझते हैं कि समस्या का समाधान हो गया। यह नहीं होगा।

दूसरी चीज मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस की बात कही गई। मैं समझता हूं कि पुलिस के लिए आवश्यक हो जाता है जब स्थिति बिगड़ती है, जब वातावरण में हिंसा आ जाती है तब वह सीन में आती है। अधिकतर यह कहा जाता है कि पुलिस का दिमाग खराब होता है। उसका दिमाग एक परिस्थिति में खराब होता है । वह परिस्थिति वह है कि जब पुलिस के लोग पिट जाते हैं, जब ढेला लग जाता है तो पुलिस वालों का विवेक नष्ट हो जाता है। मैं आपके सामने बरेली की बात कहना चाहता हूं। नवम्बर ४ को विद्यार्थियों का जुलूस निकला। वह जुलूस कलेक्टर के बंगले से निकला। सारे बाजार से निकला। उसका डेस्टीनेशन था बरेली कालेज। वह जब सौ कदम रह गया तो रास्ते में १४४ लगा दी गई रास्ते में कहा गया कि वापस चले जाओ। कोई स्थानीय अधिकारी जवाब नहीं दे सका कि कौन सी विधि थी कि एक जुलूस को चार मील चलने देते हैं और जब एक सौ कदम रह जाय तो धारा १४४ लगाकर

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट]

कहते हैं कि वापस जाओ। मेरा निश्चित मत है कि अगर यह कार्यवाही नहीं होती तो कोई अशान्ति नहीं होती।

मान्यवर, चूंकि समय कम है मैं माननीय शिक्षा मन्त्री तथा गृह मन्त्री दोनों से कहना चाहता हूं कि उनके आन्दोलनों में हिंसा अप्रत्यक्ष रूप में आई, जिस किसी भी असामाजिक तत्वों के कारण वह हुई हो। परन्तु विद्यार्थियों को सतर्क होना है। उनको बिलकुल रोक देना है और अब पढ़ाई का भी बहुत थोड़ा समय रह गया है, उनको शिक्षा में लगना है। मैं शिक्षा मन्त्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो केसेज विद्यार्थियों के खिलाफ रजिस्टर हुए हैं उनका नेगेटिव एटीटमूड न लेकर पाजिटिब एटीटयूड होना चाहिए जिन विद्यालयों के विद्यार्थी इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि वहां अब शान्ति और व्यवस्था रहेगी तो माननीय मन्त्री उन विद्यालयों के विद्यार्थियों के विरुद्ध जो केसेज चल रहे हैं या चलने की बात हो रही है उनको वापस करें। बरेली में भी इंडस्क्रिमिनेटली एक-डेढ़ महीने के बाद जब शान्ति व्यवस्था पूर्ण रूपेण कायम हो चुकी थी उस वक्त केसेज चलाए गए हैं। जो बरेली के विद्यार्थी चाहते हैं कि कालेजेज खुलें उन्होंने अपने पैरेन्ट्स की मीटिंग करके उनके द्वारा आश्वासन दिया। मैं इसलिए ऐसी स्थिति में प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन केसेज को विड्रा करके माननीय मन्त्री जी वहां शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में सहायता करें।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि स्टूडेन्ट्स का जो आन्दोलन हुआ या जिस आन्दोलन को हमन स्टूडन्ट्स के जुम्मे थोपा उसकी असलियत जानने के लिए अगर सरकार कोई कदम उठाए तो आइन्दा आने वाले वक्तों में जनजीवन में काफी सुधार हो सकता है। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यह जो आन्दोलन हुआ यह जनरल डिसकान्टेन्टमेन्ट पब्लिक के अन्दर है और तसल्ली बख्श जिन्दगी जो रोजाना की है उसका एक हिस्सा है। जिस वक्त चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हों, रोजाना की जिन्दगी के अन्दर हर जगह चाहे वह किसी भी जगह से सम्बन्धित हो, असन्तोष हो आज के वक्त में महंगाई है, अराजकता है, जुल्म है, यह सब कुछ होते हुए भी आप इन तमाम चीजों को खत्म करने में असमर्थ रहे हैं। इन्हीं कारणों को देखते हुए विद्यार्थियों के हाथ में जो मौका आया उसने आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया। मैं नहीं समझता कि यह कोई कौंसिपिरेसी थी कि इस चीज को आन्दोलन के रूप में चलाया जाय। यह जंगल की भड़कती हुई ज्वाला की तरह थी जो चारों ओर फैल गयी। मामूली सी बात थी। अगर हमारी सरकार के अधिकारियों ने समझदारी से काम लिया होता तो इतनी बात न होती। जब यह आन्दोलन का रूप अख्तियार कर गया तो सरकार की दमन नीति शुरू हुई और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष कामराज और प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने यह कहा कि इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है, विद्यार्थियों से बात चीत होनी चाहिए और उनकी मुश्किलात को हल करना चाहिए। दोनों चीजें साथ-साथ कैसे चल सकती थीं? नतीजा यह हुआ कि जिला अधिकारी भी परेशानी की हालत में पड़ गए कि प्रधान मन्त्री का कहना मानें या इस सरकार के आर्डर्स को मानें। कहीं ऐसा न हो जाय कि कहीं दमन हो जाय और बाद में उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आए कि उन्होंने यह गलत काम किया। यह सारा जो प्रदेश में हुआ वह सब भ्रम की अवस्था में हुआ। मैं रामायण राय जी से इस बात में सहमत हूं कि विद्यार्थियों के जो चुनाव हर साल होते हैं, वह इन चीजों का मुख्य कारण है, उनको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा कालेजेज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आन्दोलनों में भाग लेते हैं, उनको चलाते हैं और किसी न किसी सबजेक्ट के बहाने अपना नाम लिखा लेते हैं और ४-४, ६-६ वर्षों से वहां बने हुए हैं। ये लोग वहां गुन्डागर्दी और बदमाशी करते हैं। उनको वहां से हटाया जाना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए। ज्यादातर विद्यार्थी अपने भविष्य को उज्वजल बनाना चाहते हैं लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। उनको अपना भविष्य दिखाई नहीं पड़ता।

एक बात मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जौनपुर के नामी डी० एस० पी० को सहारनपुर भेज दिया है। वह झूठे केसेज बनाने का आदी है। उसको यह आदेश देकर भेजा कि उसको सिटी का इंचार्ज बनाया जाय। उनकी एक दिन भैंस गुम हो गई। वे रात को निकले। एक सिपाही मिला तो पूछा कि तुम कहां से आए हो। उसने कहा कि हम यहां टेलीफोन वायर्स की निगरानी करते हैं। तुम्हारे साथ कौन है? उसने कहा कि एक लाइनमैन है। वह यहां बैठा रहता है और हर घंटे उसको इत्तला देनी पड़ती है। उसे सिपाही भेज कर बुलवाया गया और तेरी मां तेरी धीय, इसी प्रकार से उसको गालियां दी गयीं। ऐसे गंदे आदमी को आपने जौनपुर से हमारे यहां भेज दिया है। उसका नतीजा यह होता है कि गलत तौर पर पिटाई की जाती है और फिर बन्द किया जाता है। जब लोगों को इसका पता लगता है कि लाइनमैन कहां गया और पता नहीं चलता। रात को एक बजे वह पकड़ा गया और दिन को अगले दिन २ बजे पता चलता है कि वह कोतवाली में बन्द है। कोई लड़की कहीं देहात से पकड़ लाता है और किसी रिक्शा वाले से कहलवा देते हैं कि मेरी बीबी को छेड़ा गया है और उस पर ही २९४ का केस बना दिया जाता है कि रात को मेरी बीबी को छेड़ रहा था। सारी जगह यह सब उसने कर रखा है।

हमारे यहां सहारनपुर में कोई आन्दोलन नहीं हुआ, कोई जलूस नहीं निकाला गया लकिन वहां भी इंतजाम के तौर पर पुलिस को रख दिया गया और पुलिस को वह एक कालेज में लेकर गये। इस पर प्रिन्सिपल ने कहा कि आप उधर न जायं और कालेज की तरफ आप ध्यान न दें यहां शान्ति रहेगी लेकिन बाहर से वह डंडे दिखाते हैं कि साले सिर तोड़ देंगे, बिलकुल यही अलफाज कहे जाते हैं। मैं नहीं कहता कि पुलिस की जरूरत नहीं होती, हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा हो लेकिन आप ने हमारे यहां इस तरह के गन्दे आदमी को भेज दिया है। वहां पर डी० आई० जी० गये और जांच की, लखनऊ टेलीफोन आफिस बन्द हुआ, देहरादून का बन्द हुआ, डी० आई० जी० ने इन्कवायरी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज इन आन्दोलनों को चलाने वाले आपके ही ऐसे अधिकारी हैं। मैं दिल्ली के आन्दोलन के बारे में कहूंगा कि पूरा प्लान था और कामराज को मारन के लिये बिहार से २५० गुंडे भेजे गये थे यह आपकी अन्दर की व्यवस्था है, यह आपकी पार्टीबाजी है, आप की आपस की दुश्मनी ही आज देश में आग लगा रही है और इस तरफ आप को ध्यान देना चाहिये।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि गत २ मास में कुछ ऐसी घटनायें हुईं जिन से हमारे राष्ट्रीय सम्मान को धक्का पहुंचा और सारे संसार के सामने हमारे देश को लज्जित होना पड़ा। आज इस कामरोको प्रस्ताव द्वारा फिर उसी याद को ताजा किया गया है। घटनाक्रम ज्यों का त्यों रहता है क्योंकि एक तरफ लोगों को उत्तेजित किया जाता है, हिंसा करने पर उतारू बनाया जाता है और जब हिंसा होती है तो उस के बाद गुंडा गर्दी होती है, नारे लगाये जाते हैं कि पुलिस ने स्थिति को बिगाड़ा है और फिर तमाम परेशानी पैदा होती है। जहां पर इस प्रकार के हिंसात्मक कार्य हों वहां पर सरकार क्या करे और पुलिस क्या कर्त्तव्य करे। मैं बड़ी लज्जा के साथ और बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस वक्त में जो यह विद्यार्थियों का आन्दोलन हुआ उसमें जिस तरह के नैतिक साहस की जरूरत थी कोई भी राजनैतिक पार्टी इस सदन की उस में पूरी नहीं उतरी जिस तरह से कि कानपुर में जब साम्प्रदायिक दंगा हुआ था और उस में स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी आहुति देकर उस साम्प्रदायिक अग्नि को शान्त करने का प्रयत्न किया था उस तरह से विरोधी पक्ष की ओर से या किसी तरफ से भी विद्यार्थियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रयत्न नहीं किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

आज अनुशासन और विद्यार्थियों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस के विषय में मैं कहूंगा कि हम उन को अनुशासन में रखना चाहते हैं । मेरठ जिले में मवाजा की बात है कि वहां प्रार्थना की गई कि विद्यार्थियों का जलूस निकलने दिया जाय । इस पर पुलिस थाने में चली गई । उस के बाद एक साथ लूटमार आरम्भ की गई और फिर मीटिंग हुई और कहा गया कि सरकार निकम्मी है । इसी तरह से मथुरा में भी जलूस निकला नेताओं की तरफ से प्रार्थना की गई कि पुलिस के खड़े होने से उत्तेजना होती है, इस पर वहां भी पुलिस अन्दर चली गई । नतीजा यह हुआ कि एक हलवाई की दुकान लुटी, बाजार को लूट लिया गया । जब स्थिति काबू से बाहर हो गयी.....

(व्यवधान) ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, ये बिलकुल गलत बयानी कर रहे हैं । झूठे भाषण देते हैं, सदन में ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठें, ऐसी बात नहीं है ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मुझे इस बात का बड़ा खेद है । माननीय लखी सिंह जी की भाषा को मैं पहचानता हूं । मैं "झूट" आदि शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके संरक्षण में मैं अपना भाषण करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

(माननीय लखी सिंह के कुछ कहने पर) यदि आप इस सदन में ऐसा कहेंगे तो या तो आप बाहर जायं और या आप बैठ जायं ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

जिन शब्दों को आप असन्सदीय समझते हैं, उनको कार्यवाही से बाहर निकलवा दें । उनके लिये आप को किसी सदस्य को बाहर निकालने का अधिकार नहीं है । बाहर निकालना बोलने की आजादी छीनने की दिशा में कदम है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोई माननीय सदस्य इस प्रकार उखड़ कर कोई बात करता है और प्रार्थना करने पर भी नहीं मानता है, और वह बोलता जाता है, तो वह सदन में नहीं रह सकता ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, एक बात तो नोट कर लें । माननीय बनारसी दास ने यह कहा है कि झूठ बोलना मैं अच्छी तरह से जानता हूं ।

श्री बनारसीदास—

मैंने यह नहीं कहा । मैंने कहा था कि माननीय लखी सिंह जी की भाषा को मैं दुहराना नहीं चाहता हूं । मैं जानता हूं कि संसदीय प्रणाली के अन्दर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये । इसलिये मुझे उनकी शब्दावली पर कोई रोष नहीं है बल्कि उन पर दया आती है जब वे बोलते हैं । मैं समझता हूं कि उनके भाव कुछ और होते हैं और उनके शब्द उनको धोखा दे देते हैं ।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मथुरा में लूट मार हुयी । उसके बाद में सरकार पर यह दोष लगाया गया कि. . . . . .

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, यह झूठ बोल रहे हैं ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इनको नियंत्रण में रखिये । ये उछ खलता कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय लखी सिंह जी, या तो आप बैठिये या सदन से बाहर जाइये ? जिस प्रकार से आप बर्ताव करते हैं, यह गलत है ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं जानता हूं ये सदन में उछल सकते हैं, बाहर नहीं उछल सकते हैं ।

श्री लखीसिंह—

हम उछलेंगे ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं । उछलना बन्द किया जा सकता है । जो जबान गाली देगी, उस जबान को निकाला जा सकता है ।

(व्यवधान)

मैं फिर कहता हूं कि जो जबान गाली देगी, उसको काट दिया जायगा ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

यह जबान निकलवाने की धमकी देते हैं ।

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

जिस तरह के शब्द मान्यवर, माननीय बनारसी दास जी ने प्रयोग किये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस आसन पर वह बैठे हैं उनके योग्य नहीं हैं । मंत्री अगर हैं तो मंत्री सा व्यवहार उनको करना चाहिये । अगर वह माननीय लखी सिंह के व्यवहार से प्रभावित हो कर खुद भी वैसा व्यवहार करते हैं तो मुझको लज्जा आती है और उनको भी आनी चाहिये । क्योंकि वह मंत्री हैं, वह बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के नाते । और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे और घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश को लज्जा आयी है, उनके विचारों को पढ़ कर लोगों को और लज्जा आयेगी । इसलिये मैं चाहूंगा कि वह मंत्री का सा व्यवहार करें, उसमें संयम होना चाहिये, विवेक उसमें होना चाहिये ।

श्री झारखंडे राय—

मेरी मांग है कि वह इन शब्दों को वापस लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

गड़बड़ पैदा करने से कोई फायदा नहीं । माननीय लखी सिंह ने कई दफा खड़े हो कर जो कहा वह भी उचित नहीं था ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

सवाल यह नहीं है कि क्या उन्होंने कहा । सवाल यह है कि उस का कारण जान लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप माननीय लखीसिंह के व्यवहार को कुछ नहीं कहते । आप को उन को भी कहना चाहिये कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस संदर्भ में दो बातें निकलीं । एक तो मंत्री जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ, वह मैं बताता हूं । दूसरी बात यह कि आप ने कह दिया कि चूंकि श्री लखीसिंह जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया उस के कारण उन के ऐसे कहने का औचित्य है । दोनों बातों से मुझे बड़ा दुःख है । आप एक उच्च आसन पर विराजमान हैं, माननीय बनारसी दास जी मंत्री हैं उन को गम्भीर होना चाहिये, सहनशील होना चाहिये, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहनी चाहिये । अगर इस तरह से उत्तेजित हो कर ऐसी भाषा निकालते हैं कि जीभ निकलवा ली जायगी तो आज ही प्रदेश में एक जगह अपने पद का इन्होंने दुरुपयोग नहीं किया बल्कि अनेकों जगह करते हैं और अगर उन के दिल में यह बात है तो कोई भी अनिष्ट सदन के बाहर अगर हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी । कहते हैं जीभ निकलवा ली जायगी, उछलना, कूदना बन्द कर सकते हैं । मैं उन को इज्जत करता हूं लेकिन उनका ऐसी भाषा का प्रयोग करना मुझे उचित नहीं लगा, बड़ी वेदना हुई । अगर माननीय लखी सिंह ने एक शब्द झूठ का प्रयोग किया, १७ मर्तबा इस्तेमाल किया तो आप कह सकते थे कि शब्द असंसदीय हैं । लेकिन यह कौन सा तरीका है, सजा देने का काम माननीय बनारसी दास जी अपन हाथ में ले लें ।

श्री बनारसीदास—

माननीय लखीसिंह की भाषा को आप उचित समझते हैं ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं उस को ठीक नहीं कहता । परन्तु आप बतावें कि आप का ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कहां तक उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय लखी सिंह जी बार-बार खड़े होते हैं, उन को एनकरेज किया जाता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उसकी दवा आप हैं, माननीय बनारसी दास जी नहीं । यह आज तक बंगाल में हुआ होगा, पूर्वी बंगाल में । और कहीं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ होगा, या एक मर्तबा माननीय हरगोविन्द सिंह ने कहा था । मैं समझता हूं ये शब्द उनको शोभा नहीं देते । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इन शब्दों को वापस लें वरना सदन का काम चलना बड़ा कठिन होगा । माननीय लखी सिंह ने तो 'झूठ' शब्द का प्रयोग किया लेकिन माननीय बनारसी दास जी तो मदान्ध हो गये हैं और जीभ निकलवाने की धमकी देते हैं, यह कहां तक उनके लिये ठीक है ।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जब तक वह इन शब्दों को वापस नहीं लेंगे सदन का काम नहीं चलेगा ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । आप इस सदन में शब्दों के बोलने पर जो प्रतिबन्ध लगाते हैं उसी के कारण माननीय मंत्री जी का इतना साहस हो गया कि हम को बोलने के लिये हमारी जीभ निकलवाने की धमकी देते हैं । मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी जीभ निकालने की बात सोचेंगे और देश को गूंगा बनायेंगे तो उनका सिर उड़ा दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रक्रिया देखें, अगर आपकी समझ से कोई सम्मानित सदस्य असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करता है तो आप उसको कार्यवाही से निकालने के लिये सक्षम हैं। फिर लखी सिंह जी ने जो कहा उसका असर बनारसी दास जी पर नहीं होना चाहिये। दूसरे एक नहीं अनेक उदाहरण मैं पेश कर दूंगा जब कि इस सदन में कहा गया है कि सरकार झूठ बोलती है। इस में कोई बात असंसदीय नहीं है। अगर कोई उसे असंसदीय कहता है तो मैं समझता हूं कि उस कुर्सी का अपमान होता है कि आप असंसदीय शब्द को रोक नहीं पाये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारसी दास और हम में महान अन्तर होना चाहिये और अगर वह इसको नहीं मानते और उस पर आचरण नहीं करते हैं तो जिस पद पर वह आसीन हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा है उसका आदर वह स्वयं नहीं करते। मंत्री सदन का मंत्री है, इस प्रदेश की करोड़ों जनता का प्रतीक है, बहुत बड़ा नागरिक इस प्रदेश का है। मंत्री जी जब इस प्रकार का आचरण करें और असंसदीय बात कहें और खुद ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो एक पढ़े लिखे नागरिक की समझ में नहीं करना चाहिये तो उसके लिये बड़ा खेद होता है। पुलिस मंत्री तो भले ही एक दफा ऐसी भाषा का प्रयोग कर जायं लेकिन सहकारिता मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करने लग जायं तो बड़े ताज्जुब की बात है। हो सकता है कि उनको हमारे साथी लखी सिंह पर बड़ा गुस्सा आया हो, उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोलती है तो इसमें किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है लेकिन जब मंत्री जी हाउस के सामने कहते हैं कि जीभ निकाल लूंगा तो यह बड़े खेद की बात हो जाती है। जीभ निकालने की भाषा दूसरे देश वाले किया करते हैं और उसका जवाब हमारे साथी झारखंडे राय जी दे भी सकते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें। आप इस प्रकार का गुस्सा मत दिखलायें, अगर इस प्रकार का गुस्सा दिखलायेंगे तो उसका जवाब देने के लिये बहुतेरे लोग हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, इसी में आपका आदर व प्रतिष्ठा है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कोई असंसदीय बात नहीं कही अगर वही बात वह हंस कर कहे होते। उन्होंने कहा कि जो जबान गाली देगी उसको काटा जा सकता है। यह नहीं कहा कि काट दिया जायगा। यह मैं मानता हूं कि कोई बात गुस्से में न कही जाय। अगर हंस कर कही जाती तो सबकी तबियत खुश होती, लेकिन मंत्री जी ने कोई अनपार्लियामेंटरी बात नहीं कही।

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने, माननीय विरोधी दल के नेता ने और आज कम से कम रामसुन्दरजी ने जो विचार प्रकट किये उसके लिये मै बड़ा आभारी हूं। मैंने कोई धमकी नहीं दी। मैंने केवल यह कहा था कि यहां पर तो संसदीय प्रणाली की रक्षा में माननीय लखी सिंह जी चाहे जिस भाषा का प्रयोग करें, उस भाषा को सीखने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन बाहर यदि जो जबान गाली देगी वह जबान काटी जा सकती है।

श्री चन्द्रबली सिंह—

बाहर हो या भीतर (व्यवधान)। कौन है जबान खींचने वाला, सिर उड़ा दिया जायगा।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन, मुझे एक क्षण के लिये आपत्ति नहीं, मुझे खेद है कि मुझे जिस तरह से एक कड़वी दवा देनी पड़ती है वह देनी पड़ी और मुझे प्रसन्नता होगी यदि अहिंसात्मक वातावरण को कायम

[श्री बनारसीदास]

रखा जाय । लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि इन्दौर में और दो एक जगह और कांग्रेस प्रेसीडेंट को बोलने नहीं दिया । आपके माध्यम से मैं भी कांग्रेस दल की तरफ से घोषणा कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस की मीटिंगों पर, पुलिस के बल पर नहीं, हिंसा, उच्छृंखलता और उद्दंडता पर जो चाहते हैं कि कांग्रेस के भाषणों आदि को रोका जाय तो हम लोग अपनी जान की बाजी लगा कर इस अच्छृंखलता का मुकाबला करें और चाहे मथुरा हो, चाहे कोई और स्थान हो, दो तीन महीने के अन्दर समय आने वाला है, सौजन्यता का जवाब सौजन्यता से दिया जायगा, हम पुलिस का सहारा नहीं लेने वाले हैं. . . . .

श्री सारखंडे राय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय बनारसी दास जी उस बात की सफाई करने के लिये खड़े हुये थे जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये थे । उसके लिये हमने कहा कि उन शब्दों को वापस हो जाना चाहिये । माननीय नेता विरोधी दल ने भी, पांडेय जी ने भी उस बात को दोहराया कि उस शब्द को वापस हो जाना चाहिये । लखी सिंह जी का कोई कम्बैट नहीं करना चाहिये मंत्री जी को । वह जिस स्थान पर बैठे हुये हैं उसकी बहुत गरिमा है । लेकिन उस बात की सफाई देने में और चैलेंज और साथ साथ में जो मीटिंगें तोड़ी जाती हैं उनका यहां खमियाजा निकालने की धमकी, मैं समझता हूं यह बात को बतंगड़ बनाने वाली बात है । अगर उन शब्दों को वापस लेना है या जो उनका अर्थ रहा हो उस सिलसिले में कुछ कहना हो तो उसकी सफाई करें वरना बात को और ढंग से कहना कुछ ठीक नहीं है ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

किसी शब्द को वापस कराने की प्रक्रिया संसदीय नहीं है । इतना कहना काफी है कि एतराज योग्य शब्दों का प्रयोग सभा में सभ्यों को नहीं करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्परा यह गलत डाली जा रही है शब्दों को वापस करा कर । (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । (व्यवधान) ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

मेरी बात सुन लीजिये । गलत परम्परा डाली जा रही है । शब्दों को वापस करा कर आप गलत परम्परा डालने जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

आप मेरी बात मानें या न मानें लेकिन सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रबली सिंह--

असंसदीय शब्दों को वापस कराना संसदीय परम्परा नहं है। आपको सदन के चलाने का तरीका नहीं आता है। इसलिये मैं सिखाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप सिखाना चाहते हैं तो बाहर जाइये। आप सदन छोड़िये।

श्री चन्द्रबली सिंह--

आप निन्दा कर दीजिये कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। जो शब्द आसमान में चले गये हैं वे वापस नहीं हो सकते हैं। यही हो सकता है कि यह कहा जाये कि ऐसे शब्दों का प्रयोग निन्दनीय है तथा सभा में सभ्यों को प्रयोग नहीं करना चाहिये और इसके बाद वे शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायंगे। यह संसदीय परम्परा है।

श्री बनारसीदास--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है। आप जिस शब्द को असंसदीय समझते हैं मैं उसको बिना संकोच के वापस लेता हूं और इन भावनाओं की सराहना करता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैंने बहुत से विद्यार्थियों से पूछा कि आखिर इसका क्या कारण है। मैं नहीं समझ पाया कि हिन्दुस्तान की तमाम बार एसोसियेशनों ने प्रस्ताव पास किया कि ट्रेनिंग की व्यवस्था हो और उनका इम्तहान हो।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

आप तो श्रीमन्, लोक सभा में रहे हैं। इंग्लैन्ड की परम्परा जानते हैं। अगर कोई बोलता है तो माननीय सदस्यों को अधिकार है कि --

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन ऐसा अधिकार नहीं है कि बीच-बीच में इस तरह से बोलें।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आखिर क्या मांग थी। बार एसोसियेशन्स का रेजोल्युशन चाहती थी कि उनमें कार्य क्षमता बढ़े। फिर पारलियामेन्ट के द्वारा ही संशोधन हो सकता है। हमारे प्रदेश में आगरा विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय हैं जहां पर कहीं कहीं थर्ड और फोर्थइयर का इम्तहान अलग होता है, यहां पर एक जगह होता है। क्या यह हिंसात्मक आन्दोलन का कारण बन सकता है? क्या वैद्यक कालेज आन्दोलन का विषय बन सकता है? जैसा कि माननीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा ९५ फीसदी विद्यार्थी शांतिपूर्वक पढ़ना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि विद्यार्थियों को कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। गांधी जी ने हमेशा कहा कि शिक्षण संस्थाओं को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जायगा। जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं वह स्कूल कालेज छोड़ कर भाग लें। मने लखनऊ के अन्दर यह देखा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० ने, पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया। पत्रकार खड़े हुए थे जिस समय एक सब इंस्पेक्टर को कैम्पस में घसीट कर ले गये। पुलिस वालों को लाठियों से पीटा गया। एस० पी० की नाक पर चोट आयी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पाण्डेय के चोट लगी। (व्यवधान) संसोपा को थोड़ी सी अनुशासन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पुलिस कोई शांति सेना नहीं है। पुलिस शांति और व्यवस्था रखने के लिये है। उड़ीसा के अन्दर गोली काण्ड हुआ। उसकी न्यायिक जांच हुई। जज ने कहा कि विद्यार्थी ला एन्ड आर्डर के ऊपर नहीं हैं। वह क्रिमिनल काम अगर करते हैं तो उनके लिये इंडल्जेंस नहीं हो सकता है। हमें कहना पड़ेगा

[श्री बनारसीदास]

कि उत्तर प्रदेश में, चाहे वह विद्यार्थी हो या कोई अन्य वर्ग हो किसी को, जनता की संपत्ति के साथ जान माल की कम्युनिटी के साथ, खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। एक तरफ हम समाजवाद का नाम लेते हैं, समाजवाद की रक्षा तब होगी जब मंदिरों की तरह सामाजिक संपत्ति की रक्षा होगी।

श्री झारखंडे राय--

मैं आप से आशा करता हूं कि एक जिम्मेदार मंत्री की हैसियत से स्टूडेन्ट अनरेस्ट के मूल कारणों पर कुछ प्रकाश दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो लोग समाजवाद के नाम से स्वेलर करते हैं उनसे कहता हूं कि समाजवाद तभी कामयाब होगा जब सरकारी संपत्ति की, राष्ट्रीय संपत्ति की, वही मान्यता होगी जो गाय और मन्दिर की होती है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि समाजवाद का नाम लेने वाले लोगों को सरकारी संपत्ति नष्ट होते देखकर दुःख नहीं होता है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है। वे लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों के अन्दर उत्तेजना पैदा की है। दो महीनों से बच्चों की पढ़ाई बन्द की गयी है। मैं समझता हूं इससे करोड़ों करोड़ों रुपया विद्यार्थियों का नष्ट किया गया है और उनका बहुमूल्य समय भी नष्ट किया गया है। इसे देखकर मुझे वह बात याद आती है कि जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के समय वह उनके सामने गायों को कर देता था। उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों के लोग विद्यार्थियों का प्रयोग आज गायों के स्थान पर कर रहे हैं। वे यही कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा हिंसा हो और सरकार उन पर हिंसा और बल का प्रयोग करने के लिये मजबूर हो, उसके बाद वे कहें, देखो बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। यदि मैजिस्ट्रेसी ही नहीं बनाये रखना है तो चायना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ फौज की क्या आवश्यकता है।

मैं कहता हूं कि जो लोग जुलूस निकालेंगे उनको शांति और व्यवस्था की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय जब चोरी चौरा में हिंसा का प्रयोग हुआ, महात्मा गांधी ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया। सन् ४२ के कर-आन्दोलन के बाद भी गांधी जी ने यही कहा कि मैं इसके लिये जिम्मेदार हूं। तो एक तरफ आग लगाना और दूसरी तरफ यह कहना यहां पर खड़े होकर कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। उड़ीसा के अन्दर जांच हुई उसकी रिपोर्ट आपके सामने है, बनारस विश्वविद्यालय में जो कांड हुआ उसकी भी न्यायिक जांच की रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है। एक रवैया बन गया है कि हिंसा कराना और उसके बाद कहना कि पुलिस ने ज्यादती की है और उसके बाद न्यायिक जांच की मांग करना। मैं इस प्रदेश की पुलिस और मैजिस्ट्रेसी को बधाई देना चाहता हूं उनके संयम के लिये कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश की जनता की जानमाल की रक्षा अपने जान को भी खतरे में डालकर की। वे जानते हैं कि डेमोक्रेटिक ढंग से तो सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है, इसलिये वे सब-वर्जन कराना चाहते हैं, वे विद्यार्थियों के अन्दर आन्दोलन कराना चाहते हैं। मैं विरोधी पक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश है, यह जवाहरलाल नेहरू और बुद्ध की जन्मभूमि है, यहां पर कदापि इन्डोनेशिया बनने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि क्षणिक आवेश में वे अवश्य थोड़ा विचलित हो सकते हैं, लेकिन वे आपके हाथ की कठपुतली बनने वाले नहीं हैं आज वे चाहते हैं कि शिक्षण संस्थाएं जारी रखी जायं।

श्रीमन्, मैं एक बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि वे विद्यार्थियों को निशाना न बनाएं। वे राष्ट्र के भावी नेता हैं, उन पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर है। जिस प्रकार से मछली पकड़ने के लिये गोश्त का कांटा शिकारी इस्तेमाल करता है वैसे ही अपने गर्हित स्वार्थों की

पूर्ति के लिये राजनीतिक पार्टियां गोश्त के स्थान पर छात्रों का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे न तो उनको वोट मिलेगा और न देश का ही कोई कल्याण होगा। इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव व्यर्थ है और मैं आपसे और विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाय और उनका राजनीतिक कार्यों की पूर्ति के लिये इस्तेमाल न किया जाय। मैं माननीय मायर जी को उनके सुझाव के लिये धन्यवाद देता हूं कि उनका..,..

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

यदि आप ऐसा ही कहते हैं, तो पहले आप अपने युवक कांग्रेस संगठन को खत्म कीजिए।

श्री बनारसीदास—

मैं इसके लिये भी तैयार हूं, एक राजनीतिक सम्मेलन बुलाया जाय, मैं उसमें कांग्रेस की तरफ से कहने को तैयार हूं कि युवक कांग्रेस को खत्म किया जाय और राजनीति में विद्यार्थियों का प्रयोग नहीं होगा।

***श्री शारदा भक्त सिंह—**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बनारसीदास जी का भाषण सुनने के पश्चात् एक बात स्पष्ट हुई कि चुनाव मंत्रियों के दिमाग में आजकल बहुत ज्यादा है और प्रदेश और देश का हित कम। वे विद्यार्थी आन्दोलन से जितना चिन्तित अपने को बताते हैं उससे हम कम नहीं हैं लेकिन यह कहकर कि हम इसको दृढ़ता से निपट लेंगे, समस्या का समाधान नहीं हो जावेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह कोई डाकुओं और चोरों की समस्या नहीं है जिसको कि पुलिस की लाठी के जोर से दबाया जा सकता है वे कहते हैं कि उनके बच्चे हैं, तो दूसरों के भी बच्चे विद्यार्थी हैं लेकिन वास्तविक समस्या यह है कि आज २० वर्षों के कांग्रेसी शासन के बाद हर समस्या का समाधान खटाई में पड़ा हुआ है, किसी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। खाद्य समस्या है, सूखे की समस्या है, वह भी भीषण रूप से आपके सामने है। विद्यार्थियों की समस्या, उसको सही रूप देने में आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। आपने लोगों के सामने वचन दिये और जब आप उसमें असफल हुए तब आपने विरोधी दलों के सिर अपने कुकृत्यों को थोपना आरम्भ कर दिया। आज जो नैराश्य चारों ओर दिखाई दे रहा है उसमें विरोधी दलों के अन्दर भी निराशा है। आप जानते हैं कि जब असफलता सामने होती है लोगों का अपना भविष्य अन्धकार में दिखाई देता है तब ऐसी अव्यवस्थायें पैदा होती ही हैं। उसमें विरोधी दलों के भड़काने की बात आती नहीं है। आप इस जिम्मेदारी से दूर नहीं जा सकते कि विरोधियों में या जनता में परेशानियां पैदा हो रही हैं। जब आप कहते हैं कि हम दृढ़ता से दबा देंगे तब मुझे ऐसा लगता है कि आप में आज नेतृत्व का अभाव हो गया है। आज आपके मध्य में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो खड़े होकर निर्भयपूर्वक कह सके कि हां यह गलती है। आप उत्तर प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं लेकिन आप में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर कह सके कि यह गड़बड़ियां जो हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी हम पर है। आपक पास कोई नैतिक आधार नहीं है यह कहने का कि विरोधी दल भड़का रहे हैं। आप सिर्फ विरोधी दलों को लाठी से दबाना चाहते हैं। आप जब पंडित जवाहर लाल नेहरू का नारा लगाते हैं लेकिन आप में शक्ति नहीं है कि जो अराजक शक्तियां हैं उनको दबाया जा सके। आप सिर्फ विरोधी दलों के लिये कहते हैं कि हम लाठी से दबा देंगे। मुझे शर्म आती है कि आज सरकार शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर भी लाठी चलाना चाहती है। जो यह उत्पात हो रहे हैं जो हिंसा का रूप फैला हुआ है वह कांग्रेस की नीतियों के कारण हैं। क्या कभी आपने ठंडे दिल से इस बात को सोचा है कि आखिर यह असन्तोष क्यों हैं? आज उसका कारण यह है कि जनता में यह बात घर कर गई है कि कांग्रेस सरकार केवल उसी बात को मानेगी जिसके पीछे हिंसात्मक आन्दोलन होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा भक्तसिंह]

अभी एडवोकेसी ऐक्ट की समस्या सामने आई। सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने कहा कि वह बहुत अच्छी चीज है और उसको बढ़ावा मिलना चाहिये। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी अहिन्सा के बाद ही अगर आपको उसको अमेन्ड करना था तो उसको पहले ही कर देते। आपने एक नीति बना ली है कि पहले सही बात भी आप सुनना नहीं चाहते आप मानना नहीं चाहते लेकिन जब आन्दोलन होता है और हिन्सात्मक होता है तो फौरन आप झुक जाते हैं। लोगों में यह भावना इसीलिये घर कर गई है कि जब हिन्सात्मक आन्दोलन किया जायेगा तभी आपके पैरों के नीचे से धरती खिसकेगी, तभी आप कुछ करेंगे। आप कहते हैं कि हम दृढ़तापूर्वक विरोधी दलों को कुचल देंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप दृढ़तापूर्वक उस काम को नहीं कर सकते। जब तक ईमानदारी से समस्याओं के समाधान को निकालने के लिये आप तैयार न हों। आज लोगों के सामने दिक्कतें हैं, जो भी समस्यायें हैं उनका कोई भी निराकरण सामने नहीं आता। आज ला एन्ड आर्डर का सवाल पैदा हो रहा है, क्यों ? क्या विद्यार्थी आज बदमाश हो गये हैं ? क्या उनके अन्दर अनुशासनहीनता आ गई है ? क्या उनके अन्दर राष्ट्रीय भावना नहीं रह गई है ? लेकिन मैं यह जानता हूं कि एडवोकेसी ऐक्ट के बारे में चाहे जितने हम लोग आपसे मिले और चाहे जितनी भी सरकार से प्रार्थना की लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जनता आज यह जान गई है कि विधान सभा के अन्दर कोई भी बात कितनी ही कही जाय उसको हंसकर टाल दिया जाता है। सरकार तभी कोई बात सुनने को तैयार होती है जब किसी आन्दोलन का सहारा लिया जाता है। यह बात लोगों के हृदय में विश्वास कर गई है जो बड़ी खतरनाक है कि किसी भी सही बात को मनवाने के लिये आन्दोलन करना जरूरी है। तब जनता किसी भी आन्दोलन का सहारा लेती है और तभी आन्दोलन होता है।

आपने आज एक नई बात कही है कि जो प्रोसेशन निकालेगा उस जलूस को निकालने की जिम्मेदारी लेनी होगी और उसको लेनी चाहिये कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्या आप प्रजातन्त्र को समाप्त करना चाहते हैं ? क्या यहां पर हिटलर की बात करना चाहते हैं ? अगर कहीं पर प्रोसेशन निकालने में गड़बड़ होती है तो इसके लिये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई शान्ति से प्रोसेशन निकालना चाहता है और उसमें गुन्डागर्दी होती है तो उस गुन्डागर्दी को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और उसको रोकना होगा। अगर सरकार इस बात को मानती है कि आन्दोलन न हो, प्रोसेशन न निकाले जायं और फ्रीडम आफ स्पीच न हो और किसी प्रोसेशन में गुन्डागर्दी पैदा करके गड़बड़ पैदा की जाय और इस स्वतंत्रता को समाप्त किया जाय तो फिर प्रजातन्त्र कहां रहेगा ? आप व्यवस्था रखना चाहते हैं तो जो व्यक्ति प्रोसेशन से हिन्सा पैदा करते हैं और गड़बड़ी पैदा करते हैं तो उनको सजा दें। आप फौज अपनी दें, अपनी पुलिस दें और प्रोसेशन में गड़बड़ी पैदा करने के लिये गुन्डों को भी भेजें तो यह प्रजातन्त्र का कोई तरीका नहीं है। प्रजातन्त्र में हमको अधिकार है कि जो गलत नीतियां सरकार की हैं उनके खिलाफ आन्दोलन कर सकते हैं लेकिन अगर सरकार उसमें अशांति पैदा करके इस अधिकार को छीन लेना चाहती है कि प्रोसेशन न निकालें तो फिर किस प्रकार से यहां प्रजातन्त्र चल सकता है। इस प्रकार की दलील देकर कि इसके पीछे षड़यंत्र है आप खुद ही गुन्डागर्दी पैदा करके उसकी जिम्मेदारी भी हम पर ही लादें तो वह कहां का न्याय है ? अभी आपने कहा कि षड़यन्त्र चल रहा है। प्रदेश में जहां कहीं मीटिंग होती हैं उनमें बोलने नहीं दिया जाता है। उसके लिये भी हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी डाली जाती है कि वहां पर भी हम आपको बोलने नहीं देते हैं। जब हम अपनी सभा करते हैं और प्रोसेशन निकालते हैं और आप गड़बड़ कराते हैं तो उसके लिये भी हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी डाली जाती है कि हम उसमें गुन्डागर्दी पैदा करते हैं और हिन्सा करते हैं। दोनों तरह से हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी डालते हैं—

श्री बनारसीदास—

क्या आप बतला सकते हैं कि लखनऊ में जनसंघ की किसी मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से कभी कोई गड़बड़ पैदा की गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो सिद्धान्त जनता के सामने रख रहे हैं वह बहुत खतरनाक है। अगर आप कोई सभा करते हैं और उस सभा में कोई हुल्लड़ होता है तो आपके कहने के मुताबिक उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। जो उसमें गड़बड़ पैदा करे उसको आप सजा दें, अगर कोई प्रोसेशन में गड़बड़ी पैदा करता है तो उसको भी सजा देने की आपकी जिम्मेदारी है। हर जगह गड़बड़ पैदा करने वालों को सजा देने की सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती है। कोई शान्ति-पूर्वक यदि अपनी बात कहना चाहता है तो उसको अपनी बात कहने का मौका देना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार उस उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती है लेकिन यह सरकार उस उत्तर-दायित्व से अपने को बचाना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह पुलिस का काम है कि वह विद्यार्थियों के होस्टल में घुसकर उनकी चीजों को चुरायें? मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी पकड़े गये हैं क्या वह किसी न्याय के आधार पर गिरफ्तार हुए हैं। आप उस तरफ ध्यान दें। इसमें किसी पार्टी बन्दी का सवाल नहीं है। हम उन विद्यार्थियों के साथी नहीं है जो गड़गड़ पैदा करते हैं लेकिन गड़बड़ पैदा करने वाले पकड़े नहीं जाते हैं। आज जिलों के अन्दर हम देख रहे हैं कि पार्टीबन्दी के आधार पर लड़कों को पकड़ा जा रहा है। पुलिस से कह दिया जाता है कि फलां लड़के को पकड़ लो। आज उनके जीवन को तबाह किया जा रहा है। इसलिये इस समय जो विद्यार्थियों का प्रश्न है उसको आप सहानुभूति के साथ सोचें और विचार करें। माननीय बनारसीदास जब बोलने के लिये खड़े हुए तो मुझे आशा थी कि आज वह ऐसी कोई बात कहेंगे जिससे समस्या का हल निकले। आज विद्यार्थियों में निराशा बढ़ रही है। आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, मगर यह सरकार उनको पढ़ने नहीं देना चाहती।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह विवाद समाप्त होता है। ६ बजे गये हैं। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३० नवम्बर, १९६६।

नत्थी 'क'

[(देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर]

उन स्थानों के नाम जहां ४८ आई० टी० आई० इस समय खुले हुए हैं—

१—आगरा एटा,—आगरा ।
२—इलाहाबाद, फतेहपुर—इलाहाबाद ।
३—अलीगढ़, बुलन्दशहर—अलीगढ़ ।
४—वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर—वाराणसी ।
५—गोंडा, बस्ती, सीतापुर—गोंडा ।
६—बरेली, पीलीभीत—बरेली ।
७—नैनीताल (हल्द्वानी), दिनेशपुर—नैनीताल ।
८—सहारनपुर, हरद्वार—सहारनपुर ।
९—देहरादून (लड़कियों के लिए), देहरादून (लड़कों के लिये)—देहरादून ।
१०—अल्मोड़ा ।
११—बलिया ।
१२—बिजनौर ।
१३—देवरिया ।
१४—इटावा ।
१५—फैजाबाद ।
१६—फतेहगढ़ ।
१७—गोरखपुर ।
१८—हरदोई ।
१९—जालौन ।
२०—झांसी ।
२१—कानपुर ।
२२—लखनऊ ।
२३—खीरी ।
२४—मैनपुरी ।
२५—मथुरा ।
२६—मेरठ ।
२७—मिर्जापुर ।
२८—मुरादाबाद ।
२९—मुजफ्फरनगर ।
३०—प्रतापगढ़ ।
३१—रायबरेली ।
३२—रामपुर ।
३३—शाहजहांपुर ।
३४—श्रीनगर (गढ़वाल) ।
३५—गाजीपुर ।
३६—सुल्तानपुर ।
३७—बहराइच ।

टिप्पणी—आई० टी० आई० एटा, फतेहपुर, बुलन्दशहर, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, सीतापुर तथा पीलीभीत, उचित भवन न मिलने के कारण अपने जिलों में नहीं खुल सके। यह अपने-अपने जिलों में भवन तैयार होने पर चले जायेंगे ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर]

चेचक से ग्रसित तथा मृत का विवरण

जिले का नाम	मार्च				अप्रैल				मई				जून (१८, १९६६तक)			
	ग्रामीण		नगर		ग्रामीण		नगर		ग्रामीण		नगर		ग्रामीण		नगर	
	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०
१	२		३		४		५		६		७		८		९	
आगरा	१०	२	१	१	३	२	..	..	१	..	३	..	५	..	२	१
अलीगढ़	..	..	१	..	३५	६	..	..	४१	१४	१४	..	५	..	१२	..
अल्मोड़ा	३	२	..	..	५	२	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
इलाहाबाद	१८	७	१६	५	१५८	५४	५९	२६	६७	२५	३०	१५	४०	१९	५	१
आजमगढ़	१२	४	..	..	२४	३	..	..	१३	३	..	..	३	१	..	..
बहराइच	२७	१३	..	२	१५	१४	..	..	२३	६	..	..	४३	१५	..	..
बलिया	..	..	..	..	५	४	..	..	४९	२०	..	..	..	..	..	..
बांदा	७९	३५	६	..	११०	३७	३०	३	९	६	..	२	३०	८	..	..
बस्ती	८	३	..	..	४४	७	..	..	३७	१	..	..	२	१	..	..
बिजनौर	..	..	..	..	..	..	..	..	१४	३	..	..	११	५	..	..
बदायूं	४	१	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बुलन्दशहर	५२	१४	२	१	९९	१०	६	..	२२	५	१	..	३	..	..	..
चमोली	८	२	..	..	१	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
देहरादून	..	..	..	१	..	..	..	१	९	१	३	१	१४	३	१	..
देवरिया	३६	..	..	..	३१	७	..	..	१६	६	..	..	२२	१२	..	..
फर्रुखाबाद	..	..	..	..	७	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
फतेहपुर	२	..	..	..	२	..	..	..	२	..	..	..	..	..	..	..
फैजाबाद	..	..	८	..	७	२	२	..	..	..	..	..	२	३	..	..
गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..	..	४	१	..	..	..	..	..	..
गोंडा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	..	१	..	..	..
गाजीपुर	..	..	..	..	८	२	..	..	१३	..	..	..	५	४	..	..
गोरखपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	५	२	..	..	४	..	१	१
हमीरपुर	..	..	..	..	५७	१३	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जालौन	..	..	..	..	..	..	..	..	५	..	..	..	..	..	..	..
कानपुर	..	..	२	..	..	..	२३	१०	..	..	१४	७	९	३	७	२
जौनपुर	..	..	२	..	..	..	७	२	..	..	२	..	..	..	..	..
झांसी	..	..	..	..	२२	९	१	..	४०	११	१	..	५	२	..	..
खीरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	१	..	..
लखनऊ	..	..	१	..	..	..	२२	४	..	..	२३	७	४	२	९	३
मैनपुरी	..	..	..	..	..	..	..	..	७	३	..	..	३	१	..	..
मेरठ	५	..	४	..	२४	४	६	१	१६	..	१८	५	१४	१	३	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिले का नाम	मार्च				अप्रैल				मई (जून १८, १९६६ तक)							
	ग्रामीण		नगर		ग्रामीण		नगर		ग्रामीण		नगर		ग्रामीण		नगर	
	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०	ग्र०	मृ०
१	२		३		४		५		६		७		८		९	
मिर्जापुर	७	१	..	..	९	..	..	..	३	..	१	..	५	..	..	..
मुरादाबाद	..	..	१	१	२३	१०	..	..	४३	१५	..	..	४	५	..	..
मथुरा	३०	७	..	..	६६	१७	१	..	११५	२६	८	२	१६	७	..	..
मुजफ्फर नगर	३८	८	..	..	५०	१५	१	..	२८	३	१	..	३०	..	२	१
नैनीताल	..	..	..	..	१	..	२	..	..	..	१	१	..	..	..	..
प्रतापगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	३२	१६	..	..	५९	१६	..	..
पिथौरागढ़	७९	३१	..	..	१०	२	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
पीलीभीत	..	..	..	..	९	१	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
रायबरेली	..	..	२	..	..	..	९	३	..	..	..	..	..	..	२	..
रामपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	..	..	..	..	..
सहारनपुर	५९	१७	४	४	७३	३१	९	५	३२	१८	४	४	२५	७	१	१
शाहजहांपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	१५	४	..	..	..	..	..	..
सल्तानपुर	१०	..	..	..	१९	२	..	..	५५	६	..	..	३१	७	..	..
उन्नाव	३	..	..	..	..	..	..	..	२	..	१	..	२	१	..	..
वाराणसी	११	३	१	..	२९	९	२	..	२०८	७९	..	..	८६	३५	..	..
टेहरी गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..	..	१	..	..	..	..	..	..	..
योग	..	५०१	१५८	५१	१५	९४६	२६३	१८०	५५	९२७	२७४	१२७	४४	४८३	१५९	४५ १०

हैजे से ग्रसित तथा मृत का विवरण

जिले का नाम	मार्च		अप्रल		मई		(जून १८, १९६६ तक) कुल योग	
	ग्रामीण	नगर	ग्रामीण	नगर	ग्रामीण	नगर	ग्रामीण	नगर
	ग्र० मृ०	ग्र० मृ०	ग्र० मृ०	ग्र० मृ०	ग्र० मृ०	ग्र० मृ०	ग्र० मृ०	ग्र० मृ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
आगरा	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	२२ १०	.. ..	.. ..	.. ..
कानपुर	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	१ ..	.. ..	.. ..	.. ..
लखनऊ	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	२ ..	.. ..	.. ..
मैनपुरी	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	१ ..	.. ..	.. ..
वाराणसी	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	२ ..	२ ..	.. ..	.. ..
योग	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	२३ १०	५ ..	३०	१०

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर]

वाराणसी जिले में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत ६ इंच के ट्यूबवेल तथा पम्पिग सेट के लिए वर्ष ६५ तथा वर्ष ६६ में (मई तक) वितरित धनराशि का ब्लाकवार विवरण :

	वर्ष ६५ में वितरित धनराशि		वर्ष १९६६ में वितरित धनराशि	मई, १९६६ तक वितरित
विकास खंड का नाम	पम्पिग सेट	व्यक्तिगत नलकूप	पम्पिग सेट	व्यक्तिगत नलकूप
१	२	३	४	५
१—औराई	३०,०००.००	..	३२,३००.००	..
२—आराजी लाइन्स	३२,०००.००	..	२४,४६०.००	..
३—काशी				
४—विद्यापीठ	२५,८००.००	..	९०,७००.००	..
चकिया	६,५००.००	..	३४,९५०.००	..
५—चन्दौली	१५,०००.००	..	२,५१,२८०.००	..
६—ज्ञानपुर	५०,०५८.००	..	१०,५००.००	..
७—चिरई गांव	१५,०००.००	..	५०,८१०.००	..
८—पिण्डरा	७,५००.००	..	३१,९००.००	१६,०००.००
९—बहनिया	..	..	१४,५००.००	..
१०—नियमनाबाद	६०,३००.००	..	१,००,६००.००	..
११—थानापुर	२२,३१०.००	..	१७,१००.००	..
१२—बरहनी	२,५००.००	..	५,०००.००	..
१३—शाहबगंज	२,५००.००	..	७,५००.००	..
१४—बड़ा-गांव	१२,५००.००	..	२२,०००.००	..
१५—सेवापुरी	२३,५००.००	२५,०००.००	२२,६५०.००	३२,९८६.००
१६—डीघ	७,४००.००	..	१६,३००.००	..
१७—चोलापुर	७,४००.००	..	९,६००.००	८,७००.००
१८—शक्लडीहा	७,९००.००	..	२९,२५०.००	८,७००.००
१९—भदोही	१६,०००.००	..	२४,५००.००	..
२०—हरहुआ	५३,७००.००	..	८,५००.००	..
२१—सुरियावां	१६,०९५.००	..	२९,५००.००	..
२२—नौगढ़	..	..	११,०००.००	..
योग ..	४,१३,९६३.००	२५,०००.००	९,२४,९५०.००	६६,३८६.००

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० सं० २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३ पर)

प्रश्नगत तीनों हरिजन कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :

(१) श्री रामलाल सोद : इस वैक्सीनेटर ने ६–९–६५ से ३५ दिन की उपार्जित छुट्टी ली थी और अपनी पत्नी की बीमारी के कारण मंसूरी चले गये। यहीं से उन्होंने २५ दिन की उपार्जित छुट्टी और ली। अवकाश समाप्त होने पर अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण ३–११–६५ को इस्तीफा दे दिया। उसको स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वीकार कर लिया।

(२) श्री मुखला दास : इस वेक्सीनेटर ने स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर में ४–८–६५ तक कार्य किया। इसके पश्चात् उनका सहारनपुर को स्थानान्तरण हो गया।

(३) श्री मूल चन्द : यह लिपिक, स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर में कार्य कर रहे हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० सं० २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३ पर)

सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर्स, सहारनपुर की ब्रांच नं० २ शहीदगंज में २९-७-६४ से प्रारम्भ की गई थी। इस ब्रांच में श्री सुदेश चन्द गुप्ता ब्रांच इंचार्ज १-११-१९६५ से कार्य कर रहे थे। ब्रांच पर नियंत्रित वस्तुओं में चीनी, मैदा, सूजी, आटा तथा अन्य वस्तुओं में डालडा, दियासलाई, गेहूं व चना आदि की बिक्री फुटकर में की जाती थी। २४ जून, १९६६ में सेंट्रल स्टोर के कार्यालय में इस ब्रांच के न खुलने की सूचना कुछ सदस्यों द्वारा दी गई। २५ जून को भी ब्रांच न खुलने पर तथा ब्रांच इंचार्ज श्री सुदेश चन्द गुप्ता के न मिलने पर २५ जून ६६ को शाम को कोतवाली सहारनपुर में एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गई। बाद में ब्रांच का ताला खुलवाने पर और सहायक निबन्धक, सहारनपुर द्वारा जांच करने पर २६,७५०.६७ रु० का स्टाक कम पाया गया। मामले की पूरी छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। अभियुक्त श्री सुदेश चन्द गुप्ता फरार है।

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० सं० २८–२९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३ पर)

जी नहीं। दिनांक १–९–६५ को उत्तर में जो ९८ कर्मचारियों की संख्या बतायी गयी थी वह वित्तीय वर्ष १९६२–६३ से ३०–८–६५ तक की गयी नियुक्तियों की संख्या थी उनमें से २१ हरिजन कर्मचारी थे। इस प्रकार हरिजन नियुक्तियों का संरक्षण २१.४ प्रतिशत होता है।

३०–८–६५ को स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर के कुल तथा हरिजन कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :

कार्यालय	संख्या		
	कुल कर्मचारी	हरिजन कर्मचारी	प्रतिशत
जिला स्वास्थ्य अधिकारी (चेचक उन्मूलन सहित) ..	२१४	७४	३४.८
मलेरिया उन्मूलन अधिकारी ..	१६१	४५	२७.९
योग ..	३७५	११९	३०

उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर दिनांक १–९–६५ के प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में जो ३० प्रतिशत का हरिजनों के लिए संरक्षण दिखाया गया था वह ठीक था।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर आगे पृष्ठ ३६ पर)

DEPARTMENTAL INSPECTION REPORT ON THE ACCOUNTS OF DAHEGAWAN BLOCK, DISTRICT BUDAUN

1.	District		Budaun.
2.	Name of the block ..	..	Stage I block Dahegawan.
3.	Name of the B.D.O.	..	Sri Ram Deo Ram.
4.	Period of the account checked	..	8/64 to 5/66.
5.	Dates of inspection ..	..	June 6, 1966 to June 12, 1966
6.	Name of the Chief Accountant	..	Sri J. S. Bhatnagar.

PART I

Previous Inspections—

The under noted paras of previous reports and objection sheets have not yet been finally settled. Necessary steps are called for to make final compliance of these paras expeditiously.

Serial no.	Report no. and date	Period	Paras number
1	3247/XV—7/AAO, dated January 14, 1963.	11/62	2 & 4(*b*)
2	Objection sheets	11/62	1(*b*)
			(*c*)
			(*j*)(ii)
			(*k*)
			(i)
3	6044/D/BEN/64-65	7/642	(*a*)(*b*)(*c*) (*d*)(*e*)(*f*) (*h*)3(*b*)4,6(1) (*b*)(*d*) 7(*a*)(*b*) (*c*)(*d*) & (*d*)
4.	Objection sheets	7/64	8
			17
			17
			18
			19
			20
			21
			23
			26
			27
			30
			45
			57
			58
			60
			60

Para	Page
1(*b*)	2
(*c*)	2
(*j*)(ii)	10
(*k*)	10
(i)	13
(*a*)(*b*)(*c*) (*d*)(*e*)(*f*) (*h*)3(*b*)4,6(1) (*b*)(*d*) 7(*a*)(*b*) (*c*)(*d*) & (*d*)	..
8	7
17	6
17	7
18	10
19	11
20	16
21	17
23	22
26	29
27	1
30	5
45	(*c*)
57	(*d*)
58	(*f*)
60	(*g*)
60	(*k*)

PART II

Present Inspection—

Cash book—

2. (*a*) A scrutiny of the general bill register in Form 11-C revealed that the bills encashed from the treasury are not accounted for in the cash book on the same day and the amount was allowed to remain out of account for a considerable period. The following instances will show that the Block Development Officer is not exercising adequate control over the cash transactions which needs elucidation.

Serial number	Date of encashment	Date of entry in the cash book	Amount
1	May 4, 1966 ..	May 5, 1966	178.00
2	May 16, 1966 ..	May 20, 1966 ..	39.21
3	May 17, 1966 ..	May 20, 1966 ..	250.00
4	May 7, 1966 ..	May 8, 1966	61.80
5	May 4, 1966 ..	May 5, 1966	328.00
6	May 7, 1966 ..	May 8, 1966	390.00
7	May 4, 1966 ..	May 5, 1966	219.00
8	June 25, 1966 ..	June 27, 1966 ..	572.68

(*b*) It was noticed that the unsecured officials of the office were allowed to encash the bills from the Treasury. This is most risky and in contravention of the financial rules. They should please stop this practice with immediate effect. Only the secured cashier should be allowed to handle the cash in future to safe guard the government money. The name of Sri A.P. Gupta, Senior Clerk, who is not secured can be mentioned as example in this connection.

(*c*) Deposits made into the Treasury exceeding Rs. 1,000/- in a month have not been got verified from the Treasury as required under foot Rule 5 below para 27 (A) F. H. B. Vol. (V) Part I. All such deposits should please be got verified by the Treasury at an early date.

(*d*) As many as 83 payees receipts including 39 receipts pertaining to cash payment were not put up. The P.S.Rs. in respect of cash payments amounting to Rs.3,274.77 as detailed on pages 10 to 29 of the objection sheets have not been shown. This tentamounts to misappropriation or embezzlement of government money unless the required payees receipts are made available. All the required receipts should please be traced or obtained at a very early date and shown at the time of next audit.

3. *Security—*

(*a*) The following offcials who have been allowed to furnish security in monthly instalments have not yet executed a security bond in Form "D" or furnished fidelity bonds in Form 2-E. Security so furnished by the officials is ineffective to guarantee the government against the losses. Immediate steps are called for to get the bonds executed by the Official concerned and other required formalities be completed soon.

1. Sri Hukum Singh, V.L.W.
2. ,, Permeshwar Sahay.

3. Sri R. C. Saxena
4. Smt. Daya Wati, A.D.O.(W)
5. Sri D. C. Gupta, Accountant
6. ,, Omkar Gupta, Store-Keeper
7. ,, Jallal Uddin, Driver
8. ,, C. Rabingon, Publicity Assistant
9. ,, Bhoop Singh, V.L.W.
10. Smt. Kamlesh Dubey, Gram Sevika.

(*b*) Moreover, neither the security amount is being realised nor any security bond has been got executed by the following officials. This is most irregular. The head of the office should personally see that immediate action in this respect is taken.

1. Sri S. K. Singh Yadav, V.A.S.
2. ,, Bhoeo Misra, A.D.O. (M.I.)
3. ,, R. P. Sharma, Typist-*cum*-Clerk.
4. ,, R. U. Khan, S.M.
5. ,, Mahesh Chandra, Peon
6. ,, A.L. Kadam A.D.O.(P).

4. *Establishment*—

Sri Jallaluddin, Driver was appointed in this department on 5—10—1962 in the scale of Rs.40—2-bi.—50—E.B.—65 and as such his annual increment should have been sanctioned on August 5, 1964 after two years.

But while sanctioning his annual increments on October 6, 1963, October 6, 1964 and October 6, 1965, the period of sanction of increments after two years in the case of drivers was not kept in view and increments were allowed annually instead of Binniel. The case should please be regularised by effecting the recovery of excess payment and shifting the dates of increment.

5. *Contingencies*—

(*a*) During the year 1964-65 a sum of Rs.1,964.82 was incurred on the purchase of P.O.L. and minor repairs of Jeep against the prescribed annual monetary ceiling of Rs.1,500. The excess expenditure of Rs.164.82 incurred in this respect should please be regularised under ex-post facto sanction of the A.P.C.

(*b*) In the following cases the payments pertaining to the previous year were paid out of the appropriation of the next year without obtaining sanction of the Head of the Department as required under para 159 of F.H.B. Vol. 5 Part I, All these cases should please be regularised under the order of the A.P.C.

Sl. no.	Contingent Bill	Bill No. and date of firm	Amount	Remarks
1.	1.Edu (Rcc) for Rs.13.75 cashed during 64-65 pertaining to the year 1963-64.	Gandhi Sewa Sadan, Asafpur No. 4192 dated 29.1.64.	13.75	Feeding charges of a teacher paid during 64-65.
2.	2—Agr. N.R. for Rs. 163.00 C/O 24.3.66.	M/S National Small Industry Jamalpur No. 636 dated 25-3-65	1663.00	Agri. Imp. purchased during 64-65 paid during 1965-66.
3.	2.A.H.N.R. for Rs. 661.90 C/O 24.3.66	M/S Vipin Surgical Lucknow no. 998, dated 25.3.65.	330.00	instruments cabinet purchased during 64-65 paid during 65-66.

(c) *Cont. Bill no.* 1 *education recurring for Rs.*13.75 (1964-65)—A sum of Rs.13.75 paisa on account of fooding charges were paid to M/S Gandhi Sewa Sadan, Asafpur *vide* their bill no. 4192, dated January 29, 1964. In this connection the following observations have been made :

(i) The name of trainee who was sent to the above institution has not been mentioned in the bill and no other papers in this connection were put up for scrutiny.

(ii) The order of the competent authorities allowing for training, verification certificate from the institution concerned were also not put up in absence of which the expenditure is not justified. Necessary record should please be completed and shown to audit next time positively.

(d) *Cont. bill no.* 4 *dated March* 3, 1965 *for Rs.*1,516.93 *paise dated March* 31, 1965—A youth leader camp for seven days w.e.f. February 23 to March 1, 1965 was organised by the A.D.O. (SE and P) and a sum of Rs.275 was incurred in this behalf. As per instructions laid down in Social Education Break-up issued *vide* A. P. C. No. 365/10278/P-I—SE/782 dated December 20, 1963 a sum of Rs.300 have been unmarked for training of 30 to 50 youths for seven days and the expenditure will be reduced accordingly in case the no. of trainees is reduced. In this case the total attendance of the campers was 350 instead of 420. Accordingly, the expenditure of Rs.250 would have incurred instead of Rs.25 should please be recovered from the incharge of been the camp.

(e) A Kisan Mela w.e.f. 12 to 14 March, 1965 was also organised at the Block Headquarters and a sum of Rs.485.66 paisa was incurred on prises as per details given on page 34 of the objection sheets (cont. bill as above).

The A. P. C. Lucknow in his circular no. C-355 *ibid* has provided Rs.150 for prizes subject to the condition that matching public contribution should be realised. But contrary to these the above amount of Rs.485.66 paise was incurred on prizes and no public contribution was raised. The expenditure should please be regularised under the orders of the A.P.C. Lucknow viz. Rs.335.86 paise (Rs.485.86(—)150.

(*f*) *Cont. Bill no.* 4 *Bln. R. dated March* 30, 1965 *for Rs.*2,723.22, *dated March* 31, 1965—The Block Vehicle no. UPD-2345 was got repaired from M/S Kumar Motors, Bareilly after getting the estimate checked from the Transport Department and administrative sanction obtained from the A.P.C. Lucknow. In this connection the following omissions and short comings were noticed which should please be regularised now.

(1) The entry of this heavy repairs was not made in the Log Book.

(2) Condemned part register was also not maintained and entry of condemned parts was not pointed out.

(3) While scrutinising the bill of M/s. Kumar Motors, Bareilly the transport department has reduced the cost of the parts which were replaced in the vehicle but the payment of the sales tax was allowed on the original cost of parts. Without keeping in view the deductions made by the transport department. In this way the following excess payments were made which should please be recorded from the firm.

Sl. no.	Firm Bill no. and date	Original cost of Parts	Reduced Cost of parts	Sales tax 10% Allowed	Admissible	Excess
1.	K/MS/5, dated 23-3-1965 for Rs. 1099.05	856	815.45	85.60	81.54	4.06
2.	K/M 1704, dated 26.3.1965 for Rs. 917.40.	658.90	650.40	65.89	65.04	0.05
3.	Ditto	Dut to calculating mistake found in the bill.				3.00
			Total			7.91

(*c*) In the following cases, it was gathered that the Government share has been paid in full and the connected receipts of public contribution were not made available. In absence of which, it could not be ensured whether the liability of the Government have been liquidated in full. The B.D.O. should please be asked immediately to avoid further complications in this behalf.

Sl. no.	Cont. bill.	Total amount of s. Vr.	Govt. share paid	Pub.Contribution wanting	Articles purchased
1.	4 Agr. NR. dated. 16-2-65 for Rs. 1154.00	28	19.2	19	Veg. seed distribution a/c also not put up.
2.	38 ENR for Rs. 47.69 dated 30-3-66	96	47.69	48.31	Duries to be issued to Gram Sabhas.

(*h*) In the following cases the purchases were made from unapproved firms which is against the store purchases rules. Thus excess payments were made which should please be justified and recovery be made from the official/officer responsible for these purchases.

Sl. no.	Cont. Bill	Name and no.of articles	Firms, name	Rate of Purchases	Approved cost	Notification No. and date	Excess
1.	2 Edu. NR WC for Rs. 900.80	Time pieces 2	New India Surg. Lko. 90	45 each 29 each 38	128 dt. 17.2.64 of M/s Thakur Dass Jwellna		32
2.	38ENR dt.29.3.66 for Rs. 223 30-3-66	Harmonium 3.	Sangham Surg. Lko	64 each at 44 192	D/C's no. 241/2646/Pl. dated 12.9.63 of M/SEdu. Emp. Lko.		60 344 with
3.	Agr.NR for Dise.	Harrow	Natioal Welding Works Dhanaura.	225 each as above for Rs. 1800.	with M/s National Welding Works Dhanaura	436.	

(*i*) *Cont. Bill no.* 38 *R. N. R. dated March* 29, 1965 *for Rs.*767.69—One single reed hormonium was purchased from M/s. Nandan Bross for Rs.51.70 and issued to Gram Sabha Gularia Lohar on 50 per cent contribution. As per conditions envisaged in D.C.'s no. 365/PI. dated December 21, 1963 it has been provided that a subsidy to the extent of Rs.20 only is to be provided from Government fund for supply of musical instruments, and rest amount will be borne by the institution concerned, but in the above case a Government subsidy of Rs.25.85 was allowed and Musical instruments issued after realising 50 per cent contribution. Necessary recovery of the excess payment of subsidy of Rs.5.85 paise should please be made from the Gaon Sabha concerned, and deposited into Treasury under proper receipt head.

Moreover, one set of Children play equipment costing of Rs.385 was also purchased and issued to primary School, Silahri. In the break-up of Social Education issued *vide* A.P.C.'s Lucknow's no. 365, dated December 21 1963. There is no provision of such purchases for schools. The expenditure therefore, needs regularisation under the ex-post—facto sanction of the A. P. C. Lucknow.

(*j*) *Contingent bill no. IRAC-NR for Rs.*899 *and* 96 *paise dated March* 31, 1965—One simac Art Knitter Machine costing Rs.500.00 was purchased locally from M/S Singer Sewing Machine, Badaun by the District Planning Officer, Budaun and issued to B.D.O.S. In this respect the following observations have been made :

(i) The article, being costly and purely technical has not been provided any where by the A.P.C. and Dy. Director, Women Welfare, Lucknow. Hence the purchases were made against the instructions of the department.

(ii) The D. P. O. is competent to accord sanction in respect of unespecified items of non-recurring nature to the extent of Rs.500.00 Thus purchases are beyond his competency, which requires sanction of the A.P.C.

(iii) The article was purchased without inviting cross quotations and thus the Government was deprived of benefit of competetive rates. The items being costly should be got approved by the Director of Industries, Kanpur.

(iv) The Machine has been issued to Smt. Kamlesh Gram Sewika and is lying idle with her as she has got no training of its handling. The purchases so thus made only to avoid lapse of budget grant should be justified.

6. *Stores*—

(*a*) The Head of Ministerial staff has not recorded monthly certificate regarding correction of entries of purchases of the stock books w.e.f. November, 1962. This is objectionable incontravention of provision of Para 801 of the M.G.O. (new addition). The omission should please be supplied now.

(*b*) The B.D.O. has verified the dead stock articles during September 1965. As a result of physical verification of stores articles costing Rs.1,103.38 Annexure "F" objection sheets. were found short and Sri Omkar Gupta the present store-keeper has been held responsible for the same. The matter has also been referred to the D.P.O. *vide* B.D.O. no. 2090 dated June 10, 1966. No further action for making good the loss has yet been taken. The D.P.O. and B.D.O. should arrange that the loss be made good at an early date and **progress** reported to D.D.C.

(*c*) **During** the last year a huge expenditure was incurred on the purchase of stock for Women Welfare programme which has been issued to Gram Sevikas. But so far no stock register of Women Welfare programme has been prepared and entries of raw material finished goods etc. were not pointed out to audit. This shows that no proper check on the proper and timely utilisation of stores of Women Welfare programme has been excercised by the B.D.O. and A.D.O.(W) and stock register prescribed by the Dy. Director Women Welfare, Lucknow were not prepared. This is very serious and brought to the personal notice of the B.D.O. for remedial measures.

(*d*) As a result of physical verification of books, it was noticed that 19 books costing Rs.25.77 paise detailed in Annexure "C" of objection sheet were handed over short by Sri Omkar Gupta, Store-Keeper to Sri I. G. Roluson Papu. The Store-Keeper should either trace out these books and handover to the publicity assistant or the cost thereof amounting to Rs.25.77 paise should be deposited into the Treasury. The B.D.O. should please look into it and get the matter settled at an early date.

7. *Loans : Misutilisation of loans—*

As a result of the spot verification done by the A.D.O.s it was noticed that in 18 cases involving a sum of Rs.11,915 disbursed during they ear 1961-62 to 1963-64. The loans have been misutilised. The B.D.O. has referred the matter to the D.P.O. for effecting the recovery in lump sum but no action in this repect has yet been taken. The B.D.O. should please issue reminders and get the amount refunded from the loanees at an early date.

8. *Grants-in-aid—*

A scrutiny of the following files of Grants-in-aid revealed that excess payments have been made to the grantees concerned, which calls for early recovery.

Sl. No.	Cheque no. and date	Amount paid	Amount admissible.	Excess	Purchase of subsidy
1.	56/1211 dated 13.4.66 for Rs. 60 paid to Sri Itwari Lal Vill. Dehgawan.	60	50	10	Levelling of land against A.R.C.S. circular no. C-297 dated 28-10-63.
2.	57/1211 dated 29-4-66 for Rs. 40 paid to Sri Bhood Singh vill. Rampur Toppa vaish.	40	25	15	Feeding menger against a max. limit of Rs. 25 Rs. 40 were paid.
3.	52/1382 dated 31.3.64 for Rs. 100 and no. 51/1211 dated 30-3-66 Rs. 67 to Sri Laxmi Narain Village Dehgawan.	167	128	39	Cattle shed (as per completion certificate of the grantee was entitled target Rs. 128 instead of Rs. 167.

9. *Log Book—*

The speedo meter of the vehicle which have gone out of order on August 12, 1964 at the meter reading of 1845 Km. but the vehicle was not garaged and constantly plied as usual by the B.D.O. upto April 28, 1965 as covering distance of 676 Km. The use of vehicle without speed meter has been restricted by the D.C. and as such this is a disregard of the instructions issued from time to time. This should be regularised under the orders of the A.P.C.

(*b*) On the following dates the block vehicle was used by the officers noted below for the purpose other than planning and the recovery of P.O'L. has been effected from them. Necessary recovery of POL should please be made and credited in to the treasury.

Dates	Officer who used the vehicle	Distance	Purchase
1.	22/9 to 25.9/64 B.D.O. Dataganj	173 Km.	Raids on gramshops should be recovered from general administration Deptt.
2.	9/5 to 13.5.65 S.D.M.	197 Km.	Mohurram Duty

(*c*) The block headquarter is situated in the remote corner of the District and petrol pumps are not nearer to it. To avoid hardship the B.D.O. has adopted a practice of having petrol in bulk. But the account of the same has not been maintained properly. The entry of the petrol has been done in the log book immediately on receipt of petrol. This has always effected the monthly average calculated at the end of the month, In order to depict the correct position of monthly average it is suggested that a separate stock register of petrol purchased in bulk should be maintained and entry of the petrol thus purchased should be made therein. On receiving a requisition from the Driver the desired quantity of petrol should be issued to him and entry of sale should be made in the log book and the stock register simultaneously on the date of issue. This will facilitate the B.D.O. and the inspecting officer to ascertain the correct monthly average.

10. *Test inspection note* :

The remianing paras of the objection sheets which have not been incorporated in this report should be treated as Test Inspection Report Note, the compliance of which would also be arranged and put up in next audit.

General :

The accounts need alround improvement. The old paras need special attention of all concerned and efforts should be made to get all these paras settled at an early date.

The Block retains its category 'C'.

(Sd.) G. S. GAUTAM,

Chief Accountant. *Assistant Accounts Officer,*

Bareilly.

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९ पर)

जिले का नाम	विघटित खण्ड का नाम
आगरा	१—अकोला
	२—सैंया
	३—खंदोली
	४—पिनहट
अलीगढ़	५—चन्दौस
	६—लोधा
	७—मुरसान
	८—हसायन
	९—बिजोली
एटा	१०—अमांपुर
	११—मारहेरा
	१२—पटियाली
	१३—अवागढ़
मथुरा	१४—मथुरा
	१५—चौमुहां
	१६—माण्ट
	१७—सहपाउ
मैनपुरी	१८—कुरावली
	१९—अरांव
	२०—एलाउ
	२१—खैरागढ़
	२२—बरनाइल
इलाहाबाद	२३—जसरा
	२४—सरसावां
	२५—कोरांव
	२६—धानुपुर
	२७—होलागढ़
	२८—बहरिया
	२९—मूरतगंज
फतेहपुर	३०—देवमई
	३१—तेलियानी
	३२—धाता
फर्रुखाबाद	३३—बड़पुर
	३४—नवाबगंज
	३५—जलालाबाद
	३६—सौरिख
इटावा	३७—सहर
	३८—ताखा
	३९—भाग्यनगर

जिले का नाम	विघटित खण्ड का नाम
कानपुर	४०—सन्दलपुर
	४१—शिवराजपुर
	४२—श्रवनखेरा
	४३—मलासा
	४४—विधनू
	४५—भीतरगांव
बरेली	४६—भदपुरा
	४७—भुत्ता
	४८—मझगवां
	४९—रिच्छा
	५०—किश्रारा
बिजनौर	५१—खारी झालू
	५२—श्राकू
	५३—बुडनपुर
बदायूं	५४—कादर चौक
	५५—इस्लामनगर
	५६—झुक्सा
	५७—दहगवां
	५८—जूनामई
मुरादाबाद	५९—मुरादाबाद
	६०—जोया
	६१—धवांसा
	६२—दिलारी
	६३—गजरोला
	६४—दीगरपुर
पीलीभीत	६५—श्रमरिया
	६६—नन्द (बिसन्डा)
शाहजहांपुर	६७—सिन्धौली
	६८—कटरा
	६९—ददरोल
	७०—मिर्जापुर
फैजाबाद	७१—कटेहरी
	७२—हरिंगटनगंज
	७३—माया बाजार
	७४—रामनगर
बाराबंकी	७५—पूरे दलाई
	७६—सूरतगंज
	७७—हरख
	७८—त्रिवेदीगंज
बहराइच	७९—विशेश्वरगंज
	८०—शिवपुर

जिले का नाम	विघटित खण्ड का नाम
	८१—जरवल
	८२—तजवापुर
गोंडा	८३—पंडरी कृपाल
	८४—मुजेहना
	८५—हरैया सतघरवा
	८६—श्रीवत्तगंज
	८७—रेहरा बाजार
	८८—बेलसर
	८९—वजीरगंज
सुल्तानपुर	९०—दुबेपुर
	९१—धनपतगंज
	९२—प्रतापपुर कमेहा
	९३—जामों
	९४—बेलुवा
प्रतापगढ़	९५—मान्धाता
	९६—शिवगढ़
	९७—रामपुर
गोरखपुर	९८—पाली
	९९—भटहट
	१००—ब्रह्मपुर
	१०१—बृजमनगंज
	१०२—कैम्पियरगंज
	१०३—घुघुली
	१०४—मियौरा
	१०५—घगहा
	१०६—ऊरवा
	१०७—खजनी
आजमगढ़	१०८—लोकमान
	१०९—कोइलसा
	११०—नबई
	१११—अलहनी
	११२—सठियांव
	११३—फतेहपुर भंडाव
	११४—महराजगंज
बस्ती	११५—बन्कटी
	११६—सांऊघाट
	११७—नाथ नगर
	११८—सेमरियावां
	११९—बिक्रमजोत
	१२०—भनवापुर
	१२१—जोगिया
	१२२—मिथवल

जिले का नाम	विघटित खण्ड का नाम
देवरिया	१२३—बेतालपुर
	१२४—रामपुर कारखाना
	१२५—भागलपुर
	१२६—बनकटा
	१२७—भटनी
	१२८—फाजिलनगर
	१२९—मोती चक
झांसी	१३०—बड़ागांव
बांदा	१३१—रामनगर
जालौन	१३२—माधोगढ़
	१३३—ऐट
हमीरपुर	१३४—गोहन्ड
लखनऊ	१३५—चिनहट
	१३६—भगवान नगर (मल्ल)
हरदोई	१३७—हरियावन
	१३८—टोडरपुर
	१३९—माधोगंज
	१४०—बेनहर
खीरी	१४१—नकहा
	१४२—बिजुवा
	१४३—पसगवां
	१४४—रनियाबेहड़
रायबरेली	१४५—राही
	१४६—लालगंज
	१४७—तिलोई
	१४८—डीह
सीतापुर	१४९—परसेन्डी
	१५०—सकरान
	१५१—मछरेहटा
	१५२—महमूदाबाद
उन्नाव	१५३—सिकन्दरपुर—करन
	१५४—हिलौली
	१५५—ओरास
	१५६—बांगरमऊ
मेरठ	१५७—रजापुर
	१५८—विलाना
	१५९—खरखोदा
	१६०—माछरा
	१६१—रजपुरा
	१६२—दौराला
बुलन्दशहर	१६३—अरनिया
	१६४—जहांगीराबाद

जिले का नाम			विघटित खण्ड का नाम
			१६५—गुलावटी
			१६६—भवन बहादुर नगर
			१६७—दादरी
मुजफ्फरनगर	..	..	१६८—चरथावल
			१६९—थाना भवन
			१७०—शाहपुर
सहारनपुर	..	..	१७१—सरसांवां
			१७२—जुवारिका
			१७३—ननौता
			१७४—नारसेन
वाराणसी	..	..	१७५—बरहनी
			१७६—सकलडीहा
			१७७—औराई
			१७८—बड़ागांव
			१७९—हरहुवा
			१८०—आराजी लाइन
बलिया	..	..	१८१—दुबहड़
			१८२—बेलहरी
			१८३—रतनपुरा
			१८४—नवा नगर
			१८५—रेवती
गाजीपुर	..	..	१८६—बराचबर
			१८७—बिरनो
			१८८—करन्दा
			१८९—मनिहारी
जौनपुर	..	..	१९०—मुफ्तीगंज
			१९१—खुटाहन
			१९२—रामपुर
			१९३—सुजानगंज
			१९४—करंजा कलां
मिर्जापुर	..	..	१९५—नगवा
			१९६—जमालपुर
			१९७—पहाड़ी
			१९८—लालगंज

नत्थी 'झ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४ पर)

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र, दोहरीघाट, आजमगढ़ में नियुक्त कर्मचारियों के नाम, पद, वेतन-क्रम व मासिक वेतन की सूची—

क्रमांक	नाम	पद	वेतन-क्रम	वर्तमान वेतन	विशेष
१	श्री रमानाथ तिवारी	आचार्य	३०० नियत वेतन	३००—००	
२	श्री क्षमा नन्द ..	प्रशिक्षक	२५०—००	२५०—००	
३	श्री विन्ध्याचल त्रिपाठी।	प्रशिक्षक	७५—५—९५—५—१५०	१६३—००	मूल वेतन पर २० प्रतिशत प्रतिनिधान भत्ता भी दिया जाता है।
४	श्री राम नाथ राय	लिपिक	१२०—००	१२०—००	
५	श्री मोहन यादव	चपरासी	६०—००	६०—००	
६	श्री किशुन देव यादव	अटेन्डेन्ट	४५—००	४५—००	

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५४ पर)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची—

१—खण्ड २ की पंक्ति में शब्द "को" के स्थान पर शब्द "की" रख दिया गया है।

२—खण्ड ३ के उपखण्ड (१) की पंक्ति २ में शब्द "बिल" के स्थान पर शब्द "वित्त" रख दिया गया है।

३—खण्ड ४ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ६ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ का प्रारम्भ का शब्द "द्वारा" हटा दिया गया है।

४—खण्ड ४ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ६ की उपधारा (४) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कारण" और "वह" के बीच का शब्द "ने" हटा दिया गया है।

५—खण्ड ५ के उपखण्ड (२) द्वारा मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (२) में खण्ड (१) के पश्चात् प्रस्तावित नये खण्ड (१-अ) की पंक्ति में १ 'ऐस' के स्थान पर शब्द "ऐसे" कर दिया गया है।

६—खण्ड ६ में मूल अधिनियम की धारा १४ की प्रस्तावित उपधारा (३) की पंक्ति १ में शब्द "बाद के होते हुये" के स्थान पर शब्द "बात के होते हुये" रख दिये गये हैं।

७—खण्ड ७ की पंक्ति २ में शब्द "पाठ्यक्रम समितियों" के स्थान पर शब्द "पाठ्यक्रम समितियां" रख दिए गए हैं।

८—खण्ड ८ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १९ (१) की पंक्ति ६ में शब्द "जाये" के स्थान पर शब्द "जायें" कर दिया गया है।

९—खण्ड ९ में मूल अधिनियम की धारा २१ की प्रस्तावित उपधारा (२) की पंक्ति १ में शब्द "किसी" और "या" के बीच में शब्द "अमीक्षक" के स्थान पर शब्द "अधीक्षक" रख दिया गया है।

नत्थी 'ट'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५४ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिए विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ में किए गए शाब्दिक संशोधनों की सूची।

१—खण्ड ४ के उपखण्ड (१) की पंक्ति २ में शब्द "अथव" के स्थान पर शब्द "अथवा" कर दिया गया है।

२—खण्ड ४ के उपखण्ड (१) के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "परिवद्धन" के स्थान पर शब्द "परिवर्द्धन" कर दिया गया है।

३—खण्ड ४ के उपखण्ड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "उपक्रम" और "सहायता" के बीच का चिन्ह (कामा) हटा दिया गया है।

४—खण्ड ४ के उपखण्ड (१) के भाग (ख) की पंक्ति ४ में शब्द "संलेख" के स्थान पर "संलेखों" कर दिया गया है।

५—खण्ड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ७ में शब्द "सस्थगित" के स्थान पर शब्द "स्थगित" कर दिया गया है।

६—खण्ड ४ के उपखण्ड (२) की पंक्ति ८ में शब्द "रहगी" के स्थान पर शब्द "रहेगी" कर दिया गया है।

———

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६० पर)

नियम ५२ के अन्तर्गत सर्वश्री राम सुन्दर पांडेय, मंगलदेव, दौलतलाल तथा भीमाप्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिए गए जिला जेल, आजमगढ़ में "उत्तर प्रदेश बन्द" के बन्दियों के साथ कथित दुर्व्यवहार से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण नोटिस पर वक्तव्य !

प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश बन्द के बन्दियों के साथ आजमगढ़ जेल में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यह सत्य नहीं है कि इन बन्दियों को सड़े आटे की रोटियां दी गयीं। इनको ताजे आटे की रोटियां दी गयीं। यह भी असत्य है कि सब्जियों में कीड़े और घास की पत्तियां दी गयीं। सब्जियां आलू, प्याज तथा परवल की दी गयीं। दाल व चावल भी ठीक प्रकार का तथा पर्याप्त मात्रा में दिया गया। समस्त राशन इन बन्दियों के प्रतिनिधियों के समक्ष तौलकर दिया जाता रहा है। यह भी सत्य नहीं है कि गीला और कच्चा चावल दिया गया। इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत किसी से भी नहीं की गई। शाम का खाना केवल पहले दिन अर्थात् १२ जुलाई, १९६६ को देर से ११ बजे रात तक जरूर बंटा, क्योंकि उस दिन बन्दियों के जत्थे १० बजे रात के बाद तक आते रहे और सबको भोजन दिया जाता रहा।

एक अन्य दिन अर्थात् १३ जुलाई की दोपहर को खाना ३ बजे तक बटा। इसका कारण यह था कि आन्दोलनकारी प्रतिनिधि सभा के एक सदस्य, जो भोजन बनवाने और वितरण करवाने के इंचार्ज थे, उन्होंने चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई को उतरवाकर ४ कबूतरों को मरवाकर उनका गोश्त उसी चूल्हे पर पकवाना शुरू कर दिया। इससे भोजन २ बजे तैयार हो सका। जब बन्दियों को उक्त घटना का ज्ञान कराया गया तो उन्होंने चुपचाप भोजन ले लिया और कोई आपत्ति न की। और किसी दिन भोजन बंटने में देर नहीं हुई और प्रतिदिन खाना समय से बन्दियों की सुविधा के अनुसार बंटता रहा। इसके साथ-साथ वस्तु-स्थिति यह है कि जब भोजन सात-साढ़े सात बजे शाम को इन बन्दियों को पहुंचाया जाता था, तो वे कहते थे कि यह खाने का समय नहीं है। इस के बाद ९ या १० बजे से यह लोग खाना शुरू करते थे।

सब बन्दियों को दो-दो कम्बल, एक चादर तथा तसला व दो कटोरियां दी गयीं। केवल सबको मिलाकर २३ तसले कम पड़े, जिन्हें कटोरियों से पूरा किया गया। उपर्युक्त दो कम्बलों में से एक कम्बल फट्टे के स्थान पर बिछाने के लिए दिया गया था। पाखाने के लिए मिट्टी के लोटे पर्याप्त मात्रा में पाखानों में रखे थे। पानी पीने के लिए हर दो बन्दी को एक नया मिट्टी का घड़ा दिया गया तथा हर वार्ड में नल लगे थे। इन चीजों के अतिरिक्त ८ बड़ी दरियां भी इन बन्दियों को दी गई थीं।

पाखानों में जहां खिड़कियां नहीं थीं वहां पर टाट लगा दिए गए थे जो अब भी लगे हैं। टट्टियों में तारकोल लगा हुआ है। फिनायल भी पर्याप्त मात्रा में छोड़ी जाती है। भंगियों का कोई अभाव नहीं है। पाखानों की सफाई के लिए चार बाहरी भंगी काम पर लगाये गये थे। नालियों की भी सफाई होती रही है। चूना तथा ब्लीचिंग पाउडर छोड़ा गया। कोई गन्दगी नहीं थी।

बन्दियों ने जिनकी संख्या ३१५ थी अनशन की सूचना दिनांक १३ जुलाई, १९६६ को रात को ८ बजे दी जबकि पका हुआ खाना उनके वार्डों में पहुंचा दिया गया था। बहुतों ने तो यह कहा कि उस दिन का खाना दोपहर को देर से खाया था तथा भूख के कारण अधिक भी खा लिया था। अतः खाने की इच्छा नहीं थी। दिनांक १४ जुलाई, १९६६ के अपरान्ह में जेल के सुपरिंटेंडेंट के समझाने पर सब ने अनशन तोड़ दिया।

अचानक इतने सारे बन्दियों के जेल में दाखिल होनेके बावजूद जेल अधिकारियों ने तत्परता से कार्य किया और इस बात की पूरी चेष्टा की कि बन्दियों को कोई असुविधा न हो ।

जेल के अन्दर तथा बाहर पूर्ण शान्ति है तथा शान्ति भंग होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

नियम ५२ के अन्तर्गत

जिला कारागार आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश बन्द के सिलसिले में राजनीतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है । उन्हें सड़े हुये आटे की रोटी, सब्जियों में कीड़े और घास की पत्तियां, खराब दाल, गीला कच्चा चावल दिया जा रहा है । वह भी दिन में ४ बजे शाम और रात को १२ बजे दिया जाता है जो नियमों के विपरीत है । टाट, कम्बल, चादर और कटोरी, तसला के अभाव में भोजन करने, पानी पीने और पाखाना जाने में कठिनाई पड़ती है । बिस्तरों के अभाव में सोने की व्यवस्था नहीं है । पाखाने में खिड़कियां नहीं हैं, तारकोल नहीं लगता, फिनायल नहीं छोड़ा जाता । भंगियों के अभाव में जेल के पूरे क्षेत्र में बदबू और मक्खियों का साम्राज्य है, स्वच्छ वायु का मिलना कठिन है । नालियों की सफाई नहीं होती । उनमें चूना आदि छोड़कर मक्खियों एवं मच्छरों को मारने की कोई व्यवस्था नहीं है । जिसके कारण जेल में रहने वाले सभी बन्दियों की नींद हराम है । उक्त शिकायतों को दूर करने के लिये ३१५ राजनीतिक बन्दियों ने २४ घंटे का अनशन किया । किन्तु जेल सुपरिन्टेंडेण्ट के आश्वासन के बाद भी उक्त वैधानिक शिकायतें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, जो सरकार के मंशा के विपरीत है । इन शिकायतों को दूर करने के लिये जेल से हम लोगों ने जिलाधीश, मुख्य मन्त्री और आई० जी० जेल को पत्र लिखा । उक्त अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने के कारण जिला कारागार में बन्द बन्दियों के अलावा जिले की लाखों जनता में सरकार की उपेक्षा और उदासीनतापूर्ण नीति के कारण घोर असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है और जिला कारागार तथा बाहर शान्ति भंग होने की आशंका है ।

अतः निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय जेल मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर स्पष्टीकरण की मांग करते हैं ।

नोट—जिला कारागार, आजमगढ़ में १२ जुलाई से १६ जुलाई तक बन्दी के रूप में रहकर उक्त कठिनाइयों को झेलते रहे हैं ।

(ह०) राम सुन्दर पांडेय,
(ह०) दौलत लाल,
(ह०) मंगल देव, तथा
(ह०) भीमा प्रसाद,
सदस्य, विधान सभा ।

सत्वी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१ पर)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय का आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५ की धारा ४ का संशोधन ।

२—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४ में उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(४) उपधारा (३) में उल्लिखित अलग-अलग क्षेत्रों या सीमाओं के भीतर स्थित ऐसे कालेजों के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किये गये उक्त उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों उसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के अभिदेशों से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६६, के प्रारम्भ होने के अभिदेश समझे गये हों ।"

धारा ५० का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ५० की उपधारा (१) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(कक) निदेश दे सकती है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन बनाये गये सभी या कोई भी परिनियम या अध्यादेश, ऐसे अनुकूलनों और परिष्कारों के साथ, चाहे वे परिवर्द्धन, संशोधन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तब तक के लिये लागू होंगे जब तक कि उसी विषय के सम्बन्ध में धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन प्रथम परिनियम न बना दिये जायें:"

नयी धारा ५१ और ५२ का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ५० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

कतिपय परिनियत संलेखों को अनुकूल बनाने और उन्हें परिष्कृत करने का अधिकार

"५१—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी परिनियत संलेख में, जो किसी विश्वविद्यालय के निगमन से संबद्ध किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश अथवा बनाया गया कोई नियम, परिनियम या अध्यादेश हो, ऐसे आनुषंगिक तथा प्रासंगिक अनुकूलन और परिष्कार, चाहे वे परिवर्द्धन, संशोधन या लोप के रूप में हों, ऐसे दिनांक से कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसे किसी अनुकूलन या परिष्कार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा ।

(२) उपधारा (१) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुकूलित या परिष्कृत किसी परिनियत संलेख में परिवर्द्धन, संशोधन या उसका विखण्डन करने से रोकती है ।

(३) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

स्नातकों के निबंधन के संबंध में विकल्प

५२—किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के स्नातकों को, जो किसी कालेज या संस्था में, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण बाद में, कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय से संबद्ध कर लिया जाय अथवा संबद्ध समझा जाय, पाठ्यक्रम का अध्ययन करने अथवा शोध कार्य करने के पश्चात् कोई डिग्री ले चुके हों अथवा एतद्पश्चात् लें, ऐसी डिग्री के आधार पर यह विकल्प होगा कि वे ऐसे संबंधित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार या तो अपने मूल विश्वविद्यालय के अथवा यथास्थिति, कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय के, किन्तु दोनों के नहीं, निबद्ध स्नातक हो जायें अथवा बने रहें और सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के परिनियमों में भी उन निबद्ध स्नातकों के निबन्धन को समाप्त करने की व्यवस्था की जायेगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इस रूप से निबन्धन करा लेने के बाद कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय के निबद्ध स्नातक होने के लिये उपयुक्त के अनुसार विकल्प करते हैं ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८, १९६६

निरसन तथा अपवाद

५—(१) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो कि यह अधिनियम २८ अक्तूबर, १९६६ को प्रवृत्त हुआ हो ।

उद्देश्य और कारण

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों के बन जाने के फलस्वरूप यह अनिवार्य हो गया है कि कुछ तात्कालिक कार्यवाही की जाय । नये विश्वविद्यालयों को बहुत बड़ी संख्या में कालेजों का संक्रमण किये जाने के फलस्वरूप आगरा यूनिवर्सिटी के सिनेट के संघटन में, जहां तक संबद्ध कालेजों के प्रधानाचार्यों, अध्यापकों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई है । इसके कारण आगरा यूनिवर्सिटी के वर्तमान परिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता हो गयी और आगरा यूनिवर्सिटी या किसी अन्य विश्वविद्यालय के परिनियमों में ऐसे संशोधन करने का अधिकार जो कालेजों को नये विश्वविद्यालयों में संक्रमण किये जाने के फलस्वरूप आनुषंगिक या प्रासंगिक हो, राज्य सरकार के पास होना आवश्यक है । चूंकि दोनों विश्वविद्यालयों के परिनियमों को अन्तिम रूप देने तथा उन्हें प्रकाशित करने में अभी समय लगने की सम्भावना है, इसलिये दोनों नये विश्वविद्यालयों को, कोई परिनियम न होने के कारण, इन कालेजों का कार्य संपादन करने में कठिनाइयां होंगी । अतएव, कानपुर व मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन करके यह व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है कि यथास्थिति, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय में आगरा यूनिवर्सिटी के परिनियमों और अध्यादेशों को, ऐसे अनुकूलनों तथा परिष्कारों के साथ जो आवश्यक समझे जायें, तब तक लागू करने का निदेश दिया जाय जब तक कि दोनों विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियम प्रकाशित न हो जायें । निबद्ध स्नातकों से संबद्ध उपबन्धों में भी आनुषंगिक संशोधन करना आवश्यक था । चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था और विश्वविद्यालयों के कार्य को रोका नहीं जा सकता था, इसलिये २८ अक्तूबर, १९६६ को कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ प्रख्यापित किया गया ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त आध्यादेश इस अवसर पर कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय । कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले, किन्तु कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध किये गये कालेजों के संक्रमण के लिये भी इस विधेयक में व्यवस्था कर दी गई है ।

तदनुसार, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ पुरःस्थापित किया जाता है ।

कैलाश प्रकाश,
शिक्षा मंत्री ।

नत्थी 'ढ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६१ पर)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश में कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण और उससे सम्बद्ध विषयों के निमित्त व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

२--जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) "अत्यावश्यक सेवा" का तात्पर्य--

(१) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवा;

(२) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था के अधीन, किसी सेवा अथवा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के अधीन सेवा;

(३) किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी सेवा;

से है।

(ख) "हड़ताल" का तात्पर्य किसी अत्यावश्यक सेवा में सेवायोजित व्यक्तियों के समूह द्वारा मिल कर कार्य बन्द कर देने से (जिसके अन्तर्गत कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना भी है) अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो कार्य करते रहने के लिये इस प्रकार सेवायोजित हों या किये गये हों सम्मिलित रूप से या आपसी समझौते के अन्तर्गत इंकार कर देने से है।

कतिपय सेवा-योजनों में हड़ताल निषिद्ध करने का अधिकार

३--(१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, आदेश में उल्लिखित किसी भी अत्यावश्यक सेवा में हड़ताल निषिद्ध कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया कोई आदेश ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायगा जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की सूचना के लिये सर्वोत्तम समझे।

(३) उपधारा (१) के अधीन दिया गया कोई आदेश केवल छः माह के लिये प्रवृत्त रहेगा, किन्तु राज्य सरकार, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है उसे छः माह से अधिक अनधिक अवधि के लिये उसी प्रकार के आदेश द्वारा बढ़ा सकती है।

(४) उपधारा (१) के अधीन किसी आदेश के प्रवृत्त रहने की अवधि में, किसी ऐसी अत्यावश्यक सेवा में जिसके संबंध में आदेश हो, सेवायोजित व्यक्तियों द्वारा चाहे आदेश के प्रवर्तन के पूर्व या पश्चात घोषित या प्रारम्भ की गयी कोई भी हड़ताल अवैध होगी ।

अवैध हड़तालों के लिए शास्ति

४—कोई व्यक्ति जो ऐसी हड़ताल प्रारम्भ करता है जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो अथवा किसी ऐसी हड़ताल पर जाता है या रहता है अथवा अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः माह तक हो सकता है अथवा उसे अर्थ दन्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिए जायेंगे।

उकसाने आदि के लिए शास्ति

५—कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को किसी ऐसी हड़ताल में भाग लेने के लिये जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो अथवा होगी, उकसाता है, या भड़काता है अथवा उसे फैलाने के लिये अन्य प्रकार से कार्य करता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दन्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपया तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

अवैध हड़तालों को वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति

६—कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी हड़ताल को फैलाने में या उसका समर्थन करने में जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो या होगी, जानबूझ कर कोई धन व्यय करता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अथ दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिए जायेंगे ।

वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार

७—कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर यह सन्देह करने का उचित कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है ।

अधिनियम अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियमों को अभिभूत करेगा

८—इस अधिनियम और तदधीन जारी किये गये किसी आदेश के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

निरसन तथा अपवाद

९—(१) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ६, १९६६

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनयम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम २८ अगस्त, १९६६ को प्रारम्भ हो गया हो ।

उद्देश्य और कारण

कुछ दिनों से राज्य सरकार के तथा स्थानीय निकायों और शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन किये जा रहे हैं। पिछले अगस्त में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की भी आशंका हो गई थी। उक्त आन्दोलनों की स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों को सेवा संबंधी सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारन्टी प्राप्त है और राज्य के अधिनियमों के अधीन ऐसी ही कानूनी गारन्टी अध्यापकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी प्राप्त है। ऐसी सेवाओं द्वारा किसी प्रकार की हड़ताल से व्यवस्थित समाज में गम्भीर गड़बड़ी होना और शांति तथा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। इस बात को देखते हुए कि आम जनता को असुविधा होने की आशंका है, यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, १९६६ के उपबन्धों को कायम रखा जाय ।

तदनुसार उक्त अध्यादेश की जगह पर यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री ।

नत्थी 'ण'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६

स्थानीय स्वायत्त शासन से संबद्ध विभिन्न अधिनियतियों के कतिपय उपबन्धों का आगे दिये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

अध्याय १

प्रारम्भिक

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

अध्याय २

यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ का संशोधन और १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट का निरसन

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४७, सन् १९४८ ई० के परिशिष्ट में उल्लिखित संशोधनों को यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९ मे समाविष्ट करना और संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४७, सन् १९४८ ई० का निरसन

२—(१) यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९ का संशोधन, १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविसन्ज टाउन इम्प्रूवमेन्ट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट के परिशिष्ट में दी गयी रीति से किया जायगा, और उपर्युक्त रीति से संशोधित पूर्ववर्ती ऐक्ट इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा जायगा ।

(२) १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एम्प्रूवमेन्ट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९ में नयी धारा ४४–ए का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ४४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

अन्य विकास उपक्रम

"४४–ए—(१) ट्रस्ट राज्य सरकार के अनुरोध पर अथवा उसके अनुमोदन से किसी क्षेत्र का नियोजन विकास करने का कार्य अपने हाथ में ले सकता है, और धारा २३ से ४४ तक के उपबन्ध ऐसे कार्य के संबंध में लागू न होंगे ।

(२) उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६६ के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी ट्रस्ट द्वारा हाथ में लिया गया कोई ऐसा विकास कार्य इस धारा के अधीन हाथ में लिया गया समझा जायगा मानो इस धारा के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त रहे हों, और तदनुसार किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने में अध्याय ६ के अधीन की गयी कोई कार्यवाही भी है, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी और सदैव से ही किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी।

४—मूल अधिनियम की धारा ४९—बी के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"४९-सी—इस ऐक्ट की किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ट्रस्ट के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ट्रस्ट कोई भी ऐसा कार्य करने के लिये व्यवस्था कर सकता है जिसके व्यय को राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ट्रस्ट की निधियों पर समुचित प्रभार घोषित करे।

ट्रस्ट की निधि से व्यय की अनुज्ञा देने का सरकार का अधिकार

५—मूल अधिनियम की धारा ६७—एच की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

धारा ६७—एच का संशोधन

"(१) अचल संपत्ति के किसी हस्तान्तरण विलेख पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८८९ द्वारा आरोपित शुल्क, ऐसे क्षेत्र के जिसमें यह ऐक्ट लागू हो, भीतर स्थित अचल संपत्ति की दशा में, प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर जिसके अभिदेश में उक्त ऐक्ट के अधीन शुल्क की गणना की जाय, दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायगा।"

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ११२—क का संशोधन

६—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ११२—क में उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें:—

"(२) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों तथा धारा ५७७ के खण्ड (ङङ) के उपखण्ड (१) के अधीन उन पदों के कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों को भी, यदि वे उपयुक्त पाये जायें, विहित रीति से, अस्थायी या अन्तिम रूप से सेवा में लिया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों की सेवायें विहित रीति से समाप्त हो जायेंगी।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती है।"

७—मूल अधिनियम की धारा १९१ की उपधारा (१) में शब्द "विक्रय संपति के मूल्य पर अथवा भोगबन्धक (mortgage) की दशा में

धारा १९१ का संशोधन

लिखित (Instrument) द्वारा सुरक्षित धनराशि पर" के स्थान पर शब्द "प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाय" रख दिये जायें।

धारा ५७७ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ५७७ में—

(क) खण्ड (ङ) में शब्द "जब तक इस अधिनियम के अधीन निर्मित पदों पर उनकी नियुक्ति न हो जाय, वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे तथा सेवा के उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिसके कि वे उक्त दिन अधिकारी अथवा अधीन थे" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"जब तक वे इस अधिनियम के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त न किये जायें या धारा ११३—क के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा सृजित केन्द्रीय सेवा में अन्तिम रूप से ले न लिये जायें अथवा उनकी सेवायें ऐसी नियमावली के अनुसार समाप्त न हों जायें, वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे और, ऐसी नियमावली में अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व अधिकारी अथवा अधीन थे,"

(ख) खण्ड (च) में शब्द "नियोजित करने की कार्यवाही निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी" के स्थान पर शब्द "नियुक्ति करने में धारा ११२—क के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों में उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा" रख दिये जायें।

अध्याय ४

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा ६० का संशोधन

९—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ६० की उपधारा (१) के प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"किसी म्युनिसिपैलिटी में, जहां कोई एक्जीक्यूटिव आफीसर हो, बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायगा और धारा ६२ में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, उनका प्रयोग अन्यथा नहीं किया जायगा, अर्थात्"

धारा ६९—बी का प्रतिस्थापन

१०—मूल अधिनियम की धारा ६९—बी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"६९—बी—(१) धारा ५७ से ५९, ६५ से ६८, ६९, ६९—ए, ७१, ७४, ७९ और ८० में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियमों द्वारा किसी भी समय ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य के सभी या कुछ म्युनिसिपल बोर्डों अथवा म्युनिसिपल बोर्डों और महापालिकाओं के लिये सामान्य हो, तथा किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें नियत कर सकती है।

(२) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले अधिकारियों और सेवकों को, यदि वे उपयुक्त पाये जायें, विहित रीति से अस्थायी या अन्तिम रूप से सेवा में लिया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों की सेवायें विहित रीति से समाप्त हो जायेंगी ।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती है ।

धारा १२८-ए का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १२८-ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) यदि किसी बोर्ड ने धारा १२८ की उपधारा (१) के खण्ड (१३-बी) में अभिदिष्ट कर आरोपित किया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण विलेख पर इन्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८८९ द्वारा आरोपित शुल्क ऐसी म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में, प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त ऐक्ट के अधीन शुल्क की गणना की जाय, दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, बोर्ड, विशेष संकल्प द्वारा, स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपयुक्त प्रतिशत को पांच प्रतिशत तक बढ़ा सकता है ।"

अध्याय ५

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ की धारा ६२ का संशोधन

१२—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, १९६५ में जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है—

(१) उपधारा (१) में शब्द "संक्रमित संपत्ति के मूल्य पर, अथवा भोग बन्धक की दशा में संलेख द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर" के स्थान पर शब्द "प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाय" रख दिये जायें ।

(२) उपधारा (५) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"यू० पी जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६, ८ और २४ के उपबन्ध ऐसी निवृत्ति (सेंसर) के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे निरसन तथा पुनः अधिनियम के संबंध में लागू होते हैं ।"

धारा ९६ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा ९६ की उपधारा (३) में शब्द "और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अध्याय १३" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें, अर्थात्:—

"उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अध्याय १३, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १७८ से १८६ तक (या उसकी धारा ३३८ के अधीन अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट,

१९१४ की धारा ३८ के अधीन यथाप्रसारित उक्त धारायें), या यथास्थिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा १६२ से १७१ तक,"

अध्याय ६

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियम) अधिनियम, १९५८ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५७ की धारा २ का संशोधन

१४—उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

'(घ) "विनियमित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जिसके संबंध में धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापन तत्समय प्रवृत्त हो,"

धारा ३ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा ३ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(२) किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अध्याय १३, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १७८ से १८६ तक (या उसकी धारा ३३८ के अधीन अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३८ के अधीन यथा प्रसारित उक्त धारायें), यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा २९, ३० और ३२ या, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा १६२ से १७१ तक का प्रवर्तन उस अवधि के लिये निलम्बित रहेगा जिसमें उपधारा (१) के अधीन इससे संबद्ध घोषणा लागू रहे, और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों कि निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमितियों का निरसन हों।"

धारा १९ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के खण्ड (छछ) में शब्द "की प्रतिलिपियों" के स्थान पर "के निरीक्षण, या उनकी प्रतिलिपियों" रख दिये जायें।

अध्याय ७

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ का संशोधन

१७—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६६" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६७" रख दिये जायें

धारा ५ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा ५ में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६६" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६७" रख दिये जायें।

अध्याय ८

संक्रमणकालीन उपबन्ध

वैधीकरण आदि समझा जाना

१९—उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, १९६६, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ और यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के उपबन्धों के अधीन बनायी गयी समझी जायगी, मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम और ऐक्ट में किये गये संशोधन सदैव प्रवृत्त रहे हों, और उसे वैध समझा जायगा तथा सदैव से वैध रहा समझा जायगा, और उसमें किये गये किन्हीं संशोधनों के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त बनी रहेगी, तथा उक्त अधिनियम और ऐक्ट में किसी बात के होते हुए भी ४ सितम्बर, १९६७ को समाप्त होने वाली अवधि में, उक्त नियमावली में संशोधन करने के अधिकार का प्रयोग पूर्वगामी प्रभाव देते हुए किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९६६

२०—उत्तर प्रदेश पालिका सेवायें (केन्द्रीयकरण) (प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उद्देश्य और कारण

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जिन विभिन्न अधिनियमों को कार्यान्वित किया जा रहा है उनके वर्तमान उपबन्धों में कुछ कमियां मालूम हुई हैं और तदनुसार इस विधेयक द्वारा विविध उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है। संशोधनों को संक्षेप में नीचे स्पष्ट किया गया है :

(२) १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट की अनुसूची में दिये गये यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के सभी परिष्कार जिन्हें आवश्यक अनुकूलनों के साथ किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के संबंध में लागू करने का सरकार को अधिकार है, महत्व-पूर्ण प्रकार के हैं और यह अनुभव किया गया कि उन्हें समस्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिये। इस प्रकार इन उपबन्धों को लागू करने या उन्हें अनकूलित करने के लिये राज्य सरकार को प्रतिनिहित किया गया अधिकार अनावश्यक है। अतएव, यह प्रस्ताव है कि न सभी संशोधनों को यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ में समाविष्ट कर लिया जाये और तत्पश्चात् १९४८ ई० के ऐक्ट को निरस्त कर दिया जाय।

(३) यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के अध्याय ४ में, जिसमें धारा २३ से ४४ तक हैं, किसी सुधार योजना को अन्तिम रूप देने के लिये बहुत लम्बी प्रक्रिया दी गयी है। चूंकि राज्य में कुछ क्षेत्र, जैसे कि गाजियाबाद तेजी से अव्यवस्थित और अनियोजित प्रकार से विकसित हो रहे थे, इसलिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा ऐसी सुधार योजना तैयार किये बिना भूमि का अर्जन करने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये। राज्य सरकार के अनुरोध पर अथवा उसके अनुमोदन से ऐसी विकास परियोजनाओं को हाथ में लेने के उद्देश्य से और ऐसे उपक्रमों के अनुसरण में पहले से की गयी कार्यवाहियों को वैध करने के लिये एक नयी धारा ४४-ए बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(४) यू० पी० टाउन एम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ६७-एच, उत्तर प्रदेश नगर महा-पालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १९१, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १२८-ए और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ६२ के उपबन्धों के अधीन विलेख-पत्र द्वारा हस्तान्तरित किसी संपत्ति के मूल्य पर २ प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) वसूल किया जाता है और उसका भुगतान संबद्ध स्थानीय निकाय को किया जाता है। चूंकि कतिपय श्रेणियों के हस्तान्तरण जैसे कि पट्टे पर स्टाम्प शुल्क की गणना संपत्ति के मूल्य के संबंध में नहीं की जाती, इस-लिए यह प्रस्ताव है कि उक्त अधिभार, प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके संबंध में स्टाम्प ऐक्ट के अधीन शुल्क की गणना की जाय, वसूल किया जाय।

(५) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ६९-बी और उत्तर प्रदेश नगर महा-पालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ११२-क द्वारा राज्य सरकार को महापालिकाओं और म्युनिसिपल बोर्डों की किन्हीं सेवाओं और पदों के केन्द्रीयकरण के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार ने ९ जुलाई, १९६६ को उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, १९६६ प्रख्यापित की, जिसके अन्तर्गत दोनों प्रकार के स्थानीय निकाय के कुछ महत्वपूर्ण पद आते थे। फिर भी उनके प्रवर्तन में, कुछ कमियां अनुभव हुईं, विशेष रूप से इस कारण कि भूतपूर्व म्युनिसिपल बोर्डों की कवाल नगरों के इम्प्रूवमेंट के ट्रस्टों अधिकांश अधिकारियों और सेवकों को महापालिकाओं के तदनुरूप पदों पर नियुक्तियों को उक्त नियमावली के प्रख्यापित किये जाने के पूर्व, अन्तिम रूप नहीं दिया गया था : यह भी इष्टकर समझा गया कि कुछ अन्य विषयों को स्पष्ट किया जाय जो वर्तमान उप-बन्धों में अभिप्रेत थे। चूंकि पहले से ही प्रख्यापित नियमावली में आनुषंगिक संशोधन करना आवश्यक था, इसलिये यह इष्टकर समझा गया कि इस नियमावली में पूर्वगामी प्रभाव देते हुए संशोधन करने के ऐसे विशिष्ट अधिकार राज्य सरकार को दिये जायें जिनका प्रयोग केवल एक वर्ष के दौरान में ही किया जा सके। चूंकि राज्य विधान परिषद् का सत्रावसान हो गया था, इसलिये एक अध्यादेश तद-नुसार प्रख्यापित किया गया जिसमें उपर्युक्त व्यवस्थाएं की गयी थीं और इस बात को भी व्यवस्था

की गयी कि पहले से ही प्रख्यापित नियमावली ऐसे संशोधनों के अधीन रहते हुए वैध समझी जायगी और प्रवृत्त बनी रहेगी।

(६) जनता की यह एक आम शिकायत रही है कि यदि वे किसी विनियमित क्षेत्र में, जिसे उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अधीन ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया हो, किसी भवन का निर्माण पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन्हें दो प्रथक प्राधिकारियों अर्थात् संबद्ध स्थानीय निकाय और उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अधीन नियुक्त नियत प्राधिकारी से, अनुज्ञा लेनी पड़ती है। इस कष्ट को दूर करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि उक्त विनियमित क्षेत्रों में यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट उत्तर प्रदेश, नगर महापातिका अधिनियम, १९५९, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के संगत उपबन्धों को निलम्बित किया जाय। किन्तु जहां उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन कोई संगत योजना लागू हो तो जैसी कि उक्त अधिनियम द्वारा पहले से ही उपबन्धित है, उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ भी निलम्बित रहेगा।

(७) इस राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के साथ ही साथ नवम्बर, १९६४ में टाउन एरिया कमेटी, रेवती, जिला बलिया का भी सामान्य निर्वाचन हुआ था। इस टाउन एरिया कमेटी के कुछ वार्डों का निर्वाचन फल रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। इसलिये इस कमेटी के कार्यकाल को जो ३१ दिसम्बर, १९६४ को समाप्त होने वाला था समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९४३ के उपबन्धों के अधीन बाद में ३१ दिसम्बर, १९६५ तक बढ़ा दिया गया था। उच्च न्यायालय में रिट याचिका पर अभी तक कोई अन्तिम आदेश नहीं दिया है और स्थगन आदेश अभी तक प्रवृत्त है। इस लिये सरकार के सामने इस कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। टाउन एरिया कमेटी जसवन्तनगर, जिला इटावा का अतिक्रमण प्रथम बार ६ जुलाई, १९६३ से एक वर्ष के लिये किया गया था। इस अतिक्रमण की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी गयी थी। यू० पी टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३६ के उपबन्धों के अधीन किसी भी टाउन एरिया कमेटी का अतिक्रमण केवल दो वर्ष के लिये किया जा सकता है। तदनुसार उक्त अधिनियम के द्वारा अतिक्रमण की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६६ तक बढ़ा दी गयी थी। टाउन एरिया कमेटी की दशा में सुधार करने और विधान सभा के सामान्य निर्वाचन में बाधा न पड़ने देने के लिये यह महसूस किया गया कि अतिक्रमण की अवधि और बढ़ा दी जाय। तदनुसार, यह प्रस्ताव है कि टाउन एरिया कमेटी, रेवती का कार्यकाल और टाउन एरिया कमेटी, जसवन्तनगर के अतिक्रमण की अवधि ३० जून, १९६७ या उनके पुनःसंघटन तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाने की व्यवस्था की जाय।

(८) अन्य सशोधन छोटे या आनुषंगिक प्रकार के हैं।

चरण सिंह,
स्वायत्त शासन मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१५९ एल० ए०—१९६७—८४६।